राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5 } चतुर्थ विधान सभा के पंचम सत्र का दसवां दिवस { संख्या 8

बुधवार

दिनांक 20 अगस्त, 1969

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, आप सदा विरोधी दल की तरफ मुंह करके नमस्कार करते हैं। आज कांग्रेस वालों को किया है? क्या बात है?

श्री अध्यक्ष: मैं हमेशा नमस्कार करता हूं विरोधी दल के नेता को और फिर कांग्रेस दल को। भावनाओं को देखकर नमस्कार करता हूं.... .. ....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): मेरे पर विशेष कृपा है।

श्री अध्यक्ष: उसके बाद सत्ता दल को नमस्कार करता हूं और उसमें नमस्कार बच गया तो माननीय सदस्य जो बाद में आये, तो उनको भी नमस्कार किया।

श्री भैरोंसिंह: नवीनता प्रतीत हुई।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री): प्रथमं बन्दे किसको करना चाहिये?

श्री अध्यक्ष: सज्जनम् प्रथमम् बन्दे तदनन्तरम् दुर्जनम्। भावनाओं में सम्बन्ध नहीं हुआ करता है।

प्रश्न

[राजस्व, उद्योग, विद्युत, स्वायत्त शासन, गृह, सार्वजनिक निर्माण, विधि, समाज कल्याण, जनस्वास्थ्य-विभाग]

पंचायतों को भूमि का अलॉटमेंट

220. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

Page No 2

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(1) क्या यह सही है कि पंचायतों को पन्द्रह पन्द्रह बीघा भूमि दी गई है ? यदि हां, तो जिला बाड़मेर में कितनी पंचायतों को भूमि दी गई है और कितनी पंचायतों को नहीं दी गई है और क्यों ?

(2) जिन पंचायतों को 15 बीघा भूमि अलॉट हो चुकी है व जिनको अब तक नहीं हुई है उनके नामों की सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जिन पंचायतों को 15 बीघा अलॉट हो चुकी है उन्होंने इसका उपयोग किया या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार बाड़मेर जिला में पंचायतों को 15 बीघा अलॉट करना अपर्याप्त समझती है ?

(5) अगर अपर्याप्त समझती है तो राज्य सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

उपमंत्री राजस्व (श्रीगंगाराम चौधरी) : (1) जिला बाड़मेर की जिन पंचायतों को भूमि दी गई है और जिनको नहीं दी गई है उसका विवरण संलग्न सूची (क) में अंकित है।

(2) सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) तहसील बाड़मेर, पचपदरा व सिवाना में उपयोग किया जा रहा है तथा शेष तहसीलों में उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(4) पंचायतों द्वारा अधिक भूमि की माँग किये जाने पर इस बारे में विचार किया जा सकता है।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में भूमिहीन किसानों के लिये 15 बीघा को बढ़ाकर 75 बीघा का प्रावधान किया गया है क्योंकि 15 बीघा अन-इकोनोमिकल है। क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां, यह सही है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर और बाड़मेर की सिवाना तहसील को छोड़कर इन रेंतीले इलाकों में 15 बीघा से 75 बीघा बढाया गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या यह सही है कि 15 बीघा भूमि काश्त करने में अपने आप में अन-इकोनोमिकल होगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने विचार नहीं किया है। हो सकता है कुछ पंचायतों के लिये भूमि इकोनोमिकल नहीं हो।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : भूमिहीन किसान के लिये राज्य सरकार ने मान लिया 15 बीघा भूमि अन-इकोनोमिकल होगी तो जिनको 15 बीघा भूमि सौंपी गई है उनके लिये यह प्रिन्सिपल क्या लागू होगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : अब तक सब पंचायतों को समान रखा गया है। डेजर्ट एरिया की कोई बात आयेगी तो उस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

प्रश्न सं० 221

जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर को ऋण

221. **श्री हरि वल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर को राज्य सरकार द्वारा कितना कितना ऋण किस शर्त पर कब कब दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ऋण में से अब तक कितना अदा हो चुका है और अदायगी में ऋण की शर्तों के अनुसार कोई डिफाल्ट तो नहीं हुआ है ? यदि हुआ है तो कब कब और उस पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या इस उद्योग को इस वित्तीय वर्ष 68-69 में बाढ़ की क्षतिपूर्ति हेतु कोई सहायता अथवा ऋण भी दिया गया है ? यदि हां, तो कितनी राशि सहायता में दी गई और कितना ऋण दिया गया तथा किस शर्त पर ?

उप मंत्री उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) कुल 97 लाख रुपये का ऋण दिया गया है। तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) कुल 97 लाख रुपये के ऋण में से 52, 16, 666-66 रुपये का भुगतान हो चुका है। तालिका क्रमांक दो सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। ऋण की किश्तों के भुगतान में विलम्ब हुआ है जिस हेतु इकरारनामे की शर्तों के अनुसार विलम्ब से भुगतान करने का सूद वसूल किया जाता है।

(3) जी हां। 25 लाख रुपये का ऋण दिया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह 56-57 में सब से पहले 60 लाख का जो ऋण दिया गया था इसकी किश्त में कब कब डिफाल्ट हुआ ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : केवल एक बार डिफाल्ट हुआ है और उसका पेनल इन्ट्रेस्ट चार्ज कर लिया गया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : 60 लाख में से 40 लाख पेमेन्ट हुआ है। बाकी का......

श्री हरिदेव जोशी : केवल एक बार डिफाल्ट हुआ और पेनल इन्ट्रेस्ट चार्ज किया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : 60 लाख में से 40 लाख की किश्त चुकी थी तो आपने 20 लाख को रिन्यू किया इसकी क्या आवश्यकता थी ?

श्री हरिदेव जोशी : कई बार ऐसा होता है एक्सपोन्शन होता है, एक्सटेन्शन होता है तो नये लोन देने के बजाय पुराने लोन का रि-पेमेन्ट कर दिया जाता है और उसको नया लोन मान लिया जाता है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : 60 लाख का जो ऋण दिया गया वह कितने पर्सेन्ट पर दिया गया था ?

श्री हरिदेव जोशी : वह सब तालिका में दे दिया गया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : 20 लाख का जो रिन्यू किया वह किस पर्सेन्ट से दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : वह सारा दिया हुआ है। रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट क्या है यह तो गवर्नमेंट का एक आधार होता है। जो बैंक इन्ट्रेस्ट होता है उसके आसपास ·····

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आपने तालिका में 12 पर्सेन्ट बताया है। इसमें आपने तीन पर्सेन्ट की रिबेट बताई है इसका मतलब 9 पर्सेन्ट हुआ।

श्री हरिदेव जोशी : रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट क्या होनी चाहिये यह डिपेन्ड करता है लोनिंग एजेन्सीज पर। वे क्या इन्ट्रेस्ट लेते हैं और कन्डीशन क्या होती है यह आमतौर पर किया जाता है। अगर किश्त समय पर दी जाती है तो कुछ रिबेट-हाफ पर्सेन्ट की लोनिंग एजेन्सीज देती हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : सामान्य वित्त नियमों के अनुसार जब तक पहला ऋण नहीं चुकाया जाता है-शर्तों के अनुसार और डिफाल्टर रही है पार्टी तो फिर उसको देने का प्रश्न ही नहीं उठता···

श्री हरिदेव जोशी : कौनसे नियम के अनुसार कह रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : शर्तों के अनुसार पेमेन्ट न हो जाय तब तक उसको····

श्री हरिदेव जोशी : जनरल फाइनेन्सियल रूल्स में कहीं नहीं है बकाया हो और उसको नये में कनवर्ट नहीं कर सकते।

श्री दौलतराम सारण : शर्तों के अनुसार पेमेन्ट नहीं हो जाता है तब तक नहीं दिया जा सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें फर्क नहीं है, अध्यक्ष महोदय, बल्कि यह अच्छा है जो लोन 6 पर्सेन्ट के हिसाब से था अगर उसको रिन्यू नहीं करते, माननीय सदस्य समझने की कोशिश करें, अगर उस लोन को जारी रखते तो इन्ट्रेस्ट 6 पर्सेन्ट होता और नया किया तो 12 पर्सेन्ट के हिसाब से लोन मिला है।

श्री भैरोंसिंह : आपने बाढ़ग्रस्त के लिए क्षतिपूर्ति, सहायता और ऋण इन तीनों के लिए कितना पैसा दिया है ?

श्री हरिदेव जोशी : एक भी पैसा सहायता के लिए नहीं दिया गया है लोन ही लोन दिया गया है। छोटे लोगों को जरूर सब्सिडाइज किया है लेकिन किसी भी लार्ज-स्केल इन्डस्ट्री को सब्सिडी नहीं दी है।

श्री भैरोंसिंह : 20 लाख का लोन दिया है इस बाढ़ के कारण यह किस इन्ट्रेस्ट पर दिया है ?

श्री हरिदेव जोशी : 9.6 पसन्ट पर ।

श्री भैरोंसिंह : सामान्यतः बाढ़ग्रस्त या अकालग्रस्त इस प्रकार की स्थिति में जो काश्तकारों को लोन दिया जाता है क्या यह सही है कि उन काश्तकारों से अधिक रेट.....

श्री हरिदेव जोशी : I am sorry 9 पर्सेन्ट पर है और अगर डिफाल्ट करेंगे तो 12 पर्सेन्ट होगा इस तरह से है ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो सब के साथ होता है । मैं यह पूछ रहा था कि इस प्रकार की स्थिति में जो काश्तकारों को लोन दिया जाता है उनसे जो रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट वसूल होता है उससे कम इस कम्पनी से रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट वसूल की जायेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं बल्कि पोजीशन यह है कि इस पर्टीकुलर केस के अन्दर रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट कम हो सकती थी क्योंकि हमने दूसरे लोगों को कहीं पर तो रिलीफ यह दी है कि इन्ट्रेस्ट फ्री लोन दिया है। इस केस के अन्दर 9 पर्सेन्ट जिस हिसाब से आमतौर पर लोन देते हैं उस हिसाब से हमने दिया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री देवीदत्त ।

श्री दौलतराम सारण : इस कन्सर्न को ज्यादा ब्याज पर ऋण देने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । विद्युत मंत्री महोदय, नैक्स्ट ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरा क्वेश्चन बाकी है यह 1960-61 में आपने 12 लाख रुपया दिया है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज । दूसरा सवाल ले लिया गया है ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मेरा प्रश्न बाकी है । मैं प्रश्नकर्त्ता हूं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बहुत अहम सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : बहुत सवाल रह जाते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, कृपा करके इन्हें एक प्रश्न पूछने की आज्ञा दे दें ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आपने जो वाटर वर्क्स के लिए 12 लाख रुपये दिये हैं 1956-57 में 60 लाख एक दिये और उसके बाद में 1960-61 में 12 लाख रुपये इस काम के लिए दिये थे कि वाटर वर्क्स लगाकर फैक्ट्री तक लाकर बाद में अर्बन एरिया की सप्लाई के लिए लगायेंगे । तो 12 लाख रुपया एडवान्स दिया इससे उस कम्पनी वाले ने एग्रीमेन्ट का ब्रीच किया या नहीं और दो साल की जैसी बात थी कि फैक्ट्री तक दो साल में वाटर वर्क्स का काम पूरा करा दिया जायेगा या नहीं ।

Page No 6

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है मगर, अध्यक्ष महोदय, यह डिपार्टमेंट भी मेरे पास रहा था और इसकी कुछ चीजें मुझे याद पड़ती हैं इसलिए मैं कह सकता हूं कम्पनी की ओर से कुछ देरी हुई है लेकिन गवर्नमेन्ट की तरफ से ज्यादा देरी हुई थी इसलिए कि लेवल क्रोसिंग को क्रोस करना था और पाइप लाइन सवाई माधोपुर शहर में लानी थी। क्रासिंग का तय नहीं होने से कम्पनी ने रॉ वाटर का तो इंतजाम कर लिया था।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सवाई माधोपुर कस्बे में पानी नहीं लाना था और 5 वर्ष तक लगातार फैक्ट्री ने कोई काम नहीं किया —...

श्री हरिदेव जोशी : फिर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लें मैं उसका जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री विद्युत मंत्री।

कनिष्ठ अभियन्ता के पदों पर नियुक्तियां

222, **श्री देवीदत्त गाड़िया**(बारां) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य विद्युत मण्डल में कितने कनिष्ठ अभियन्ता के पद खाली हैं ? इन पदों को किस प्रकार से भरा जायेगा ?

(2) क्या राज्य सरकार ने ऐसा नियम बना रखा है कि इन पदों पर जितनी भी नियुक्तियां होंगी वह जनशक्ति विभाग द्वारा ही होंगी ?

(3) क्या इस नियम के अन्तर्गत राज्य विद्युत मण्डल भी उन पदों की नियुक्तियां करता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या विद्युत मण्डल ने इन पदों पर नियुक्ति करने में विभाग में वर्कचार्ज पर कार्य करने वाले डिग्री एवं डिप्लोमा होल्डर्स को प्राथमिकता देने के बारे में कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री खेतसिंह (उप-मंत्री विद्युत) : (1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कनिष्ठ अभियन्ताओं के 29 पद खाली हैं।

(2) इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए विद्युत मण्डल विज्ञापन देता है और फिर उन प्रार्थना-पत्रों की छंटनी की जाती है तथा चयन किया जाता है।

(3) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) वर्कचार्ज पर कनिष्ठ अभियन्ताओं को भी इस चयन में आने का अवसर दिया जाता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि कनिष्ठ अभियन्ताओं के कोई विभाग द्वारा इन्टरव्यू लिए गए और उनको नियुक्त कर दिया गया है ?

श्री खेतसिंह : आप तो बहुत जोरों से बोला करते हैं आज धीमे क्यों बोले हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि कनिष्ठ अभियन्ताओं के जो पद 29 खाली हैं उनका अभी इन्टरव्यू लिया गया है ?

Page No 7

श्री खेतसिंह : वह तो मैंने जवाब में ही कहा है कि 29 पद खाली हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं पूछ रहा हूं कि इन्टरव्यू ले लिया क्या ?

(विराम)

आपको जानकारी नहीं है तो मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिए।

विद्युत् मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तय किया गया था कि जिन लोगों के पास फर्स्ट डिविजन की डिग्री है उनको केवल इन्टरव्यू में बुलाया जाये और जिन लोगों ने एप्लाई किया चाहे मैन-पॉवर कमेटी में रजिस्टर्ड थे या नहीं थे केवल फर्स्ट डिविजनर्स को इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया और जो मैन-पॉवर कमेटी में रजिस्टर्ड थे लेकिन फर्स्ट डिविजनर नहीं थे तो उनको नहीं बुलाया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न 2 है कि क्या राज्य सरकार ने ऐसा नियम बना रखा है कि इन पदों पर जितनी भी नियुक्तियां होंगी वह जन शक्ति विभाग द्वारा ही होंगी—उसके बारे में कहा है, जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, इन्जीनियर्स, जूनियर इन्जीनियर्स और टेक्निशियन्स यह जो हजारों की संख्या में बेकार हो रहे हैं उनको एम्प्लायमेंट देने के लिए, रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से जनशक्ति विभाग खोल रखा है और उसके लिए नियम बनाये हैं कि जनशक्ति विभाग द्वारा ही ऐसे व्यक्तियों, जो कि इन्जीनियर्स, जूनियर इन्जीनियर्स और टेक्निशियन्स हैं, को रोजगार दिया जायेगा तो क्या विद्युत विभाग के ऊपर यह नियम लागू नहीं होते हैं ? क्या विभाग इसको उचित नहीं समझता कि सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत जनशक्ति विभाग द्वारा जो उनके नियम हैं और उनमें जो लड़के रजिस्टर्ड हैं उनको ही प्राथमिकता दी दी जाये ?

श्री खेतसिंह : पहले प्रश्न का जवाब तो दिया जाता है कि इन्टरव्यू नहीं हुए हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, फिर गलत जानकारी दे रहे हैं। इन्टरव्यू हुए हैं।

श्री खेतसिंह : आप ए० ई० एन० और जे०ई०एन० में फर्क नहीं समझते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुझे मालूम है। आप तो जवाब नहीं दे सके हैं इसलिए मंत्री महोदय को खड़ा होना पड़ा।

श्री खेतसिंह : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑटोनोमस बोर्ड है और उसके नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है और उनके लिए बाध्य नहीं हैं कि वह मैन पॉवर में रजिस्टर्ड लोग ही हैं उनको बुलाए। वह अलग से अपना विज्ञापन देते हैं और उसके अन्दर जो फर्स्ट क्लास लड़के होते हैं वही उसमें एपियर होते हैं और उसमें से ही चयन किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार के सारे ऑटोनोमस बोर्ड और गवर्नमेंट एन्टरप्राइजेज को ऐसे आदेश दिये हैं, डाइरेक्शन्स इस प्रकार के दिये हैं कि एम्प्लायमेंट के समय मैन पॉवर विभाग को महत्व दिया जाये और उसके आधार पर ही अपोइन्टमेंट दिया जाये ?

Page No 8

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब फर्स्ट डिविजनर्स अवेलेबल हैं और जिनका अभी इम्तिहान का रिजल्ट निकला है और जिनको मैन पॉवर विभाग में रजिस्टर कराने का समय नहीं मिला मैं समझता हूं कि जो बेस्ट मैटीरियल अवेलेबल है उन्हीं को लेना चाहिए और फर्स्ट डिविजनर्स को प्राथमिकता देनी चाहिए न कि सेकिण्ड और थर्ड डिविजनर्स को जिन्होंने रजिस्टर करा रखा है और जिन्होंने लास्ट ईयर करा रखा है उनको प्रिफरेन्स दिया जाये उनके एवज में फर्स्ट डिविजनर्स को लेना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ने इस प्रकार के डाइरेक्शन्स दिये हैं या नहीं दिये हैं।

श्री खेतसिंह : यह तो बिल्कुल अलग से प्रश्न है। मैं सारे ऑटोनोमस बोर्ड के बारे में कैसे बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अलग आप इसको मानते हैं तो मुख्य मंत्रीजी और फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा था कि सब जगह एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के जरिये अपाइंटमेंट किया जाये। इस सम्बन्ध में सारे ऑटोनोमस बोर्ड को सरकूलर इश्यू किये गये हैं। आप चाहें तो मैं सरकूलर भी सदन की मेज पर रख सकता हूं।

श्री खेतसिंह : मेरा ख्याल है एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज और जनशक्ति विभाग दोनों अलग-अलग चीजें हैं।

श्री भैरोंसिंह : बिलकुल सही है दोनों अलग-अलग हैं लेकिन आप किसको मानते हैं?

श्री खेतसिंह : हम तो डाइरेक्टली विज्ञापन देते हैं और उसी के अनुसार जो एप्लाई करते हैं और फर्स्ट क्लास होते हैं उनको बुलाकर उनका इन्टरव्यू लिया जाता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (4) में मैंने पूछा है कि क्या विद्युत मण्डल ने इन पदों पर नियुक्ति करने में विभाग में वर्कचार्ज पर कार्य करने वाले डिग्री एवं डिप्लोमा होल्डर्स को प्राथमिकता देने के बारे में कोई निर्णय लिया है? और इसके उत्तर में कहा है कि वर्कचार्ज जो कनिष्ठ अभियन्ता हैं उनको आने का अवसर दिया जाता है तो यह किस नियम के तहत दिया जाता है?

श्री खेतसिंह : इसमें नियम का कोई प्रश्न नहीं है अगर वह क्वालीफाई करते हैं और टेम्प्रेरी वर्कचार्ज पर लागू हैं तो उनको कोई रुकावट नहीं हो सकती है, और वे भी एपियर हो सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो एक रास्ता निकला है इसमें स्पष्टरूप से भ्रष्टाचार की और पक्षपात की झलक दिखाई देती है। अध्यक्ष महोदय, जितने भी मंत्री और बड़े बड़े नेता हैं उनके रिश्तेदारों को नियुक्ति देने का माध्यम बनाया गया है, और वर्कचार्ज पर लगाकर उसको इस प्रकार से नियुक्त कर दिया जाता है जब कि फर्स्ट सेकिण्ड डिविजनर्स लड़के हैं और चार चार साल से बेकार हैं और उनको नियुक्ति नहीं मिली इसलिए यह रास्ता निकाला है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है?

Page No 9

श्री खेतसिंह : यह माननीय सदस्य को बिल्कुल भ्रम है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सही है।

श्री खेतसिंह : अधिकृत यह है कि हम टैक्निकल डिपार्टमेंट में उन लोगों को लेते हैं जो कि फर्स्ट क्लास हों। बैकडोर एन्ट्रीज नहीं होती है। इन्टरव्यूज का स्पेशली कह देता हूं कि उसमें चेयरमैन, टैक्निकल मेम्बर, रेवेन्यू मेम्बर, चीफ इन्जीनियर और कई आदमी होते हैं। एक आदमी हम बाहर से लेते हैं दूसरी स्टेट का। ये सब मिलकर इन्टरव्यू लेते हैं, उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है यह कयास है। कोई खास एक्जाम्पल हो तो बताएं उसकी जांच हो सकती है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सिस्टम में परिवर्तन हो गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या राज्य सरकार ने जूनियर इन्जीनियर्स की और टेक्निकल नौकरी देने के लिए जन-शक्ति विभाग जो खोला है सचिवालय में, आप उचित नहीं समझते कि जितनी भी ओटोनोमस बोडीज् हैं उनको इस प्रकार की हिदायत दी जाय कि इन लोगों को सर्विस देने के लिए जन-शक्ति विभाग से सूची मंगाई जाय और उन लोगों को प्राथमिकता दी जाय ? एक प्रश्न तो यह है।

दूसरा यह है कि इस विद्युत विभाग ने ऐसे लड़कों को इन्टरव्यूज के लिए बुलाया है जो पी. एन. टीज. और रेलवे में नौकरी करते थे। उनको इन्टरव्यूज में बुलाते हैं जब कि चार हजार लड़के राजस्थान में बेकार फिर रहे हैं और जिन्होंने जन-शक्ति विभाग में अपने आपको रजिस्टर्ड करा रखा है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न अलग से है। पहले प्रश्न का उत्तर दें।

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने पहले ही बता दिया कि जन-शक्ति विभाग के अन्दर फर्स्ट क्लास, सैकन्ड क्लास और थर्ड क्लास सभी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। विद्युत मण्डल के विज्ञापन में खाली फर्स्ट क्लास ही लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्लास लड़के ही एप्लाई करें। फर्स्ट क्लास ही एप्लाई कर सकते हैं तो जन-शक्ति विभाग के सारे लड़कों को इन्टरव्यू में बुलाना चाहिए उससे ख्वामख्वाह देरी का प्रश्न पैदा हो जायगा और हजारों आदमी एप्लीकेन्ट्स हो जायेंगे और कुछ नतीजा नहीं निकलने का। इसलिए जो अभी तरीका है वह ज्यादा अच्छा तरीका है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि इन्टरव्यू में राजस्थान के बाहर के लोगों को भी बुलाया गया है ? फर्स्ट डिविजन होने के कारण ही यद्यपि दूसरी युनिवर्सिटीज के फर्स्ट क्लास नम्बर यहां के विद्यार्थियों के जो सैकण्ड क्लास के थे उनके नम्बर ज्यादा थे, लेकिन दूसरी युनिवर्सिटीज का स्तर नीचा होने के कारण वहां पर फर्स्ट क्लास के नम्बर कम होते हैं और यहां पर सैकण्ड क्लास के नम्बर ज्यादा होते हैं, इस पर भी आप राजस्थान के जूनियर इन्जीनियर्स को और टेक्निशियनों को इस प्रकार से रोक देते हैं तो, अध्यक्ष महोदय,

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
राजस्थान के विद्यार्थी तो बेकार फिर रहे हैं और मध्यप्रदेश, पंजाब वालों को नौकरी दी जाती है यह बहुत बड़ा अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस चीज को उचित नहीं समझती है कि राजस्थान के विद्यार्थियों को नौकरी दी जाय ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): सलेक्शन का आधार क्या है ? इन्टरव्यू के कितने मार्क्स हैं ? क्या सलेक्सन मेरिट्स के आधार पर होता है ?

श्री खेतसिंह : दोनों के आधार पर मेरिट और इन्टरव्यू में जैसा वे करते हैं।

श्री केदारनाथ : इन्टरव्यू के मार्क्स कितने रखे हैं ?

श्री खेतसिंह : यह मैं अभी नहीं बता सकता कि सलेक्शन में इन्टरव्यू के कितने मार्क्स रखते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह तो ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नैक्स्ट।

नवलगढ़ नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा भूख-हड़ताल

223. **श्री साबरमल बासोतिया** (नवलगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(1) जनवरी, 1967 से अब तक नगरपालिका नवलगढ़ एवं पालिका के कर्मचारियों के बीच आपस में कितने मुकद्मे चले हैं ? अब तक कितने मुकद्मों के फैसले विभिन्न कोर्टों से हो चुके और किसके पक्ष में ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान बोर्ड के अधिकारियों की ज्यादतियों से परेशान होकर बोर्ड के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल एवं कार्य बन्द हड़ताल जून-जुलाई, 1968 में की थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त हड़ताल को तुड़वाने के लिए स्थानीय निकाय राजस्थान के एक उप-निदेशक, नवलगढ़ गये थे और समझाने पर कर्मचारी काम पर चले गये थे ?

(4) क्या उक्त उप-निदेशक ने समझौते कराने के बाद कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की थी ? यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट पर अमल किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और उसके लिए कौन जिम्मेवार है ? कृपया उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज सिंह): (1) चालीस मुकद्मे चले हैं। 32 मुकद्मों के फैसले हो चुके हैं। 31 कर्मचारियों के पक्ष में हुए हैं। एक नगरपालिका के पक्ष में हुआ।

(2) गत बोर्ड के समय में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 12-7-68 से 31-7-68 तक हड़ताल की थी व कार्य बन्द रखा था। भूख हड़ताल भी की थी।

(3) सहायक संचालक, स्थानीय निकाय दिनांक 10-7-68 को गये थे।

Page No 11

(श्री मुल्कराज सिंह)

कर्मचारीगण दिनांक 1–8–68 को काम पर आ गये।

(4) सहायक संचालक ने रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की थी। रिपोर्ट पर गत बोर्ड द्वारा अमल नहीं किया गया।

रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट 224

अपहरण का मामला

224. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मूला राईका का अपहरण 25–12–67 को प्रधान पंचायत समिति, मकराना व उसके साथी सरपंचों द्वारा किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस ने अदालत के आदेश से सी. आर. सं. 4 ता० 12–1–68 को मुकद्दमा दर्ज किया ?

(3) यदि हां, तो उस मुकद्दमे में आज तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्या कारण है ?

राज्यमन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी नहीं।

(2) जी हां। सही है। अदालत एम.एम. परबतसर के आदेश से क्राइम संख्या 4, तारीख 12–1–68 को मुकद्दमा दर्ज किया।

(3) अनुसंधान से मुकद्दमा 'अदमवकुआ' पाये जाने पर एफ० आर० अदमवकुआ में पेश की गई।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह तफतीश किसने की थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : क्या फर्माया ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तफतीश किसने की थी और एफ० आर० किस तारीख को दी गई।

श्री अध्यक्ष : 12–1–68 को

श्री हीरालाल देवपुरा : 12–1–68 को दर्ज की गई थी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह दर्ज की गई थी यह तो बता दिया लेकिन तफतीश किसने की थी और एफ० आर० कौनसी तारीख को दी गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 31 दिसम्बर को सबमिट की गई। तफतीश सब-इन्सपेक्टर ने की थी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एफ० आर० कौनसी तारीख को दी गई और किस मजिस्ट्रेट के पास दी गई और वह एक्सेप्ट की गई या नहीं ? यह तो बता दें कम से कम ऑर्डिनरी बात है।

श्री हीरालाल देवपुरा : धीरे धीरे कहें तो समझ में आ जायेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि क्रिमिनल केस अदालत में·······

श्री अध्यक्ष : अदालत में पेश किया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कोर्ट परबत-सर है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एफ० आर० कौनसी तारीख को दी गई, किस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दी गई है और मजिस्ट्रेट ने एफ० आर० को एक्सेप्ट किया या नहीं किया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 31-12-68 को एफ० आर० दी गई वह परबतसर की कोर्ट में दी गई है जो कि मन्जूर की गई है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : Whether it has been accepted or not ?

श्री अध्यक्ष : अदालत ने एक्सेप्ट किया या नहीं एफ० आर० ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरी जानकारी में था वह मैंने, अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट 225। दूसरा ले लिया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : Inconsistant reply we are getting on the floor of the House। मुकद्दमा दर्ज करने की तारीख जो दी है उसके पहले ही एफ० आर० दे दी यह कहां तक सम्भव है ? आप स्टेटमेंट को मुलाहिजा फर्मावें।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : जवाब कन्ट्रोवर्शियल है। पहले कैसे दे दी गई है एफ० आर० ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष, उत्तर दिलाया जाय। कोई भी आदमी इसको समझता है कि तारीख एफ० आर० दर्ज करने की एक बताई है और एफ० आर० सबमिट करने की तारीख उससे पहले की बता दी तो यह नामुमकिन है। यह असम्भव बात है On the floor of the House.

श्री अध्यक्ष : ट्रेडिशन है तो एक्सेप्शन कर दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कहा कि 12-1-68 को एफ० आई० आर० हुई और मुकद्दमा दर्ज किया गया था और 31-12-68 को एफ० आर० दे दी गई।

श्री फतेहसिंह : 31-12-68 को कैसे दे दी गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इससे क्या फर्क पड़ गया। 31-12-68 को दी गई तो वह एफ० आर० बाद में ही दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

परसरामपुरा गांव से जाने वाली लाइन पर पड़ने वाले गांवों में बिजली

225. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) झुन्झुनू जिले के उदयपुरवाटी तहसील के परसरामपुरा गांव से रबटकड़

(श्री शिवनाथ)

गांव को जाने वाली 11 के० वी० लाइन किन किन गांवों की सरहद से गुजरती है तथा उनमें से किन किन गांवों का विद्युतिकरण नहीं हुआ है ?

(2) जब कि सभी गांवों को सिंचाई आदि की सुविधाएं तथा साधन समान हैं तो कुछ गांवों का ही विद्युतिकरण क्यों किया गया तथा अन्य का क्यों छोड़ा गया ?

(3) क्या सरकार इस लाइन पर पड़ने वाले तथा इस लाइन से एक मील के फासले तक दूरी पर पड़ने वाले गांवों का विद्युतिकरण करना चाहती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक होने की सम्भावना है ?

उप मन्त्री, विद्युत (श्री खेतसिंह) : (1) रघुनाथपुरा, बीडकी, डरड्या, टोडी एवं बामलास की सरहद या उनमें से परसरामपुरा ग्राम से रबटकड़ ग्राम को जाने वाली 11 के० वी० लाइन गुजरती है। इनमें से एक भी गांव का विद्युतिकरण अभी नहीं हुआ है।

(2) सभी गांवों का विद्युतिकरण एक साथ करना सम्भव नहीं है।

(3) सरकार अवश्य चाहती है। कार्य कब होगा यह धन पर मुनस्सर करता है।

श्री शिवनाथसिंह : जब कि गांवों से बिजली पास हो रही है उन गांवों का बिजलीकरण नहीं करें और 11 मील पर विद्युतिकरण करा रहे हैं रबटकड़ा में करा रहे हैं ?

श्री खेतसिंह: अध्यक्ष महोदय, विद्युतिकरण के लिए रबटकड़ा को जोड़ा गया है, लेकिन अब रबटकड़ा से परसरामपुरा के बीच में जो गांव आये हुए हैं विद्युतिकरण के प्रश्न पर उनका सर्वे नहीं हुआ है। उसकी बात धन की उपलब्धि पर मुनस्सर करती है। पैसा हुआ तो अवश्य विद्युतिकरण किया जायगा।

श्री शिवनाथ सिंह : क्या यह सही है कि सर्वे कराने के लिए कई बार आदेश दे दिये गये हैं लेकिन वहां के इन्जीनियर जान बूझकर सर्वे नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाये गये हैं।

श्री खेतसिंह : यह तो मुझे मालूम नहीं है कि इन्जीनियर के पास में सर्वे का आदेश गया है। आपका प्रश्न आया है इसके बाद में निश्चिततर से यह विश्वास दिलाता हूं कि इस गांव का स र्वे करा लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री दौलतराम सारण।

नगर पालिका चित्तौड़गढ़ द्वारा भूमि का बेचना

226. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि नगरपालिका चित्तौड़गढ़ द्वारा सदस्य श्री हरनारायण बंसल एडवोकेट को उनके बंगले में बरजानिब उत्तर चित्तौड़गढ़ में एक लम्बे चौड़े प्लाट में से 20-100 फीट का प्लाट लम्बे रोड पर स्ट्रीप ऑफ लैंड कहकर 500 रु० में दे देने का दि० 21-1-67 का सदस्य श्री बंसल की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित किया गया था ?

Page No 14

(श्री दौलतराम सारण)

(2) क्या यह सच है कि इस प्रस्ताव को तात्कालीन कलेक्टर महोदय ने स्ट्रीप ऑफ लैंड नहीं मानते हुए खारिज किया था ?

(3) क्या यह सच है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर व एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने भी यह प्रस्ताव अनियमित व नगरपालिका को नुकसान पहुंचाने वाला मानते हुए रद्द करने की सिफारिश कलेक्टर साहब के पास की थी ?

(4) यदि यह सच है कि इसके बाद सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में श्री हरनारायण बंसल को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया था और इस नगर विकास प्रन्यास द्वारा इस भूमि को श्री हरनारायण बंसल को देने का निर्णय लिया गया और कलेक्टर साहब श्री गणेश शंकर द्विवेदी एस० डी० एम० द्वारा अनुमोदन कर 500 रु० में ही श्री हरनारायण बंसल को जमीन दे दी गई और जमीन पर कब्जा व पट्टा भी दे दिया गया ?

(5) यदि यह सच है तो यह बताया जावे कि इस भूमि को प्राप्त करने के लिए अन्य किन-किन व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिया था और इन्होंने इसकी प्रारम्भिक राशि 5000 रु० बतायी थी ? क्या श्री रतनलाल खमेसरा, श्री रंगलाल काबरा, श्री लादूराम तोशनीवाल आदि ने आवेदन किये थे ? और उन्होंने नीलामी की मांग की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(6) क्या यह सच है कि डिप्टी टाउन प्लानर ने भी इस भूमि को श्री बंसल को देने में आपत्ति की थी ? यदि हां, तो किस कानून के तहत यह भूमि दी गई है ? और इस भूमि को श्री बंसल को देने के क्या कारण हैं ? इससे संस्था को कितनी हानि हुई ?

(7) क्या यह सच है कि सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में श्री हरनारायण बंसल, सदस्य ने मिसल नं 25 सन् 68 ई० यू० आई० टी० में दिनांक 4-1-68 को वकालत करने के लिये उक्त मिसल में पैरवी की तथा जमशेद का रजिस्टर्ड वकील भी है ?

उपमंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्क राज थिन्द) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है इसलिए इसको स्थगित किया जाये।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है। कई अधिवेशन चले गये हैं, उसके बाद भी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्री मुल्क राज थिंद: इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और नगर परिषद से सम्बन्धित है। इसलिए उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। नैक्स्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि यह सरकार भ्रष्टाचार की आदी है, इसलिये ऐसा किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। श्री मजलिस खां।

कामां– पहाड़ी सड़क पर कार्य

227. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 15

(श्री मजलिस खां)

(1) क्या यह सही है कि कामां पहाड़ी रोड पर सतवाड़ी नाला पड़ता है ? क्या यह भी सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सन् 1967 से ही नाले के दोनों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं और उन पर लिखा है कि निर्माण कार्य चालू है । सावधान धीरे चलाइये ? यदि हां. तो क्या बोर्ड आज तक भी लगे हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नाले पर विभाग की ओर से आज तक कोई निर्माण कार्य चालू नहीं कराया गया है ? क्या यह भी सही है कि बस मालिकों ने उक्त नाले पर अपनी ओर से प्राइवेट मजदूर रख छोड़े हैं जो मिट्टी को हटाते रहते हैं ? गर्मियों में रेत पर पानी छिड़कते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है कि विभाग की ओर से उक्त नाले का निर्माण कार्य चालू नहीं कराया जाता ?

(3) क्या यह भी सही है कि निर्माण मन्त्री ने सन् 1967 के बजट सत्र में उक्त नाले के प्रश्न का सदन में यह उत्तर दिया था कि निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा गलत उत्तर देने का क्या कारण था ?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां । जी नहीं ।

(2) जी हां । यह सही नहीं है । विभागीय लेबर द्वारा इस मार्ग को यातायात योग्य रखा जाता है । अर्थाभाव के कारण ।

(3) जी हां । उत्तर काजवे के निर्माण के लिए था ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री मजलिस खां : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि निर्माण मंत्री ने आश्वासन दिया था ? और क्या यह सही है कि वहां पर निर्माण कार्य चालू हुआ और इसी आधार पर बोर्ड लगा रखा है ? सावधान, धीरे चलो, निर्माण कार्य चालू है ।

श्री माधोसिंह : जून 68 में यह प्रोग्राम लिया गया है । बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया था । अब उसके लिए 40-50 हजार का प्रावधान किया गया है ।

श्री मजलिस खां: बोर्ड तो हटा लिया । हर ड्राइवर उसे देखकर सावधान होता है ।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां बोर्ड नहीं है ।

श्री मजलिस खां : एक बोर्ड तो आपका टूटा पड़ा है । आपके विभाग ने उसे अब तक नहीं संभाला है ।

श्री माधोसिंह : खैर, होगा तो हटा दिया जायेगा ।

प्रश्न संख्या 228

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री हीराभाई ।

अनुपस्थित

(कृपया आगे देखिये)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी ।

छबड़ा में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट

229. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा)** : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

Page No 16

(श्री प्रेम सिंह सिंघवी)

1. क्या यह सही है कि राजस्थान में जिला व उप-जिला एवं तहसील हैडक्वार्टरों पर जुडिशियरी सेपरेट कर दी गई है ? अगर नहीं, तो कौन कौन सी जगह बची है ?

2. क्या छबड़ा हैड क्वार्टर पर भी जहां पहले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेटी थी वहां भी जुडिशियरी सेपरेट की गई है ? अगर हां, तो छबड़ा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी कोर्ट क्यों नहीं कायम की गई ?

3. क्या सरकार को विदित है कि छबड़ा में जुडिशियरी कोर्ट न होने के कारण यहां के व्यापारियों व काश्तकारों को बारां मुंसिफ मजिस्ट्रेटी में जाना होता है इससे यहां की जनता काफी परेशान है ?

उप मन्त्री (श्रीमती प्रभा मिश्रा): 1. जी हां । राजस्थान कार्यपालिका को न्याय पालिका से पृथक्करण की स्कीम राजस्थान के समस्त उपखण्डों में लागू कर दी गई है ।

2. जी हां । प्रीसाइडिंग ऑफिसर तथा न्यायालय के लिये उचित स्थान उपलब्ध न होने के कारण, न्यायालय की स्थापना नहीं की जा सकी ।

3. सरकार को जनता की कठिनाई भलीभांति विदित है । उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है इसमें कोई कारण नहीं मिलता है । मैं कहना चाहूंगा कि मकान की सुविधा वहां मिल सकती है । यह अगर राजनैतिक कारणों से जानबूझ कर परेशान करना चाहते हैं तो दूसरी बात है ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : राजनैतिक कोई कारण नहीं हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़ियां (बारां) **:** क्या यह सही है कि वहां पर जनता मकान देने के लिए तैयार हो जाये तो मुंसिफ कोर्ट खोल दी जाएगी ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि सरकार यह सोच रही है कि छबड़ा में न खोलकर अटरू में खोली जाये ?

विधि मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) **:** वहां भवन उपलब्ध नहीं हुआ है । इसके लिए हाई-कोर्ट से जानकारी करके जवाब दिया है । इसके लिए राजनैतिक कारण कहने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) **:** क्या राज्य सरकार ने नई मुंसिफ कोर्ट खोलने का विचार किया है । क्या यह सही है कि छबड़ा के स्थान पर अटरू के लिए निश्चय किया गया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : छबड़ा में इन्क्वायरी की तो पता लगा कि कोई भवन उपलब्ध नहीं है तो यह कहा गया कि जैसे ही धन उपलब्ध होगा भवन निर्माण करवाने के बाद वह खोल दिया जाएगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या छबड़ा के बजाय अटरू में खोलने का इरादा है ?

(श्री बरकतुल्ला खां) : कोर्ट को कहीं न कहीं तो रहना ही पड़ेगा। अगर हटेंगी तो प्रॉविजनली हटेंगी। और कोई इन्तजाम नहीं हो सकता है। इसलिए हाई-कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि हम यहां पर मुंसिफ कोर्ट नहीं खोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रॉविजनली क्या है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अगर हम मकान देने के लिए तैयार हैं तो क्या आप कोर्ट खोल देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इसका राजनैतिक कारण यह है कि रामचरण डिप्टी मिनिस्टर है...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री बरकतुल्ला खां : जैसे ही मकान उपलब्ध होगा, यह हो जाएगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : एक बिल्डिंग है, किराये पर है। लेकिन कशमकश चल रही है कि छबड़ा के बजाय अटरू में रखें। एक मकान है। मैं उस आदमी से मिला था। किराया भी तय कर लिया है। उसके बाद गवर्नमेंट का यहां से प्रेसर गया।

श्री अध्यक्ष : क्या यह जानकारी सरकार को है ?

श्री बरकतुल्ला खां : हाईकोर्ट न किसी का प्रेसर मानता है और न कोई कर सकता है। इसलिए यह कहना वाजिब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या छबड़ा का मकान देखा गया? क्या किराये नहीं दिया ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह तो मुझे नहीं मालूम हुआ। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, वह आपको दी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में राजस्थान हाई कोर्ट भी राज्य सरकार से सुझाव मांगती है।

श्री बरकतुल्ला खां : इस बारे में हम कोई दखल नहीं देते हैं। हाई कोर्ट ही तय करती है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार से सुझाव मांगती है या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : राजस्थान सरकार से सुझाव मांगने का कोई सवाल नहीं है। उनका खुद का पैटर्न है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने कोई सुझाव दिया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : राजस्थान सरकार के पास जो सुझाव आये थे वे सब के सब हाई कोर्ट को भेज दिये।

श्री भैरोंसिंह : अपनी तरफ से कोई सुझाव दिया है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री सालोदिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है..

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है। छबड़ा में मुंसिफ कोर्ट खोलने के लिए बिल्डिंग देने के लिए

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

तैयार हैं। मन्त्री महोदय यह आश्वासन दें। अटरू में नहीं खोला जाये छबड़ा में ही खोला जाये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। समाज कल्याण मन्त्री।

श्री जयनारायण सालोदिया : प्रश्न संख्या - 230

अनुसूचित जाति एवं जन जाति की जन-संख्या तथा नौकरियों में सुरक्षित स्थान

230. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राज्य में अनुसूचित जाति व जन जातियों की जन संख्या सन् 68-69 में क्या थी? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. क्या यह सच है कि राज्य में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की जन संख्या 40 प्रतिशत है? यदि हां तो फिर नौकरियों में सिर्फ साढ़े बारह प्रतिशत ही स्थान सुरक्षित रखने का क्या आधार है ?

3. क्या यह भी सच है कि राज्य में अनुसूचित जाति व जनजातियों के पढ़े लिखे बेकारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है ? क्या सरकार जिलेवार पढ़े लिखे बेकारों का सर्वे कराकर उनको निश्चित समय में नौकरियां देने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब से ?

4. क्या सरकार बेकारी को दूर करने की दृष्टि से साढ़े बारह प्रतिशत के कोटे को 25 प्रतिशत करने का विचार रखती है ?

5. क्या यह भी सच है कि विभागों में निश्चित साढ़े बारह प्रतिशत कोटा भी पूरा नहीं किया जाता है ? यदि हां तो कौन कौन से विभागों में और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

6. क्या सरकार कन्फर्मेशन व प्रमोशन में भी रिजर्वेशन करने का विचार रखती है ?

राज्यमन्त्री, समाज कल्याण (श्री बी० एन० जोशी) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न से सम्बन्धित जानकारी 11 रोज में प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं हो सका है। इसलिए इसको स्थगित किया जाये।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, इसमें ·········

श्री बी० एन० जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसमें सारे जिले के आंकड़े मांगे गये हैं। वह प्राप्त नहीं हो सके हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पिछली विधान सभा में भी दिया था। यह गवर्नमेंट की नीतियों से सम्बन्धित है। मैंने यह पूछा है कि क्या गवर्नमेंट की यह नीति है कि इस तरह से सर्वे करके बेकारों के लिए योजना बनाकर काम देना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आंकड़े मांगे हैं।

Page No 19

श्री विशम्भर नाथ जोशी : हमें यह 11 रोज पहले ही मिला। 11 रोज के अन्दर आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं।

श्री भैरों सिंह (किशनपोल, जयपुर): यह प्रश्न अगर, अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूछा जाये तो मैं यह बता सकता हूं। हर साल रिपोर्ट तैयार होती है। किस बात के आंकड़े चाहिए। आप मुझसे पूछिये, कितने प्रतिशत बेकार हैं। जिलेवार आंकड़े दे सकता हूं। इस में कौनसी जानकारी है जो जयपुर में नहीं मिल सकती है।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : यह आपका कहना है।

श्री भैरों सिंह : कितनी जनसंख्या है, कितनी नहीं है, कितना प्रतिशत है •••

श्री अध्यक्ष : जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये जायं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आपने (श्री भैरों सिंह) ने हल्के तौर पर कह दिया •••

श्री भैरों सिंह : हल्के तौर पर नहीं कहा है। गवर्नमेंट ने इसको हल्के रूप में समझा है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आपने इस प्रश्न में जिलेवार आंकड़े मांगे हैं •••

श्री भैरों सिंह : आपके पास मन्थली रिपोर्ट आती है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : तीन में मांगा है; अनुसूचित जाति व जन जातियों के पढ़े लिखे बेकारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है ? क्या सरकार जिलेवार पढ़े-लिखे बेकारों का सर्वे करा कर उनको निश्चित समय में नौकरियां देने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है। विभागों में निश्चित साढ़े बारह प्रतिशत कोटा भी पूरा नहीं किया जाता है ? इसके लिए सारे विभागों से जानकारी करना आवश्यक है। यह इस प्रश्न के भाग (5) के बारे में निवेदन किया है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यह तो विभाग की अनिवार्य ड्यूटी है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : I cannot give reply.

श्री दौलतराम सारण : यह विभाग की अनिवार्य ड्यूटी है कि विभाग आंकड़े रखे कि किन विभागों में नीति के मुताबिक, पर्सेन्टेज के मुताबिक भर्ती हो रही है या नहीं। यह विभाग की ड्यूटी है •••

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : साढ़े बारह प्रतिशत है, दस प्रतिशत है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, इनके पास मासिक रिपोर्ट आती है, इसलिए इसको स्थगित न करके इसका उत्तर दिलाया जाय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इसके पास रोटी खाने के सिवाय कोई काम नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप लिस्ट का प्रश्न करते हैं, तो मेरे पास सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट है। यह इन्होंने ही

(श्री जयनारायण सालोदिया)

छः महीने पहले एक प्रश्न के उत्तर में दी थी। वह मेरे पास है और मंत्रीजी कहते हैं कि लिस्ट नहीं है। मेरे पास सारे विभागों की लिस्ट है, जो आपने छः महीने पहले दी थी।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि छः महीने के अन्दर काफी स्थिति बदल जाती है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : एक छोटा सा प्रश्न। क्या इन परिस्थितियों में समाज कल्याण विभाग को बन्द करना सबसे बड़ा काम नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : इस पर भी विचार कर लीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : यह बात निश्चितरूप से सही है, कि राजस्थान में समाज कल्याण विभाग वर्षों से चल रहा है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों को स्थगित किये जाने का प्रश्न है। चार सवाल सारे समय को खा जायं तो यह उचित नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं इस प्रश्न के संदर्भ में, कि आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर बहस कराना चाह रहे थे। मैं कल या परसों रख देता उसको तो ? इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि जितने आंकड़े हैं, वे तैयार रहने चाहिए, कितने विभाग में शिड्यूल्ड कास्ट्स का क्या पर्सेन्टेज है, क्या नहीं है। यह एनेलेसिस है आपके डिपार्टमेंट का। मैं इस वक्त तो इसे स्थगित करता हूं, लेकिन यह रेडी रेफरेन्स के लिए आपके डिपार्टमेंट में मिलने चाहिए।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : प्रश्न को स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या इस प्रश्न का उत्तर इसी सेशन में आयेगा ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपके मुंह से निकला कि आप अनुसूचित जाति की रिपोर्ट को नहीं ले रहे हैं। यह सुन कर हमें बड़ा दुःख हुआ।

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री ने तो निवेदन कर दिया कि इसी सदन के सत्र में आये, अब मुझको देखना है कि इस सत्र में बिजिनस ऑफ हाउस के आधार पर लिया जा सकता है या नहीं।

नैक्स्ट, श्री दिग्विजय सिंह !

अजमेर इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन के कारखाने से जनता को परेशानी

231. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि अजमेर नगर में एक अजमेर इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के नाम का कारखाना है ? यदि हां, तो यह किस जगह स्थित है ?

(श्री दिग्विजय सिंह)

(2) क्या यह सही है कि उक्त कारखाना ऐसी जगह स्थित है, जहां पर लोगों के रहने के मकान हैं और इस कारखाने से वहां के रहने वालों को परेशानी है ?

(3) क्या इस स्थान पर कारखाना स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी ? यदि हां, तो स्वीकृति किसने और कब दी ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस विषय में स्थानीय जिलाधीश को वहां के रहने वालों ने निवेदन किया था, पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(5) क्या सरकार इस कारखाने को वहां से हटाने का विचार रखती है ?

उपमन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिंद) : (1) जी हां। नया बाजार में खरवा हवेली के पास।

(2) जी हां। इस बाबत अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां। जिलाधीश द्वारा वर्ष 1961 में स्वीकृति दी गई।

(4) जी नहीं।

(5) यदि कोई शिकायत प्राप्त हो तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि भाग 4 के उत्तर में आपने कहा है, 'जी नहीं' लेकिन वहां के निवासियों ने जिलाधीश को प्रार्थना पत्र पेश किया और उसमें यह निवेदन किया कि इस कारखाने को यहां से हटाया जाय।

श्री मुल्कराज थिंद : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जिलाधीश महोदय से जानकारी प्राप्त हुई हैं, उसमें यह है कि जिलाधीश को कोई भी आज तक शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

कई माननीय सदस्य : प्राप्त ! कब तक प्राप्त हो जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : आपके एक लफ्ज को पकड़ा हुआ है। आप प्राप्त बोल दिया करें जिससे शुद्धरूप हो जाय। आप उत्तर दीजिये। (व्यवधान) जहां से आप आते हैं वहां पंजाबी के प्रभाव के कारण ऐसा बोला जाता है।

श्री मुल्कराज थिंद : मैं निवेदन कर रहा था कि जिलाधीश को ऐसा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : That is all, खत्म हो गया मामला।

श्री मुल्कराज थिंद : अगर कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि अजमेर में कोई इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम है ?

श्री मुल्कराज थिंद : जी हां।

श्री दिग्विजयसिंह : इस कारखाने को वहां क्यों नहीं स्थानान्तरित कर दिया जाता है ?

श्री मुल्कराज थिंद : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1961 में कारखाना दूसरी जगह था, उसके बाद 1961 में जिलाधीश महोदय ने स्वीकृति दी। यह ऐसी बस्ती में है जहां और भी कारखाने हैं, इसलिए और

(श्री मुल्कराज थिंद)

कारखानों के लिए कोई शिकायत नहीं आई है। अगर इसकी शिकायत कोई प्राप्त होगी तो 248 के अन्डर में उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री दिग्विजयसिंह : नये बाजार में कितने कारखाने हैं ?

श्री मुल्कराज थिंद : इसकी पूरी जानकारी नहीं है, कारखाने हैं और भी।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): फिर कैसे कहते हैं ?

श्री दिग्विजयसिंह : आप स्वयं कहते हैं कि और भी कारखाने हैं, अब कहते हैं कि जानकारी नहीं है।

श्री मुल्कराज थिंद : और भी कारखानें हैं, अब वह कितने हैं–इसकी जानकारी नहीं हैं। इस बस्ती में ज्यादा आबादी नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) **:** क्या यह सही है कि इस कारखाने के अलावा नये बाजार में और कोई कारखाना नहीं है ?

श्री मुल्कराज थिंद : यह बात सही नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : यह बात सही नहीं है तो मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि और कितने कारखाने हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : यह जानकारी नहीं है तो, अध्यक्ष महोदय, यह इस फ्लोर ऑफ दि हाउस पर उत्तर देने का तरीका नहीं है। हम स्पेसिफिकली राजस्थान सरकार के सामने प्रश्न रखते हैं, उस पर आप कहते है कि और भी कारखाने हैं नये बाजार में इस कारखाने के अलावा। क्या यह सही है कि राज्य सरकार की यह नीति है कि रिहायश के पास में कारखाना नहीं हो ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ।

श्री मुल्कराज थिंद : अध्यक्ष महोदय, एक ही कारखाने के सम्बन्ध में सवाल पूछा गया था। इन्डस्ट्री का मामला इस डिपार्टमेंट से कन्सर्न नहीं रखता हैं कि कितने कारखानें हैं, कितने नहीं हैं मैंने उसके लिए निवेदन किया कि और कारखाने हैं, जैसी मेरे पास जानकारी है, और वहां इतनी ज्यादा आबादी नहीं हैं। वहां और भी कारख़ाने हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आयेगी तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : फिर आपने किस अधिकार के ऊपर यह उत्तर दे दिया है ? क्या यह कन्टेम्प्ट ऑफ हाउस नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) **:** एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, श्रीमान्। क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि नया बाजार एक घनी आबादी का एरिया है, जहां यह कारखाना स्थापित है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) **:** सही है।

श्री मुल्कराज थिंद : मैंने आप से निवेदन किया••••••

श्री फतेहसिंह : आप कह रहे हैं कि घनी आबादी नहीं हैं। मैं कह रहा हूं कि घनी आबादी है। कभी आपने नया बाजार देखा है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) **:** उसको जाकर पहले आप देख आयें।

श्री फतेह सिंह : यह बात सही है कि वहां घनी आबादी है, जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब होते हैं, उनके लिए न्यूसेन्स क्रियेट होता है। क्या इसकी सूचना आप प्राप्त करके कार्यवाही करेंगे।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखाभाई): अभी प्रश्न पूछा गया है, उसमें एक ही इन्डस्ट्री का नाम था, वह इन्डस्ट्री 1961 में खोली गई। उससे पहले दूसरी जगह फाई सागर में थी। 1961 में कलेक्टर ने इजाजत दे दी तो वहां स्थापित की गई। चूंकि माननीय सदस्य कहते हैं कि घनी आबादी है, तो उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। फिर यदि वह आबादी के लिये न्यूसेन्स है तो उस न्यूसेंस की शिकायत हो, तो सरकार की तरफ से कार्यवाही की जा सकती है और की जायेगी।

श्री फतेहसिंह : न्यूसेन्स की शिकायत की गई है, लेकिन सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, अधिकारी हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के, उनके द्वारा उसको संरक्षण दिया जाता है। इसके सम्बन्ध में जानकारी करके क्या आप कार्यवाही करेंगे?

श्री भीखाभाई : संरक्षण का प्रश्न नहीं है। आप बता देते हैं कि यह तथ्य है तो बराबर हटाने के लिये कार्यवाही की जा सकती है और वह की जायेगी।

श्री दिग्विजयसिंह : अब तो जानकारी दे दी गई है।

श्री भीखाभाई : जानकारी दे दी गई है तो हम आपकी तरफ से लिख देंगे, लेकिन लीगल कार्यवाही के लिये जरूरत है कि आवेदन-पत्र आना चाहिये।

श्री फतेहसिंह : मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न यह जानकारी करने को पर्याप्त समझा जाना चाहिये।

श्री भीखा भाई : आई एम इन पजेशन ऑफ दी फ्लोर।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री !

श्री भीखा भाई : मैं निवेदन कर रहा था कि आपने जो बताया है, उसको हम लिख कर भेज देंगे। लेकिन मैंने निवेदन किया अगर कोई नागरिकों की तरफ से भी शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, न तो सुनाई देता है और न ही मंत्री महोदय ठीक रिप्लाई देते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि न्यूसेन्स है या नहीं? इसका निर्णय आखिरकार कौन करता है? जिलाधीश करता है, म्युनिसिपल चेयरमैन करता है, या कोई अन्य सोर्स से, न्यूसेन्स है या नहीं, इसका निर्णय किया जाता है?

श्री भीखाभाई : निर्णय तो परिस्थितियों के आधार पर होता है, एक जगह पर जो न्यूसेन्स है वह दूसरी जगह पर नहीं है। इसमें जो परिस्थितियां वहां पर हैं उनके सम्बन्ध में वहां के नागरिकों की तरफ से लिखी हुई इस प्रकार की बात आती है कि वाकई इसके द्वारा उनके कामों में हर्ज होता है, न्यूसेन्स की तारीफ में वह आता है तो जिलाधीश उसको सुन सकता है, म्युनिसिपल कौंसिल में वह बात आ सकती है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न।

श्री फतेहसिंह : मैं कहता हूं कि यह कारखाना वहाँ की जनता के स्वास्थ्य को नुक्शान पहुंचा रहा है। यह न्यूसेन्स की परिभाषा में आता है। मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि जिला प्रशासन 133 के अन्तर्गत इस कारखाने को हटाने की कृपा करें जानकारी करने के बाद में।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी दे दें, अगर मंत्रिमंडल में न्यूसेन्स कोई है तो उसको हटाने के लिए किस अधिकारी को अधिकार दिया है ?

श्री अध्यक्ष : गवर्नर।

श्री नत्थीसिंह : इसका जवाब मंत्री महोदय नहीं देंगे।

श्री दुर्गालाल बादृदार : एक प्रश्न और है। हम प्रश्न आपके यहां सेक्रेटेरियट में पन्द्रह दिन पहले दे देते हैं, और बारह, पन्द्रह, बीस या महीने भर के बाद उत्तर मिलता है, और उसके अन्दर भी मंत्री महोदय यह कह देते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, तो मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं कि ज्यों ही प्रश्न राज्य सरकार के पास चले जाते हैं, उत्तर के लिये मंत्री महोदय के पास चले जाते हैं तो उनको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए अन्यथा यह प्रश्न बेकार हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज।

श्री दुर्गालाल बादृदार : आपकी व्यवस्था के बाद भी मंत्री महोदय इस प्रकार के उत्तर देते हैं। इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था बार बार दी जा चुकी है इस प्रश्न पर।

काश्तकारों को खातेदारी हकूक

232. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) बारानी क्षेत्र के आराजी काश्तकारों को कब तक बजाय दस साला व पांच साला के एक साला भूमि एलॉट होती रहेगी ?

(2) एक साला एलॉटमेंट के करने में सरकार को क्या लाभ होता है ?

(3) जिन किसानों को लगातार भूमि की काश्त करते हुए दस साल हो गये हैं उनको कब तक हकूक खातेदारी दे दिए जायेंगे ?

(4) क्या ऐसे काश्तकारों को हकूक खातेदारी देने के लिये सरकार कोई विशेष आदेश जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): इस वर्ष 1969–70 में जिला गंगानगर के बारानी क्षेत्र में (नॉन-प्रोजेक्ट) आराजी काश्त के लिए राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि का आवंटन किया जा रहा है।

(2) नियमानुसार भूमि का आवंटन किया जा रहा है।

(3) जिन काश्तकारों ने उक्त नियमों के नियम 14 की पालना करते हुए 10 साल पूर्ण कर लिए होंगे उनको खातेदारी हकूक दे दिये जायेंगे।

(4) जब नियमों में खातेदारी हकूक देने का प्रावधान है तो विशेष आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हंसराज आर्य: लोग बराबर 15-15, 10-10 साल से काम करते रहे हैं। हर साल रिन्यू होता है। सरकार को लाभ इसमें क्या है ? यह कब तक हो जायेगा ?

श्री गंगाराम चौधरी: मैंने प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में कह दिया है कि नियमों में प्रावधान है खातेदारी देने का। अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है। यह अवश्य है कि कुछ समय तक गंगानगर जिले में जो कमांड एरिया है उसके बाहर बारानी क्षेत्र है उसमें एक या दो वर्ष के लिए या कुछ समय के लिए, 5 वर्ष तक के लिए, इन्हीं नियमों के अन्तर्गत आवंटित हुए थे, लेकिन अब वहां पर बाकायदा 10 साला आवंटन हो रहे हैं, और नियमों के अन्दर प्राविधित शर्तों के पूरा करने पर खातेदारी हकूक देने पर सरकार को आपत्ति नहीं हैं।

श्री हंसराज आर्य : इस साल जो रिन्यू किए गए हैं, वह भी 10–12 साल के लिए कहां किए हैं ? इस साल भी 10 साल के लिए एलॉट नहीं किया गया।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि मेरी जानकारी के अनुसार इस वर्ष जो भी आवंटन हुए हैं वह दस साल के लिए हुए हैं।

श्री हंसराज आर्य : नियमों का कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं होता है। आप उनको विशेष हिदायतें करें कि अमुक समय तक उनको खातेदारी हकूक दे देंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसा उदाहरण यदि आप बताएंगे तो उस संबंध में जांच कराई जायगी। जैसे जिलाधीश ने सूचित किया है कि इस वर्ष आवटंन 10 साल के लिए किए गए हैं।

श्री हंसराज आर्य : टैनन्सी एक्ट की धारा 15 के अनुसार संवत् 2012 से पहले के सैकड़ों की संख्या में गांव पड़े हैं, जहां खातेदारी मिलनी चाहिए थी लेकिन मान्य नहीं किया गया। अभी तक अमल नहीं हो रहा है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगर गढ़) : क्या राज्य सरकार को जानकारी में है कि जिन काश्तकारों को 10 साल तक एलॉटी के रूप में काश्त करते ही गए, उनको खातेदारी हकूक नहीं दिए गए हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री कृष्ण कुमार गोयल।

बून्दी नगर में प्रदर्शनकारियों पर अश्रुगैस एवं लाठी चार्ज का प्रयोग

233. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी नगर में प्रदर्शनकारियों पर अश्रुगैस व लाठी चार्ज का प्रयोग किया गया था ? अगर हां, तो कब व उससे कितने व्यक्ति घायल हुए ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय व पुलिस हवालात में आंदोलनकारियों के साथ मारपीट की थी ?

गृह मन्त्री राज्य (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) दिनांक 21-5-69 को सायंकाल बून्दी नगर में कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसात्मक रवैया अपनाने व पुलिस पर भारी पथराव करने से उत्पन्न स्थिति में शांति व व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा एस. डी. एम. के आदेश से अश्रुगैस व लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया था। इस मौके पर 12 व्यक्तियों को चोटें पहुंची व 43 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए थे।

Page No 26

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(2) पुलिस द्वारा मारपीट की शिकायत के विषय में एडीशनल आई० जी० पी०, फोर्स द्वारा जांच की जा रही है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि बून्दी में लाठी चार्ज के औचित्य या अनौचित्य के संबंध में किसी प्रकार की जांच नहीं करवाई गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ज्योंहि शिकायत पेश हुई एडीशनल आई. जी. पी. को खास तौर से भेजा गया और वह सारी बातों की जांच कर रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि लाठी चार्ज करने से पहले या अश्रुगैस छोड़ने से पहले पुलिस ने या किसी भी अधिकारी ने किसी प्रकार की वार्निंग नहीं दी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया कि एस० डी० एम० के आदेश पर सारी कार्यवाही की गई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि यह प्रदर्शन वहां के एस० पी० के द्वारा अपने अर्दली को कत्ल कराने के विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री के सामने अपना डेपुटेशन ले जा रहा था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सही है कि प्रदर्शन आ रहा था और जैसा मैंने बताया कारणों की भी जांच हो रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा सवाल था कि जो प्रदर्शन था, एस० पी० के द्वारा अपने अर्दली के कत्ल के विरोध में मुख्यमंत्री के पास अपना डेपुटेशन लेकर जा रहा था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि एस० पी० के खिलाफ क्या बात थी या नहीं, वह मैं नहीं कह सकता लेकिन प्रदर्शन इस बात को लेकर आ रहा था कि वह डेपुटेशन उनसे मिलना चाहता था, वह ऐसा कह रहे थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस प्रदर्शन पर पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया, उसके कारण कई लोग घायल हुए, उचित चिकित्सा…

श्री हीरालाल देवपुरा : जी नहीं। मैंने निवेदन किया कि शिकायत आई कि जो गिरफ्तारियां की उनको पीटा गया है, यह शिकायत आने पर जांच की गई है, अब तक इस तरह की बात स्पष्ट नहीं हुई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस लाठी चार्ज के संबंध में जाँच करने के लिए बून्दी के समस्त राजनैतिक दलों ने राज्य सरकार से कहा है कि इसकी जांच करवाई जाय ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस संबंध में राज्य सरकार ने किसी स्तर पर किसी अधिकारी से लाठी चार्ज के औचित्य के संबंध में जांच नहीं करवाई, न किसी प्रकार के बयान लिये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : एडीशनल ए० जी० को एपॉइंट किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लाठी चार्ज के संबंध में ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या वह सही है कि लाठी चार्ज के औचित्य-अनौचित्य के संबंध में किसी प्रकार की जांच किसी स्तर पर राज्य सरकार द्वारा नहीं कराई जा रही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सारे तथ्यों पर उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, कि किन कारणों से यह घटना हुई। जो शिकायतें आपने की हैं, उनके लिए निर्देश दिए गऐ हैं। उन प्रश्नों पर जांच करके रिपोर्ट पेश करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बिल्कुल गलत कह रहे हो, एडीशनल आई० जी० वहां किसी दूसरे केस में तफतीश के सिलसिले में गए हैं। मुझ से मिले हैं, मेरे बयान उन्होंने लिये हैं। मैंने उनसे लाठी चार्ज के संबंध में जानना चाहा कि औचित्य या अनौचित्य के संबंध में किसी प्रकार की जांच कर रहे हैं अथवा नहीं, उन्होंने साफ कहा कि इस प्रकार की जांच के आदेश मेरे पास नहीं हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : औचित्य-अनौचित्य दूसरी बात है। वाकयात क्या हैं, उस संबंध में रिपोर्ट देनी है उनको।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सवाल यह है कि वहां के राजनैतिक दलों ने राज्य सरकार से यह मांग की है कि जो लाठी चार्ज उस प्रदर्शन पर किया गया, वह बिना किसी पूर्व सूचना के था, न किसी अधिकारी ने कोई सूचना दी, बिना किसी कारण से। केवल वहां के मंत्री महोदय श्री बृजसुन्दर शर्मा के इशारे पर राजनैतिक बदला लेने के लिए कराया गया।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जहां तक लाठी चार्ज का प्रश्न है, अभी मंत्री महोदय ने आपको बताया कि लाठी चार्ज मजिस्ट्रेट के आदेशों से हुआ तो जो सारी फार्मेलिटीज माननी चाहिए, बराबर उनको आब्जर्व किया। मंत्री वहां था, उसके इशारे पर हुआ, यह गलत है। कोई भी प्रदर्शन अगर हिंसात्मक कार्यवाही करता है तो फिर उनका शुरू में चाहे कुछ भी इरादा हो, मगर ज्यों ही वायोलेट होता है और वायोलेन्स उन्होंने इस्तेमाल की तो मेरे ख्याल से मजिस्ट्रेट ने जो कुछ कार्यवाही की, बिल्कुल वाजिब थी।

रहा सवाल कि एडीशनल आई० जी० किस बात की जांच कर रहे हैं, तो एक तरफ जहां वह एस० पी० के अर्दली की किन हालात में मौत हुई, वह जांच कर रहे हैं, वहां पर लॉ एण्ड आर्डर सिचूएशन कैसे डिस्टर्ब हुई, क्यों लाठी चार्ज की नौबत आई, उसकी भी रिपोर्ट वह देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिला अधिकारियों को प्रातःकाल ही यह सूचना मिल गई थी कि प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन लेकर मुख्य मंत्री से कवि सम्मेलन के समय मिलने जायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह भी सूचना मिली थी लेकिन इसके साथ यह भी सूचना मिली थी कि हम कवि सम्मेलन नहीं होने देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि यह सूचना मिलने के पश्चात् कि ये प्रदर्शनकारी किसी प्रकार कवि सम्मेलन नहीं होने देंगे जिला अधिकारियों ने दफा 144 नहीं लगाई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दफा 144 लगाने की आवश्यकता नहीं समझी गई। ख्याल था कि कुछ समझदार लोग समझदारी से काम लेंगे और भीड़ को वायोलेट नहीं होने देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिस समय प्रदर्शन वहां पहुंचा वहां पर पुलिस के पास या जिला अधिकारियों के पास कोई लाउड स्पीकर या माइक्रोफोन नहीं था जिसके द्वारा सूचित करें कि यहां पर 144 दफा लगाई जाती है या लाठी चार्ज करने का इरादा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न है। सवाल आपने पूछा है उसका जवाब दे दिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सवाल यही है कि जिला अधिकारियों को जब मालूम था कि कवि सम्मेलन होने वाला है, प्रदर्शन आयेगा और राज्य सरकार के अनुसार वह कहते थे कि सम्मेलन नहीं होने देंगे, यह गलत है। वहां प्रदर्शन आया, बिना पूर्व सूचना के, बिना जिला अधिकारियों द्वारा वार्निंग दिए हुए लोगों पर लाठी चार्ज किया गया और मंत्री महोदय बृजसुन्दर शर्मा के इशारे पर लोगों से बदला लेने के लिए, एस०एस०पी० और जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं और दूसरे कार्यकर्त्ताओं को चुनचुन कर मारा गया। केवल इतना ही नहीं पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया, एक वीरकुमार है जो हिन्दुस्तान समाचार के प्रतिनिधि जो मेरे साथ गए, पुलिस ने उन्हें पकड़ा, डंडे मार

(12 मध्याह्न)

कर घायल किया। मैंने इसकी शिकायत की तब छोड़ा। यह सारा प्रश्न अपने आप में है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय से कि प्रश्न यह है कि एक मजिस्ट्रेट ने वार्निंग दी या नहीं। आप कहते हैं कि दी होगी। और माननीय सदस्य कहते हैं कि नहीं दी। इस बात की जांच एडीशनल आई०जी० कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था वह सही था या नहीं इसकी जांच एडीशनल आई०जी० कर रहे हैं, उनसे आप इस की जांच करवाना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह पूछा गया है कि क्या यह सही है कि बूंदी नगर में प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस का प्रयोग किया गया था ? अगर हां, तो कब व उससे कितने आदमी घायल हुए थे ? इसका जवाब दे दिया गया था कि 120 व्यक्तियों के चोटें पहुंची और 43 पुलिस के कर्मचारी भी घायल हुए। दूसरा आपने यह पूछा कि क्या यह सही है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय व पुलिस

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हवालात में आन्दोलनकारियों के साथ मार-पीट की थी ? इसका जवाब दिया गया कि पुलिस द्वारा मारपीट की शिकायत के विषय में एडीशनल आई. जी. पी., फोर्स द्वारा जांच की जा रही है उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। फरदर कोई बात चाहते हैं तो आप अलग से पूछ लीजिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। स्थगित प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न संख्या 15।

स्थगित प्रश्न

(12-8-69)

अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत पाठशालाएँ

15. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपूर्व बीकानेर राज्य क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा के नाम से नगरपालिका क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाएं चलती थीं ? क्या वे अब नगरपालिकाओं और राज्य सरकार की सहायता से चल रही हैं ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? उनकी व्यवस्था, नियन्त्रण, निरीक्षण, सेवा नियम, नियुक्ति, पदोन्नति, पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड आदि की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि वे एक कानून के अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत एक राजकीय सेवा के व विभाग के तौर पर भूतपूर्व राज्य में स्थापित हुई थीं, संचालित होती थी ? यदि हां, तो किस कानून और नियम के अन्तर्गत उनको मौजूदा दर्जा दे दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इन संस्थाओं की मौजूदा स्थिति में सेवारत कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है ? क्या यह सही कि इन कर्मचारियों को न तो राज्य कर्मचारी माना जाता है और न ही नगरपालिका कर्मचारी माना जाता है ? इस कारण यह दोनों ही सेवा नियमों की सुविधाओं से वंचित है ?

(4) नगरपालिकायें आर्थिक कमजोरी के कारण इन संस्थाओं को चलाने में असमर्थ हैं और लगभग बीस नगरपालिकाओं ने समय समय पर प्रस्ताव पारित कर इन स्कूलों को शिक्षा विभाग के अधीन लेने के लिए निवेदन किये हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

(5) क्या अब आगामी सत्र से इन संस्थाओं को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ले लिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या समय समय पर इनके अध्यापकों के प्रतिवेदन मिले हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्री।

उपमंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिन्द) : (1) जी हां। दिनांक 7-4-1962 से दिनांक 3-4-64 तक

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : इससे पहले मेरा 234 नम्बर का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न लेने के बाद में 234वां प्रश्न लेने का प्रयास करूंगा, यदि दूसरे माननीय सदस्य अन्य प्रश्नों के लिये स्ट्रेस नहीं करेंगे।

यस, स्वायत्त शासन मन्त्री।

श्री मुल्कराज थिन्द : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अभी तो आपने उत्तर दिया था।

श्री मुल्कराज : वह दूसरा था।

श्री दौलतराम सारण : इनका भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। स्थगित प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : ऑर्डर तो बहुत है। स्थगित ही स्थगित है।

श्री अध्यक्ष : इसके अलावा मेरे पास क्या चारा है? बार बार उनसे कहा है कि आप देरी न करिये, देरी न करिये।

श्री दौलतराम सारण : हमारे पास और क्या जरिया है? हम तो आप से ही निवेदन कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : दोनों के लिये विवशता है।

श्री दौलतराम सारण : हम तो आसन से ही कह सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके पास सार्जेंट है।

श्री अध्यक्ष : सार्जेन्ट आने के बाद कभी उनके उपयोग का प्रश्न पैदा नहीं हुआ, न होगा।

श्री नत्थीसिंह : प्रताड़ना दी जाय। दौलतरामजी के प्रश्न को बारबार स्थगित कराया जाता है।

श्री अध्यक्ष : प्रताड़ना से असर कम होता है। इतना ही पर्याप्त है। मैं चाहता हूं कि इस भावना को खुद मुख्य मन्त्री महोदय समझें। इस विषय पर मुझे अधिक नहीं कहना है। स्थगित प्रश्न फिर से स्थगित किया जाय। इससे अधिक उदासीनता और क्या हो सकती है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : आप तो उनसे कहो कि खूब घी में रोटी चूर खाओ।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता!

स्थगित प्रश्न

(13-8-69)

मांडलगढ़ में कमान्ड एरिया की भूमि का एलॉटमेंट

45. **श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़):** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ के श्री भंवरलाल खटोड़, श्री सुगन चन्द जैन तथा श्री राधाकृष्ण खाती को राजस्व विभाग से बाला-बारा पन्द्रह-पन्द्रह बीघा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

जमीन कमान्ड एरिया की हर व्यक्ति को एलॉट की गई है ?

(2) यदि हां, तो क्यों ? क्या यह राजनैतिक पीड़ित हैं और कभी जेल में गये हैं ?

(3) यदि जेल गये हैं, तो कब ?

(4) एक एक बीघा जमीन का दो-दो हजार देने वाली जमीन को इस प्रकार एलॉट करने का क्या कारण है ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इसका उपनिवेशन मंत्री महोदय से सम्बन्ध है इसलिये उनको भेज दिया है। उनकी टर्न में पूछा जाय वे उसका उत्तर देंगे।

श्री अध्यक्ष : यह स्थगित प्रश्न है। यह आपत्ति आपने अब उठायी है। पहले ही उठा दी जाती ताकि स्थगित करते वक्त ही उन्हें भेज देते। स्थगित प्रश्न जब सामने होता है तब ही आपत्ति उठाते हैं, पहले ही उठा सकते थे।

श्री गंगाराम चौधरी : अब कलेक्टर से उत्तर प्राप्त हुआ है कि यह कमान्ड एरिया से सम्बन्ध रखता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कमान्ड एरिया से सम्बन्ध रखता है तो क्यों एलॉटमेन्ट कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अभी नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय बृजसुन्दरजी से कई पीड़ित हैं। मांडलगढ़ तो पीड़ित ही है। लाखों रुपयों की जमीन एलॉट की। जब प्रश्न लाते हैं तो स्थगित होता है। यह क्यों नहीं मानते कि गलत ढंग से यह किया। अब कॉलोनाइजेशन को भेज रहे हैं। पहले जमीन कैसे एलॉट कर दी ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): अध्यक्ष महोदय, पहले रेवेन्यू मिनिस्टर और कॉलोनाईजेशन मिनिस्टर एक थे। वे कर सकते थे। अब दोनों विभाग अलग अलग मन्त्रियों के पास है। यह मामला कॉलोनाइजेशन का है।

श्री दुर्गालाल बादवार (हवा महल, जयपुर) : कॉलोनाइजेशन में भेजा तो जानकारी तो आप मांग सकते थे। यह उस वक्त कहना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : क्या ये विभाग दस पन्द्रह रोज पहले अलग अलग हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सवाल कब भेजा गया इसकी मेरे तारीख पास नहीं है। देरी से भेजा गया हमारे यहां से तो उसका अफसोस है।

श्री अध्यक्ष : मैं यह प्रश्न स्थगित करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह की सुस्ती बरतना और जानबूझ कर उत्तर न देना मेरे ख्याल में सरकार के लिये लज्जाजनक बात है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि विरोधी पक्ष में हमारे पास क्या है ? सिर्फ प्रश्न पूछने का ही अधिकार है। स्थगित प्रश्न हो तो उस

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

का भी सरकार जवाब न दे तो प्रश्नोत्तर-काल का कोई महत्व नहीं रहता है। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि सरकार की ढिलं-गाई हो, सुस्ती हो उसकी ओर ध्यान आकर्षित करायें। आखिर हम क्या करें ? सरकार प्रश्नोत्तर काल का मतलब नहीं समझती है तो यह सरकार निकम्मी है, बहरी है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

प्रश्न संख्या 47

श्री जुझारसिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामकिशन ।

स्थगित प्रश्न

(13-8-69)

नगरपालिका देशनोक के अध्यक्ष का त्याग पत्र

50. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री नेमीचन्द गुलगुलिया नाम के कोई व्यक्ति देशनोक नगरपालिका के अध्यक्ष थे ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उपरोक्त श्री गुलगुलिया ने कभी अपने पद से त्याग पत्र किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया था ? वह मजिस्ट्रेट कौन थे ? क्या वह त्याग पत्र मंजूर हो गया था ?

(3) क्या बाद में उक्त श्री गुलगुलिया ने यह कथन किया था कि मैंने कभी त्याग पत्र नहीं दिया ? यदि हां, तो क्या श्री गुल-गुलिया के इस कथन पर मजिस्ट्रेट का जवाब प्राप्त किया गया ? यदि हां, तो उस पर संबंधित मजिस्ट्रेट ने क्या जवाब दिया ?

श्री अध्यक्ष : (भूकम्प के झटके के कारण) आई एडजोर्न दी हाउस। आप सब बाहर निकल जाइये।

(तत्पश्चात् सदन का प्रांगण 12. 10 म. प. एक दम खाली कर दिया गया)

(सदन की बैठक 12.15 म.प. पर पुनः प्रारम्भ हुई)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी प्रारंभ रखिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर।

अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं कौनसी ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए इस विधान सभा की, इस सदन की कार्यवाही स्थगित की गई।

एक माननीय सदस्य : आप सो रहे थे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या मालूम मैं सो रहा था या आप जाग रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आज तक ऐसी कहीं कोई मिसाल नहीं है कि जब तक विशेष कोई कारण न हो, ऐसी स्थिति पैदा न हो, असा-धारण बात न हो, सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती। मुझे डाउट है कि ऐसी कोई घटना यहां पर घटित हुई है

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। मैं नहीं चाहता कि इस प्रश्न पर वाद-विवाद बढे। माननीय सदस्यों को यह जाहिर है। यह माननीय सदस्यों के सुरक्षा का प्रश्न था। आर्डर प्लीज। अब इस पर वाद–विवाद नहीं होगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (भीलवाड़ा) : मैं बधाई दे रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सबसे बड़ी एक बात की है जीवन के सम्मोहन की। अध्यक्ष महोदय, को इसके लिये बधाई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी और मन्त्रीजी भी सदन छोड़ कर चले गये हैं। उनको सूचित कर दिया जावे कि उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब डरने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय। आरम्भ रखिये।

उपमंत्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री मुल्कराज थिंद) : (1) जी हां। दिनांक 7–4 62 से दिनांक 3-4–64 तक जब उन्होंने अपने पद का कार्य भार सम्भला दिया था।

(2) एस. डी. ओ. बीकानेर के पास श्री गुलगुलिया के नाम से एक त्याग-पत्र डाक द्वारा आया था।

उक्त त्याग पत्र एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बीकानेर द्वारा अटेस्ट किया हुआ था।

जी हां। एस.डी.ओ. बीकानेर (नोर्थ) द्वारा उक्त त्याग-पत्र दिनांक 31-3-64 को मंजूर किया गया।

(3) जी हां। एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि सम्भवतः किसी व्यक्ति ने अपने आपको देशनोक नगरपालिका का अध्यक्ष बताया और उन्होंने गुडफेथ में रुटिन कोर्स में त्याग-पत्र को अटेस्ट कर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि श्री नेमीचन्द गुलगुलिया ने जिन्हें वे जानते थे, उनसे कोई त्याग-पत्र अटेस्ट नहीं करवाया।

श्री रामकिशन (बैर) : समझ में तो कुछ आया नहीं। क्या आप यह मान रहे हैं कि उनका त्याग-पत्र फर्जी दिया गया था ?

श्री मुल्कराज थिंद : जी हां। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जब वे काम में बिजी थे उसको प्रमाणित करवा लिया था।

श्री रामकिशन : प्रमाणीकरण मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने किया था उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री मुल्कराज थिंद : मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पास बहुत वर्क होने से रुटीन में किसी ने आकर कागजों पर दस्तखत करवा लिये इस तरह से त्याग-पत्र को अटैस्टेड करवा लिया और उसको एस. डी. ओ. के पास भेज दिया और उसको एक महीने के भीतर मन्जूर कर लिया। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट से पूछा गया तो उसने कबूल किया कि मैं जब काम में व्यस्त था मेरे से दस्तखत करवा लिये गये। मैं स्वयं अध्यक्ष को जानता हूं।

श्री रामकिशन : मुन्सिफ मजिस्ट्रेट काम में व्यस्त थे और उन्होने अचानक प्रमाणित कर दिया वगैर दो गवाहों के सनाख्त करवाये। एक बात वो यह भी कहते हैं कि वे अध्यक्ष को जानते हैं जानते हुए भी उनसे किसी ने गलती से उनके त्याग-पत्र पर अटेस्टेशन करवा लिया, क्या सरकार ने ऐसे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये हाई कोर्ट को लिखा है ?

श्री मुल्कराज थिंद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह केस हाई-कोर्ट में गया। नेमीचन्द गुलगुलिया ने कहा कि यह मेरा त्याग-पत्र नहीं है। उस पर गवर्नमेंट ने स्टे दिया। एक वाइस चेयरमैन श्री नन्दलाल ने हाई कोर्ट में रिट की। हाई कोर्ट में यह सारा मामला गया। उसके आदेश पर स्टे वेकेट किया गया।

श्री रामकिशन : यह तो उनके इनीशियेटिव पर गये, जब त्याग पत्र बना लिया बाद में उसको प्रमाणित करा लिया गया और उसको स्वीकार कर लिया गया। जब उसने कहा त्याग-पत्र नहीं दिया इस सूरत में अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

दूसरी बात क्या यह सारा मामला किसी एक्सपर्ट को भेजा गया त्याग-पत्र पर किसने दस्तखत किये, थम्ब इम्प्रेशन आदि का मामला किसी एक्सपर्ट को भेजा गया ?

श्री मुल्कराज थिंद : 23-6-64 को यह मामला आई० जी० पी० को भेजा गया और कहा गया कि इसकी जांच की जाय। लेकिन जब यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा था इसलिये सारा रेकार्ड हाई कोर्ट में था वह रेकार्ड अब मिला है। अब जांच का काम शुरू किया जायगा।

श्री रामकिशन : इस मामले को हुए साढ़े पांच वर्ष हुए इन साढ़े पांच वर्षों में क्या कदम उठाये? क्या अपराधी को डिटेक्ट किया गया ?

श्री मुल्कराज थिंद : इसके लिये मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह मामला हाई कोर्ट के पास चल रहा था उस वक्त तक आई० जी० पी० कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे।

श्री रामकिशन : इस मामले को दबाया जा रहा है। दूसरे की एप्लीकेशन पर यह मामला हाई कोर्ट में गया वहां से स्टे मिल गया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला आई० जी० को दिया गया। क्या उसमें कहा गया कि वह जल्दी से जांच करें ?

श्री अध्यक्ष : यह मामला तफतीश में है। आप यह बता दीजिये यह पुलिस में किस स्टेज पर है।

श्री रामकिशन : 64 से इन्वेस्टीगेशन चल रहा है तो उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : इनको पता नहीं है।

श्री रामकिशन : पता नहीं है तो यह मानकर चलूं कि पांच वर्ष तो इन्वेस्टीगेशन में चले गये। तो क्या राज्य सरकार इस राय की हो गई है कि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाय ?

श्री मुल्कराज सिंह : मैंने निवेदन किया जब तक यह मामला हाई कोर्ट में चलता रहा आई० जी० पी० इन्क्वायरी नहीं कर सकते थे।

श्री अध्यक्ष : क्या स्टेज है इन्वेस्टीगेशन की पुलिस में ? यह बता दीजिये। नेक्स्ट। श्री परसराम गंगाराम।

दी अमलगेमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लि०, अजमेर,

234. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु०) : क्या विद्युत्मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दी अमलगेमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लि०, अजमेर को राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किस भाव से बिजली देता है और दी अमलगेमेटेड कम्पनी लि०, अजमेर कन्जूमर्स को किस भाव से बिजली देता है ?

(2) दी अमलगेमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लि०, अजमेर का राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एग्रीमेंट कितने वर्षों तक का है और कब खत्म होगा ?

(3) दी अमलगेमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लि०, अजमेर के पास कन्जूमर्स सरचार्ज की कितनी रकम है और उसका मासिक ब्याज क्या होता है ? क्या उपरोक्त रकम कन्जूमर्स को वापिस देने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उपमंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह): (1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, अजमेर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रिब्यूटिंग लाइसेन्स टेरिफ एस० ए०/डी० एल०/एच० टी० पर बिजली देती है और अमलगेमेटेड कम्पनी राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल से एग्रीमेंट के अनुसार अपने कन्जूमरों को उस रेट से ज्यादा पर बिजली नहीं दे सकती है जो कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल अपने कन्जूमरों को टेरिफ फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार देती है।

(2) इस कम्पनी से जो एग्रीमेंट 12-4-61 को किया गया है वह 31-3-71 को खत्म हो जावेगा।

(3) गवर्नमेंट के आर्डर के अनुसार जो भी जनरल सरचार्ज कम्पनी अपने कन्जूमर्स को बिल करती है, व वसूल करती है, वह सारा सरचार्ज बोर्ड को देना होता है। यह तमाम सरचार्ज 31 दिसम्बर 1968 तक कम्पनी ने बोर्ड को दे दिया है। इस रकम को कन्जूमर्स को वापस करने का सवाल उठता ही नहीं है। कम्पनी इसके बाद भी सरचार्ज जमा करा रही है लेकिन अभी उसका हिसाब नहीं दिया है।

श्री परसराम गंगाराम : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किस भाव से बिजली जनता को देता है और अजमेर इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी को क्या भाव से देती है और वह कम्पनी जनता को किस रेट से देती है ?

श्री खेतसिंह : सारे राजस्थान के अन्दर रेट्स एक सी हैं।

श्री परसराम गंगाराम : राजस्थान इ० बोर्ड क्या भाव से अजमेर इ० कम्पनी को देता है और वह कम्पनी जनता को किस भाव से देती है ?

श्री खेतसिंह : भाव पूरे राजस्थान में एक से हैं।

श्री अध्यक्ष : छटांक सेर तो नहीं हैं।

श्री फतेहसिंह : अजमेर इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी को राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किस भाव से बिजली देता है और वह कम्पनी किस भाव से अजमेर की जनता को बिजली देती है ?

श्री खेतसिंह : इसके फीगर्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री फतेहसिंह : यह तो बिल्कुल रेलेवेन्ट सप्लीमेन्ट्री है ? यदि आप जवाब नहीं दे सकते तो स्थगित कर दीजिये।

श्री खेतसिंह : फीगर्स मेरे पास नहीं हैं इसको मैं बाद में दे सकता हूं। स्थगित कर दिया जाय।

श्री फतेहसिंह : इसका उत्तर दो मिनट में आ सकता है किस भाव से लेती है और किस भाव से देती है। केवल इसीलिये स्थगित किया जाय तो उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित।

श्री श्रवणलाल : 237 ले लीजिये। नमक का प्रश्न है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट । देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बांसवाड़ा जिले में चारागाह की भूमि

228. **श्री हीराभाई (कुशलगढ़ सु) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा जिला में पशुओं की संख्या के अनुसार क्या चारागाह पचायतों या गांवों के क्षेत्र में गोचर भूमि कायम की गई है ? अगर हां, तो क्या प्रत्येक पंचायत या गांवों के क्षेत्रों के लिये जरूरत अनुसार चारागाह भूमि कायम की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जो चारागाह की जमीन राजस्व विभाग ने कायम कर ग्राम पंचायतों को सुपुर्द कर दी है वह काफी मात्रा में वन विभाग के कब्जे में है ? यदि हां, तो कितनी चारागाह की जमीन वन विभाग के कब्जे में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि जो चारागाह की जमीन वन विभाग के कब्जे में है, वहां पर मवेशियों के चरने पर रोक लगा दी है ? अगर हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार जंगल से चारागाह की जमीन निकाल कर चरनोट के लिये दिलाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चारागाह भूमि पशुओं की संख्या के अनुसार सीमांकित की गई है।

(2) वन विभाग के कब्जे में कोई चारागाह भूमि नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्थगित प्रश्न

(13-8-69)

ग्राम सांडपुर में भूमि का अलॉटमेन्ट

47. श्री जुझारसिंह (रामगंज मन्डी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सांडपुर तहसील रामगंज मंडी में किसी शहरी व्यक्ति के नाम ऐसी जमीन एलॉट की गई है जिसमें गांव के श्मशान व मवेशियों के बैठने की भूमि शामिल है ?

(2) क्या यह सही है कि यह भूमि ऐसे व्यक्ति के नाम एलॉट हुई है जिसके मकान में तहसीलदारान अमूमन रहते आए हैं और जिसके पास दूसरे गांवों में भूमि मौजूद है ?

(3) क्या इस भूमि के एलॉटमेंट को निरस्त करवाने व गांव के सार्वजनिक स्थानों को गांव के उपयोग हेतु, काम में लाने देने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, गांव वालों ने व जनप्रतिनिधियों ने सरकार को लिखा हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इस पर कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) ग्राम सांडपुर की बंजड़ व बारानी भूमि कई शहरी व्यक्तियों को अलॉट की जाना सही है परन्तु गांव के श्मशान व मवेशियों के बैठने के स्थान की भूमि आवंटित नहीं की गई है।

(2) तहसील रामगंज मंडी में तहसीलदारान समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों के मकानों में रहे हैं जिनका रिकार्ड तहसील में उपलब्ध नहीं है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि इस गांव की भूमि के आवंटितियों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मकान में तहसीलदारान रहते चले आए हैं।

(3) प्रश्न भाग 1 के उत्तर की दृष्टि से इसका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लोकवाणी सोसाइटी, जयपुर

315. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि "लोकवाणी" दैनिक जयपुर का प्रकाशन जुलाई, 1965 में बन्द हो गया था और उस समय इस पत्र का डिक्लेरेशन "लोकवाणी सोसाइटी" इस पत्र की मालिक होने की हैसियत में जिलाधीश, जयपुर द्वारा जारी किया गया था ? कृपया जुलाई, 1965 तक जिस डिक्लेरेशन के तहत "लोकवाणी" दैनिक का प्रकाशन होता था उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सही है कि श्री सुधाकर शास्त्री ने दिसम्बर 1966 में राष्ट्र दर्शन सोसाइटी (मालिक) की ओर से प्रकाशक, मुद्रक और सम्पादक के रूप में "लोकवाणी"

Page No 38

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नाम से दैनिक पत्र निकालने के लिये डिक्लेरेशन लेने के लिये जिलाधीश, जयपुर को एक प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो कृपया प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्री अमर हंस भूतपूर्व सहायक सम्पादक लोकवाणी ने भी "लोकवाणी" पत्र निकालने के लिये इन्हीं दिनों जिलाधीश से डिक्लेरेशन देने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था ?

(4) क्या यह सही है कि जिलाधीश ने इन दोनों प्रार्थना-पत्रों को प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया के पास भेजा था और उसने जनवरी, 1967 में दोनों प्रार्थियों को डिक्लेरेशन देने से इन्कार कर दिया था कि चूंकि "लोकवाणी" एक दूसरे मालिक लोकवाणी सोसाइटी द्वारा निकाली जाती रही है अतः अन्य आदमी को उसका डिक्लेरेशन नहीं दिया जा सकता ? कृपया प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इण्डिया के इन प्रार्थियों के डिक्लेरेशन सम्बन्धी जनवरी, 1967 की आज्ञाओं की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि श्री सुधाकर शास्त्री ने 2-2-67 को "लोकवाणी" सोसाइटी मालिक की ओर से "लोकवाणी" पत्र को पुनः चालू करने के लिये प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक के रूप में डिक्लेरेशन लेने के लिए जिलाधीश जयपुर के समक्ष प्रार्थना-पत्र पेश की जिसको जिलाधीश ने मन्जूर किया ? यदि हां, तो इस डिक्लेरेशन की प्रतिलिपि पत्र जिलाधीश की आज्ञा सदन की मेज पर पेश करें।

(6) क्या यह सही है कि 3-3-67 को श्री सुधाकर शास्त्री ने रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एण्ड बुक्स एक्ट की धारा 5 (2 ई) के तहत राष्ट्र दर्शन सोसाइटी (मालिक) की ओर से लोकवाणी सोसाइटी से लोकवाणी पत्र की मिल्कियत ट्रान्सफर हो जाने के कारण डिक्लेरेशन अधिकृत कराये जाने के लिये जिलाधीश, जयपुर को प्रार्थना-पत्र दिया जिस पर उप-जिलाधीश जयपुर ने अपने निर्णय दि० 25-3-67 को इस डिक्लेरेशन को अधिकृत करने से इन्कार कर दिया और 15-2-67 से कैन्सिल फैसले तक "लोकवाणी' पत्र का प्रकाशन अवैध घोषित किया ? कृपया उप-जिलाधीश के निर्णय दि० 27-5-67 की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि जब कि श्री सुधाकर शास्त्री द्वारा दी गई 3-3-67 की दरख्वास्त उप-जिलाधीश के विचाराधीन थी तो जिलाधीश को एक अन्य दरख्वास्त राष्ट्र दर्शन सोसाइटी की ओर से श्री सुधाकर शास्त्री ने लोकवाणी पत्र का डिक्लेरेशन लेने के लिये दी जिस पर जिलाधीश ने 22-3-67 को या उसके करीब प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इण्डिया को डिक्लेरेशन देने के लिये सिफारिश कर दी और रजिस्ट्रार ने डिक्लेरेशन की मन्जूरी 12-3-67 को दे दी ? कृपया श्री सुधाकर शास्त्री की दरख्वास्त व डिक्लेरेशन जिलाधीश की सिफारिश और रजिस्ट्रार के आदेश की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(8) क्या यह सही है कि श्री सुधाकर शास्त्री ने जिलाधीश के सामने अपनी इस दरख्वास्त में जिस पर जिलाधीश ने 22-5-67 को डिक्लेरेशन देने की सिफारिश की, इस तथ्य को सामने नहीं रखा था कि जनवरी, 1967 में उनकी इसी प्रकार की दरख्वास्त प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इण्डिया से खारिज हो चुकी है ?

(9) क्या यह सही है कि जिलाधीश द्वारा राष्ट्र दर्शन सोसाइटी के नाम से डिक्लेरेशन देने के समय श्री सुधाकर शास्त्री राष्ट्र दर्शन सोसाइटी की ओर से लोकवाणी पत्र का प्रकाशन किसी प्रकार का डिक्लेरेशन न होने हुए भी अवैध रूप से कर रहे थे ? ऐसे कानून की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को डिक्लेरेशन की सिफारिश जिलाधीश ने किस आधार पर की ?

(10(क्या यह सही है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एण्ड बुक एक्ट की धारा 8 वीं के तहत मजिस्ट्रेट को दिए हुए डिक्लेरेशन को कुछ नये तथ्य सामने आने पर कैन्सिल करने का अधिकार है ? यदि हां, तो राष्ट्र दर्शन सोसाइटी की मल्कियत में श्री सुधाकर शास्त्री को लोकवाणी के प्रकाशन का डिक्लेरेशन रद्द करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया ?

(11) क्या यह सही है कि 5-5-67 से जिस दिन उप-जिलाधीश ने अपने निर्णय द्वारा "लोकवाणी" का प्रकाशन अवैध करार दिया 12-6-67 तक की लोकवाणी का अवैध प्रकाशन लगातार चालू रहा ? यदि हां, तो इस कानून की अवहेलना के लिए श्री सुधाकर शास्त्री के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

सवाई माधोपुर थाने में दर्ज मामला

316. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर के कर्मचारियों द्वारा श्री वल्लभ नाम के व्यक्ति के मकान का मलबा उठा ले जाने की बाबत सवाई माधोपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ ?

(2) उक्त मुकदमे की तफतीश किस अधिकारी ने की और उसका क्या नतीजा निकला ?

उत्तर

(1) जी हां, तफतीश एस. एच. ओ. सवाई माधोपुर व सी. आई. डी. अधिकारी ने की है।

(2) अभी तफतीश फाइनल नहीं हुई है।

कोटा जिले में अपराध

317. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में पिछले 12 महीनों में किन किन स्थानों पर डाकाजनी व आदमियों को उठा कर ले जाने की वारदातें हुई हैं व किन किन स्थानों से किन किन व्यक्तियों को

Page No 40

(श्री जुझार सिंह)

जाया गया है व कितने का माल लूटा गया है ?

(2) उठा कर ले जाये गये व्यक्तियों में से कितने 2 व्यक्तियों को वापिस लौटा दिया गया है या पुलिस द्वारा छुड़ा लिया गया है ?

(3) इस क्षेत्र में डाका व आतंक को रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा किन स्थानों पर कितनी 2 पुलिस लगाई गई है और उस पर कितना 2 खर्चा किया जा रहा है ? पुलिस द्वारा व्यवस्था नहीं किये जा सकने पर जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) मंडल कोटा में इस वर्ष सन् 1969 में अर्थात् दिनांक 1-1-69 के पश्चात् अब तक कुल 22 डकैतियों के अभियोग पंजिबद्ध हुये व 8 व्यक्तियों का अपहरण किया गया। अपहरण किये गये व्यक्तियों को वापस छुड़ाने के लिये पुलिस द्वारा तत्परता से प्रयास किये जा रहे हैं। अपराधों में कुल 1,99,416 रु० का माल जैवरात सोना चांदी वगैरा लूटा गया है। इसमें से लगभग 16,000 रु० का माल बरामद भी किया गया है।

(2) सन् 1969 में ले जाये गये व्यक्तियों को पुलिस द्वारा वापिस छुड़ाने के प्रयास जारी हैं।

(3) समय समय पर पुलिस अधिकारियों की मिटिंग बुलाई जाती है और डाकूओं पर काबू पाने के लिये मार्गदर्शन व उचित निर्देशन दिये जाते हैं। डकैती समस्या के निवारण हेतु राजस्थान पुलिस विधान द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसके आंकड़े अलहदा नहीं रखे जाते हैं। किस स्थान पर कितना फोर्स लगाया गया यह सूचना देना जनहित में नहीं पाया जाता।

बेरी आयोग पर खर्चा

318. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में हुए गोली काण्ड की जो जांच बेरी आयोग द्वारा की जा रही है उस पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ? सरकार की ओर से कितने वकील किस किस मेहनताने पर लगा रखे हैं ? उनको अब तक कितना कितना रुपया दिया गया ? अलग अलग वकीलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) गोली काण्ड में जनता के कितने लोग मरे व जख्मी हुए ? उनका नाम, पिता का नाम, निवास, जाति, व उम्र सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या मरने वालों या घायल होने वालों के परिवारों को सरकार की ओर से कोई सहायता दी गई है ? यदि हां, तो किस किस को कितनी कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(गृह मंत्री) उत्तर

1. बेरी कमीशन पर 31-3-69 तक कुल 5,37,486 रुपया खर्च किया गया। जांच कार्य जनवरी 1969 में खत्म हो गया। निम्नलिखित वकील सरकार ने नियोजित किये और उनको दिये गये मेहनताने व उसकी दर भी उल्लेखित है :—

नाम वकील	दर		भुगतान जो किया गया
	पैरवी का दिन	तैयारी का दिन	
(अ) श्री मुकुट बिहारी लाल भार्गव	1100) रु०	440) रु०	2,29,460) रु०
(ब) श्री गुलाब चन्द कासलीवाल, एडवोकेट जनरल	200) रु०	120) रु०	45,000) रु० अन्तिम भुगतान
(स) श्री बी. सी. चटर्जी, डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट	120) रु०	80) रु०	40,920) रु०
(द) श्री नाथूलाल जैन	150) रु०	110) रु०	50,110) रु०

2. पुलिस द्वारा जयपुर नगर में 7-3-67 को चलाई गई गोली से मृत व घायल व्यक्तियों के नाम आदि बेरी कमीशन रिपोर्ट में अंकित हैं। और रिपोर्ट की प्रति माननीय सदस्यों को दे दी गई है।

3. जी हां। जिलाधीश द्वारा वितरित धनराशि की सूची संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा और दी गई सहायता के आदेश की प्रति भी संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा नियोजित समिति की सिफारिशें राज्य सरकार को प्राप्त हो गई हैं जिन पर आदेश जारी किये जा रहे हैं। (सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम टीटनवाड़ में चीनी के वितरण में हुआ घोटाला

319. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय संयुक्त सदाचार समिति, नई दिल्ली ने टीटनवाड़ ग्राम जिला झुंझूनूं में चीनी वितरण एवं सरकारी गल्ला वितरण के सम्बन्ध में हुए भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायती पत्र को पत्र क्रमांक एस.एस.एस.(सी.ओ.एम.पी)1101/5204, दिनांक 13-11-64 के साथ राजस्थान स्टेट सदाचार समिति, जयपुर को भेजा है?

(2) यदि हां, तो राजस्थान स्टेट सदाचार समिति, जयपुर ने उस पर क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सदाचार समिति द्वारा भेजे गये पत्र की राज्य सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(2) राजस्थान सदाचार समिति द्वारा की गई कार्यवाही की राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

बाड़मेर के रास्ते पाकिस्तान जाने का मामला

320. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजीम बहिकाती साकिन मुहल्ला खरादियान, इलाका घाटगेट, जयपुर, जनवरी सन् 1965 में या इसके आसपास के दिनों में बाड़मेर के किस रास्ते से किस तारीख को करांची पाकिस्तान को गया और कब वापिस आया ?

(2) इसके साथ उसके परिवार के कौन कौन व्यक्ति थे ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका, पाली में नियुक्तियां

321. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पिछले नगर पालिका बोर्ड पाली ने किन किन कर्मचारियों को कब कब किस किस पद पर गैर कानूनी ढंग से नियुक्तियां दीं ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ख) क्या यह सत्य है कि उन कर्मचारियों को रोजगार, नियुक्तियां नियोजन (एम्प्लायमेंट) विभाग के नियमों के विरुद्ध हुई ? यदि हां, तो क्या वर्तमान प्रशासक महोदय ने उन कर्मचारियों को निकालने का नोटिस दिया ? अगर दिया तो कब ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जी हां ।

जी हां । दिनांक 30-6-69 को । 10 कर्मचारियों के मामले नियमों के विरुद्ध होने से उन्हें सेवाओं से पृथक कर दिया है । 3 कर्मचारियों को सेवाओं में इस शर्त के साथ कन्टीन्यू कराया गया कि जो साधारण अनियमितता हुई है उसको नियमित तुरन्त करा दी जावेगी ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

नगर पालिका, पाली को भू-खण्डों की बिक्री से प्राप्त धन राशि

322. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले नगरपालिका पाली के बोर्ड ने कितनी कितनी रकम पाली शहर के किन किन कोलोनियों में कितने कितने भू-खण्ड नीलाम कर प्राप्त की ? उसकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखियेगा ।

(2) क्या यह सत्य है कि पिछले बोर्ड ने जिन जिन कोलोनियों से जितनी जितनी रकम भूमि विक्रय से प्राप्त की है, उतनी ही रकम कोलोनियों के विकास हेतु खर्च नहीं की ? और यदि सही है तो क्या इससे कोलोनियों का विकास कार्य नहीं रुक गया ?

(श्री मूलचन्द डागा)

(3) क्या सरकार यह बतायेगी कि यह रकम नगरपालिका पाली ने किस जगह खर्च की है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, भूतपूर्व बोर्ड ने जिन जिन कॉलोनियों से जितनी जितनी रकम भूमि विक्रय से प्राप्त की, उतनी ही रकम उन कॉलोनियों के विकास हेतु खर्च नहीं की। आवश्यकतानुसार उन कॉलोनियों में विकास हेतु रकम नगर पालिका की आर्थिक स्थिति को देखते हुए खर्च की है जिसके कारण कॉलोनियों के विकास कार्य में शिथिलता जरूर आई है।

(3) भूमि विक्रय से जितनी भी रकम नगरपालिका को प्राप्त हुई है वह रकम नगरपालिका के विकास कार्यों में खर्च की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

बीकानेर शहर की सड़कें

323. श्री रूपसिंह (सरदार शहर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर शहर में पुराने किले से उत्तर पूर्व की तरफ जो मैन रोड व बाई लेन्स हैं वो कब बनीं व उनकी मरम्मत किस किस साल में किस डिपार्टमेन्ट यानी पी. डब्ल्यू. डी., यू. आई. टी. व म्युनिसिपैलिटी ने किया ? अब इन सड़कों की कैसी कन्डीशन है ? अब इनकी मरम्मत कब की जायगी ?

(2) वार्ड नम्बर 31 बास धोबीधोरा व हनुमानहत्ता में जो रोड्स व बाई लेन्स हैं वो किस साल में बनीं व उनकी मरम्मत किस किस साल में हुई ? व अब कितने सालों से मरम्मत नहीं हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि बाई लेन्स में एक फुट से लेकर डेढ़ फुट गहरे व 3 से 11 फुट तक लम्बे गड्ढे जगह जगह पड़ गये हैं। जिसकी वजह से बसेज व कार्स की स्प्रिंग्स टूटती रहती हैं व आने जाने में मुश्किल रहती है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

नोटिफाइड एरिया कमेटी सवाई माधोपुर के सदस्य

324. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खंडार सु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी में कितने सदस्य हैं ?

(2) क्या उनमें कोई सदस्य शिड्यूल कास्ट का भी है ? यदि हां, तो सरकार क्या तत्काल पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को उसमें सदस्य मनोनीत कर रही है ?

उत्तर

(1) चौदह।

(2) जी हां।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

Page No 44

नगरपालिका सवाई माधोपुर द्वारा विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि

325. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार सु) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका सवाई माधोपुर बोर्ड किस तारीख को भंग किया गया तथा वहां पर प्रशासक की नियुक्ति कब की गई ?

(2) प्रशासक कार्यकाल में जब से बोर्ड भंग हुआ, तब से अब तक कितनी आय हुई ?

(3) प्रशासक कार्यकाल से अब तक विकास कार्य में कितनी राशि व्यय की गई तथा कितनी सड़कें नालियां बनाई गई ?

(4) यदि सड़कों नालियों का निर्माण नहीं किया तो क्यों ?

(5) भविष्य के लिए विकास कार्यों के लिए नगरपालिका ने बजट में कितनी राशि रखी है ?

(6) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति के वार्डों में अभी तक पाइप लाइन नहीं डाली गई ?

(7) यदि हां, तो क्यों नहीं डाली गई ?

(8) अब कब तक अनुसूचित जाति वार्डों में पाइप लाइन डलं जावेगी।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

गांधी मैदान जोधपुर

326. श्री ओमदत्त शर्मा (सरदारपुरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सरदारपुरा जोधपुर में स्थित गांधी मैदान जोधपुर में एक ऐसा मैदान है जिसमें बड़ी बड़ी, सभाएं उत्सव, खेलकूद एवं सर्कस आदि होते हैं और उस क्षेत्र की सभी प्रमुख संस्थाओं के वह उपयोग में आता है ?

(2) क्या यह सही है कि अप्रेल, 68 में जोधपुर म्युनिसिपैलिटी ने श्री वासूमल नामक सिन्धी को इस मैदान में कोयले का डिपो लगाने के लिये भूमि किराये पर दी जिस पर सरदारपुरा की जनता ने ऐतराज किया और फिर उसे वहां से हटाना पड़ा ?

(3) क्या यह सही है कि अभी गांधी मैदान में श्री गोधूमल सिंधी का लकड़ी कोयले का डिपो लगा हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि इस डिपो को हटाने के भूतपूर्व एडमिनिस्ट्रेटर श्री अचलसिंहजी ने आदेश दिए और इस पर श्री गोधूमल ने म्यूनिसिपैलिटी जोधपुर के खिलाफ कोर्ट में दीवानी दावा किया जो खारिज हुआ और इस पर उसने एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज नं० 1 के पास अपील की वह भी खारिज हुई ?

(5) क्या यह सही है कि सरदारपुरा नागरिक समिति ने मुख्य मंत्रीजी एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी को 23-7-68 को श्री गोधूमल की डिपो हटाने एवं गांधी

(श्री ओमदत्त भाटी)

मैदान के सुधार हेतु पत्र दिया था तथा मुख्य मंत्रीजी से एक शिष्ट मंडल भी इस संबंध में 23-7-68 को मिला ?

(6) क्या यह सत्य है कि सरकार ने म्युनिसिपैलिटी को ऐसे आदेश दिये हैं कि श्री गोधूमल को अभी नहीं हटाया जावे ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) मुख्य मन्त्रीजी को पत्र दि० 23-7-68 को एवं स्वायत्त शासन मंत्री को पत्र दिनांक 27-7-68 को भेजे गये थे। शिष्ट मण्डल के मिलने सम्बन्धी सूचना प्राप्त नहीं है।

(6) राज्य सरकार के आदेशानुसार उसी स्थान पर भूमि नियमानुसार दिये जाने के लिये कहा गया।

भूतपूर्व रियासतों की राजधानियों की शहर—पनाह की दीवारों को तोड़ने के मामले

327. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भूतपूर्व रियासतों की राजधानियों के शहर—पनाह व बुर्जें राजस्थान सरकार की सम्पत्ति है ? यदि हां तो किस किस रियासत की ? यदि इन्हें भूतपूर्व नरेशों की सम्पत्ति मानी है तो किन किन की ?

(2) क्या इनमें से किसी को नगर परिषद् व नगरपालिकाओं की सम्पत्ति मान ली गई है ? यदि हां, तो किस किस की ?

(3) क्या सरकार को विदित है कि इन शहर—पनाह की दीवारों को मन माने तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है और तोड़ कर रास्ते निकाल दिये हैं ? यदि हां, तो कहां 2 पर और उनकी बरबादी को रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(4) उपरोक्त दीवारों व इमारतों की सरकार पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करती ?

उत्तर

(1) नगरपालिका क्षेत्रों में शहर पनाह, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 92 के अन्तर्गत पालिकाओं में निहित है।

(2) प्रश्न के भाग (1) में उत्तर दे दिया गया है।

(3) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) प्रश्न भाग (1) के उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नलकूपों पर व्यय

328. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले दो सालों में पीने के पानी के लिए राजस्थान में कितने नल कूप लगाये गये और उनमें से कितने सफल और कितने असफल रहे हैं ?

(2) इन सब पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

(3) भविष्य में कितने और किस-किस जिले में नल कूप चालू बजट में और बनाये जावेंगे।

उत्तर

(1) कुल 281 नल कूप खोदे गये उनमें से 140 नल कूप सफल रहे, इन 140 सफल नल कूपों में से 39 नल कूप कृषि कार्यों के लिए राजस्थान भू जल-मण्डल को सौंप दिये गये और बाकी 101 नल कूप इस विभाग द्वारा काम में लाये जा रहे हैं।

(2) इस पर कुल 2,14,51,346 रुपये खर्च हुये।

(3) इस विभाग में इस संबंध में कोई बजट नहीं है।

खादी बोर्ड

329. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खादी बोर्ड को सालाना आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार से कितनी और भारत सरकार से कितनी-कितनी मिलती है ?

(2) क्या राजस्थान का खादी बोर्ड मुनाफे में चल रहा है ? यदि हां, तो उसे सालाना कितना मुनाफा होता है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) इस बोर्ड की कहां कहां पर शाखायें हैं और उन शाखाओं में कुल कितने मजदूरों को रोजी मिलती है ? तथा उनको क्या दैनिक मजदूरी दी जाती है ? क्या मरदों और औरतों को बराबर मजदूरी दी जाती है ?

(4) राजस्थान में कितने प्रकार के खादी बोर्ड हैं ? किस अधिकारी को बोर्डों में अधिक से अधिक तनख्वाह दी जाती है और वह कितनी है ?

उत्तर

(1) राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को राजस्थान सरकार से प्रशासनिक व्यय दिया जाता है। सन् 68-69 में बोर्ड को 7.85 लाख रुपया स्वीकृत है। भारत सरकार से बोर्ड को सीधी कोई सहायता नहीं दी जाती है।

(2) सामान्यतः खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जो काम चलाया जाता है वह नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलाया जाता है, फिर भी कभी कुछ मुनाफा और कभी कुछ घाटा हो जाता है।

(3) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित उत्पादन केन्द्र बीकानेर व बाड़मेर में 2,170 कतीनें व 125 बुनकर हैं। इनको रोजी इनके काम के आधार

(मंत्री, खादी ग्रामोद्योग)

पर दी जाती है अर्थात जितना वे काम करते हैं उतनी मजदूरी दी जाती है।

(4) राजस्थान में एक ही खादी बोर्ड है बोर्ड के सचिव को जो आर. ए. एस. अधिकारी हैं 1104) रु० मासिक वेतन, डेपूटेशन अलाउन्स व महंगाई भत्ता सहित दिया जाता है।

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कोयले का बेचान

330. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1964-65 में भादरा जिला गंगानगर से श्री जगदीश प्रसाद गोलान को राजस्थान लघु उद्योग निगम ने कोयले बेचे थे ? यदि हां, तो कितने कोयले किस भाव किस आधार पर बेचे थे ?

(2) उपरोक्त कोयले निगम को वहां पर कीमत व खर्चा मिलाकर किस भाव से पड़े थे ?

(3) कोयला बेचने के लिए उस समय क्या तरीका अपनाया जाता था, रेट किस प्रकार तय की जाती थी और उसमें कितना मुनाफा निगम का जोड़ा जाता था ?

उत्तर

(1) जी हां। उन्हें 480 मेट्रिक टन कोयले रुपये 65-80 प्रति मे० टन के भाव से बेचे गये थे। इस भाव में कोयले की कीमत, रेल्वे फ्रेट तथा आकट्रॉय व 10 प्रतिशत शार्टेज के निमित्त समायोजित था।

(2) उपरोक्त कोयला कीमत व खर्चा व निगम का मुनाफा मिलाकर रु. 80-22 प्रति मेट्रिक टन पर बिकना था।

(3) कोयला तौल से बेचा जाता था। रेट निर्धारित करते समय वास्तविक व्ययों को जोड़कर उस पर 10 प्रतिशत शार्टेज के निमित्त, तथा कुल राशि पर 5 प्रतिशत निगम के मुनाफे को जोड़कर दर निश्चित की जाती थी।

जिला उद्योग अधिकारी नागौर द्वारा प्रशिक्षण इकाइयों के सामान की नीलामी

331 श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि जिला उद्योग अधिकारी नागौर द्वारा जिले की पंचायत समितियों के अन्तर्गत चल रही उद्योग प्रशिक्षण इकाइयों का सामान नीलाम किया गया था ? यदि हां तो किन-किन पंचायत समिति का सामान कब-कब, कितने-कितने मूल्य में किस-किस व्यक्ति को नीलाम किया गया और उक्त सामान की लागत कीमत क्या-क्या थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) लागत कीमत को देखते हुए सामान की बिक्री से हुई आय की तुलना करने पर क्या यह सामान इसी कीमत पर बेचना उचित था ? यदि हां, तो यह निर्णय किस अधिकारी द्वारा किस आधार पर किया गया ?

(श्री हरजी राम बुरड़क)

(3) यदि इस संबंध में कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हों तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(उत्तर स्थगित किया गया)

सरकारी सहायता प्राप्त उद्योग

332. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राणी, सुमेरपुर एवं फालना में कौन-कौन से उद्योग सरकारी सहायता प्राप्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन उद्योगों को कितनी कितनी धनराशि ग्रान्ट-इन-एड ऋण एवं अन्य सहायता के रूप में उपलब्ध की गयी है।

(3) इन उद्योगों में से कितने उद्योग घाटे में चल रहे हैं और कितने लाभ में ? उद्योगों में घाटे के क्या-क्या कारण हैं ?

(4) इन उद्योगों में सरकारी कितनी रकम वसूल होना बकाया है।

उत्तर

(1) सूची (क व ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्रान्ट-इन-एन्ड की जानकारी सूची 'क' एवं ऋण की जानकारी सूची 'ख' में उपलब्ध है।

(3) केवल एक उद्योग मेसर्स भारत विजय चर्म उत्पादक सहकारी समिति, सुमेरपुर घाटे में चल रहा है जिसका कारण कार्य संतोषजनक एवं पूर्णरूप से नहीं किया जाना है।

(4) यह जानकारी सूची 'ख' के कॉलम 6 पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

पत्थर व अन्य उद्योग से आय

333. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा जिले में पत्थर व दूसरे उद्योगों से कुल कितनी रकम, किन-किन स्थानों से सरकार को उपलब्ध होती है ?

(2) क्या यह सही है कि सबसे अधिक आमदनी रामगंज मंडी क्षेत्र से मिलती है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में अधिक उत्पादन व बेचान को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि बहुत से खान व्यापारियों ने उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार से बिजली एवं सड़क की मांगें की हुई हैं ? यदि हां, तो विभाग ने ऐसे स्थानों पर जो बिजली से नजदीक हैं, बिजली दिलाने की क्या कोशिश की है व भविष्य में खानों के समुचित विकास की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) कोटा खनिज जिले की खनिज विभाग से प्राप्त आय 27, 79, 300 रु० हैं।

(2) जी हां, । खनिजों के उत्पादन आदि के लिये पट्टेदारियों को आवश्यकतानुसार समय समय पर सुविधायें दी जाती हैं।

Page No 49

(उद्योग मंत्री)

(3) खनिजों के पट्टेदारियों द्वारा बिजली हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता विद्युत मंडल को भेजी जाकर सिफारिश की जाती है। ऐसे कोई प्रार्थना पत्र विभाग में पेंडिंग नहीं है। सड़कों हेतु खनिज ? अभियन्ता कोटा द्वारा प्रस्तावित मुख्य मुख्य खान एवं खदानों को जोड़ने वाली दो सड़कें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित की गई हैं जिनको बजट में राशि प्राप्त होने पर कार्यान्वित की जायगी।

मांडलगढ़ तहसील के गांवों की कमांड एरिया की भूमि का वितरण

334. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मांडलगढ़ तहसील में कुल कितने गांव हैं ?

(2) किस किस गांव में कितने परिवार ऐसे हैं जो हाथ से खेती करना चाहते हैं, पर उनके पास जमीन नहीं हैं ?

(3) ऐसे परिवारों को कब तक जमीन मिल जावेगी ?

(4) कमांड एरिया की मांडलगढ़ तहसील में कितनी जमीन है ?

(5) किस किस व्यक्ति को कितनी जमीन कमान्ड एरिया की वितरित हुई है ? कृपा करके सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) हाथ से खेती करने वाले भूमिहीनों को कमान्ड एरिया की जमीन कब तक मिलने की संभावना है ?

उत्तर

(1) तहसील मांडलगढ़ में 301 ग्राम हैं।

(2) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(3) ऐसे परिवारों की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर भूमि आवंटन नियमों के अनुसार अगर उसी ग्राम में भूमि उपलब्ध होगी तो दी जायेगी अन्यथा उनसे दूसरे गांवों के वास्ते कहा जायेगा। इसमें कितना समय लगेगा अभी नहीं कहा जा सकता।

(4) मांडलगढ़ तहसील में कमांड क्षेत्र 2138॥)1 हैं।

(5) सूची संलग्न है।

(6) इसी वर्ष होने की संभावना है।

भीलवाड़ा तहसील में भूमि का आवंटन

335. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा तहसील में गत दो वर्षों में किस-किस को कितनी-कितनी जमीन कमान्ड एरिया की तथा बारानी एलॉट हुई ?

(2) क्या यह सही है कि कई गांवों की जमीन भीलवाड़ा तहसील के राज्य कर्मचारियों, उनके रिश्तेदारों तथा ऐसे लोगों को एलॉट की गई हैं जो हाथ से खेती नहीं करते ?

(3) किस किस गांव की जमीन उस गांव के लोगों को एलॉट न की जाकर बाहर के गांव के लोगों को एलॉट की गई है ?

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

(4) भीलवाड़ा तहसील के जिस जिस गांव की जमीन एलॉट की गई है उसकी फहरिस्त सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) जिन लोगों को जमीन एलॉट हुई हैं क्या उस जमीन पर खेती वे ही करते हैं या दूसरों से करवाते हैं ?

(6) क्या जिन जिन को जमीन एलॉट हुई है उनके दूसरा भी व्यवसाय है ?

(7) जिस-जिस विकास पंचायत क्षेत्र की जमीन एलॉट होती हैं वह क्या उस गांव में जाकर एलॉट की जाती है या तहसील में या पंचायत समिति में बैठे बैठे ही अलाट की जाती है ?

उत्तर

(1) सूची 'क' संलग्न है।

(2) भीलवाड़ा तहसील में राज्य कर्मचारियों को राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 के तहत आवंटन किया गया है। रिश्तेदारों को आवंटन होना ज्ञात नहीं जिन जिन को भूमि आंवटन की गई है वे राजस्थान भूमि आंवटन नियमों के अनुसार काश्त करने में सक्षम हैं।

(3) आवंटन में अधिकांश ग्राम के भूमिहीनों को प्राथमिकता दी गई है और फिर बन्द ग्रामों में आवंटन योग्य भूमि शेष रहने पर दूसरे ग्राम के व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई है।

(4) सूची 'ख' संलग्न हैं।

(5) जिन-जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई है उनको दूसरों के द्वारा काश्त कराने की कोई रिपोर्ट अब तक पेश नहीं हुई है।

(6) जिन-जिन को भूमि आवंटन की गई हैं, आवंटिति या तो भूमिहीन थे अथवा मजदूरी पेशा या अल्प आय वाले हैं।

(7) जिन जिन ग्रामों में भूमि-आवंटन की गई है वह सम्बन्धित पंचायतों के मुख्यावास पर जाकर की गई है। जहां स्थानीय व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रार्थना पत्र होते हैं वहां अलॉटमेंट एडवाइजरी कमेटी की राय से स्थान निश्चित किया जाकर आवंटन किया गया है। कोई आवंटन पंचायत समिति के मुख्यावास पर नहीं किया गया है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

एलॉटशुदा भूमि पर काश्त करने वालों पर जुरमाना

336. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह बात सरकार की निगाह में लाई गई है कि पटवारियों या विभागीय कर्मचारियों द्वारा कृषकों को एलॉटशुदा भूमि का गलत नम्बर बता देने और उनके द्वारा बताये हुए गलत नम्बरों पर बरसों से खेती करते रहने के कारण पैनल्टी व जुर्माने किये गये हैं और बहुतसों को बेदखल भी किया गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों को निपटाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(श्री जुझार सिंह)

(2) क्या यह सही है कि श्री अब्दुल रज्जाक वल्द अब्दुल शकूर ग्राम कनवास को खसरा नं. 313 के बजाय नं. 293 काश्त करने, श्री जफर मोहम्मद, सांगोद को नं. 63 के बजाय 113 काश्त करने, श्री भैरू पुत्र गोरधन मानदिया हेडी, सांगोद को गलत नम्बर काश्त करने के कारण पैनल्टी व जुर्माने किये गये हैं और इसी प्रकार अनेकों बहुत से व्यक्तियों पर सरकारी कर्मचारियों की गलती से जुर्माने हुए हैं ?

(3) क्या सरकार एलाटशुदा जमीन के रकबे के बराबर की जमीन पर काश्त करने वाले काश्तकारों को गलत नम्बरों पर भी काश्त करने देने और उन नम्बरों को रेगुलेराइज करवाने के आदेश देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। नम्बर सही बताये जाते हैं।

(2) यह सही नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की गलती से कोई जुर्माने नहीं हुए हैं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व व वन भूमि का सीमांकन

337. **श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्व व वन विभाग में सीमांकन नहीं किया हुआ होने के कारण एक ही भूमि को दोनों विभागों द्वारा अपने अपने विभाग में क्लेम किया जाता है और काश्तकारों को असुविधा होती है ? पंचायत समिति सांगोद की पंचायत गागरोन में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन पर सीमांकन स्पष्ट नहीं होने के कारण मुकदमे चलाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि श्री रोडू वल्द देवलाल गूजर, ग्राम नोलाव, पंचायत गागरोन को खसरान, 4 पर दिनांक 1-12-65 मि. नं. 420/15 व 179/1-12-65 रेग्युलराइज कर दिया है और नायब तहसीलदार सांगोद ने दिनांक 14-4-67 को रिपोर्ट की है कि उक्त भूमि रोडू गूजर के नाम रेग्युलेराइज की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या इसी भूमि पर नाजायज कब्जा बता कर उसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फिर नोटिस दिये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि इसी खसरा नं. 4 पर रोडूलाल को वन विभाग ने भी अपनी जमीन मान कर अलग से नोटिस दिया हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि रोडू गूजर के कब्जे में इस जमीन के अतिरिक्त और कोई भूमि नहीं है ? यदि हां, तो वन व रेवेन्यू डिपार्टमेंट में से यह भूमि किसके कब्जे की है और रेकार्ड के डुप्लीकेशन का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। दोनों विभागों की भूमि का सीमांकन पृथक रूप से किया हुआ है।

(राजस्व मंत्री)

(2) किसी पर सीमांकन स्पष्ट न होने के कारण मुकदमे नहीं चलाये जा रहे हैं।

(3) यह सही है। श्री रोडू के ग्राम नोलाव में खसरा नम्बर 4 पर किये गये अधिपत्य का नियमन किया गया था। अब वन विभाग की ओर से शिकायत प्राप्त होने पर श्री रोडू को दिनांक 5-2-68 को नोटिस दिया गया हैं। मामला सुनवाई के लिये विचाराधीन है।

(4) जी नहीं सही नहीं है। श्री रोडू के खाते नं० 15 में उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त4 बीघा भूमि और भी है जो राजस्व भूमि है।

कृषि विकास कोष में एकत्रित राशि

338. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलाभकारी जोतों पर लगान की जो छूट दी गई थी उससे प्रत्येक जिले से कितनी-कितनी राशि कृषि-विकास कोष खाते जमा हुई? कृपया जिलेवार वर्तमान वित्तीय वर्ष तक हुई संचित राशि की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त संचित राशि में से अब तक जिलेवार कितनी राशि किस किस कार्य में व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अलाभकारी जोतों से प्राप्त भू-राजस्व की सूची 19-20 जिलों से प्राप्त हो गई। वह सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अभी कोई राशि व्यय नहीं हुई है।

कृपया परिशिष्ट 5 देखिये

टोंक जिले में राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 91 के तहत मामले

339. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टोंक की किन-किन तहसीलों में राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है और ऐसे केसेज की कुल कितनी संख्या है? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि हर तहसील में एक एडीशनल तहसीलदार की नियुक्ति इसलिये कर दी गई है कि धारा 91 के केसेज को निपटा दिया जाये?

(3) यदि हां, तो उक्त नियुक्तियों के बाद अब किस-किस तहसील में कितने केसेज निपटा दिये गये हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले में तारीख 31-7-69 की धारा 91 राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत 25013 केसेज पेन्डिग थे। तहसीलवाईज ब्योरा संलग्न हैं।

Page No 53

(राजस्व मंत्री)

2. टोंक जिले में तहसील टोंक के अलावा सभी तहसीलों में धारा 91 के केसेज निपटाने हेतु अतिरिक्त तहसीलदार की नियुक्ति की गई है।

(3) टोंक जिले के अतिरिक्त तहसीलदारों द्वारा 22552 केस निपटाये जा चुके हैं जिनका तहसीलवार ब्यौरा संलग्न हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

पंचायत समितियों के रिआर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट

340. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा स्थापित पंचायत समिति रिओर्गेनाइजेशन हेतु एक सदस्यीय कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो एक प्रति सदन में रखें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) उक्त रिपोर्ट कब तक सरकार को प्रेषित करनी चाहिए थी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) आयोग को भंग किये जाने के कारण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

खेती के लिए सैनिकों को भूमि

341. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने खेती के लिये सैनिकों को भूमि देने की घोषणा की थी ?

(2) उस घोषणा के बाद आज तक प्रोजेक्टेड इलाके में कितने एकड़ जमीन उन्हें दी गई और नान-प्रोजेक्टेड इलाके में कितनी दी गई ?

(3) जिलेवार कितनी कितनी जमीन दी गई है व कितनी कितनी दरख्वास्तें विचाराधीन पड़ी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अलबता राज्य सरकार ने भूतपूर्व विकलांग सैनिकों एवम् वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के लिये कृषि भूमि आवंटन हेतु नियम बनाने हैं।

(2) ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है इसलिये प्रश्न नहीं उठता। फिर भी प्रोजेक्टेड इलाके में 7190 एकड़ व नोन-प्रोजेक्टेड इलाके में 34,120 एकड़ भूमि सैनिकों को आवंटित की है।

(3) राज्य में कुल 41,310 एकड़ भूमि दी गई हैं, और कुल 2612 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

ग्राम मांडवला के भाम्भियों की भूमि

342. (26/रा.म.) श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या राजस्वमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि उपराजस्व मंत्री इस साल के शुरू में तहसील जालोर के गांव

(श्री मूलचन्द डागा)

मांडवला में पधारे थे ? यदि हां, तो क्या मांडवला के रहने वाले माम्मियों ने यह शिकायत की थी कि उन्हें अपनी पट्टाशुदा और कब्जा शुदा जमीन से कलेक्टर, जालौर ने दूसरी जमीन देने का आश्वासन देकर, बेदखल कर दिया है ? यदि हां, तो राजस्व विभाग ने इस बाबत आज तक क्या कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

यह सही नहीं है। कोई कदम उठाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

गांव सापा की गोचर भूमि

343. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गांव सापा, तहसील पाली में राजस्व विभाग ने गोचर भूमि कम करने की सिफारिश कलेक्टर पाली की मानकर, कम करने की आज्ञा सन् 68–69 में दी थी ? यदि हां, तो उस आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखियेगा।

(2) गोचर कम करने की आज्ञा होते हुए भी अभी तक उस आज्ञा को अमली रूप क्यों नहीं दिया गया, और उसका दोषी कौन है ?

उत्तर

(1) जी हां। आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार के आदेश के अनुपालन में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर इस मामले में जिलाधीश द्वारा शीघ्र ही निर्णय दिया जाने वाला है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

राजस्व मंत्रालय में विचाराधीन मामले

344. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्व मंत्रालय में इस समय राजस्व की कितनी अपीलें एवं निगरानियां जेर तजवीज हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस मंत्रालय ने 1-4-67 से आज दिन तक कितनी राजस्व की अपीलों एवं निगरानियों का फैसला किया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन अपीलों एवं निगरानियों को सीधा दर्ज क्यों किया जाता है जब कि राज्य में राजस्व अदालतें भी हैं ?

उत्तर

(1) इस समय राजस्व विभाग में कुल 336 निगरानियां जेर तजबीज है।

(2) राज्य सरकार ने 1–4–67 से 11-7-69 तक कुल 63 निगरानियों का फैसला किया है।

(3) ये निगरानियां राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 व 83 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विचारार्थ ली जाती हैं।

Page No 55

ग्राम गाड़राटा में भूमि का बेचान

345. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जमीन खसरा नं० 645 रकबा 201) 4 ग्राम गाड़राटा तहसील खेतड़ी, जिला झुंझूनूं में ग्राम की मवेशियान चरने के कार्य में आती है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) यह जमीन राजस्व अभिलेख में किस किस्म में दर्ज है और इस भूमि का कोई लगान निश्चित है या नहीं ?

(3) यह भूमि आज तक कभी काश्त हुई है या नहीं ? इस भूमि की स्थिति क्या है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि ग्राम पंचायत गाड़राटा के चार्ज में प्रबन्ध हेतु दे दी गई ? यदि हां, तो कब?

(5) क्या इस सरकारी भूमि का रजिस्टर्ड डीड द्वारा विक्रय हुआ है ? यदि हां, तो किसके द्वारा, कब और कितने रुपयों में किसको कितना रकबा बेचा गया है ?

(6) क्या यह सही है कि इस जमीन का खरीददार द्वारका प्रसाद पुत्र महादेव वैश्य है जो राजस्व मंत्री महोदय के निजी सचिव श्री मदनलाल गुप्त आर० ए० एस० का सगा चचेरा भाई है और उन्हीं के द्वारा यह सारी अनियमिततायें कराई गई हैं ?

(7) क्या यह सही है कि विक्रय-पत्र होने के बाद ग्रामवासियों ने तहसीलदार खेतड़ी के समक्ष प्रार्थना-पत्र दिया था और तहसीलदार ने नामान्तकरण न करने के व काश्त न करने हेतु पाबन्द किया था ?

(8) क्या यह सही है कि तहसीलदार के आदेश के बाद भी पटवारी ने इन्तकाल दर्ज कर तस्दीक करा दिया ? यदि हां, तो कैसे हुआ ?

(9) क्या यह सही है कि मदनलाल आर. ए. एस. बिना छुट्टी लिये अपने गांव बंबाई जाकर इस जमीन की काश्त के लिये पुलिस मुकामी व संबंधित एस. डी एम. खेतड़ी से सांठ-गांठ करके अनियमिततायें करा रहे हैं और एक मुकदमा अनुवानी सरकार बनाम गणपत लाल आदि धारा 107/117 जा० फौजदारी पेश कराया है ?

(10) क्या यह सही है कि गणपत आदि प्रार्थीगण ने एस. डी. एम श्री जगदेव सिंह के विरुद्ध मुन्तकिली मुकदमा की दरख्वास्त अदालत डी० एम०, झुंझूनूं को पेश की है? यदि हां, तो यह दरख्वास्त किन आरोपों से पेश हुई है और उसमें क्या हो रहा है ?

(11) क्या यह सही है कि न्यायालय सिविल जजी झुंझूनूं से इस जमीन को काश्त न करने एवं किसी भी प्रकार से स्थिति में परिवर्तन न करने व ग्राम की मवेशियान को चरने से न रोकने हेतु द्वारका-प्रसाद को पाबन्द कर दिया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(12) क्या यह सही है कि श्री मदन लाल आर. ए. एस. के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष इस विषय में ग्रामवासियों की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो क्या, और सरकार इसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

(उत्तर स्थगित किया गया)

बीकानेर जिले में आराजी भूमि

346. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला बीकानेर में किस किस तहसील में किस किस गांव में आराजी कितनी भूमि पड़ी है ? बीघावाइज व एकड़वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

उक्त संबंध में बीकानेर जिले की सूचना निम्नांकित है।

क्र०सं.	नाम तहसील	ग्राम सं०	आराजी भूमि बीघों में	एकड़ों में
1.	बीकानेर	66	229144॥)3	127272) एकड़
2.	लूणकरणसर	171	997881।)1	623676) एकड़
3.	नोखा	14	647।)	404) एकड़
4.	कोलायत	163	1235093॥)	771933) एकड़
		414	2462736॥)4	1523285) एकड़

ग्राम छत्रगढ़ में भूदान में प्राप्त भूमि का अलाटमेंट

347. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूदान बोर्ड की कुल कितनी बीघा भूमि बीकानेर जिले में किस-किस गांव व किस तहसील में दी गई व कितने मकान भूदान में दिये गये ?

(2) क्या यह सही है कि छत्रगढ़ गांव की पूरी भूमि भूदान को दी गई ? यदि हां, तो यह भूमि किस व्यक्ति ने किस तारीख को भूदान में दी और यह भूमि कितने बीघा है ? यह भूमि कितने भूमिहीनों को अलाट की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) इस जिले में भूदान बोर्ड को तहसील बीकानेर में 1,45,942) बीघा, तहसील लूणकरणसर 2,15,000 बीघा, तहसील नोखा 83)3 बीघा कुल 3,61,025)3 बीघा भूमि दी गई है। जिनकी तहसील वाईज गांवों की सूची संलग्न हैं। भूदान में कोई मकान नहीं दिये गये।

(2) ग्राम छत्रगढ़ (तहसील बीकानेर) की तमाम भूमि भूदान में दी गई है यह भूमि महाराज अमरसिंहजी, ने दिनांक 8-8-53 को भूदान में दी है। दान पत्र में यह भूमि 2, 25,000) बीघा दर्ज है। यह भूमि भूदान यज्ञ के कार्यकर्ता द्वारा एलोट की जाती है जो इस समय 281 काश्तकारों को एलोट है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

बीकानेर जिले में गोचर-भूमि पर नाजायज काश्त करने के मामले

318. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के गांवों में गोचर-भूमि को काश्त किया है यदि हां, तो किस-किस गांव में किस-किस व्यक्ति ने नाजायज काश्त की है ? नाम व बीघे सहित सूची सदन को मेज पर रखने को कृपा करें।

उत्तर

जी हां। जिन गांवों में गोचर भूमि में काश्त की गई उसकी सूची इस प्रकार है:—

क्रम सं•	नाम ग्राम	नाम व्यक्ति	रकबा (बीघों में)
1.	नोखा मंडी	श्री रूघा पुत्र अमरा जाट	10 बीघा
2.	,,	श्री बुगा पुत्र शोभा डाकोत	10 बीधा
3.	,,	श्री धनाराम पुत्र अमरा जाट	4 बीघा
		योग–	24 बीघा

ग्राम बिलणियासर में चरागाह की भूमि पर काश्त करने के मामले

349. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि तहसील नोखा के ग्राम बिलणियासर में चरागाह की भूमि को किसी व्यक्ति ने काश्त की है ? यदि हां, तो सरकार इस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

(उत्तर स्थगित किया गया)

तहसीलदारों के तबादले

350. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 मई, 1967 से 31 जुलाई, 1968 तक किस-किस तहसीलदार का तबादला एक बार से अधिक बार हुआ है ? कृपया सूचना निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत करें—

1	2	3	4	5
नाम तहसीलदार	विभिन्न तबादलों की तारीखें	कहां से कहां को	प्रत्येक तबादले का कारण	प्रत्येक तबादले में सफर खर्च जो सरकार को वहन करना पड़ा।
1				
2				
3				
4				
5				

Page No 58

(श्री रामानंद अग्रवाल)

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने किसी भी तहसीलदार को उसको अपने जिले में नियुक्त करने की मनादी की हुई है ? यदि हां, तो बतायें कि 31 जुलाई, 1968 को कितने तहसीलदार अपने ही जिले में नियुक्त हैं ? इस अवहेलना का क्या कारण है ?

(उत्तर स्थगित किया गया)

चारागाह पर की गई काश्त

351. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डौली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चारागाह पर की गई काश्त को नष्ट करने का निर्णय मंत्री परिषद् द्वारा लिया गया था ?

(2) सरकार के इस आदेश का पालन कितने प्रतिशत हो सका ?

(3) क्या यह सत्य है कि तहसीलदार इस आज्ञा का पालन विधिवत् नहीं करा सके ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस आदेश के परिपालन के पक्षपात बरती जा सकती है ?

(5) तहसील नैनवा में क्या नायब तहसीलदार ने एक ही दिन बांभी की फसलें 10),15) में खतम की जबकि उसी पंचायत के ग्राम रामगंज की फसलों की बोली श्री मनोहरलाल नैनवा ने 150 रु० लगाई ?

(6) क्या यह सत्य है कि श्री मनोहर लाल ने जनता के समक्ष यह कहा कि अब कहां है तुम्हारा एम. एल. ए. उस को लूट कर दूं ।

(7) क्या इस विषय की सूचना रामगंज की जनता ने जिलाधीश को दी थी कि 7-11-67 की बांभी में इस प्रकार मनोहर लाल ने कहा ?

(8) यदि हां, तो इस पर जिलाधीश ने क्या एक्शन लिया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त आदेश की पालना बूंदी जिले में लगभग 13 प्रतिशत तक हो सकी है।

(3) जी हां।

(4) उक्त आदेश के परिपालन में बून्दी जिले में कोई पक्षपात नहीं बरता गया है।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां।

(7) ग्रामवासी रामगंज का इस विषयक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्रांक 45 एम०एल०ए० दिनांक 15-11-67 जिलाधीश बून्दी के कार्यालय में दिनांक 20-11-67 को प्राप्त हुआ था।

(8) उक्त प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर परगना अधिकारी नैनवा को जांच कर रिपोर्ट करने हेतु लिखा गया था।

Page No 59

नगरपालिका लाडनूं द्वारा शराब की बिक्री पर टैक्स

352. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका लाडनूं द्वारा शराब की बिक्री पर कोई टैक्स लगा रखा है? यदि हां, तो कब से और उक्त टैक्स से संबंधित उप-नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सन् 1965-66 व 66-67 तथा 67-68 और 68-69 में कुल कितनी कितनी शराब लाडनूं में बिकी? जिस पर किस रेट से कितना कितना टैक्स वसूल किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उपरोक्त टैक्स वसूली नियमानुसार हुई है? यदि कम से हुई हो, तो क्यों? और उसकी जिम्मेवारी किसकी है?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगरपालिका शराब की बिक्री पर कोई कर वसूल नहीं करती। नगरपालिका के क्षेत्र में शराब के आयात पर दो प्रतिशत चुंगी वसूली की जाती है। अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

उदयपुर में सुखाड़िया फव्वारे के निर्माण पर व्यय

353 श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

उदयपुर में सुखाड़िया फव्वारे का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्चा होगा? यह नगर परिषद् की ओर से बन रहा है या नगर न्यास की ओर से?

(उत्तर स्थगित किया गया)

वाटर वर्क्स योजना

354. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राजस्थान में कहां-कहां पर वाटर-वर्क्स योजना चालू की जा चुकी है? इन पर कितनी धनराशि व्यय हो चुकी?

(2) चालू वर्ष में कहां-कहां पर इस योजना का कार्य चल रहा है और वह कब तक पूरा हो जावेगा?

उत्तर

(1) सूची सलग्न है। धनराशि निम्न प्रकार व्यय की गई है:—

वर्ष	नगरीय योजनाएं	रु० लाखों में ग्रामीण योजनाएं
प्रथम पच-वर्षीय योजना में	86-00	143-50
द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में	478-78	180-25
तृतीय पंचवर्षीय योजना में	460-14	290-50
1966-67	64-88	80-23
1967-68	46 50	90-00
1968-69	57-83	54-51
	1194-13	838 99

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)

(2) चालू वर्ष में जिन-जिन योजनाओं पर कार्य चल रहा है वे संलग्न सूची के क्रम सं० 5 में अंकित हैं। इनमें से 13 नगरीय एवं 67 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का कार्य वर्ष 1969–70 में पूर्ण करने का लक्ष्य है और बाकी योजनाओं पर कार्य जैसे-2 धनराशि उपलब्ध होगी वैसे 2 कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कानूनों का हिन्दी अनुवाद

355. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अंग्रेजी में बनाये गये कानूनों का हिन्दी अनुवाद किया है? यदि हां, तो कौन-कौन से कानूनों का कब-कब? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अब कौन-कौन से कानून ऐसे रहे हैं जो अंग्रेजी में हैं और उनका हिन्दी अनुवाद कब तक हो जायेगा?

(3) ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो हिन्दी में ही बनाये गये हैं?

उत्तर

(1) जी हां, सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है। अनुवाद किये जाने का कार्य चालू है निश्चित समय बताना संभव नहीं है

(3) सूची 'ग' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरकार पर देनदारियों के दावे

356. श्री केसरीसिंह हांडा (हिण्डोली): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के निर्माण के बाद में सरकार पर कितने देनदारियों के दावे दायर किये गए सालवार व जिलेवार बतलावें?

(2) अब तक जितने देनदारियों के दावे किए गए उनमें से कितनों पर अदालत से वादी सरकार पर कुरकी लाया और किस पर?

(3) सरकार का देनदारियों के मुकद्दमे लड़ने में कितना खर्च लगा, कितना अदालती खर्चा दिया गया और कितना देना बाकी है?

(स्थगित किया गया)

ग्राम मंडिया-बिरादरा-रूपावास के कुओं को बिजली

357. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाली के फैकारिया दीवानजी मोडिया गावों में कुओं पर बिजली देने को कोई व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सत्य है कि इन गांवों में बहुत कुए बांडी नदी के किनारे पर है और जिनसे काफी जमीन की सिंचाई होती है?

Page No 61

(श्री मूलचन्द डागा)

(3) क्या सरकार गांव मंडिया बिरादरा और रूपावास के कुओं को बिजली देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) यह ग्राम अभी विद्युतिकृत नहीं है। अस्तु इनमें कुओं को बिजली देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(2) इसके निश्चित आंकड़े इस विभाग के पास नहीं हैं।

(3) ग्राम मंडिया विद्युतिकृत है और उसमें बिजली दी जा सकती है। बिरादरा और रूपवास में उनके विद्युतिकृत के पश्चात ही बिजली दिया जाना सम्भव होगा। इनका विद्युतिकरण कब हो सकेगा इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

पाली तहसील के गांवों में बिजली

358. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाली तहसील के किसी भी गांव में बिजली पहुंची है ? यदि हां, तो किस गांव में ?

(2) क्या सरकार की आने वाली दो वर्षों में यह योजना है कि पाली के कुछ गांवों का विद्युतिकरण किया जाये ? यदि हां तो कौन कौन से गांवों का ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सन् 1969-70 की योजना अभी तैयार नहीं है।

LIST OF LOCALITIES ELECTRIFIED IN PALI TEHSIL

S. No.	Name of the Locality	Date of electrification.
1.	Pali Town (Taken over)	February, 1960
2.	Paderla	6-3-66
3.	Dujani	19-3-66
4.	Mandiya	18-3-67

पाली तहसील के गांवों में बिजली

359. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) क्या कोटा जिले के छबड़ा कस्बे में विद्युतिकरण हो चुका है ?

(2) क्या सरकार छबड़ा तक आने वाली बिजली को तहसील छबड़ा के गांवों में भी खेती के लिये कुओं पर देना चाहती है यदि हां, तो कब तक व कौन कौन से ग्रामों को प्राथमिकता दी जायेगी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

तहसील छबड़ा के गांवों में बिजली सिंगल फेज मीटर्स की खरीद के लिए आमंत्रित टेन्डर्स

360. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 67-68 व 68-69 में सिंगल फेज मीटर्स का क्रय करने के लिये टेन्डर्स आमंत्रित किये गए थे ? यदि हां, तो किस-किस वर्ग में किस-किस फर्म ने टेन्डर्स दिये थे ? कृपया उन टेन्डरर्स के नाम, दरों की तुलनात्मक सूची सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) किस किस फर्म के टेन्डर स्वीकार हुए व किस किस आधार पर ?

(स्थगित किया गया)

परचेज कमेटी का पुनर्गठन

361. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मई 1969 के पूर्व आर. एस. ई. बी. द्वारा गठित परचेज कमेटी में बोर्ड के चेयरमैन निरन्तर भाग लेते रहें हैं ? यदि हां, तो क्यों व किस आधार पर ?

(2) क्या यह सही है कि मई 1969 में कमेटी का पुनर्गठन किया गया ? यदि हां, तो इस कमेटी के कौन-कौन सदस्य व अध्यक्ष हैं तथा इससे पूर्व की कमेटी में कौन-कौन थे ?

(स्थगित किया गया)

विभाग की गाड़ियां

362. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के पास कुल कितनी गाड़ियां किस-किस प्रकार की कब-कब से हैं तथा उनको किस-किस अधिकारी के अधीन कार्य के लिए लगाई हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उपरोक्त गाड़ियों के उपयोग हेतु कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) गाड़ियों के उपयोग में लाने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां, प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) गाड़ियां राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के कार्य हेतु नियमानुसार उपयोग में लाई जाती हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रामगंज मंडी के गांव को बिजली

363. श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) रामगंज मंडी के किन-किन गांवों में बिजली देने की योजना स्वीकृत है और स्वीकृत गावों में से कितनों में बिजली देना बाकी है? सूची मय स्वीकृत व बाकी गावों के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या ग्राम कूकड़ा में अरसे से बिजली की मांग है और गांव स्वीकृत होते हुए भी वहां बिजली नहीं दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। किसी में नहीं।

(2) जी नहीं। केवल एक प्रार्थी ने पावर कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था, परन्तु उसने एस्टीमेंट की रकम जमा नहीं कराई, अतः कनेक्शन नहीं दिया गया।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

बारां तहसील क्षेत्र के गांवों में कृषि कार्य के लिये बिजली

364. श्री देवदत्त गाड़िया (बारां): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला कोटा की किस-किस तहसील क्षेत्र के कितने गांवों के कृषकों के प्रार्थना-पत्र सिंचाई के लिये खेतों पर बिजली दी जाने के सम्बन्ध में आ रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील बारां क्षेत्र के प्रमुख गांव फतहपुर, कोयला बंटावदा नलका, सुंदलर, मंगोला, गोदियापुरा आदि के कृषकों के प्रार्थना-पत्र खेतों पर बिजली दी जाने के सम्बन्ध में आये हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(3) क्या सरकार ने कोटा जिले के गांवों में किसानों के खेतों पर बिजली दी जाने का निर्णय किया है? यदि हां, तो किन-किन गांवों में अब तक बिजली दी जाने का निर्णय किया है?

उत्तर

(1) विद्युतिकृत ग्रामों में कृषि हेतु पेन्डिंग प्रार्थना-पत्रों का तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इन गावों का विद्युतिकरण अभी तक नहीं हुआ है। प्रार्थना-पत्र प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। विद्युत मंडल की निर्धारित नीति के अनुसार जिन ग्रामों के लिये जिलाधीश ने सिफारिश की है उन पर विचार किया जा रहा है।

(विद्युत् मन्त्री)

(3) जी हां, कोटा सिटी डिविजन व डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में इस वर्ष विद्युतिकृत गांवों में 500 कुओं को कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये कनेक्शन प्रॉयोरिटी के अनुसार यदि सम्बन्धित व्यक्ति मण्डल के नियमानुसार निर्धारित कार्यवाही कर देंगे तो इसी वर्ष में दिये जायेंगे। नवीन ग्रामों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

मन्डावा से झुंझुनूं चम्बल बिजली की स्वीकृति

365. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मन्डावा से झुंझुनूं चम्बल की बिजली स्वीकृत हो चुकी है ? और उसका सर्वे भी हो चुका है ? यदि हां, तो किस तारीख को स्वीकृति तथा सर्वे हुई ?

(2) क्या यह सही है कि इस लाइन पर बिजली का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक शुरू हो जायगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्राथमिक सर्वेक्षण जनवरी 1969 में हुआ था अन्तिम सर्वे अभी नहीं हुआ।

(2) लाइन के स्वीकार होने पर ही कार्य हो सकेगा।

गोगुन्दा में बिजली

366. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा सु०): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

क्या पंचायत समिति गोगुन्दा में बिजली के जाने का इरादा सरकार रखती है ? यदि हां, तो उदयपुर से गोगुन्दा बिजली कब तक ले जाने का विचार है ?

उत्तर

अभी कोई योजना नहीं है। अतः निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

छबड़ा-बारां वाया कवाई तालाब सड़क का कार्य

367. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील छबड़ा के कस्बे छबड़ा से बांरा को एक सड़क वाया कवाई काला तालाब होकर जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि यह सड़क अभी अधूरी है ? यदि हां, तो वह काम कब तक पूर्ण होगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सड़क का कार्य क्रॉस ड्रेनेज कार्य को छोड़कर पूर्ण है। अर्थाभाव के कारण क्रॉस ड्रेनेज कार्य पूर्ण करना कब तक सम्भव होगा, निश्चित नहीं कहा जा सकता।

बूंदी शहर की सड़कों पर व्यय

368. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी सिटी सेक्शन के अन्तर्गत कौन-कौनसी सड़कें आती हैं ? अलग अलग सड़क कितने माइल की है, टार रोड कितनी हैं और मेटल रोड कितनी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अक्टूबर, 1968 से 31 मार्च, 1969 तक कहां 2 पर और किस प्रकार का काम कराया गया ? इस काम पर कितनी धनराशि खर्च हुई और ठेका किस किस को और कितने में दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ऐसी भी कोई सड़कें हैं, जहां पर कोई काम नहीं होने पर भी विभाग द्वारा पैसा ठेकेदार को दिया गया ? यदि हां; तो ऐसी कौनसी सड़क है ?

(4) शिकार बुर्ज रोड का ठेका किसको तथा कितने में दिया गया था ? कितना माल पड़ा है ? क्या ठेकेदार को 700) रु० बिना काम किये ही चुका दिये गये हैं ?

(5) पी० डब्ल्यू० ए० के अन्तर्गत किस 2 ठेकेदार द्वारा काम कराया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें। इन ठेकों पर किस-किस के टेन्डर आये और कितने का ठेका दिया गया ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) सूची (अ) वर्णित कार्यों पर रोड गैंग द्वारा मरम्मत का काम कराया है। अक्टूबर 68 से 31 मार्च 69 तक किसी ठेकेदार द्वारा काम नहीं कराया।

(3) जी नहीं।

(4) सड़क निर्माण का ठेका किसी ठेकेदार को नहीं दिया गया। बिना काम किये किसी को भुगतान नहीं किया गया।

(5) पी० डब्ल्यू० ए० पर किसी से काम नहीं कराया गया है। बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट्स पर निम्न ठेकेदारों से माल लिया है:—

(1) रोशनअली
(2) छातूराम
(3) चुन्नीलाल
(4) कुन्दनमल
(5) श्री रहीमुल्ला

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

ग्राम सीतल-जसरासर सड़क पर डामर

369. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के ग्राम सीतल से जसरासर रोड को विभाग ने डामर रोड बनाने का तय कर लिया है ? यदि हां, तो कब तक यह डामर रोड तैयार होगी ?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

Page No 66

सवाई माधोपुर के अस्पताल के निर्माण पर व्यय

370. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिला अस्पताल का निर्माण अब तक कितना हो चुका है ?

(2) इस अस्पताल के निर्माण में सरकार कुल कितना रुपया व्यय करेगी ?

(3) यह अस्पताल कब तक पूर्ण निर्माण होकर चिकित्सा विभाग के सुपुर्द कर दिया जावेगा ।

उत्तर

(1) दासा लेविल तक कार्य पूर्ण हुआ है दीवारों का कार्य प्रगति पर है ।

(2) 4,01,750) रु० व्यय का अनुमान है ।

(3) इस वर्ष 2 लाख 50 हजार रुपया का बजट प्रावधान है । ज्योंही धन राशि प्राप्त होगी, कार्य कराया जाना संभव होगा । अतः चिकित्सा विभाग को भवन कब तक सुपुर्द किया जायगा निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

डूंगरपुर जिले के लिए रोड रोलर्स

371. श्री महेन्द्र कुमार (पाडवा सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) डूंगरपुर जिले के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कितने रोड रोलर्स एलाट कर रखे हैं व उनमें से कितने वहां कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि रोड रोलरों की कमी के कारण इस आदिवासी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो डूंगरपुर जिले में दोवड़ा से फलौज, गणेशपुर, आसपुर रोड के बनने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

(1) अब तक 10 काम कर रहे हैं ।

(2) जी नहीं । स्वीकृति केवल पुलिया के कार्यों की दी गई है अत: रोड वर्क नहीं कराया गया है ।

रायसिंहनगर-अनूपगढ़ सड़क का कार्य

372. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रायसिंहनगर-अनूपगढ़ सड़क का कार्य कब शुरू हुआ और आज तक कितने किलोमीटर सड़क तैयार हो गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर अनूपगढ़ के पास घग्घर बाढ़ के पानी से भारी गहरे गढ्ढे बने हुए हैं ? यदि हां, तो घग्घर बाढ़ के पानी से सड़क को बचाने के लिये सड़क पर पुल क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं ? यदि पुल बनाये जावेंगे तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(3) क्या यह सड़क पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा के लिये उपयोग में आती है ? यदि हां, तो इसका कार्य पूर्ण क्यों नहीं किया जाता ?

(4) क्या यह सही है कि इस सड़क का निर्माण कार्य सन् 1962 से चल रहा है यदि हां, तो क्यों ? कार्य कब शुरू हुआ इसको पूर्ण करने की कितनी अवधि थी और कब तक सड़क का कार्य पूर्ण हो जायेगा ? इस पर कुल कितना धन खर्च हो चुका, कुल कितना खर्च इस सड़क पर लगेगा व ठेकेदार कौन-कौन काम कर रहे हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) इस सड़क का कार्य 62 में शुरू किया गया था। 22 मील 4 फर्लांग का काम पूरा हुआ है।

(2) जी हां। सर्वे हो चुका है तखमीने तैयार कराये जा रहे हैं। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

(3) जी हां। कार्य प्रगति पर है।

(4) जी हां ज्यों 2 धन राशि प्राप्त हो रही है कार्य किया जा रहा है। कार्य 62 से आरंभ हुआ है। कार्य 17-6-67 तक समाप्त होने को था। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता। 2283993) रु० जुलाई 69 तक खर्च हो चुका है लगभग $1\frac{1}{2}$ लाख रुपया शेष कार्य करने पर खर्च होगा। ठेकेदार जिनका कार्य प्रगति पर है उनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

रानीवाड़ा-सांचोर सड़क पर मजदूरों को पीने के पानी की व्यवस्था

373. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि अकाल सहायतार्थ जो रानीवाड़ा से सांचोर सड़क बन रही है उस पर मजदूरों को पानी पिलाने हेतु ऊंटों की पखालें रखी गई थीं ? यदि हां तो कितने दिन तक ऊंट वालों ने पानी पिलाया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस रूट पर ऊंटों को हटाकर सरकार ने किराये पर ट्रेक्टर लगाया था ? यदि हां, तो वह ट्रेक्टर किसका था व उसे क्या भुगतान किया ? क्या इसके सम्बन्ध में टेण्डर मांगे गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उस ट्रेक्टर के द्वारा जानवरों के पीने लायक गन्दा पानी लोगों को सड़क पर पिलाया गया व उसकी शिकायत सरकार के पास आई ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

Page No 68

मेड़ता अस्पताल में नये वार्ड एवं प्रसूति गृह का निर्माण

374. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता सिटी होस्पिटल में जो नया वार्ड एवं प्रसूति गृह का निर्माण जनता द्वारा कराया गया है, को 2-3 साल की अवधि बीत जाने पर भी अभी तक विभाग ने बिल्डिंग हेण्ड ओवर नहीं की है ?

(2) क्या बिल्डिंग हेण्ड ओवर हुए बिना बिल्डिंग की रिपेयर व पुताई भी नहीं हो सकती जो कि सफाई की दृष्टि से आवश्यक है ?

(3) क्या राज्य सरकार शीघ्र ही इसे हेण्ड ओवर करने का इरादा रखती है ?

(स्थगित किया गया)

पटवारी के साथ छुआछूत का मामला

375. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि सूरतगढ़ राजस्थान नहर पटवारी प्रेमकुमार से छुआछूत करने के विषय में तहसीलदार के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा हुआ और राज्य सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाया है ?

(स्थगित किया गया)

वृद्धावस्था पेन्शन

376. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार ने पिछले दो सालों में जिला वाईज कुल कितने परिवारों को कितनी राशि वृद्धावस्था के कारण पेन्शन के रूप में दी है ?

(2) कुल कितनी धनराशि आज तक पेन्शन के रूप में दी गई है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में कितने परिवारों को वृद्धावस्था पेन्शन दी गई है उनकी संख्या तथा जिलेवार खर्च की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1968-69 तक वृद्धावस्था पेन्शन पर कुल 31,58,248 रुपये खर्च हुआ है जिसका वर्ष वार ब्यौरा उपरोक्त सूची में संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

समाज कल्याण अधिकारी नागौर द्वारा ग्रामों का दौरा

377. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी नागौर ने इस वर्ष

(समाज कल्याण मंत्री)

तहसील लाडनूं के किन्हीं गांवों का दौरा किया था ? यदि हां, तो किस किस गांम का कब कब किस किस कार्य हेतु दौरा किया ? मय दौरे के पूर्व निश्चित कार्यक्रम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त दौरे के समय समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही किन किन प्रवृत्तियों का किस किस गांव में निरीक्षण किया और निरीक्षण के समय क्या क्या त्रुटियां, अच्छाइयाँ पायी गयीं।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

12–8–69

आवास विहीन नागरिकों की समस्या

4. **श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़):** क्या गृह निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) राजस्थान के कितने निवासी आवास विहीन हैं जिनके पास न रहने के लिए भूमि है और न मकान हैं ? जिलेवार शहरी और देहाती क्षेत्रों की अलग अलग संख्या दी जाय।

(2) आवास समस्या के समाधान के लिए क्या योजना है ?

(3) अब तक इस संबंध में क्या किया गया है ?

(4) आवास विहीन नागरिकों को आवास सुविधा देने के सम्बन्ध में राज्य की क्या नीति व कार्यक्रम है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

13–8–69

छीपाबड़ौद व छबड़ा तहसील की कृषि योग्य भूमि

38. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटा जिले की छीपाबड़ौद व छबड़ा तहसील में एक जुलाई, 1969 के बाद कितनी कृषि योग्य भूमि एलाटमेन्ट के लिये रह गई है ? दोनों तहसीलों के पटवार सर्किल में जो भूमि काबिल एलाटमेन्ट शेष बची है उनके नम्बरान की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

13–8–69

गंगानगर जिले में कब्जा काश्त भूमि के खातेदारी हकूक

39. **श्री हंसराज आर्य (मादरा):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गंगानगर जिले के उन सभी बारानी गांवों में रहने वाले खिदमतगार-नाई-कोतवाल और बेगारियों को उनकी

Page No 70

(श्री हंसराज आर्य)

कुल कब्जा काश्त भूमि पर जो कि 1955 से पहले कब्जा काश्त की खातेदारी हकूक दे दिये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो कुल कितने खिदमतगारों को, हकूक खातेदारी दिये गये हैं ? नोहर व भादरा तहसीलों की गांव वार सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(3) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का विचार रखती है कि भविष्य में उनसे किसी भी प्रकार की बेगार नहीं ली जायेगी और उनकी भूमि का लगान वसूल करना शुरू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) गंगानगर जिले के बारानी क्षेत्र में रहने वाले खिदमतगार, नाई, कोतवाल और बेगारियों को खातेदारी हकूक देने हेतु राज्य सरकार ने आवश्यक आदेश प्रसारित कर दिये हैं; आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है; उक्त आदेश के पालन में जिलाधीश, गंगानगर ने भी खातेदारी हकूक देने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करने के लिये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसकी प्रतिलिपि भी संलग्न है ।

(2) खातेदारी हकूक दिये जाने की कार्यवाही जिलाधीश द्वारा की जा रही है ।

(3) राज्य सरकार ने इन खिदमतगारों को अब खातेदारी हकूक देने के आदेश प्रसारित कर दिये हैं तो बेगार लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । खातेदारी हकूक दिये जाने पर नियमानुसार लगान वसूल किया जावेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

13–8–69

दी रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इन्डेटेडनैस एक्ट

44. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दी रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इन्डेटेडनैस एक्ट के अन्तर्गत कितने मामले सुलझाये गए और कितने परिवारों को लाभ हुआ ? यह कानून कब से लागू है ?

(2) राजस्थान में कुल कितने ऐसे कर्जदार हैं जो उपरोक्त कानून के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं ?

(3) इस कानून से लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें इसके लिये राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

(4) क्या इस कानून के अन्तर्गत बनने वाले नियम बन चुके हैं ? यदि हां, तो कब, उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(स्तगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(13-8 69)

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत द ै मामले

50. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

राजस्थान में अस्पृश्यता(अपराध) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कितने मुकद्दमे पुलिस में दर्ज किये गये, कितने मुकद्दमे न्यायालयों में चालान किये गये, कितनों में सजा दी गई, कितनों में मुलजिम छोड़ दिये गये, कितनों में समझौते किये गये और कितने अनिर्णीत है ? उनकी सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्थान में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के अन्तर्गत 424 मुकद्दमे पुलिस में दर्ज किये गये हैं। जिनमें से 346 मुकद्दमे न्यायालय में चालान किये जा चुके हैं। चालान किये गये अभियोग में 71 व्यक्तियों को सजा दी गई और 69 मुकद्दमों में मुलजिमान छोड़े गये, 161 मुकद्दमों में समझौते हुए और 45 मुकद्दमे न्यायालय में विचाराधीन, हैं 73 अभियोग में फाइनल रिपोर्ट दी गई व 5 अभियोग पुलिस में विचाराधीन हैं।

स्थगित प्रश्न

(13-8-69)

कोटा जिले के अन्तर्गत थानों में दर्ज बलात्कार के मामले

52. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (बबड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1 जनवरी सन् 68 से 31 जुलाई,69 तक कोटा जिले के अन्तर्गत आने वाले थानों में कितने कितने बलात्कार के केसेज दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

दिनांक 1 जनवरी सन् 68 से 31 जुलाई सन् 69 तक मण्डल कोटा में कुल 40 बलात्कार के अभियोग पंजीबद्ध हुये। वांच्छित सूची संलग्न हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(13-8-69)

अपराधों के मामले

58. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में अप्रेल, 1967 से लेकर अब तक कुल कितनी डकैतियां, चोरियां, आत्म-हत्यायें एवं हत्याओं के मामले किस किस तारीख को हुए ? सूची सदन की मेज पर जिला वाइज रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में कई राजनैतिक कार्यकर्ताओं

(श्री देवीदत्त गाडिया)

की हत्यायें भी हुई हैं ? यदि हां, तो किस किस जिले में किस किस पार्टी के किस कार्यकर्ता की किन किन कारणों को लेकर हत्या हुई और उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में एवं पुलिस की हिरासत में गिरफ्तार अपराधियों की हत्यायें एवं आत्महत्या की घटनायें हुई हैं ? यदि हां, तो किस किस जिले में किस किस स्थान पर ऐसी घटनायें हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार ने भिन्न भिन्न स्थानों पर घटित डकैती, चोरी, हत्या एवं आत्म हत्याओं की जांच करवाई है ? यदि हां, तो जांच के आधार पर क्या क्या कारण थे और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

1. 1-4-67 से 31-7-69 तक की डकैतियों, चोरियों व हत्याओं की जिलेवार सूची संलग्न है। तारीखवार सूची समयाभाव के कारण तैयार नहीं हो सकी हैं।

2. हत्या किये गये व्यक्तियों में राजनैतिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। जिलेवार सूची शामिल है।

3. जी हां। सूची संलग्न है।

4. डकैती, चोरी, हत्याओं के अपराधों में पुलिस द्वारा तफतीश की गई है। प्रत्येक केस का नतीजा तफतीश देना संभव नहीं है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(13-8-69)

जयपुर नगर की आवास समस्या के समाधान के लिए अवाप्त भूमि

61. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर की बढ़ती हुई आवास की समस्या के समाधान हेतु कुल कितनी कृषि एवं आबादी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही नगर सुधार न्यास के कार्यालय में चल रही है ? अलग अलग भूमियों का क्षेत्रफल, उनके मालिकों के नाम मय पूर्ण पतों तथा भूमि का स्थान अवाप्ति के लिये जारी किये गये नोटिस की तारीख और इस समय कार्यवाही किस स्तर पर है इसका पूर्ण विवरण देते हुए सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नगर सुधार न्यास के गठन से लेकर अब तक कौन कौनसी ऐसी भूमियां हैं जिनकी अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी और बाद में समाप्त कर दी गई ? उन सभी भूमियों का क्षेत्रफल, उनका पता, उनके मालिक के नाम मय पूर्ण विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, जिसमें अवाप्ति की कार्यवाही समाप्त किये जाने के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कारणों तथा अवाप्ति के नोटिस की तारीख और उसको समाप्त करने की तारीख का भी उल्लेख हो।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(13-8-69)

नगरपालिका अध्यक्ष चूरू द्वारा बेची गई जमीन

64. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कलेक्टर चूरू को भू. पू. अध्यक्ष, श्री जीवराज डागा द्वारा बेची गई जमीनों को अवैध मानते हुए कब्जा हटाने के लिए दीवानी दावे प्रस्तुत करने की आज्ञा संख्या 951 (53) एल. एस. जी. 9/50/34257, दिनांक 6-7-67 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भेजी थी ?

(2) क्या यह सही है कि कलेक्टर चूरू ने आज तक एक भी दावा प्रस्तुत नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या आदेश की अवहेलना करने के सम्बन्ध में सरकार सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है और क्या सरकार अब अपने आदेश पर अमल करायेगी ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

1. पत्र दिनांक 6-7-66 को भेजा गया था।

2. जी हां कार्यवाही की जा रही है।

3. जी नहीं।

जी हां। कार्यवाही जल्दी हो जावेगी।

(12.30 म.प.)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष:—सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री विद्युत मंत्री।

श्री खेतसिंह (उप मंत्री, विद्युत): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण (संशोधित अनुमान एवं आय व्ययक अनुमान) 1969-70 तथा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन 1968-69 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (सभापति, प्राक्कलन समिति) : मैं पर्यटन विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति, 1968/69 के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गौरी पूनियां।

श्रीमती गौरी पूनियां (सभापति आश्वासन समिति) : सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के दूसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री प्रेमसिंह।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम अकलेरा में विद्युत सप्लाई की नियमित व्यवस्था व कृषि एवं उद्योग हेतु बिजली देने से सम्बन्धित या प्रस्तुत ल्तीओं द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : जागीर पेन्शनरों को भी सरकारी पेन्शनरों को दिया गया लाभ दिलाने से सम्बन्धित प्रार्थियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कस्बा मण्डावा जिला झूंझुनूं से मुकन्दगढ़-डूंडलोद रेल्वे स्टेशन जाने वाली बसों का समय जनता की सुविधानुसार किये जाने से सम्बन्धित प्रार्थियों की हस्ताक्षरित याचिका का मैं उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण तानीवाल।

श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग सु०) : अध्यक्ष महोदय, मनोहर थाना एवं डग कस्बे कि विद्युतीकरण से सम्बन्धित प्रार्थियों की हस्ताक्षरित याचिका का मैं उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम रावत।

(अनुपस्थित)

श्री झुझारसिंह।

(अनुपस्थित)

वित्तीय समितियों के चुनाव की सूचना

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जनलेखा समिति 69/70, प्राक्कलन समिति 69/70, राजकीय उपक्रम समिति 69/70 के चुनावों के हेतु निम्नलिखित उम्मीदवारों के नामजदगी के पर्चे पेश किये गये हैं।

जनलेखा समिति

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
,, चुन्नीलाल
,, फूलचन्द बाफना
,, हरजीराम बुरड़क
,, चुन्नीलाल इन्दलिया
,, रामचन्द्र आर्य
,, दौलतराम सारण
,, देवीलाल बुरासिया
,, रूपसिंह
,, कृष्णकुमार गोयल
,, हंसराज आर्य
,, बलवीरसिंह
,, सहदेव शर्मा
,, गोकुलचन्द
,, रघुनाथ विश्नोई
,, पुखराज कालानी
,, किशनलाल शर्मा
,, रामसिंह कुडी
,, शिवनाथसिंह

(कुल 19)

प्राक्कलन समिति

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
,, नाथूलाल
,, किशनलाल शाह
,, नाथूलाल करील
,, कन्हैयालाल
,, जुझारसिंह
,, हरजीराम बुरडक
,, रामचन्द्र आर्य
,, चुन्नीलाल इन्दलिया
,, देवीलाल बुरासिया
,, केशरीसिंह हाड़ा
,, देवीदत्त गाड़िया
,, जवाहरमल
,, चुन्नीलाल इन्दलिया
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
श्री कालूराम आर्य
,, दीपचन्द छंगाणी
,, नाथूराम
,, मजलिस खां
,, मोहनलाल मोदी
,, रामकुमार नन्दवाना
,, महेन्द्रकुमार
,, सांवरमल बासोतिया

टोटल (23)

राजकीय उपक्रम समिति

श्री नत्थीसिंह
,, विजयसिंह मकराना
श्री सुआलाल चौधरी
,, हरजीराम बुरडक
,, रामचन्द्र आर्य
,, रामानन्द अग्रवाल
,, चुन्नीलाल इन्दलिया
,, दौलतराम सारण
,, भैरूसिंह शेखावत
,, बीरबल
,, देवेन्द्रकुमार
,, गोकुलप्रसाद
,, शीशराम
,, शंकरलाल
,, रोशनलाल शर्मा
,, वृद्धिचन्द्र जैन

कुल (17)

जो माननीय सदस्य अपने नाम वापस लेना चाहें वे सदन में वक्तव्य द्वारा जिसमें केवल एक तथ्य को ही व्यक्त किया जाना चाहिए, सायंकाल पांच बजे तक वापिस ले सकते हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(स्थगन प्रस्तावों पर माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि कल दिनांक 19 अगस्त 1969 को राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों एवं पुलिस के बीच हुए संघर्ष के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री भैरूसिंह श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री श्रवणलाल,

(श्री अध्यक्ष)

श्री देवीदत्त गाडिया व श्री दुर्गालाल बाढ़दार ने स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय गृहमंत्री जी व शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि स्थिति को स्पष्ट करते हुए वे कल दिनांक 21 अगस्त, 1969 को वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री रामकुमार नन्दवाना, सदस्य विधान सभा ने 15 अगस्त के पर्व पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर कपासन गांव के कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा राष्ट्र ध्वज का अपमान करने तथा उस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर मैं इस सम्बन्ध में निर्णय लेकर यथाशीघ्र माननीय सदस्यों को सूचित कर दूंगा।

इसके अलावा निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं और प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) श्री रामचन्द्र आर्य ने तहसील नोहर में अभीतक पूर्ण रूप से वर्षा न होने तथा चल रहे राहत कार्यों के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) उसी विषय से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीलाल बुरासिया, सदस्य विधान सभा से भी प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने यह बतलाया है कि पंचायत समिति केकड़ी के ग्राम सलारी के अकाल राहत कार्यों के मजदूरों को 3 माह से मजदूरी नहीं मिलने से असन्तोष है। अकाल की स्थिति की चर्चा के दौरान इन मामलों को सदन में उठाया जा सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने जयपुर स्थित स्टेनले लेबोरेटरी द्वारा निर्मित इंजेक्शन बाइकोसिज के डिफेक्टिव होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। उन्होंने जो इंजेक्शन ट्यूब प्रस्तुत किया है वह स्वास्थ्य मन्त्रीजी को भेज कर उसकी जांच करवा ली जायगी। तदनन्तर मैं इसकी जानकारी सदन में दे दूंगा।

(4) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर में राज्य सरकार द्वारा गोचर भूमि को नियमित तरीके से अलाट न किये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

(5) श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य, विधान सभा ने ग्राम हरियाडाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में दिनांक 17 जुलाई, 1969 को मूसलाधार वर्षा के कारण एक व्यक्ति के कुए के अकस्मात् ढह जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामसिंह कुडी, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें डेगाना तहसील व जायल तहसील में पिछले कुछ दिनों

(श्री अध्यक्ष)

से खेतों में पड़ी फसल को पशुपालकों द्वारा अपने जानवरों से नष्ट कराने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है ।

(7) श्री केशरीसिंह हाडा, विधान सभा सदस्य ने राजस्थान में गत 10, 15 वर्षों में जंगलों को तेजी से काटे जाने तथा उनका पुन: विकास न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

उपरोक्त मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर आज इन पर विचार किया जाय । अत: मैं इन सभी स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

इनके अतिरिक्त कुछ स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है । ये स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार हैं ?

(1) श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य विधान सभा द्वारा ग्राम दिलवाड़ी, तहसील श्री नगर जिला अजमेर में सवर्णों द्वारा एक हरिजन की हत्या के सम्बन्ध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकार से यह जानकारी मिली है कि इस मामले की रिपोर्ट जिसमें दर्ज की गई थी और 302 ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत इस मामले की तफतीश हो रही है। इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है ।

(2) श्री जयनारायण सालोदिया द्वारा एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी गई थी जिसका सम्बन्ध टोंक शहर में स्थित नीलकण्ठ महादेव के मन्दिर से टीन की चद्दरों को चुराये जाने से उत्पन्न स्थिति से है । इस मामले में यह बताया गया है कि इससे सम्बन्धित आन्दोलन समाप्त हो गया है और अब टोंक में शान्ति है तथा विवाद ग्रस्त भूमि पर फरिकेन अपना हक अदालत में साबित कर सकते हैं ।

(3) श्री रामचन्द आर्य सदस्य विधान सभा द्वारा सूरतगढ गंगानगर डिफेन्स रोड़ पर ठेकेदार द्वारा कच्चा माल लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य स्पेसीफिकेशन के मुताबिक हुआ है ।

(4) श्री देवीदत्त गाड़िया ने उदयपुर क्षेत्र के सिंचाई विभाग के ठेकेदार द्वारा मजदूरों को मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार भुगतान नहीं करने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । इस मामले में यह बताया गया है कि विभाग का एग्रीमेंट केवल ठेकेदार से हुआ था जिसका मजदूरों से कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि मजदूरों को वास्तव में ठेकेदार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दरों से कम भुगतान किया है तो मजदूर यूनियन अपनी न्यायोचित मांग के लिये श्रम विभाग से सम्पर्क स्थापित कर सकती हैं ।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचना देना चाहता हूं कि राज्य के इन्जीनियरिंग उद्योग में हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना

(श्री अध्यक्ष)

श्री केदार नाथ, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री भैरोंसिंह व श्री कृष्ण कुमार गोयल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी। इस बारे में राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे यह ज्ञात होता है कि 58 प्रतिशत श्रमिक हड़ताल पर हैं तथा सरकार द्वारा समझौते के सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सदन में 16 अगस्त, 1969 को इस विषय में कुछ जानकारी दी गई थी। मैं जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए माननीय श्रम मंत्रीजी स्थिति को स्पष्ट करते हुए दिनांक 22 अगस्त, 1969 को एक वक्तव्य देने की कृपा करें।

मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

पुलिस चौकी नौगांवा जिला अलवर में एक व्यक्ति की तथाकथित हत्या के सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी एक वक्तव्य देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में और ठेकेदार गोरधन के सम्बन्ध में जो निर्णय दिया, उस सम्बन्ध में तो और उस निर्णय को तो मैं शिरोधार्य करता हूं·····

श्री अध्यक्ष : आप शिरोधार्य करते तो आगे प्रश्न कहां उठता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त ठेकेदार को चार लाख का पेमेन्ट करने का आदेश हुआ है। उस ठेकेदार ने यह क्लेम किया कि सन् 55 के पुराने ठेके के 55 से 59 तक·······

श्री अध्यक्ष : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

(माननीय श्री देवीदत्त गाड़िया बराबर बोलते रहे)

आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था हो जाने के बाद यह यहां की परम्परा रही है कि जो प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है उस पर विवाद नहीं होता और यह परम्परा बराबर चलती रही है। इस सत्र में कुछ इधर-उधर हुई है। ऐसा कोई प्रश्न जिस पर क्लेरिफिकेशन आवश्यक हो उधर मैं स्वयं सोच लेता हूं लेकिन हर स्थगन प्रस्ताव के अस्वीकार होने पर आप वाद-विवाद करें और प्रति दिन घंटा डेढ घंटा इसमें लिया करें यह उचित नहीं है। आप हर स्थगन पर जो अस्वीकार होता है कुछ न कुछ फरमाते हैं और मैं भी विवश होकर सुन लेता हूं। जो अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जिसमें सदन के सब सदस्य रुचि रखते हैं उनको आने दीजिए। इस पर बोलने का विषय नहीं है। मुझे यह न कहना पड़े कि अंकित न किया जाय यह भी ठीक नहीं। सदन मुझे इसमें सहयोग देगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह जो व्यवस्था दी है अध्यक्ष महोदय मजदूरों की कि वह ठेकेदार से क्लेम करें। ठेकेदार ने मजदूरों को पेमेन्ट करने के नाम पर कि मिनिमम वेजेज एक्ट के आधार पर 1–50 पैसे देने के बजाय 2–31 पैसे देने पड़ते हैं

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

और उसी आधार पर क्लेम किया है। सरकार ने भी यह माना है कि मजदूरों को मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत 2.31 पैसे दिये जायं और इसी कारण 3-4 लाख की स्वीकृति दी है। मेरा इतना सा निवेदन है कि वह चार लाख मजदूरों को मिलने चाहिए। ठेकेदार ने मजदूरों को देने के लिए क्लेम किया है और सरकार ने उसको स्वीकार किया है। सरकार तब तक नहीं दे जब तक वह ठेकेदार मजदूरों की लिस्ट नहीं दे दे और उनको पेमेन्ट नहीं करा दे........

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार का जो चार लाख का पेमेन्ट होने वाला है वह न हो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। राज्य सरकार संकेत ले।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने मजदूरों के भुगतान के सम्बन्ध में यह कहा कि मजदूर संगठन के मारफत-श्रम विभाग के या किसी विभाग के द्वारा ले। मैं जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं सरकार ने जो उत्तर दिया वह सही और वास्तविकता से परे है। इस ठेकेदार के सम्बन्ध में विधान सभा में पहले भी प्रश्न आया था और मुझे याद है उसने इस प्रकार का क्लेम किया पैमेन्ट नहीं किया जाय। उस समय यह कहा था पेमेन्ट किया जाय तो मजदूरों को किया जाय और आज सरकार यह कहती है कि मजदूर संगठन के मारफत करें। यह उचित नहीं है। आप जरा देख लें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। डिफेन्स रोड का कार्य सन्तोषजनक नहीं चल रहा है....

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सदन का बड़ा अपमान है। कोई भी मिनिस्टर सदन में नहीं बैठा है...

(माननीय उप मंत्री महोदय ने अपनी ओर स्वयं ने इशारा किया)

आप मिनिस्टर बने बैठे रहें अपने घर लेकिन आगे की सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। क्या एक भी मिनिस्टर नहीं है। वे अपने कमरों में बैठे रहें, चाय पीते रहें, बातें करते रहें यह सदन का बहुत बड़ा अपमान है, हमारा भी अपमान है। आपने पहले भी चेतावनी दी थी। आपकी चेतावनी की यह अवहेलना है। सदन के डैकोरम की कोई व्यवस्था नहीं है....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : ....वे व्यस्त हैं आज।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : ऐसा है अध्यक्ष महोदय दो चार को प्रमोशन दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी।

श्री नत्थीसिंह : अब व्यासजी कुछ सुन आये तब आये हैं।

श्री भैरोंसिंह : हम भी नहीं बैठें, अध्यक्ष महोदय तब तो यह सदन चल लिया…

श्री अध्यक्ष : दो मंत्री जो आ गये हैं और भी आ रहे हैं।

आर्डर, आर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह चाहता हूं….

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : बड़े गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। डिफेन्स रोड में तीन नम्बर की ईटें लगाई जा रही है। फूलचन्द जो पी० सी० सी० के मेम्बर हैं वह सब पैसा खा रहे हैं। इस सड़क का निर्माण पाकिस्तान से कोई सांठ गांठ करके किया जा रहा है….

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : डिफेन्स रोड, अध्यक्ष महोदय….

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह मामला बड़ा गम्भीर है। इस बात को दबाने नहीं देंगे सीमा से लगने वाली सुरक्षा रोड है उस पर घटिया माल लगाया जाय और कहते हैं नियमानुसार उसका कार्य चल रहा है–अगर यह बात हो तो मैं त्याग पत्र दे सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसकी एन्क्वायरी कराई जाय। गलत काम कराया गया है, इसका आश्वासन चाहता हूं इस तरफ (XXXX) सार्वजनिक निर्माण मंत्री….

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

(माननीय रामचन्द्र बराबर बोलते रहे, अश्रव्य)

एक्सपंज किया जाय।

(पुनः श्री आर्य बोलते ही रहे अश्रव्य)

आर्डर, आर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस प्रकार के घोटाले हों–सीमा सड़क पर–देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है….

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी व्यवस्था दे देता हूं। मंत्रीजी माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की। आपने स्पेसिफिक कारण बताये हैं। काम सही नहीं हो रहा है। जो चिन्ता व्यक्त की गई है उसके संबंध में जानकारी करलें कि दरअसल ये ईंटें गलत लग रही हैं। यह ठेके का मामला है इसलिये सतर्कता से कुछ सम्भल कर जानकारी कर ली जाय।

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्य-विवरण से हटाये गये।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं....

श्री अध्यक्ष : अब मैं इजाजत नहीं देता।

श्री रामचन्द्र आर्य : बहुत ही घटिया किस्म का माल लगाया जा रहा है। मैं खुद जाकर देखकर आया हूं। ठेकेदार निकम्मी ईंटें लगा रहा है जो सबसे खराब किस्म की ईंटें हैं वह सीमा पर लग रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : गलत काम हुआ है....।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, माननीय सदस्य के साथ सम्पर्क साधकर बात कर लें और जो गलत काम है उसकी जांच कर लें।

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा (उप मंत्री सार्वजनिक निर्माण) : माननीय सदस्य जो जानकारी देंगे, उसको मैं देख लूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : जानकारी सदन को दे दी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। गृह मंत्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जयनारायण, श्री गंगासहाय व श्री लाभचन्द वैद द्वारा गत माह जिला अलवर में नौगांवा चौकी पर श्री सम्मन चमार, साकिन समन का बास के साथ पुलिस द्वारा बेरहमी से मारपीट करने जिससे उसकी मृत्यु हो गई का उल्लेख करते हुये स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया। इस विषय में जानकारी प्राप्त की गई तो स्थिति निम्न प्रकार पाई जाती है :—

कि श्री सम्मन चमार को चौकी नौगांवा जिला अलवर पर थाना रामगढ़ के हलके में सरका मवेशी के एक केस की तफतीश के सिलसिले में दिनांक 8–7–69 को बुलाया गया था। थानेदार रामगढ़ भी उस दिन वहां मौजूद थे। श्री सम्मन के साथ उसके लड़के नन्दराम व मनोहर को भी बुलाया गया था।

पूछताछ के सिलसिले में ये लोग थाने पर ठहरे हुये थे कि रात को लगभग दस बजे सम्मन बाहर गया, कुछ देर बाद नन्दराम ने यह इत्तला दी कि वह उसके पिता सम्मन को कुछ समय पूर्व निबटने ले गया था कि वह अन्धेरे में कुवे की तरफ चला गया।

कुए के डौली नहीं थी, उसे कम दिखता था इसलिये पांव फिसलकर इत्तफाक से कुए में गिर गया है। कुए में गिरने का धमाका हुआ तो उसने देखा कि वह कुए में गिर गया है। पुलिस द्वारा रोजनामचे में रपट डाली गई और एस० एच० ओ० मय हैड कान्सटेबल व अन्य कान्सटेबलान कुए पर फौरन ही पहुंचे। मर्दमानदेह की मदद से काफी कोशिश के बाद लाश को बाहर निकाला गया व पंचायतनामा लाश तैयार किया।

मृतक के रिश्तेदारान ने पहले पोस्टमार्टम कराने से पूर्व उनके आदमियों के आने की

(श्री हीरालाल देवपुरा)

प्रतीक्षा करने की मांग की थी किन्तु बाद में वे राजी हो गए। नन्दराम द्वारा दिनांक 10–7–69 को पी० एम० ओ० अलवर को यह दरख्वास्त दी गई कि उसे डाक्टर एम० एल० भार्गव जूरिस्ट में विश्वास नहीं है इसलिए पोस्टमार्टम किसी निष्पक्ष डाक्टर द्वारा कराने की व्यवस्था की जावे। पी० एम० ओ० ने 3 डाक्टरों का बोर्ड इस कार्य के लिए नियुक्त किया। इस बोर्ड ने दिनांक 10–7–69 को प्रातः पोस्टमार्टम किया और मृत्यु का कारण एस्फीरिया बताया गया और जिस्म पर और कोई चोट नहीं होना स्पष्ट जाहिर किया गया।

पुलिस द्वारा दफा 174 जा० फौ० की कार्यवाही की जा रही थी कि दिनांक 9–7–69 को शाम को श्री नन्दराम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर को यह रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 8–7–69 को उसे, उसके भाई व पिता को पुलिस द्वारा बुलाया गया था और रामगढ़ के थानेदार सूबेसिंह ने बेरहमी के साथ डण्डों व चप्पलों से मारा और उन्हें अलग अलग खम्बों से बांध दिया गया। उसके पिता की मृत्यु भी मार पीट के कारण हो गई। मर जाने पर मृतक की लाश को कुए में डाल दिया गया। यह शिकायत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने थाने पर भेजी व पुलिस अधीक्षक के नोटिस में भी मामला लाया गया। इसी आशय का एक इस्तगासा भी नन्दराम ने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट अलवर की अदालत में दर्ज कराया जो जेर तहकीकात है अतः यह प्रकरण सबजुडिस है।

इस घटना के बारे में श्री नन्दराम द्वारा तशद्दुद पुलिस की शिकायत की गई है अतः इस पूरे मामले की जांच अतिरिक्त जिलाधीश अलवर को तुरंत ही सुपुर्द की गई। अतिरिक्त जिलाधीश की जांच में काफी प्रगति हो चुकी है व इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। पुलिस के खिलाफ लगाये गये आरोपों को देखते हुए दौरान जांच संबंधित पुलिस स्टाफ यानी सब इन्सपेक्टर श्री सूबेसिंह तथा चौकी के हैड कान्सटेबल श्री रघुवीर सिंह व कान्सटेबलान रामेश्वर व छत्रपाल सिंह को सस्पेन्ड किया जा चुका है और अतिरिक्त जिलाधीश की रिपोर्ट प्राप्त होते ही आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय अध्यक्ष महोदय • • •

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, इसमें सीधा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और वह यह है····

श्री लादूराम सुलानियां : ······जो जांच करवाई गयी है वह निष्पक्ष नहीं है। पुलिस के खिलाफ जो मुकदमा बनना चाहिए वह पुलिस का अधिकारी जांच करे यह तो सम्भव नहीं है। सम्मन चमार की मृत्यु पुलिस ने मारपीट कर की है और उसके पश्चात् उसको कुए में डाला गया है। इसके लिए वहां पर पेम्पलेट बंटे हैं। मैं निवेदन कर दूं कि इस प्रकार की निर्मम हत्या की जाये और उसकी जांच पुलिस से ही कराई जाये यह सत्य नहीं पाई जा सकती है। इसकी जांच के लिए आप माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि वह निर्दोष हैं और

(श्री लादूराम सुलानियां)

कुए में वह आदमी आटोमेटिक गिर गया है और इससे मौत हुई है तो फिर विधान सभा के सदस्यों की समिति बनाई जाये और उनसे इसकी जांच कराई जाये। पुलिस के लोग कभी पुलिस के खिलाफ जांच नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो जनता में हुआ है वह मैं आपके सामने निवेदन कर दूं वह इस पेम्पलेट में है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पेम्पलेट को रहने दीजिए।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं पढ़कर सुना रहा हूं जो असलियत है वह इस पेम्प-लेट में है और जो वाकयात हुए हैं वह इसमें ओरीजिनल हैं।...

श्री अध्यक्ष : ओरीजिनल इसमें नहीं है। ओरीजिनल तो बयान में होते हैं। वारिसों ने कहा है।

श्री लादूराम सुलानियां : इसकी जांच होना बहुत जरूरी है....

श्री अध्यक्ष : यहां तक ठीक हैं आप।

श्री मदनसिंह : इसमें एक सन्देह है मंत्री महोदय ...

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य से सन्तोष नहीं हो सकता। अगर जांच करवानी है और पुलिस के कान्सटेबल मारें और उसकी जांच डी० एस० पी० या एस० पी० करें जो यह जांच न्यायोचित नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण कीजिए।

श्री मदनसिंह दांता : इसमें जो पाइन्ट है और आपने कहा है कि जांच डाक्टर से कराई गई उसके पहले मंत्री महोदय ने कहा कि वह अन्धा था या कम सूझता था तो क्या यह डाक्टर की रिपोर्ट में है कि कम सूझता था। और वाकई में वह अंधा था और कम सूझता था तो अध्यक्ष महोदय जिसको सूझता नहीं और पुलिस की कस्टेडी में है तो सिपाही साथ जाया करता है ऐसे आदमी के साथ। अगर पुलिस को मालूम था कि इसको कम सूझता है तो सिपाही साथ जा सकता था और डाक्टर की रिपोर्ट मेन्शन नहीं करती कि पोस्ट मार्टम हुआ तो आखों में कोई डिफेक्ट था इस में संदेह है और इसके पश्चात् कोई चारा नहीं था कि इस ढंग से इस केस को पलटा जाये।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने बताया कि सम्मन चमार कुए में गिर गया तो इसका पता पुलिस को कब लगा - पहले तो इसका जवाब दें। दूसरा प्रश्न है कि यदि उनको पता लगा तो कितने समय बाद लाश को कुए से निकाला गया ? इन दो प्रश्नों का जवाब दिया जावे।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से एक सम्मन चमार पिछड़ी जाति के व्यक्ति की हत्या को प्रदर्शित किया गया है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज कल पुलिस की इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जो हम रोज रोज अखबारों में पढ़ते

(श्री जयनारायण सालोदिया)

हैं - यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है और आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है। आज भी अखबार में यह पढ़ा कि जयपुर जिले में किसी की कत्ल हो गयी ...

श्री अध्यक्ष : इसी पर बोलिये। बाकी अखबार तो लम्बे चौड़े हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं उदाहरण दे रहा हूं कि पुलिस की प्रवृत्ति इस प्रकार की बढ़ती जारही है और यह अच्छा नहीं है।

दूसरी बात गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति, पुलिस के खिलाफ न तो उसको शहादत मिलती है और न कुछ और होता है। एक तरफ गांव है और दूसरी तरफ अनुसूचित जाति का आदमी है और पुलिस ज्यादती करती है और इसी का परिणाम हुआ है। गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट आपको दी गयी या आपने मंगवाई है उसमें सत्यता नहीं है। सत्यता यह है कि पुलिस की कस्टेडी में उसकी मृत्यु हुई है और उसको बाद में कुए में डाला गया है। नहीं तो यह नहीं हो सकता कि पुलिस की कस्टेडी में से छोड़ दिया गया हो और निपटने गया हो और अंधेरे में कुए में गिर गया हो और उसके गिरने की आवाज का धमाका किसी ने सुना भी नहीं और उसको मरने दिया। अध्यक्ष महोदय, धमाका तुरन्त सुना जाता और उसको तुरन्त निकाला जाता तो वह नहीं मर सकता था। लेकिन वक्तव्य में कहा गया कि उसको निकालने की कोशिश की तो मरा हुआ पाया। तो आपके वक्तव्य से साबित होता है कि इसमें गड़बड़ी है। यह निष्पक्ष वक्तव्य नहीं है और असलियत यह है कि उस आदमी की मृत्यु पुलिस की कस्टेडी में हुई है और आपको इसकी ओर अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है वह तथ्यों से परे है और उनको जो सूचना दी है वह गलत है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो मृत्यु हुई है उसके संबंध में जांच की जा रही है। यह बात जरूर है कि कोई ए०डी० एम० जांच कर रहा है और उसको काफी अर्सा हो चुका है। वैसे मैं इसको जरूर मानता हूं कि ए० डी० एम० जो अलवर में हैं वह इन्डिपेन्डेन्ट आदमी जरूर हैं और वह किसी की सिफारिश नहीं मानते हैं लेकिन दिमाग के वह उल्टे जरूर हैं। उनके दिमाग में जंच जाती है तो बिना सोचे समझे कर देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी इन्डिपेन्डेन्ट आदमी से जांच कराई जानी चाहिए और जल्दी करायी जानी चाहिए पब्लिक में इसका काफी एजीटेशन था, पार्टी ने भी किया और लोगों ने भी काफी संघर्ष किया और उसके बाद में जांच हो रही है और गरीब हरिजन की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो जाना बहुत दुख की बात है और इन्डिपेन्डेन्ट आदमी से जांच कराके इस मामले में उचित कार्यवाही करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा, सु.) : अध्यक्ष महोदय, दो बातें बताई जायें एक तो यह कि यह जो कुआ है यह खुला हैं, उसकी क्या पोजीशन है ? वह जमीन मिलाऊ है या ऊंचा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय

श्री डूंगाराम राजोरिया : पुलिस के थाने से कितना दूर था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में जो फैक्ट्स अभी तक पुलिस के सामने लाए गए थे उसको लेकर वक्तव्य में स्पष्ट बातें बताई हैं। माननीय जयनारायणजी सालोदिया ने जो कुछ कहा उसके लिए मैंने कभी यह नहीं कहा है कि पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई है, बल्कि मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट बताया है कि चूंकि कुए में गिरने की घटना हुई है उसकी जानकारी उसके पुत्र नन्दराम ने पुलिस को इस प्रकार की दी है। नन्दराम ने जो कुछ पुलिस को कहा है वह मैंने बताया है। जो कुछ घटना हुई है उससे यह होता हैं, जो शिकायत पेश की गई है उससे यह होता है। पुलिस अधीक्षक के सामने शिकायत की गई तो तत्काल ही चार पुलिस अधिकारियों को जो कि इस तफतीश में शामिल थे एक सब-इन्सपेक्टर, एक हैड कान्स्टेबल, और दो कान्स्टेबल, उनको तत्काल सस्पेन्ड किया गया है। जांच के लिए जैसा कि सालोदियाजी ने बताया है कि पुलिस के अधीक्षक को जांच दी गई है वह ठीक नहीं है यह अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा जांच की जा रही है। जांच अलग से की जा रही है।

दूसरी बात, मेडिकल जो पोस्टमार्टम हुआ है वह एक डाक्टर के द्वारा नहीं किया गया। ज्योंही शिकायत की गई तो पी० एम० ओ० ने मेडिकल बोर्ड बिठाया तीन डाक्टरों का और उन्होंने रिपोर्ट दी है, और उसके बारे में किस कारण से बहस हो। मेरे वक्तव्य में स्पष्ट है कि अभी तक नतीजे पर नहीं पहुँचा गया है। इसके सम्बन्ध में आगे एक चीज है कि जांच तत्काल होनी चाहिए तो ए० डी० एम० के द्वारा की जा रही है। मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि जांच करीब करीब समाप्त हो चुकी है और शीघ्र ही रिपोर्ट आने वाली है। दूसरा अधिकारी एपाइंट करके जांच करवाने में लम्बा समय लगेगा, यह माननीय सदस्य मानेंगे। रिपोर्ट के आने के बाद जो कार्यवाही की जानी चाहिए वह अवश्य की जानी चाहिए।

श्री डूंगाराम राजोरिया : पुलिस ने किस केस में उसको तफतीश में बुलाया था।

श्री हीरालाल देवपुरा : वक्तव्य में स्पष्ट कहा था।

श्री अध्यक्ष : पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा में लिफ्ट इरिगेशन...... ।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भावना से स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है उसकी जांच जरूर होनी चाहिए और सदन में जो उत्तर आना चाहिए वह नहीं आया है। लेकिन गृहमन्त्रीजी ने जो उत्तर दिया है वह सन्तोषजनक नहीं है। आपने यह बताया है कि पुलिस अधिकारियों से जांच कराई गई है वह सन्तोषजनक है...

श्री हीरालाल देवपुरा : पुलिस आफिसर का नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : जांच कलेक्टर कर रहा है। निलम्बित कर दिया गया है अधिकारियों को... ।

श्री लादूराम सुलानियां : जांच का सवाल यह है कि एक हरिजन के साथ मार पीट करके उसको मार डाला है और कुए में डाल दिया और उसके बाद पुलिस ने निकाला है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलानियां : इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इसकी न्यायिक जांच करवा लें । न्यायिक जांच के अन्दर यह सिद्ध होना पाया जाता है तो···

श्री अध्यक्ष : ए० डी० एम० जांच कर रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानियां : कौन जांच कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ए० डी० एम० यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं । उसमें न्याय आ जाता है । आर्डर प्लीज । पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा····

श्री लादूराम सुलानियां : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से हरिजनों की हत्याएं की जाती हैं जनता द्वारा उसका तो जिक्र पुलिस करे या नहीं, उसके हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार करे या नहीं, लेकिन जिसको पुलिस ने मारकर डाल दिया उसकी भी जांच नहीं हो तो यह न्याय की बात नहीं है । इसी तरह से पुलिस ने अभी कुछ हरिजनों को जान से मार दिया गया था उसके किसी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं की । इस तरह से क्या न्याय हो सकता है । जनता मारे हरिजनों को उसको पुलिस छोड़ दे और एक को भी गिरफ्तार न करे, उनका मुकद्दमा दर्ज न करे उनका जो खुले आम कत्ल किया गया है, और फिर पुलिस ने मार कर डाल दिया तो कहां जाकर किस से न्याय मांगा जाय ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं सदन से निवेदन करूंगा कि या तो उसकी न्यायिक जांच हो या सदन के पांच सदस्यों की समिति नियुक्त की जाय···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : जिसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय सदन में··

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कुए के लिए मैंने आपसे पूछा था तो कुए की पोजिशन नहीं बताई आपने ।

श्री मदनसिंह : बार बार मंत्री महोदय ने कहा है कि तीन डाक्टरों ने जांच की थी और अपने गिरने का कारण यह बताया था कि इसकी आंखें खराब थीं तो उन तीनों डाक्टरों की तो आंखें खराब नहीं थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आंखों का जिक्र नहीं है । पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नहीं है । आंखों से कम दीखने की बात पुलिस की तरफ से नहीं कही गई है । नन्दराम ने जो कुछ कहा है वह पुलिस ने बताया है । उसने कहा है कि इनको कम दीखता था इसलिए गिर गये ।

Page No 87

श्री डूंगाराम : कुए की पोजिशन आपने नहीं बताई ।

श्री हीरालाल देवपुरा : पंचनामें में क्या है वह इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : यह हस्तक्षेप की बात नहीं है । राजस्थान में एक हवा बनती जा रही है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को, हरिजनों को चाहे जहां कोई भी मार दे और अगर पुलिस मार दे तो उसके बारे में कोई जानकारी रखते नहीं । सम्मन को इसी तरह से मार दिया और वह बेचारा गरीब था उसका कोई पता नहीं । राजस्थान में यह हवा बन रही कि गरीबों को चाहे जो मार दे और उसकी जांच न करें यह बड़ी गलत बात है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि मंत्री महोदय ने ऐसा कहा है कि वह अन्धा था और उस बात को आप मान लेते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा: अध्यक्ष महोदय मैंने यह नहीं कहा है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह जो मैंने पूछा है कि कुए की पोजीशन क्या थी तो पुलिस ने तो कुए को अच्छी तरह से देखा होगा और अपनी रिपोर्ट में लिखा होगा । यह बात तो आप बता सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह पंचनामें में दर्ज है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उसकी (कुए की) पोजीशन आपको बतानी चाहिये । वह अन्धा व्यक्ति था तो क्या कुआ जमीन के बराबर था या जमीन के ऊपर, यह बात आपको बतानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : कुए की पोजीशन सुना दें ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने न तो पुलिस के बचाव की बात की और न अपनी तरफ से कोई बात कही है । सारी जाँच चल रही है उससे कुए की पोजीशन क्या है वह स्पष्ट हो जायेगी । कुए की पोजीशन पंचायतनामें में दर्ज होगी । वह अभी मेरे पास नहीं हैं ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इस पर चर्चा समाप्त हुई । पंचायत समिति सांगोद ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपने कह दिया कि कुए की पोजीशन मालूम नहीं तो कुए की पोजीशन का क्यों नहीं लगा पता ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह काम की बात है उसको दबाया गया है ।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्री ।

श्री लादूराम सुलानियां : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्रीजी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं । उनको इसकी जांच करवाना चाहिए और न्यायिक जांच करवायेंगे इसकी, मंत्रीजी को ऐसा आश्वासन देना चाहिए । मंत्रीजी को इसकी न्यायिक जांच करवानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानियां : हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिये। इस हत्या की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको दण्ड मिलना चाहिये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमें मंत्री महोदय पर शंका नहीं है कि वे जांच नहीं करा रहे हैं, लेकिन जो जांच रिपोर्ट आई है वह गलत है। मैं उस रिपोर्ट को चैलेन्ज करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है तो गलत कहां से हो गई। रिपोर्ट आना अवशेष है।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा।

श्री लादूराम सुलानियां : तो यह मानकर चलें कि ?.........

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्री जवाब दें। आर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्षजी, मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव दिया था जिसके सम्बन्ध में चर्चा उस ओर से आज किये जाने के लिए कहा गया था।

श्री अध्यक्ष : मैं इसके बाद देखता हूं।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं भी करना चाहता हूं एक एडजोर्नमेण्ट मोशन के विषय में, मैं खुद कहना नहीं चाहता लेकिन मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि उसको आपने रिजेक्ट कर दिया है हत्या के सम्बन्ध में कि एक आदमी की हत्या करके 27 तारीख को कुए में गिरा दिया और 10 तारीख तक उसको कुए में से नहीं निकाला इस सम्बन्ध में मैंने स्वयं ने माननीय गृहमंत्रीजी को टेलीफोन भी किया था लेकिन मेरी जानकारी में यह है कि उसको 13 तारीख तक तो नहीं निकाला था। गृहमंत्रीजी यह बता दें कि उस लाश को अब तो निकाल दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (गृहमंत्री) : मैं जानकारी करके आपको बता दूंगा। आपका टेलीफोन आते ही मैंने इन्स्ट्रक्शन भेज दिये हैं। उसकी जानकारी अभी कोई नहीं आई है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में बाढ़ के सिलसिले में—

श्री अध्यक्ष : एक वक्तव्य आ जाने दें।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : आज मिल जायगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं उसकी बाद में सूचना दूंगा।

पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा में लिफ्ट सिंचाई के पर्याप्त साधन न होने सम्बन्धी मामला

श्री मनफूलसिंह (राज्य मंत्री, सिंचाई): सिंचाई विभाग द्वारा पंचायत समिति, सांगोद जिला कोटा में निम्न लिफ्ट सिंचाई की योजनाएं होंगी। उनकी सूचना निम्न प्रकार है:—

(1) हिंगी : हिंगी ग्राम के पास उजाड़ नदी में बहने वाले बारह मासी पानी के उपयोग हेतु बनाई गई है। इस पर दो

(श्री मनफूलसिंह)

पम्पिग सैट प्रत्येक 27 हार्सपावर के होंगे। इसमें लगभग 170 एकड़ भूमि में सिचाई होगी।

(2) उमरदा : उमरदा ग्राम के समीप उजाड़ नदी के पानी के उपयोग हेतु बनाई गई है। जहां दो पम्पिग सैट प्रत्येक 54 हार्स पावर का लगेंगे व 760 एकड़ भूमि में सिंचाई सम्भव होगी।

(3) अतरालिया : अतरालिया ग्राम के पास उजाड़ नदी के पानी के उपयोग हेतु बनाई गई है जहां दो पम्पिग सैट प्रत्येक 27 हार्स पावर के लगेंगे व 300 एकड़ भूमि में सिचाई संभव होगी।

(4) कुन्दनपुरा : कुन्दनपुरा ग्राम के पास उजाड़ नदी में दह के रूप में पड़े पानी के उपयोग हेतु बनाई है। 54 हार्स पावर का एक पम्पिग सैट लगा हुआ है इससे 200 एकड़ भूमि में सिंचाई होने की संभावना है।

राज्य सरकार द्वारा डीजल एवं बिजली द्वारा लिफ्ट करके सिंचाई करने की दरें क्रमश: 81 रु० व 55 रु० प्रति एकड़ निश्चित की गई थी जिसके अनुसार वसूली करने के आदेश हैं। इसके पश्चात् नो प्राफिट नो लास' के आधार पर लिफ्ट सिंचाई वसूल की जाती है जो योग्य है, कारण सरकार द्वारा इस प्रकार की सिचाई सुविधा करने पर कृषकों को काफी लाभ होते हैं। अत: सिचाई की दरें अव्यवहारिक नहीं मानी जा सकती। इन दरों को कई स्थानों के किसानों ने स्वीकार किया है व सिचाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

राज्य सरकार द्वारा 16 स्थानों पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, जो बिजली की ट्रान्समीशन लाइन के एक मील के रेडियस में·········

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लम्बा स्टेटमेंट है।

श्री मनफूलसिंह : थोड़ा ही है।

पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के नये स्थानों एवं एक से पांच मील तक के रेडियस में आने वाले स्थानों को बिजली से जोड़ने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

जैसे ही कार्य करने हेतु धन उपलब्ध हो सकेगा, पंचायत समिति सांगोद के अन्तर्गत आने वाले स्थानों पर बिजली द्वारा लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था की जा सकेगी। जिससे उक्त क्षेत्र के कृषकों को सिचाई के लाभ संभव होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर, समिति के 7 वें प्रतिवेदन के विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम के अनुसार अकाल के विषय में चर्चा की जाएगी। मैंने कल ही मांग की थी कि राज्य सरकार की ओर से जो भी अकाल सम्बन्धी कार्य किया गया हो, उसका विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रख दें।

कल एक किताब वितरित की गई है। उसको मैंने देखा है और देखने के बाद ऐसा

(श्री भैरोंसिंह)

लगता है कि यह कागजों का फालतू खर्चा है। उसमें कोई इन्फोर्मेशन नहीं है। कहां कहां अकाल पड़ा है, किन किन गांवों में अकाल पड़ा है, किस किस जिले पर क्या खर्चा हुआ है, कितना पैसा मिला है, उस पैसे से कितना आब्जेक्ट पूरा किया है, जो आज से पहले तक विवरण पेश किया जाता था उसकी तुलना की जाये तो स्वयं अकाल राहत मंत्री भी यह अनुभव करेंगे कि पूरी सूचना नहीं पहुंची है या पहुंचने के बावजूद नहीं दी है। कितना धन केन्द्रीय सरकार से मिला है। कितना धन आपने दिया है। मैं यह नहीं मान सकता कि अकाल राहत के संबंध में यह नहीं किया गया है। सारे स्टेटमेंट आपने नहीं दिये हैं। 1968 में जो स्टेटमेंट था उसमें सड़कों और पानी का उल्लेख था। कितना सामान खरीदा गया उसका उल्लेख था। यह सब बातें इसमें नहीं हैं। किस किस जिले में क्या क्या काम आरम्भ किये गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार काम का नम्बर बताकर उपयोगिता को छुपाना चाहती है। 100 काम अकाल में सड़कों को बनाने के लिए लिये है। तो इर्रीगेशन भी आयेगा। सड़कें ज्यादा होंगी। हम प्रतिशत निकाल पायें ऐसा नहीं हो पायेगा। प्रतिशत नहीं निकाल पायेंगे। ऐसी स्थिति नहीं है। मैं अकाल राहत मन्त्री से निवेदन करूंगा कि सितम्बर में जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें और इसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। वह रिपोर्ट भी मिलती तो मूलभूत जानकारी प्राप्त होती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अकाल राहत मन्त्री और भी जानकारी भेजने का कष्ट करें।

श्री रामकिशन वेर : यह भी मन्त्री महोदय से निवेदन किया गया कि जब ओडिट केन्द्रीय सरकार ने बैठाया है तो उनका प्रतिवेदन और जो राज्य सरकार की ओर से सुझाव पेश किये गए हैं। यह रिपोर्ट सदन में आनी चाहिए अन्यथा इस पर अच्छे स्तर की बहस नहीं हो सकती है। नहीं तो कोई प्रश्न उठायेगा कि यह किया गया और आप कहेंगे कि नहीं किया गया। यह होगा।

श्री भैरोंसिंह : कितना राजस्थान सरकार का खर्च हुआ है। राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति कैसी है? भारत सरकार को कितना देना चाहिए। हम सड़कों की बहस नहीं करना चाहते हैं। हम राजस्थान की वित्तीय स्थिति भी जानना चाहते हैं। राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में किस प्रकार के सम्बन्ध चल रहे हैं। इस की जानकारी दे दें। तो अकाल राहत मन्त्री जी आपकी राजस्थान सरकार का हित होता। भारत सरकार से कहने में आपको कोई मजबूरी हो तो हम भारत सरकार को मजबूर करें कि वह आपको पैसा दे। इससे ऐसा मालूम होता है आपको जरूरत नहीं हैं। कितना धन आप मांगते हैं? कितना वह देते हैं। वह जानकारी आपने नहीं दी है।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत पर जितनी रिपोर्ट है वह सरकार के जरिये से सरकारी अधिकारियों के जरिये से रिपोर्ट होती थी। अब की मन्त्री महोदय खुद जगह जगह घूमे हैं इसलिए सम्पूर्ण चीजें उनके मन में यहां नहीं आ सकी हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि सदस्यों को भी आदत पड़ी है। वह अधूरी

(श्री मदनसिंह दांता)

ही रखी है। इसलिए जानकारी नहीं देने के कारण यह अधूरी ही आज की कार्यवाही चल रही है। मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि भारत सरकार से राज्य सरकार को कितना ऋण चाहिए इसकी जानकारी दे। इस दफा ऐसी चर्चा हुई है। सदस्यों को याद है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए जो लेखाजोखा केलकुलेट करवाया है उसमें मैंने कोई बात नहीं लिखी है। यह माननीय सदस्यों ने कहा है। यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि जितना भी राज्य सरकार का प्रयत्न हैं सब का उल्लेख किया गया हैं। आखिर में पूरे आंकड़े लिख दिये हैं। कितने करोड़ रुपये दिये है, इसका अन्दाजा लगा सकते हैं। भारत सरकार की जो असिस्टेंस मिली है, उसकी टोटल असिस्टेंस हमने लिख दी है। अब प्रश्न यह रह जाता है कि हम छुपाना चाहते है, राजस्थान ने यूटिलिटी खत्म नहीं की है। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं। बहस तो आज होने वाली नहीं हैं। इससे पहले बिल आ रहा हैं। आगे भी जो रिपोर्ट आयी हैं, हमारे पास कितनी कम्पलीट होती हैं। इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। इसलिए मैंने जल्दी में पेश कर दिये। वह कम्पाइल हो रहे हैं, जून तक मैं कम्पाइल कर सकूंगा। इसमें ऐसी दिक्कत है कि मैं सब जगह से अकाउन्टस मंगाता हूं, यह दो तरह के आते है, एक तो एजेंसी काम कर रही है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पी. डब्ल्यू. डी, इरिगेशन डिपार्टमेंट और फारेस्ट डिपार्टमेंट – जो यह डिपार्टमेंट रिलीफ वर्क्स का काम कर रहे है, एजेंसी के तौर पर, इनके अकाउन्टस मेरे पास नहीं आये हैं। कुछ काम कलेक्टर्स कर रहे थे, वाटर अरेंजमेंट और कैटल कन्जर्वेशन का काम कर रहे थे, उनके अकाउन्ट्स भी नहीं आ पाये हैं। ऐसी स्थिति में आंकड़ों के अभाव में मैं अपूर्ण आंकड़े दे देता, तो मैं असमंजस की स्थिति में पड़ जाता, नहीं दे पाया हूं इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सब आंकड़े सदन में मैं दूं, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं हैं। जो सड़कों का काम किया है, वह छिपा हुआ नहीं है, माननीय सदस्य स्वयं दौरा करके आये हैं पश्चिम राजस्थान का, उन्होंने जगह जगह सड़कों पर काम चलते देखा है। इसलिए इसमें छिपाने की बात क्या है। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो काम सेंक्शन किये हैं, वह सारे काम शुरू किये है, उनमें सड़कों का काम भी शुरू किया है दूसरे जो यूटीलिटी के काम हो सकते हैं वह भी किये हैं। इसलिए जानबूझ कर कुछ छिपाने की बात नहीं है।

इसके अलावा सेन्ट्रल स्टैडी टीम की रिपोर्ट वहां नहीं रखी है, वह ऐसा डाक्यूमेंट नहीं है, उसमें राज्य सरकार की ओर से कितना और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना खर्चा दे रहे हैं टोटल यह देखते हुए वह उसके अन्दर आंकड़े मुकर्रर कर देते हैं। राज्य सरकार के लिऐ यह जरूरी नहीं है कि वह उस रिपोर्ट को माने। यह रिपोर्ट बनाई जाती हैं, यह भारत सरकार की तरफ से भी फाइनल नहीं है। मैं

(श्री परसराम मदेरणा)

आपसे निवेदन करूं कि जहां रिपोर्ट के अन्दर कम सीलिंग फिक्स किया गया है, वहां पर ज्यादा पैसा भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। अब आप बताइये कि उसका क्या रहेगा। तो यह डिसीज़न नहीं लिया है। ओवर ड्राफ्ट था उसको मीट आउट करने के लिए सेन्ट्रल स्टेडी टीम की रिपोर्ट थी उसको भारत सरकार ने नहीं माना है, उससे गाइड हो रही है यह बात नहीं है। अब उस रिपोर्ट को आगे कभी यहां पर रखने की परम्परा रही नहीं है, न आंकड़े दिये हैं; न लम्बा चौड़ा सब कार्यों के बारे में, दूसरों के बारे में उसमें हवाला होता है। इसलिए जो कुछ प्रयत्न राज्य सरकार ने किये हैं; वह मैं समझता हूं कि अलग अलग हैडिंग के अन्दर जो रिपोर्ट लम्बी चौड़ी दी है, उसके अन्दर दिये हैं। रहा सवाल आंकड़ों का जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उनका, तो वह मैं कर रहा हूं। और किसी माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था, उस समय जो आंकड़े मेरे पास नहीं थे, उनके अलावा जो कम्बाइण्ड थे; जो खर्च अलग अलग कार्यों के ऊपर हुआ है, उनके इस सदन की टेबल पर मैंने रख दिये हैं, दो दिन पहले-ऐसा याद पड़ता है कि एक अनस्टार्ड क्वेशचन था, उसके रिप्लाई के साथ रखे हैं, वह सेक्रेटेरियट से आप पता लगा सकते हैं। तो खर्चा किस काम पर कितना हुआ है— यह छिपाया नहीं है। वह मैं सदन की टेबल पर रख सकता था, पर मेरे पास अगस्त, जुलाई तक नहीं था। जिन महीनों के आंकड़े प्राप्त हो गये थे, वह सदन की मेज पर मैंने रख दिये थे। उनके अलावा आंकड़ों से मैं माननीय सदस्यों को जल्दी से जल्दी अवगत करा दूंगा

श्री भैरोंसिंह : वह आंकड़े मुझे चाहिए, वही चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी इस बात की चाहूंगा कि क्या ऐसी आपने व्यवस्था नहीं की है........

श्री रामकिशन : एक प्रश्न मेरा भी है। हरजीराम का है, उसका तो आ गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मन्त्री महोदय से सिर्फ इस बात की जानकारी चाहूंगा, इरिगेशन के सम्बन्ध में, रोड्स के संबंध में हर महीने जो खर्च जो व्यय हो-उसकी जानकारी हर महीने के आखिर में या दूसरे महीने के प्रथम सप्ताह में ऐसे समय पर आपको प्राप्त होती रहे व्यवस्था आपने कर रखी है या नहीं कर रखी है यह सिर्फ मैं अपनी जानकारी के लिए प्राप्त करना चाहता हूं, ताकि मुझे बोलने में सुभीता हो।

श्री परसराम मदेरणा : जो कुछ भी खर्च के आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं, जिलेवार और डिवीजनवार के अलावा अलग अलग केटेगरीज जो वर्क्स की हैं, उन पर जो खर्च हुआ है, वह आंकड़े मैं सदन की मेज पर रख दूं, इसलिये आते हैं, कुछ देरी हुई है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जहां से आने में देरी हुई है, उनको कहा है कि जल्दी से जल्दी अकान्ट्स रेन्डर करें ताकि इसकी पूरी सूचना मैं माननीय सदस्यों को दे सकूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाहर ! यस, श्री यशवन्तसिंह नाहर। प्रतिवेदनों पर विचार।

श्री यशवन्तसिंह नाहर, सभापति, विशेषाधिकारी समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं . . .

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक मेरा प्रश्न था, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता था कि हर महीने जो खर्चा होता है, उसके टेबुल्ड फिगर्स आपके पास आते हैं या नहीं ? यह प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। आपको आपत्ति है तो आप उत्तर मत दीजिये, लेकिन मुझे जानने का अधिकार है कि आपने ऐसी व्यवस्था की है या नहीं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पूर्व कि समिति के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करूं, एक मिनट सदन का लूंगा। मैं तीन दफा उठकर खड़ा हुआ हूं। कल रात अकाल राहत कार्य की एक सूचना दी गई थी, लेकिन विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों को विचारार्थ रखने की सूचना जो माननीय सदस्यों को पहुंची है, वह इसके बाद में रखी गई है। यह मेरी समझ में नहीं आता। इसको प्रश्नोत्तर काल के बाद में रख सकते थे, लेकिन यह ··

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! श्री यशवन्तसिंह नाहर विशेषाधिकार समिति के सातवें प्रतिवेदन को विचारार्थ रखेंगें।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार

श्री यशवन्त सिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधिकार समिति के सातवें प्रतिवेदन को जो दिनांक 3 अप्रैल 1969 को उपस्थापित किया गया था, विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के सातवें प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधिकार समिति के आठवें प्रतिवेदन को जो दिनांक 3 अप्रैल, 1969 को उपस्थापित किया गया था, विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के आठवें प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन विचारार्थ लिया गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, इन प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में मैं आज्ञा चाहता हूं कि सातवां और आठवां प्रतिवेदन– दोनों एक ही विषय पर है और अगर····

श्री अध्यक्ष : अलग अलग।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अलग अलग लें।

श्री अध्यक्ष : जी हां।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: प्रश्न यह है कि···

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो मैं कर दूंगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी भी विधान सभाएं हैं और केन्द्र में लोक सभा है,—

श्री भैरोंसिंह : सुनाई नहीं दे रहा है, नाहर साहब !

श्री अध्यक्ष : दोनों प्रश्नों पर बोल दीजिये, बोलना चाहें तो ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं इसलिए ही परमिशन चाहता हूं कि दोनों को साथ ले लूं ।

श्री अध्यक्ष : ले लीजिये ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : निवेदन यह है कि सातवें और आठवें प्रतिवेदन- दोनों में एक तरह के प्रश्न निर्णयार्थ हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं - एक में विधान सभा के क्लर्क को साक्षी के लिये मुन्सिफ कोर्ट, जयपुर की अदालत में तलब किया गया, दूसरे के द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट ने, आठवें के द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐसे बिल को यहां से मांगा गया था, केवल इस बात को देखने के लिये कि एक्ट और बिल में कोई अन्तर है । इन दोनों प्रश्नों पर चूंकि हमारे यहां के चतुर्थ प्रतिवेदन में राजस्थान विधान सभा निर्णय कर चुकी है कि इस प्रकार के दस्तावेज, जो विधान सभा कि कार्यवाही से सम्बन्ध रखते हैं, या ऐसी कोई साक्षी, जिसमें विधान सभा कर्मचारी या अधिकारी को साक्षी के लिए कोई न्यायलय तलब करना चाहे तो वह सदन की आज्ञा ले । इसलिए विशेषाधिकार समिति के द्वारा यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं, मैं इन दोनों के सम्बन्ध में ...

श्री भैरोंसिंह : दोनो नहीं साहब, मैं इसका विरोध करूंगा प्रस्ताव का ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं कह दूं, आप सुन लीजिये ।

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैंने जो चतुर्थ प्रतिवेदन के विषय में विचार प्रस्तुत किया उससे न तो कमेटी ने डिफर किया और न समिति के किसी सदस्य ने इसके सम्बन्ध में अपना कोई अलग मतभेद दिया है । मैं यह उचित समझता हूं कहना कि न्यायालय के द्वारा कोई दस्तावेज या विधान सभा के कर्मचारी या अधिकारी को साक्षी के लिए तलब किया जाता है, तो वह हमारी राज्य सरकार का एक अंग है, कम से कम उचित कार्यवाही के लिए वह कोई प्राइवेट आथोरिटी नहीं है, आथोरिटी अन्डर दी गवर्नमेंट है, सरकार राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, न्यायालय जुडिसियल डिपार्टमेंट, और यह लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, तो मेरा यह निवेदन था कि चतुर्थ प्रतिवेदन के अनुसार सदन इसकी इजाजत देता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे कोई इस प्रकार का दस्तावेज या कोई प्रोवीजो नहीं मिला, जिस प्रोविजो के तहत या किसी रूलिंग के तहत में इस सदन में और विचार ला सकता । मैं चाहता हूं कि सदन इस पर निर्णय करे कि इस प्रकार का कोई दस्तावेज, जो सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध रखता हो या ऐसा कर्मचारी जिसको साक्षी के लिए किसी न्यायालय के द्वारा तलब किया जाय ...

श्री अध्यक्ष : कर्मचारी तो ...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : तो उसके संबंध में निर्णय करने का अधिकार हम अध्यक्ष महोदय को सौंप दें । यद्यपि विधान सभाओं

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

में और लोक सभा में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार सौंपने में हम गौरवान्वित अनुभव करेंगे क्योंकि इसमें बेकार समय लगता है, विधान सभा के सामने रिपोर्ट आने में समय लगता है, अदालत में मुकदमा चल रहा है, एक्यूज्ड अदालत में सड़ रहा है, कोर्ट का डिसीजन नौ महीने से रुका हुआ है क्योंकि उसके लिए इजाजत नहीं दी जाती हैं। ऐसी हालत में दस्तावेज या साक्षी के लिए कर्मचारी को उस न्यायालय को सौंपने का प्रश्न है जो इस राज्य का अंग है, और विधान के अन्तर्गत वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हैं। यह अलग से सोचने का सवाल है। चूंकि इसके सम्बन्ध में कोई प्रोवीजो या फैसला नहीं मिला, इसलिए उसके बारे में तो मैं अधिक नहीं कहता। लेकिन जो दोनों प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है, उसमें एक तो अमीनुद्दीन के बयान का है, वह किसी कार्यवाही से सम्बन्ध नहीं रखता है, इसलिए बयान के लिए मुन्सिफ कोर्ट के सामने भेजा जाय। और दूसरे के सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने कहा है चूंकि यह बिल है, राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत हो चुका है इसलिए उनको वहां पर प्रस्तुत किया जाय। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विशेषाधिकार समिति के सातवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है और इस तरह से आठवें प्रतिवेदन को भी एक साथ पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष : परम्परा है इस प्रश्न पर कि सदन की अनुमति से दस्तावेज हाईकोर्ट को या किसी न्यायालय को दिए जायं और पहले भी हमारी ऐसी ही परम्पराएं रहीं हैं कि जब सदन का सत्र न हो और यदि इमरजेन्सी हो तो उस स्थिति में अध्यक्ष की अनुमति से दस्तावेज दिये जांए ऐसी परम्पराएं रही हैं। प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट हैं :

"When the House is not in session, the Speaker may in mergent cases allow the production of relevant documents in courts of law in order to prevent delays in the administration of Justice and inform the House accordingly of the fact when it re-assembles or through the Bulletin.

However, in case the matter involves any question of privilege, specially the privilege of a witness, or in case the production of the document appears to him to be a subject for the discretion of the House itself, the Speake maydecline to grant the required permission without the leave of the House."

यह गाइडलाईन है। इससे ठीक प्रकार

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति के माननीय सभापति ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हैं, उस प्रतिवेदन का सम्बन्ध माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों से आता है। विधान सभा में हमारे बोलने के सम्बन्ध में जितने भी विशेषाधिकार हैं, उन सब के पीछे एक दृष्टिकोण रहा है कि सरकार के या बाकी के कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जो यदि

(श्री भैरोंसिंह)

किसी कोर्ट ऑफ ला में भेजे जायं तो शहादत के अभाव में उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही न हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे मसलों को लेकर सार्वजनिक सभा में बोले, किसी पत्र में अपना वक्तव्य दे दें या किसी प्रकार की कोई चर्चा करे, जो मामला तो सही है लेकिन उसको वह प्रमाणित नहीं कर सकता तो उस सारी कमी को दूर करने की नीयत से सदन के माननीय सदस्यों को यह विशेषाधिकार दिया है कि ऐसे प्रश्न केवल यह सदन ही सुने और सुनकर उन पर अपने निर्णय दे। अब यह निर्णय दिया जा रहा है कि सदन में प्रस्तुत किए गए किसी डाक्यूमेंट को यदि हाई कोर्ट या कोई कोर्ट किसी केस के संबंध में लेना चाहे तो माननीय अध्यक्ष को इस बात के लिए अनुमति दी जाय कि यदि सदन नहीं चल रहा है तो वह सदन के बिना अनुमति के, वह पत्र या उस प्रकार के पत्र के संबंध में विधान सभा के किसी कर्मचारी को यह साबित करने के लिए अदालत में जाने की अनुमति दे दे कि यह वही पत्र है जो किसी एक सदस्य द्वारा विधान सभा के पटल पर रखा गया। इस प्रकार की एवीडेन्स देने की अनुमति उस विधान सभा कर्मचारी को दे दी जाय, यह सिफारिश विशेषाधिकार समिति ने की है।

आप यह जानते हैं कि कई बार माननीय सदस्यों को किसी प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है, किसी प्रकार के कागज मिलते हैं, किसी प्रकार से सूचनायें मिलती है और उन सूचनाओं के मिलने की या डाक्यूमेंट्स प्राप्त करने के सोर्स को कोई आदमी पकड़ नहीं सके इसलिए इस बात का विशेषाधिकार रखा गया है कि उनसे सोर्स आफ इन्फरमेशन कोई आदमी नहीं ले सकता और लेने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। हमारे विशेषाधिकारों को प्रोटेक्ट किया है। आज एक कोई डाक्यूमेंट सदन में प्रस्तुत करता हूं या सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए लाता हूं तो मेरा यह विशेषाधिकार है कि सदन का कोई माननीय सदस्य या सरकार या माननीय अध्यक्ष इस बात के लिए मुझे विवश नहीं कर सकते कि डाक्यूमेंट वह मुझे कहां से प्राप्त हुआ। उसका सोर्स प्राप्त करने का बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब जहां विधान सभा की व्यवस्था के आधार पर जो विशेषाधिकार समिति ने सिफारिश की है, उसको यदि कम्पैरेटिवली देखा जायगा तो स्पष्ट होगा कि हमने उस विशेषाधिकार को चुनौती दी है इन्डाइरेक्ट वे में। सरकार चुनौती नहीं दे सकती, उसको कोर्ट के माध्यम से पुछवाया जाय, इस प्रकार की व्यवस्था और ध्वनि विशेषाधिकार समिति की इस सिफारिश से लगती है। मैं परटीक्यूलर उदाहरण, जिस पर अपना निर्णय लिया जा रहा है, उस संबंध में सदन को जानकारी देना चाहूंगा। तारीख तो मुझे याद नहीं लेकिन दो ढ़ाई वर्ष पूर्व मैंने इस विधान सभा में एक डाक्यूमेंट पेश किया था। उस डाक्यूमेंट के संबंध में कई बार आरोप व प्रत्यारोप लगे कि वह सीक्रेट डाक्यूमेंट मेरे पास कैसे आया, इस संबंध में मुझ से जानकारी की गई लेकिन चूंकि मेरा विशेषाधिकार था, मैंने न तो उसका उत्तर दिया न इस प्रकार का उत्तर देने के लिए विवश किया गया।

दूसरा प्रश्न आया विधान सभा में प्रोटेक्शन को लेकर निकाला गया, कि किस प्रकार से व्यवस्था की जाय कि प्रोटेक्शन को

(श्री भैरोंसिंह)

बिल्कुल खतम किया जाय, तो तरीका निकाला कि इसी प्रश्न को लेकर पुलिस के मारफत अदालत में चालान प्रस्तुत किया जाय। अदालत में चालान पेश हुआ। उससे पहले पुलिस के अधिकारी मुझ से पूछने के लिए आए। मैंने स्पष्ट कहा कि पुलिस मुझ से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं कर सकती और यदि जानकारी करते हैं तो अध्यक्ष महोदय से इसकी अनुमति लें। उन्होंने मुझे उस समय कहा भी कि हमें सरकार से ऐसी अनुमति मिली है, मैंने कहा कि मैं कोई सरकार का नौकर नहीं हूं। मैं अपने अधिकारों को समझता हूं, सरकार अपने अधिकार का प्रयोग करती होगी लेकिन मैं सरकार के इस अधिकार के सामने झुकने वाला नहीं हूं। मैं किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। उस समय यह भी पूछा कि यह पत्र डाक से मिला, व्यक्ति देकर गया लेकिन आखिर उन सब बातों के लिए मैंने इन्कार कर दिया।

आपको स्मरण होगा कि यह प्रश्न माननीय वित्तमंत्री जो यहां बैठे हैं उपमुख्य मंत्री, उन्होंने एक व्यक्ति से नाजायज तौर से पूछ लिया और उस पक्ष को किस प्रकार से सदन में साबित किया जाय, मंत्री महोदय ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर एक गलत व्यक्ति जो कहीं भी किसी प्रकार से दोषी साबित नहीं हो सका जो पूर्णतः निर्दोष है, जिसके खिलाफ किसी प्रकार की एवीडेन्स प्राप्त नहीं की गई बल्कि दबाकर कुछ लोगों से उसके खिलाफ एवीडेंस ली गई कि अमुक आदमी ने इस प्रकार का डाक्यूमेंट यहां से निकाला होगा। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जिसके हाथ में पुलिस है, डंडा है, वह किसी भी प्रकार की एवीडेंस कलेक्ट कर सकता है। आज वित्त-मंत्री हैं मेरा इतना असर हो सकता है कि मैं 4 आदमी वित्तमंत्री के खिलाफ ला दूं जो कहें कि उन्होंने अमुक प्रकार का आचरण किया लेकिन जिसके हाथ में अधिकार है, जिसके हाथ में पुलिस का, कानून और व्यवस्था है......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मेरा खयाल है कि प्रश्न विचाराधीन है अदालत के समक्ष ....

श्री भैरोंसिंह : मैं चाहता हूं कि अदालत से वापस ले लिया जाय। यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। यह बैकडोर से मुझ से पूछने की चेष्टा की जा रही है कि कागज कहां से आ गया। हम कागज विधान सभा में पेश करते हैं। उसको लेकर आप अपने अधिकारी के मारफत कोर्ट में एवीडेंस देते हैं, कुछ प्रोसीडिंग्स प्रस्तुत किए हैं, तो मैं किसी प्रकार से लायबूल नहीं रहूंगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को मैं क्लेरीफिकेशन देना चाहता हूं। क्योंकि यह प्रश्न कोर्ट में चल रहा है, आपने जो जानकारी दी है। उस जानकारी की पुष्टि या निराकरण के संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यह जो डाक्यूमेंट है उसे अदालत में पेश किये जाने का प्रश्न अदालत के सामने है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि कागज गया क्या यहां से ?

श्री अध्यक्ष : वही मैं जानकारी दे रहा हूं। न्यायालय से एक प्रश्न मेरे सम्मुख भी आया था यह कि पत्र द्वारा मुझको कहा गया कि इस दस्तावेज को भेजा जाय। मैंने दस्तावेज नहीं भेजा और न्यायालय को लिख दिया गया कि चूंकि यह प्रिविलेज का प्रश्न है दस्तावेज को भेजना या न भेजना इसलिए जब तक यह निर्णय सदन द्वारा न हो और जैसा मैंने अपना अभी अभिमत व्यक्त किया सदन की अनुमति के बिना साधारणतया कोई प्रश्न न्यायालय को नहीं भेजा जाए।

श्री भैरोंसिंह : नकल।

श्री अध्यक्ष : आप बहुत ज्यादा व्यग्र हैं। यह व्यग्रता का प्रश्न नहीं है।

दूसरी बार पत्र न्यायालय से आया है। न्यायालय को लिख दिया गया है कि जब तक सदन की अनुमति नहीं होगी न्यायालय को नहीं भेजा जावेगा और न्यायालय ने जिस ढंग से सचिवालय को लिखा है उसके सम्बन्ध में भी उच्च न्यायालय को लिखा गया। क्योंकि यह परिपाटी और परम्परा के विरुद्ध है इसको लिखा जावे। वह पत्र-व्यवहार भी उच्च न्यायालय से हो रहा है। आप यह विश्वास रखें कि सदन की अनुमति के बिना कोई दस्तावेज नहीं दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : मसला इतना इम्पोर्टेन्ट है कि विशेषाधिकार समिति ने अपनी राय दी होगी। विशेषाधिकार समिति को चाहिये था कि कोई मेम्बर राय व्यक्त कर सकता था। विधान सभा के इतिहास में यह ऐसा फन्डामेन्टल क्वश्चन डिसाइड होगा जिसको इग्नोरेन्स में डिसाइड कर दिया तो उसके घातक परिणाम होंगे। मैं इस विधान सभा में उम्र भर नहीं बैठा रहूंगा और अन्य लोग भी उम्र भर यहां नहीं बैठे रहेंगे। हम बैठे रहेंगे और वे नहीं बैठे रहेंगे यह प्रश्न भी नहीं है लेकिन जो डाक्यूमेन्ट्स सदन में पेश करते हैं उनको किस प्रकार डिस्पोज आफ कराया जाये उसके बेक ग्राउंड/एप्ट्स राज्य सरकार की ओर से हो रहे हैं। इसलिए सदन में भी वाद विवाद किया जाय। दुर्भाग्य से मैंने एजेन्डा देखा नहीं है यह मेरी गल्ती है, मुझे तो अचानक ही पता लगा कि यह प्रश्न लिया जा रहा है वरना जितने प्रमाण हो सकते थे मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस और पार्लियामेन्टरी प्रोसिजर के जो उद्धरण यहां इकट्ठे किये गये हैं, मैं भी दुनिया भर के डाक्यूमेन्ट्स के सम्बन्ध में जिस प्रकार भूपेश गुप्त का मामला था कि पंजाब सरकार का बजट सदन में प्रस्तुत किया था और लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने निर्णय लिया, उन सब प्रश्नों को तैयार रखता। मैं चाहूंगा कि प्रश्न गम्भीर है और इसलिये उतावली में निर्णय न किया जाय। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको स्थगित किया जाय। मेम्बर बैठे हैं, विशेषाधिकार समिति के सामने बैठें और गम्भीरता से इस पर विचार करें वह कहीं अधिक अच्छा होगा। आप जल्दी में विधान सभा में परम्परा बना कर अपने हाथ न काटें और इस प्रकार का पाप न हो जाय इसलिए प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य के भावों को समझ गया हूं। प्रश्न गम्भीर है और इस प्रश्न पर अधिक चिन्तन की आवश्यकता है क्योंकि मेरे पास दूसरा

(श्री अध्यक्ष)

बिजनिस है इसलिये सदन की अनुमति हो तो पुनः इसी प्रश्न को प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द कर दूं और माननीय सदस्य विचार करना चाहते हैं वे विशेष रूप से विशेषाधिकार समिति के सामने चिन्तन करें और अपना अभिमत प्रकट करें ताकि ठीक तरीके से परिपक्व होकर सदन के सामने आवे मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): दोनों को भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष : दोनों को भेज देता हूं।

श्री रामकिशन : दोनों प्रतिवेदन हैं विधायिका और न्यायपालिका के प्रश्न जुड़े हुये हैं। प्रिविलेज कमेटी ने तो अपने तरीके से निर्णय कर लिया है आज सदन मूड में नहीं राष्ट्रपति के चुनाव के परिणाम की उत्सुकता है इसलिये इसको पुनः भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि दोनों को रिमान्ड कर दिया जाय। प्रश्न यह है कि प्रतिवेदन 7 और 8 दोनों ही रिमान्ड कर दिये जायं ?

(स्वीकृति)

दोनों प्रतिवेदन रिमान्ड किये गये।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : रिमान्ड करते समय रिमान्ड की अदालत डाइरेक्शन देती है तो डाइरेक्शन की जरूरत जानकारी चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : जो अभी प्रश्न पर भाषण हुए हैं वे डाइरेक्शन ही हैं और उस से भी सीमा से परे और भी अभिमत व्यक्त करना चाहें तो कर दें विशद रूप से।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : मेरा यह निवेदन है कि मैंने जंगलात विभाग के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव रखा है। मुझे सी. सी. एफ. का एक लेटर मिला है कि मुझसे आकर मिले और जानकारी दें

श्री अध्यक्ष : मुझे तो सूचना नहीं है। आप क्या बोल रहे हो? यह कब का प्रश्न है?

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं निवेदन कर रहा था कि सदन में जो स्थगन प्रस्ताव रखते हैं उस सम्बन्ध में......

श्री अध्यक्ष : आप क्या बात कर रहे हैं ? मुझे इसका कुछ पता नहीं है कि आपने क्या प्रश्न रखा है। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह है कि पिछले तीन सत्रों में कई बार अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने के कारण यह रहा है कि कुछ मन्त्रियों के विरुद्ध हमने सबस्टेंटिव मोशन्स पेश किये थे, आपको स्मरण होगा अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष बजट अधिवेशन के दौरान मैंने यातायात मन्त्री महोदय, उस समय कि श्रीमान् अमृतलालजी यादव के विरुद्ध 14 एलीगेशन्स के सम्बन्ध में जांच बिठाने के लिये एक मोशन की सूचना दी थी। बजट अधिवेशन 1968 का निकल गया सरकार से जानकारी चाहने में। जानकारी भेजने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

से पूर्व सत्रावसान हो गया और वह नहीं हुआ। गत बार अगस्त सितम्बर का अधिवेशन भी निकल गया, यह बजट अधिवेशन भी निकल गया और अन्त में चौथी बार मैंने सूचना प्रस्तुत की है। दो साल की अवधि में 14 एलीगेशन्स लगाये गये जिनका मैंने एक सबस्टेन्टिव मोशन प्रस्तुत किया था कि इसकी जांच के लिये कमेटी का गठन किया जाय। मैंने अब एक 15वां एलीगेशन उसमें बढ़ाया है अन्यथा वे सब वैसे ही हैं, उसकी सूचना मैंने सचिवालय को प्रस्तुत करदी है। विधान सभा की कार्यवाही कार्यक्रम के अनुसार 22 अगस्त तक चलने वाली है और दो चार दिन और बढ़ सकती है। दो वर्ष से इस प्रश्न पर विचार करने को सरकार टालती आ रही है इसलिये इस पर विचार करने की अनुमति प्रदान की जाय और मोशन को एडमिट करके सदन स्थगित होने से पूर्व तारीख निर्धारित की जाय।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह आज ही दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तीन सेशन से इसको बार बार रिपीट किया है।

श्री अध्यक्ष : वाक्य समाप्त नहीं किया है मैंने न कोमा ही इसमें लगाया है।

आज दिया गया। पहले सत्र में एक प्रस्ताव आया। पहले सत्र में और दूसरे सत्र में दोनों लेप्स हुए। ये प्रस्ताव पुनः मेरे सम्मुख प्रस्तुत किये गये उसमें जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, एक और एलीगेशन उसमें एड किया गया है। पहले का जो प्रस्ताव है उसमें राज्य सरकार की ओर से उत्तर आ चुका है। जहां तक आरोपों का संबंध है उनका तो उत्तर मेरे पास है।

मैं जोउत्तर हैं उनका उपयोग करूंगा निर्णय देने के समय। आपने जो दूसरा एलीगेशन माननीय सदस्य ने उसमें जोड़ा है, जिसे मैंने अभी इस प्रस्ताव में देखा नहीं है। जो जोड़ा है, उसके सम्बन्ध में मुझ को संबंधित मन्त्री और नेता सदन के हैं उनसे जानकारी स्पष्टीकरण लेना पड़ेगा। मैं इस पर एडमीशन और नोन एडमिशन के पोइंट पर अपना निर्णय देऊंगा और निर्णय देने के पश्चात् यह कब रखा जा सकता है और कब नहीं रखा जा सकता है, इस प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा। निर्णय पक्ष में हुआ तो सम्भवतः इसी सत्र में आ जाय और निर्णय माननीय सदस्य के विपक्ष में हुआ तो कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन मैंने इसे आज ही सैक्रेटेरियट में रख दिया है और आज मेरे पास जो कुछ भी उस पर कार्यवाही होना सैक्रेटेरियट के माध्यम से आवश्यक है, होकर आज शाम तक मेरे पास पहुंच जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि जो आरोप पहले प्रस्ताव में थे, उन पर ही इस बात का डिसीजन करने के लिए कि इसको एडमिट किया जाय या नहीं, वह पर्याप्त होगा। इसमें जो नया आरोप है, उस पर सरकार को पूछा जाय और तब इस पर एडमिशन के लिए विचार किया जाय, मैं समझता हूं,

(श्री भैरोंसिंह)

यह आवश्यक नहीं है। कुल आरोप 14 हैं। और 13 आरोप पहले के हैं। सिर्फ एक आरोप नया है। 13 के सम्बन्ध में सरकार से, संबंधित मन्त्री महोदय से आपको जानकारी मिल गयी है, वही पर्याप्त है। मैं समझता हूं कि इस आधार पर आप डिसीजन कर दें। एडमिशन के बारे में तो सन्तोष होगा। नये आरोप के बारे में मन्त्री महोदय से कहिये कि वे तैयार होकर आयें उस समय जिस समय इस सदन में इसके बारे में वाद विवाद हो। लेकिन एडमिशन के लिए पर्याप्त सामग्री आपके पास मौजूद है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस सत्र के अवसान के पहले ही इस प्रश्न को ले लिया जाये वरना जनता में यह भ्रम फैलता है कि जब भी मन्त्रीजी के आरोपों की चर्चा सदन में उठाये जाने की सम्भावना होती है, दुर्भाग्य से सत्रावसान हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : इस भ्रम का तो अब निराकरण हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह स्टेज अभी नहीं आई है। यह परम्परा टूट गई हो, यह भ्रम नहीं टूटा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके लिए जल्दी से दिन नियत किया जाये। एक दिन में ही यह डिसकस हो जायेगा। जो मन्त्री महोदय, भ्रष्टाचार के मामले को वोट से डाउन करने की बात करते हैं, हम भी यह देखना चाहते हैं कि वे कितने भ्रष्टाचार के मामलों में वोट से डाउन करते हैं। इस सरकार की प्रवृति यह बढ़ती जा रही है कि भ्रष्टाचार को वोट से डाउन करके लोगों में प्रचार करें। हम भी देखना चाहते हैं कि वह जनता में कहां तक भ्रष्टाचार के बारे में······

श्री अध्यक्ष : मैं अपने डिसक्रीशन को डिफाइन भी और कन्फाइन भी नहीं कर सकता। मुझे यह आज ही दिया है। मैं इसको देखूंगा कि कहां तक जमता है। उसके एलीगेशन और उसमें कोई अगर एडीशनल चार्ज हैं, प्राइमा फेसी, नेचर इवीडेंस को मदद करता है। दोनों दृष्टिकोणों से आज देखने का प्रयत्न करूंगा, या सुबह देखूंगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय बृजसुन्दरजी के खिलाफ जो निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, उसमें वाद-विवाद के दौरान एक प्रश्न उठा था और आपने आसन से यह पाबंदी भी लगायी थी कि चूंकि यह मामला जिलाधीश कोटा के यहां जेर तजवीज है, सैक्सन 232 आफ टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत जिलाधीश कोटा ने इसका कोगनीजेन्स लिया है, इसके कारण सदन के माननीय सदस्यों का जो अधिकार है बोलने का, वाद विवाद करने का, बहस-मुबाहिसा करने का, उस पर कुठाराघात हुआ है। परन्तु यह मामला पहले ही इस सदन में प्रस्तुत हो चुका है और उसके बाद कलक्टर कोटा ने इसकी कोगनीजेंस ली है। जो एक्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी है, उसमें लेजिस्लेटिव किसी भी तरह से सबोर्डिनेट पोजीशन में नहीं है। इसलिए मैंने ब्रीच ऑफ प्रिवीलेज अगेंस्ट दी कोटा कलक्टर ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह तीन, चार दिन पहले आपको दिया है। मैं एक,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) को प्रिवीलेज कमेटी के सुपर्द किया चाहिये।

दो दिन में ही इसके सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आप इस संबंध में अपनी व्यवस्था देकर प्रिवीलेज कमेटी को रेफर कर दें ताकि कमेटी शीघ्र इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। यह एक गंभीर और महत्वपूर्ण मसला है इसलिए। मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आप जल्दी फैसला करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो चर्चा यहां नहीं उठायी जाने की थी, वह यहां उठायी है। माननीय सदस्य चाहते तो चेम्बर में भी इस पर बात कर सकते थे। यह परसों ही दिया गया है और परसों ही मैंने जानकारी के लिए भेज दिया है। इसमें दो बात हैं। एक तो स्पष्टीकरण कलेक्टर महोदय का चाहा गया है और एक उनकी पत्रावलि की मांगनी है। इन दोनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी, स्पष्टीकरण के लिये, पत्रावलि के लिये लिख दिया है। मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि मैं इस पर आज की निर्णय दे दूं। जो मोशन है उसमें एक सप्ताह लग सकता है। कम से कम इतना ही कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : पूरे रूप से देखना पड़ेगा।

राजस्थान बिक्री कर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय... (वित्त मंत्री की ओर देख कर)... आप प्रोहिबिशन में इन्ट्रेस्टेड हैं या नान प्रोहिबिशन में ?

श्री मथुरादास माथुर : दोनों में ही इन्ट्रेस्टेड हूं। एक्साईज मिनिस्टर भी हूं। सेल्स टेक्स का भी। इसलिये जल्दी पास करो। रेडियासुर्खे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सेल्स टेक्स (संशोधन तथा विधि मान्यकरण) अध्यादेश, 1969, अध्यादेश संख्या 6 सन् 1969, यह जो राज्यपाल महोदय द्वारा 31 जुलाई, 69 को जारी किया गया है और जिसके लिये राज्यपाल महोदय ने जो अध्यादेश जारी किया है और जिसके स्थान पर एक विधेयक माननीय मन्त्री जी इस सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं, उस अध्यादेश को निरस्त किये

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल जाने की सम्बन्ध में मैंने एक संकल्प की कारा यह स्वीकार किया था कि आप यह सूचना प्रस्तुत की है जो इस प्रकार पाइंट ऑफ क्वेश्चन इस हाउस में उठाने पर है:—"यह सदन दिनांक 31 जुलाई, 1969 ही कलेक्टर ने कोगनीजेंस लिया है को श्रीमान राज्यपाल महोदय, द्वारा प्रख्या- सरकार ने इन आक्षेपों की जांच करा पित, राजस्थान बिक्री कर (संशोधन तथा और जांच रिपोर्ट आने के बाद, जिसके विधि-मान्यकरण) अध्यादेश 1969 आधार पर कलेक्टर ने इसका कोगनीजेंस (अध्यादेश संख्या 6, 1969) को अस्वी- लिया है। इसके फैक्ट्स एडमिटेड हैं और कार करता है।

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने 31 जुलाई, 69 को यह अध्यादेश जारी किया है। 31 जुलाई के पूर्व अगर मेरी स्मरण शक्ति धोखा नहीं दे रही है तो 11 जुलाई, 69 को इस विधान सभा के अधिवेशन की सूचना हम लोगों को मिल चुकी थी। 11 जुलाई, 69 को विधान सभा का अधिवेशन 11 अगस्त, 69 से प्रारंभ हो गया, इसकी सूचना सदन के माननीय सदस्यों और राज्यपाल महोदय को हो चुकी थी।

(1-57 म.प.)

(श्री रामनारायण चौधरी सभापति पदासीन)

नियमानुसार, परम्परा के अनुसार सदन को पाच सवेरे बुकी है। यह राज्य सरकार को भी जानकारी थी, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि जब 11 अगस्त को विधान सभा शुरू होने वाली थी तो 31 जुलाई, 69 को किस प्रकार से अध्यादेश को जारी करके राजस्थान में कानून बनाने की कार्यवाही, सरकार की आदत बन चुकी है। राज्य सरकार राज्यपाल महोदय के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से अध्यादेश जारी करके जो असाधारण शक्ति संविधान में दी गयी है राज्यपाल महोदय को वह संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत है जिसमें यह कहा गया है कि यदि विधान सभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, और मामला इतना महत्वपूर्ण हो कि अध्यादेश जारी किया जाना, कानून बनाना पहले आवश्यक हो तो राज्यपाल महोदय को संविधान के अन्तर्गत यह अधिकार दिया गया है कि वे संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए इस प्रकार का कानून बना सकते हैं, क्योंकि विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो रहा है, परिस्थितियां ऐसी हैं, और इस बात की मांग कर रही है कि कानून बनाया जाये।

सभापतिजी, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। मैं पहले भी मांग करता आया हूं कि लोकतंत्री व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार संविधान के अन्तर्गत विधान सभा को है। विधान सभा को जो अधिकार संविधान ने दिये हैं उसमें कानून तीन चरणों में बनता है। पहले चरण में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात् संशोधन दिया जाता है। फिर जनरल डिबेट होती है, क्लॉज बाई क्लॉज डिबेट होती है। संशोधन पेश किये जाते हैं, विचार होता है, सारों पर बहस करते हैं उसके बाद यह पास होता है और उसके बाद स्वीकृति के लिए जाता है तब जाकर राज्य में कानून बनता है। एक बिल को पास करने में तीन स्टेज होती हैं, तीन रीडिंग होती हैं। तीन वक्त समय मिलता है, विवाद करने का, बहस करने का। सभापति महोदय, अध्यादेश सरकार ने जारी करने की परम्परा अपनायी है। सिर्फ राज्यपाल महोदय को सिफारिश कर दी और अध्यादेश निकलवा दिया। जिस पर न कोई बहस हो, मुबाहिसा हो, विवाद हो, वाद हो, न कोई संशोधन पेश हो और यह अध्यादेश राजस्थान के लिये कानून बन जाये, यह अध्यादेश राजस्थान में कानून बन गया है। अब इसी तरह से यह प्रतिष्ठा का सवाल बन गया, और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आर्डिनेन्स लागू हो गये तो उसका बिल सदन में प्रस्तुत किया जाता है और उसको पास कराने के लिये पाइण्ट आफ प्रेस्टीज मान लिया जाता है। सरकार चाहती है इस प्रकार जारी किया हुआ अध्यादेश जब बिल के रूप में आता है तो वह बिना संशोधन के कानून बन जाना चाहिये। मैं राज्य सरकार की यह जो अध्यादेश जारी करने की नीति है, राजस्थान सरकार की कानून बनाने की प्रक्रिया है उसको संविधान की अवहेलना मानता हूं और सदस्यों के अपमान की बात मानता हूं, यह हमारे अधिकारों पर कुठारा घात है। इसलिये में निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से इस प्रकार के तरीके की, इस प्रकार के आचरण की जितनी भी निन्दा की जाय, जितनी भी भर्त्सना की जाय थोड़ी है। अध्यादेश जारी कर दिया है। इस बिक्री कर कानून में कई महत्वपूर्ण संशोधन करने आवश्यक हो गये हैं। जो विधेयक प्रसारित किया गया है उसमें राज्य सरकार ने कुछ धारायें और जोड़ी हैं। माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है विधान सभा में जब विधेयक पास कर रहे हैं तो इसका फायदा उठाया जाय और इस में कुछ धाराओं में संशोधन किया जाय।

सभापति महोदय, मैं इस बात को गलत समझता हूं जब कि विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार है उनमें आये दिन संशोधन करते जाते हैं यह गलत बात है। जिस समय कोई बिल सदन में आता है, हम उसमें संशोधन करते हैं और राज्य सरकार को कहते हैं कि इन संशोधनों को स्वीकार किया जाय वह उसको स्वीकार नहीं करती। पिछली बार वित्त मंत्री महोदय ने टेक्सेशन बिल सदन के समक्ष रखा था उसके लिये जितनी भी हमने आपत्तियां की, जसे हमने कहा संविधान की धारा 304 के अन्तर्गत इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, वह नहीं ली गई। विधान सभा इसके बिना कानून पास नहीं कर सकती। उसमें संविधान का निरादर किया। उस समय कहा गया कि इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। हमारे जो भी संशोधन थे उन पर विचार तक नहीं किया गया और उनको नामन्जूर कर दिया और बिल पास कर दिया गया। बिल पास करने के बाद कुछ लोग इस बिल की धाराओं को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गये तो हाई कोर्ट ने राज्य विधान सभा द्वारा पारित कानून को स्वीकार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्क्रेप-डाउन कर दिया। इस तरह से हमारा कानून अन कोन्स्टीट्यूशनल हो गया। विधान सभा ने जिस बिल को पास कर दिया उसको अवैधानिक करार दे दिया गया। इस तरह से जहां इस विधान सभा का अपमान हुआ है वहां 2.5 करोड़ जनता का भी अपमान हो गया। अब दुबारा सरकार चाहती है कि इस पर विधान सभा मोहर लगा दे। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है कि राज्य सरकार के सामने जिस समय प्रश्न रखे जायं, आपत्तियां उठाई जांय उस समय उन पर ध्यान नहीं देते। मुझे यह भी पता है जिस समय विधान सभा में विधायी कार्य चलता है उसमें कांग्रेस पार्टी वाले तो रुचि ही नहीं लेते हैं, ट्रेजरी बेन्चेज उसमें बहुत

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

कम रुचि लेती है । जब बिल पर बहस चलेगी उपमंत्री को बिठाकर मंत्री महोदय भी बाहर चले जायेंगे । यह कह कर चले जाते हैं वहस के अन्त में हम आ जायेंगे । जब इधर से किसी महत्वपूर्ण संशोधन को लाया जाता है तो उस समय मंत्री लोग तो होते नहीं और उपमंत्री जितना समझते हैं उतना समझते हैं, वे मानने को तैयार नहीं होते और जब मत घंटी बजती है तब आकर पूछते हैं क्या हुआ ? जब पता चलता है कि विरोधी पक्ष का संशोधन है । उसको स्वीकार नहीं करते हैं और इस तरह से उचित संशोधन भी स्वीकार नहीं होता है ।

कांग्रेस में भी बड़े जागरुक सदस्य हैं, जिम्मेदार हैं वे सब इस बात को जानते हैं वे भी संशोधन रखते हैं । जब किसी को स्वीकार करने का या न करने का सवाल आता है तो पीछे देखते हैं, चिट की इन्तजार करते हैं । यदि पीछे से हां हो जाता है तो संशोधन कबूल हो जाता है । अगर अधिकारी लोग कहते हैं ना तो उसको नहीं माना जाता है । एक 300 रुपया पाने वाला जिस तरह से बिल बनाकर देता है, एक आफिस का इन्चार्ज जो 500 रुपया पाने वाला होता है उसके द्वारा बनाया हुआ बिल मान लिया जाता है । संशोधनों को मानने का सवाल आता है तो पीछे देख कर अधिकारियों के इशारे पर मन्जूर ना मन्जूर किया जाता है । उन्हीं के निर्देश पर डिवीजन क्लेम करते हैं, मतदान होता है और जो सरकार चाहती है उसी के अनुसार पास हो जाता है । यह जो स्थिति है वह बहुत गम्भीर है । राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित कानून को हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट होकर आ जाता है और फिर दुबारा विधान सभा के सामने आता है । माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे विभाग ने जहां बारदाने पर बिक्री कर का प्रस्ताव किया वहां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह गलत टैक्स लगाया गया है । अब सरकार कहती है कि हमने कानून के खिलाफ टैक्स वसूल कर लिया । मैं पूछना चाहता हूं क्या विधान सभा ने यह अधिकार दिया था ? बिना अधिकार दिये यह अधिकारों का दुरुपयोग किया । विभाग के अधिकारियों ने जनता से वसूल कर लिया जिसका कि अधिकार नहीं दिया गया । नैतिकता का तकाजा यह है कि गैर कानूनी तौर से जो जनता से आपके अधिकारियों ने टैक्स वसूल कर लिया उस टैक्स को वापिस किया जाय । एक ईमानदार दुकानदार होता है अगर उसकी दुकान पर कोई ग्राहक कोई चीज भूल जाता है और वह ग्राहक वापिस उस चीज को लेने के लिए वहां जाता है या जो बिल दुकानदार देता है उसमें किसी प्रकार की गल्ती होती है और ग्राहक से ज्यादा पैसा ले लिया जाता है तो जब ग्राहक वहां पहुंचता है और कहता है कि मैंने दो रुपये ज्यादा दे दिए हैं वह मुझे लौटाये जायं । तो दुकानदार कहता है कि आप इसके एवज में कोई चीज ले लो । साबुन ले लो, चाय ले लो । वह कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर वह उसके पैसे वापिस दे देता है । यह एक अच्छे दुकानदार का कायदा है नैतिकता का तकाजा है । उसी तरह से आपने अनधिकृत रूप से टैक्स वसूल किया है । आपको भी एक ईमानदार दुकानदार की

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

तरह टैक्स वापिस कर देना चाहिए । आप कहते हैं कि इससे हमको बड़ी परेशानी होगी । वैसे ही हमारे राज्य पर वित्तीय संकट है हम इससे प्राप्त रकम को कैसे लौटा सकते हैं तो आपका यह आचरण ईमानदारी का नहीं है । आप भी इस तरह से करके बेईमानी में भागीदार बन रहे हैं ।

मैं इस बारे में ज्यादा विस्तार से न कहता हुआ मुझे जहां तक पता लगा है अमेरिका में कुछ कन्सर्न्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्रोफिट का रेशो मुकर्रर कर रखा है । और अगर ज्यादा बिजनेस में किसी प्रकार का प्रोफिट होता है और कुछ ऐसे लिमिटेड कन्सर्न्स होते हैं उनको अगर ज्यादा प्रोफिट हो गया तो उनका प्रोफिट और 20 पर्सेन्ट मुकर्रर है और 25 पर्सेन्ट हो गया तो 5 पर्सेन्ट ऐक्सेस प्रोफिट निकाल कर ग्राहकों को प्रोपोर्शनेटली निकाल कर चेक उनके घरों पर भेज देते हैं । ऐसी व्यवस्था है वहां अमेरिका में । आप गये हैं अमेरिका ? आप गर्दन हिला रहे हैं इसलिए मैं समझ रहा था कि गये थे । अच्छा, आप गये तो थे । मैंने समझा शायद चैलेन्ज कर रहे हैं आप इसको ? तो वहां यह व्यवस्था है । यह ईमानदार बिजनैसमैन की व्यवस्था है । पर हमारे शासन का आधार है बेईमानी ।

माथुर साहब, एक बात कहता हूं । अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज हिन्दुस्तान के लोगों को बैड करेक्टर, बेईमान समझते थे । कहीं किसी को नौकरी चाहिए तो कहा जाता था गुड केरेक्टर का सर्टिफिकेट लाओ । आजादी के बाद ये परिभाषाएं बदलनी चाहिये । हमें हमारे ही लोगों को बैड केरेक्टर का नहीं समझना चाहिए ।

सेल्स टैक्स विभाग में कोई आदमी रिटर्न भरे और जितना रिटर्न भरे वह रिटर्न जैसा का तैसा स्वीकार किया गया हो ऐसा उदाहरण बता सकते हैं आप ? तो आपका बेसिक एप्रोच तो यह है कि हिन्दुस्तान का और राजस्थान का हर व्यक्ति विदाउट एनी एक्सेप्शन बेईमान है । आप यह मान कर चलते हैं । नहीं तो आपके रिटर्नों में से कोई भी ऐसा रिटर्न बताइये जो किसी ने भरा हो और आपने उसे एज इट इज एज सच एक्सेपट किया हो । आप तो बेसिकली यह मानकर चलते हैं कि कम भरा होगा । व्यापारी भयंकर रूप से बेसिकली बेईमान हैं । आपका एप्रोच यह है । इसके कारण दूसरी तरह से आप व्यापारी को ही बेईमान नहीं बताते बल्कि समूचे देश को, हिन्दुस्तान को सारे देश के व्यापारी तबके को बेईमान बताते हैं । यही स्थिति इन्कम टैक्स विभाग की आज देश में है ।

यही हाल शिक्षा के क्षेत्र में आपने कर रखा है । स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां अथवा कालेजों में पढ़ने वाले, यूनीवर्सिटी या कालेजों में एडमिशन लेने वालों से आप कैरेक्टर सर्टीफिकेट मांगते है । सबको कहते हैं कैरेक्टर सर्टीफिकेट दीजिये । किस बात का देवें ? क्या आज उन सबको बेड करेक्टर का समझते हैं । आप गुड कैरेक्टर सर्टीफिकेट सबसे मांगते हैं । तो यह आपकी शासन व्यवस्था तो आज हर इन्सान को, हर देशवासी को चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, बेईमान बैड कैरेक्टर का समझता है जब कि स्वयं यह प्रशासन बैड

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

कैरेक्टर का और बईमान है जो दुनिया भर को बैड कैरेक्टर का और बेईमान समझता है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप को तो केवल एक चिन्ता है चाहे जायज तरीके से हो चाहे नाजायज तरीके से हो, पैसा वसूल किया जाय। आप के विभाग में आपके ही पैटर्न के लोग हैं। आप यही चाहते हैं किसी तरह से पैसा इकट्ठा किया जाय चाहे जनता को अन्धाधुन्ध शराब पिलाकर चाहे व्यापारियों को नाजायज तरीके से लूटकर। इनके पास तो पैसा आना चाहिये। शराब पिला कर पैसा आना चाहिये और नाजायज तरीके से टैक्स वसूल करके पैसा आना चाहिये।

यह आपने नाजायज कानून के खिलाफ कैसे वसूल किया? फिर आप तैयार नहीं हैं वापिस लौटाने को। इस बात के लिये तो आप तैयार हैं कि शराब के ठेकेदारों में अगर बकाया है तो उनको तो माफ कर दिया जावे। इस पर मद्य निषेध कानून जब आवेगा तो कहूंगा कि आपने किस प्रकार से राजस्थान के शराब के ठेकेदारों में सत्तर पिचहत्तर लाख की बकाया हो गई उसमें से रु० 28-30 लाख राइट ऑफ किस तरह से कर दिया यह कह कर कि वह काबिले वसूल नहीं है। शराब के बड़े बड़े ठेकेदारों पर आपको रहम आया तो कैसे आया? पी. ऐ. सी. की रिपोर्ट में भी आंकड़े दिये हैं। सदन में भी मैंने इस बारे में सवाल पूछा है। पर आपके पास आंकड़े नहीं थे इसलिये जवाब नहीं दिया। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह विभाग आप का पैसा बटोरने का विभाग है। रेवेन्यू का विभाग है। सही बात है। यह खजाने में पैसा लाने वाला विभाग है। पर वित्त मंत्री महोदय, इस विभाग के सिलसिले में राजस्थान में जिस प्रकार का खयाल सेल्सटेक्स विभाग के बारे में जनता में जिस प्रकार का असन्तोष है वह बहुत तीव्र है। मैं बड़े बड़े व्यापारियों की तो कहता नहीं, पर मध्यम श्रेणी के और छोटे छोटे व्यापारी आपके इस विभाग से इतने परेशान और आतंकित हैं कि वे थानेदार से उतने नहीं डरते जितने सेल्सटेक्स विभाग के इन्सपेक्टर से घबराते हैं। थानेदार अगर किसी भी दुकान पर चला जावे तो घबराने की जरूरत नहीं, पर सेल्सटेक्स का इन्सपेक्टर या कोई अफसर अगर चला गया तो दुकानदार के पसीना छूट जाता है।

बाकी सेल्सटैक्स को आपने नाजायज टैक्स वसूल करने का विभाग बना रखा है। आपके पास शिकायतें आती हैं। कहिये, आपने कितनी शिकायतों में जांच की? कितने मालों में एक्शन लिया? कितने सी. टी. ओज. को आपने सस्पेण्ड किया? कितने इन्सपेक्टरो के खिलाफ कार्यवाही की? करप्शन के केस कितने आपके पास आये? कितने मामले आपने पुलिस को दिये? कितनों में विभागीय जांच कराई गई? आप आंकड़े दे नहीं सकते थे मुझे बड़ा अफसोस है।

यह बिक्रीकर विभाग ऐसा है कि कभी भी सरकार को पैसे की जरूरत हो तो कह दिया जाता है कि इतना पैसा तुमको वसूल करना होगा और इस बात के स्पष्ट प्रमाण है, शिकायत की है, लोगों ने।

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, आप अपनी वर्ष गांठ मनावें वित्त मंत्री महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय अपनी वर्ष गांठ मनावें, जरूर मनावे, खूब मनावें, खूब रंग रेलिया करें। पर मैं आपत्ति कर सकता हूं, आपत्ति करने का मुझे अधिकार है कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय श्री सुखाड़िया जी अपनी 53 वीं वर्ष गांठ मनावें और 53 हजार की थैली जयपुर कांग्रेस उनकी सेवा में पेश करे और वह रुपया सेलसटैक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा वसूल किया जावे और उसे भेंट किया जावे। सिटी कांग्रेस ने 53 हजार की थैली चीफ मिनिस्टर को उनकी वर्ष गांठ पर भेंट की। यह उनका घरू काम है, वे करें मुझे कोई दखल नहीं देना है। यह उनके आरगैनाइजेशन का काम है। पर एतराज मुझे तब है जब पूरे के पूरे सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारियों को इसके लिये पैसा वसूल करने के लिये उपयोग में लाया जावे। उन्होंने 53 हजारकी जगह 75 हजार वसूल किया। जयपुर में किया। झोटवाड़ा पंचायत समिति में किया। इंडिस्ट्रियल इस्टेट के व्यापारियों से किया और सेलसटैक्स विभाग के अधिकारियों ने अपने पदों का दुरुपयोग करके अपना रोब दिखाकर, डरा धमका कर किया। ऐसा निकम्मा काम आपका यह विभाग करे। आपके पास शिकायत हो, और आप उन पर कार्यवाही न करें इससे अधिक निन्दाजनक और भ्रष्टाचार से भरा हुआ काम और क्या हो सकता है। यह निन्दनीय है, लज्जाजनक है कि आप राजनैतिक दृष्टि से लाभ उठाते हैं और राजनैतिक कामों में सरकारी अधिकारियों को लेना चाहते हैं। और अगर वे आपका काम नहीं करना चाहते तो आप उनका तबादला करते हैं। आपके राजनैतिक कामों में आपके साथ नहीं होना चाहता कोई अधिकारी या कर्मचारी तो आप उसका ट्रान्सफर कर देते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर बोर्डर पर आप उनको भेज देते हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) बाड़मेर तो बहुत अच्छी जगह है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं नहीं कहता, अधिकारी ऐसा समझते हैं। मैं नहीं समझता। वहां कोई अधिकारी जाना नहीं चाहेगा। आप कहेंगे एक अफसर ईमानदार है। अब ये ईमानदार कैसे हैं यह आप के ही मुंह से मालूम होता है। एक सरकूलर जारी किया कि सेलसटैक्स विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस प्रकार के चन्दे आदि की वसूली नहीं करेंगे। मैं पूछता हूं आपसे कि और ऐसा आपके विभाग में नहीं होता और सभी अधिकारी ईमानदार हैं तो यह सरकूलर निकालने की क्या जरूरत पड़ी? यह सरकूलर तभी तो निकालना होगा जब कि आपके पास शिकायतें आई होगीं ऐसी? सरकूलर जारी करना जरूरी क्यों हो गया? शिकायतें थीं जिनके लिये यह सरकूलर आप को निकालना पड़ा। अब मैं जानना चाहता हूं कि शिकायतें थीं तो किनके खिलाफ थीं। आपके पास निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिये, क्योंकि आपने उन्हीं के आधार पर सरकूलर निकाला है। और उनके खिलाफ फिर आपने क्या जांच की? डिपार्टमेन्टली क्या एक्शन लिया? किन किन को आपने सस्पेन्ड किया? इस डेमोक्रेटिक सेट आपको नीचा दिखाने का, उसे तोड़ने का भयंकर भीषण षडयन्त्र आज हो रहा है। सरकारी अधिकारियों में राजनीति आ रही है। जहां

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दखल नहीं देना चाहिये वहां दखल देकर इस कांग्रेसी सरकार ने इस सरकारी मशीनरी को भी भ्रष्ट किया है। मुख्य मंत्री की वर्ष गांठ पर 53 हजार इकट्ठा हो रहा है। टारगेट फिक्स अप होता है। चौथा फाइव ईयर प्लान की आपको चिन्ता नहीं है, उसके लिये टारगेट आप आज तक भी फिक्स अप नहीं कर पाये। तीन साल बीत गये। आप यह तय नहीं कर पाये कि इतना ट्रांसपोर्ट में खर्च करेंगे, इतना बिजली पर खर्च करेंगे, इतना एक्साइज पर खर्च करेंगे, इतना विकास पर खर्च करेंगे, इसमें इतना सेल्सटैक्स देगा, इतना एक्साइज देगा। यह नहीं किया आपने। पर आपने यह तुरन्त टारगेट बना दिया कि सुखाड़िया साहब की वर्ष गांठ पर 53 हजार दिया जाय। क्या माथुर साहब आप इस तरह की परम्परा को अच्छी समझते हैं ? और अगर है आप अच्छा नहीं समझते हैं तो आपने क्या कार्यवाही की है।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह गवर्नमेंट की आज्ञा है, जिसको पढ़ना चाहता हूं :

"This is from the Government of Rajasthan Commercial Taxation Section. It is No. F. 1153 FD (CT) Jaipur dated 23....

It has been brought to the notice of the Government that the Collectors of various districts ask the officers of the Commercial Taxation Deptt. to raise funds and subscription on various occasions from public. Such practice of involving officers of Commercial Taxation Deptt. in collection of funds is not considered desirable. It is, therefore, enjoined that no officer of the department shall collect funds for any purpose on any occassion."

यह तो वे फंड्स हैं जिनके क्लेक्शन के लिये कलक्टर पूछता है। उस पर भी आपने पाबन्दी लगाई है। जब उस पर भी पाबंदी है तो वर्ष गांठ पर वसूल किया गया वह पैसा क्यों वसूल किया गया मुख्यमंत्री जी के लिये ? यह आप इसमें थोड़ा लिख सकते थे। इसमें सरक्यूलर भी जारी नहीं कर सकते थे। कार्यवाही करने का सवाल तो खड़ा नहीं होता। मुख्यमंत्री जी तो जा रहे हैं और आपको उस पद पर खिसकना है। प्रोग्रेसिव ग्रुप को छोड़कर सिन्डीकेट को ज्वाईन किया। आप तो गिरी का समर्थन करने वाले हैं। इन्दिरा जी से अकेले में मिलने वाले हैं। वह वोट किनको देंगे ? सुखाड़िया साहब के जाने के बाद आप सिन्डीकेट के साथ हैं यह भी बात है, क्योंकि सुखाड़िया साहब के बाद आपका ही नम्बर है यह भी आप जानते हैं। तो सभापति महोदय, सुखाड़िया साहब की वर्षगांठ में 73 हजार रुपये इकट्ठे किये गए, सेल्स टैक्स के कर्मचारियों ने इकट्ठे किए। मैं इसको रिपीट करता हूं और अनेक बार रिपीट करता हूं। आप जांच करवायें और जांच करवाने के बाद आपको मालूम

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

होगा कि व्यापारियों को डरा धमका कर पैसे इकट्ठे किये गये हैं। आप जांच करवाते नहीं हैं, करवाना भी नहीं चाहिए क्योंकि सारी कांग्रेस पार्टी के लिए और आज जो कांग्रेस पार्टी है उसमें सुबह जो स्थिति है वह शाम को नहीं और शाम को जो स्थिति है वह सुबह नहीं। 12 घंटे में तो आज पार्टी आ गई है और आज इस स्थिति में है। सभापति महोदय, ज्यादा कुछ न कहता हुआ मैं इस सारे मसले में सुखाड़िया साहब की 53 वीं वर्ष गांठ पर 73 हजार रुपये इकट्ठे किए गए इसमें सरकारी अधिकारियों का बड़ा भारी भाग है। सेल्स टैक्स अधिकारियों ने डरा धमका कर पैसा इकट्ठा किया है। यह निकृष्ट काम है, नियमों के विपरीत है। इसकी जांच होनी चाहिये। सभापति महोदय, जो कुछ कानून लाया गया है इस सारे कानून में जनता की कोई परवाह नहीं की गई और गैर वाजिब तरीकों से वसूल किया गया है। आप वापिस नहीं करना चाहते हैं यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। आया कानूनन जो टैक्स वसूल किया है उसको वापिस करें या नहीं? मेरी मान्यता है कि टैक्स वापिस करना चाहिए। इस प्रकार वेलीडेट नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सरकार की परम्परा है अध्यादेश वापिस नहीं करना और सदन की मोहर लगवाना यह उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में जो अध्यादेश जारी किया गया है उस सम्बन्ध में मैंने सूचना दी है। इस आध्यादेश को ना मंजूर करना चाहिए मेरा यही कहना है फिर जो कुछ आपको करना है, करें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प और प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं।

(श्री मथुरादास माथुर के खड़े होने पर)

अभी तो वृद्धिचन्द्र जी बोलेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : वे नहीं बोलेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डरा दिया आपने।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति जी इस अध्यादेश के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें रखीं उनमें दो तरह के तथ्य हैं, एक तो आध्यादेश से सम्बन्ध रखने वाले तथ्य और दूसरे उन्होंने हमारे विभाग को लेकर टीका टिप्पणी की है। मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जब कभी कोई बात कहते हैं तो बहुत गंभीरता से सुनता हूं क्योंकि जहां तक कानून से सम्बन्ध रखने वाली बातें हैं, वे जवाबदारी से बयान किया करते हैं। मैं उनकी राय से पूरी तरह से सहमत हूं। आध्यादेश और आर्डिनेन्स का जहां तक सम्बन्ध है, नहीं निकालना चाहिए और धारा सभा के अधिवेशन के समय निकालना ही नहीं चाहिए। मैं उनकी राय से हमेशा सहमत रहा हूं और इस समय भी सहमत हूं। हमारे उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है। मुझे यह आध्यादेश जिस परिस्थिति में लेना पड़ा उसका विशेष कारण था। वैसे सेल्स टैक्स के कानून के अन्दर कई तरह की तरमीमें आती रही हैं। मैं यह नहीं मानता एक कानून बनने के बाद तरमीमें नहीं आयें। हमारा व्यापक समाज है, एक डायनामिक सोसायटी है इसलिए कानून भी समाज के साथ बदलना चाहिये। समाज के लिये कानून है न कि कानून समाज के लिये। इसलिये मैं

(श्री मथुरादास माथुर)

कहता हूं कि समाज के साथ कानून का मेल हो सके, ऐसा होना चाहिये। सेल्स टैक्स 54 में बना था। उसके बाद 15 वर्षों में कई तरमीमें रखी गई वह जरूरी हैं और इसलिए जरूरी है आज के हालातों को देखते हुये यह देखें कि समाज कानून के लिए है या कानून समाज के लिए है। जब यह अध्यादेश लाये हैं—बहुत इन्नोसेन्ट अध्यादेश है। आप देखेंगे राज्य सरकार और हमारा विभाग अध्यादेश के विरुद्ध काम नहीं करता है। कानून बनाते वक्त पूरा ख्याल रखते हैं। जब हमारे यहां पर हमने कानून बनाया था उसके मातहत जो रूलस में बारदाना शब्द है-इसकी बहस भी हुई थी। बारदाना को जो आम मतलब लिया जाता है उसका मतलब पुरानी बोरियों से है, उसको हम बारदाना कहते हैं। हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि पुरानी पेटियां, पुराने पीपे हैं वे सब बारदाने में ले लिए जायेंगे। यह बात नहीं सोची थी। इसलिए कानून के मातहत सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे यहां पर इस कानून में निकला था वह 58 में निकला था या 59 में। 11 अगस्त, 1959 को निकाला था। फिर दूसरा 1968 में निकला। अब इन दो कानूनों के बीच में जो पहले का कानून था उसमें यह कहा था बारदाना के उपर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। केवल फर्स्ट पाइन्ट पर लगेगा जो बारदाना इम्पोर्ट करके आता है उस पर लगेगा-In the series of sales in the State यह बात हमने 11 अगस्त, 1959 के कानून में कही थी। बारदाना शब्द काम में लिया था गनिबेग्स से, पुरानी बोरियों से मतलब था और हाईकोर्ट ने उसका मतलब गनीबेग्स तक ही नहीं रखा। आल कन्टेनर से कर दिया। पेटियां, बोतलें, पीपे उन सबको ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की राय को कहकर टाल दिया यानि हाई कोर्ट से सहमति प्रकट कर दी। फिर नोटिफिकेशन 1959 में निकला है उसकी आखिरी क्लॉज है-Except on the first point at the hands of importer in the series of sales in the State. इसको डीलिट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि 59 का जो निकला वह 68 में रेसिन्ड किया गया। 59 और 68 के बीच में जो बारदाना बाहर से आता था वह टैक्स भी हम नहीं ले सकते थे वह पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि 59 और 68 के बीच आल कन्टेनर पर कर दिया। जितने कन्टेनर पर टैक्स लिया वह रिफन्डेबिल हो गया। राजस्थान की धारा सभा की मंशा यह नहीं थी। जब इस पर आरग्यूमेंट हुआ था तो गनीबेग्स को ही बारदाने में लिया था। आज राजस्थान के किसी व्यापारी को पूछ लीजिये। बारदाना का मतलब गनीबेग्स से लेते हैं। अब कई लाखों का रिफन्ड हमारे यहां आने लग गया। मेरी मंशा कतई यह नहीं थी, मैं तो सरकार और जनता दोनों का शुभ चिंतक हूं और इसलिये मैं राजस्थान की आमदनी को भी बढ़ाना चाहता हूं। आमदनी के लिहाज से मैं पूरी करने की कोशिश करता हूं लेकिन ऐसी परिस्थिति हो जाय और जहां लाखों का रिफन्ड हो गया—5-7 लाख का रिफंड है क्योंकि यह बारदाना कई लकड़ी की पेटियों पर, बोतलों पर और कई तरह की

(श्री मथुरादास माथुर)

चीजों पर लौटाना पड़ेगा जो कानून बनाने वाले की मंशा नहीं है...

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इस पर हम अपने विचार रख सकें—59 का नोटिफिकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट में अल्ट्रा-वायर हुआ है उसकी प्रति हाउस की टेबिल पर रखें तो हम देख सकें। दूसरे कई मुख्य मुद्दों पर भी माननीय सदस्य ने जो जयपुर से आये हैं आपत्ति की है....

श्री मथुरादास माथुर : मैं आ रहा हूं। समझ गया आपकी बात को।

उसका जवाब देना जरूरी था और मैंने आर्डिनेन्स लाने की कोशिश की उसका कारण यही था कि एक सिचुएशन ऐसी एक्स्ट्रा आर्डिनेरी पैदा हो गयी कि बारदाना लब्ज के इन्टरप्रिटेशन से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिसका बारदाना पुरानी फटी हुई बोरी से ही सबंधित नहीं रहा बल्कि सभी कन्टेनर्स के माने हो गए और उसके कारण से लाखों रुपयों का रिफन्डेबल अमाउन्ट हो गया और जिसकी वजह से बहुत बड़े काम्पलीकैशन्स पैदा हो गये उसको ठीक करना जरूरी था। उसको ठीक करने के लिए मुझे मालूम था और इसको मैं समझता था और इस एतराज को भी मैं जानता था कि यह आर्डीनेन्स नहीं लाना चाहिए जब कि सदन बुलाया गया है लेकिन ऐसी स्थिति में मेरे पास कोई रास्ता नहीं था इसलिए यह आर्डिनेन्स लाकर मैंने विधान की कोई अवहेलना नहीं की है। लेकिन एक परम्परा है और स्वस्थ परम्परा है उसको मैं मानता हूं.

श्री कृष्णकुमार गोयल : सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपका 19.3.69 को हुआ है। मार्च, 69 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट हुआ जिसके कारण से आपको ऐसा करना पड़ा। जब आप इतना इन्तजार कर सकते थे तो आर्डिनेन्स 31 जुलाई को निकाला आप कुछ दिन और नहीं इन्तजार कर सकते थे क्या? सवाल इतना सा ही है।

श्री मथुरादास माथुर : जब फैसला हो गया और उसकी कापियां लोगों को मिल गयीं तो लोगों के क्लेम्स शुरू हुए तब समझ में आया कि यह मामला आगे बहुत बढ़ेगा। तो सोचा कि क्या करें। फिर आर्डीनेन्स का दिमाग में आया। कई दिनों तक तो मैं रेसिस्ट करता रहा। आपको मैं खुली बात कहता हूं कोई छुपाने की बात नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कुछ दिन और इन्तजार किया जा सकता था?

श्री मथुरादास माथुर : क्लेम के बारे यह रहा कि सब का पैमेंट करना पड़ जायेगा और एक को कर दिया तो दूसरे को कैसे मना करेंगे इसलिए जरूरी समझा कि आर्डिनेन्स लाना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने के क्लेम्स आये?

श्री मथुरादास माथुर : तो पहले तो मैं कई दिनों तक सोचता रहा। यह इस बात का सबूत है कि मुझे कितनी हिचकिचाहट थी आर्डीनेन्स लाने में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आर्डिनेन्स लाने में हिचकिचा रहे थे या इतने सुस्त थे? दोनों ही बातें हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे विश्वास है आप मुझे सुस्त का सर्टिफिकेट नहीं देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो बहुत चुस्त हैं। मैं विभाग के लिए कह रहा हूं। कितने के क्लेम आये ?

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए इसमें देरी हुई है। मेरे दिमाग में हैंडब्रेक लगता था कि इस ग्रार्डिनेन्स को नहीं लाया जाये लेकिन मुझे लाना पड़ा। जब मैंने देखा कि लाखों रुपयों के क्लेम आ गये इसलिए स्वस्थ परम्परा को तोड़कर मैंने ग्राडिनेन्स लाना उचित समझा ......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने के क्लेम ग्राये ? ग्रन्दाजन।

श्री मथुरादास माथुर : दो क्लेम 2 ।। लाख रुपये के आगये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो दो लौटा देते।

श्री मथुरादास माथुर : ग्रौर बाकी आने शुरू हो गये थे। जो ग्रलग ग्रलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं असेसी थे उनके पास क्लेम्स ग्राने लग गये थे इसलिए इसको सेव करने के लिए In the public interest it has been done.

अब मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आर्डिनेन्स लाने की क्या जरूरत थी, ग्रब आर्डिनेन्स के ग्रन्दर जो बातें रखी हैं उसको हमने करेक्ट किया है, उसको वैलीडेट किया है ग्रौर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस पैसे को बचाने की कोशिश की है।

मेरा सेल्स टैक्स विभाग बहुत बड़ा विभाग है, उसमें बहुत कर्मचारी हैं, ग्रपने ही भाई भतीजे और राजस्थान के भाई हैं सभी रहने वाले। मेरी पूरी कोशिश है ग्रौर मैं जयपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि भारत का हरएक नागरिक चरित्रवान है, हरएक नागरिक ईमानदार है जब तक कि उसके खिलाफ कोई कानून से साबित न हो जाये कि वह वेईमान है ग्रौर चरित्रहीन है। इसलिए हर नागरिक जो हमको टैक्स देता है वह प्रतिष्ठित नागरिक हैं ग्रौर वह समाज की सेवा करने के लिए और विकास के लिए धन को कानून के मातहत जो हम तय करते हैं वह देता है। इसलिए मेरे दिमाग में कोई भावना ऐसी नहीं है – इसको हम मानकर चलें। मगर ग्राप यह भी मानेंगे कि बाई एण्ड लार्ज सब ऐसे लोग हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसे निकलते हैं ग्रौर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। आपने कहा कि ग्रसेसी ने सबमिट कर दिया और हमने मान लिया। ऐसे कई केसेज हुए होंगे। स्क्रूटिनी जरूर होती है। एक आदमी के ऊपर पांच हजार का टैक्स होता है तो वह देता है। ऐसे कम लोग होते हैं जिसमें हमारे और उनके बीच में झगड़े होते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि और इन तीन-चार वर्षों के तजुर्बे से कह सकता हूं कि बाई एण्ड लार्ज राजस्थान के व्यापारी ईमानदारी से ग्रपना धंधा करते हैं : कुछ लोग ही एसे हैं जो ग्रपील में जाते हैं और डिस्प्यूट में जाते हैं ग्रौर कोर्ट में जाते हैं। ग्रौर बाकी सब मन्जूर करते हैं। ग्रगर सारे ही लोग ऐसे हो जायें तो इस विभाग को दस गुना स्टाफ बढ़ाना पड़े। आपको यह भी मालूम है कि जितना हम बजट में रखते हैं उतना ही हम

(श्री मथुरादास माथुर)

असेसमेंट से वसूल कर लेते हैं। इसलिए हमारा इसमें ड्रोबैक नहीं है और एरियर्स बहुत कम है....

सतीशचन्द्र अग्रवाल : एरियर्स कितने हैं ?

श्री मथुरादास माथुर: क्योंकि असेसीज़ का नम्बर बढ़ता जाता है और आपका कानून बदलता जाता है और इस साल के असेसमेंट में ज्यादा नम्बर बढ़ गए तो उनका असेसमेंट करने के बाद में आपको नम्बर ज्यादा दिखता है लेकिन जो असेसी लास्ट ईयर थे उनका एरियर अगली साल में काम मिलेगा लेकिन नये असेसीज को तो करना ही पड़ेगा। एरियर्स मुश्किल से हाफ परसेन्ट होंगे। इसलिए मैं इस विभाग की तारीफ करूं तो कोई अच्छा नहीं मालूम होता और जहां तक एरियर्स का सवाल है इस विभाग में अच्छा काम चलता है। इसलिए हमारी कोई स्क्रूटिनी कर ले तो यह नहीं समझ ले कि हमारे नागरिकों के प्रति हमारा अभद्र व्यवहार है।

तीसरी बात कही वह ज्यादा सियाशी थी। वह हम और तुम बाहर बात कर लेंगे। यह आदमी की बात नई आई है। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विभाग में राजस्थान में इतने विभाग हैं किसी ने सरकूलर नहीं निकाला होगा कि कलेक्टर चाहे तो हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट की एजेन्सी को इस तरह से यूज में नहीं कर सकता। आप ही बतादें किसी विभाग ने निकाला हो सरकुलर तो ? इतने हम प्रिकाशन्स लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे विभाग के कर्मचारी बिजनेस वालों से सम्पर्क रखते हैं। इसलिए यह सरकुलर सुखाड़िया जी की सालगिरह से बहुत पहले निकाला हुआ है। अब रहा यह सवाल कि आपने चन्दा इकट्ठा करने की बात कही। तो चन्दा इकट्ठा आपकी पार्टी भी करती है, हम ज्यादा ले आयेंगे आप कम ले आयेंगे ..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप भी पार्टी के लिए चन्दा करते हैं। आप आज बाजार से पैसे ला सकते हैं हजारों नहीं लाखों रुपये ला सकते हैं। फाइनेन्स मिनिस्टर की बहुत बड़ी पावर्स हैं लेकिन उस सब काम के लिए मच्छर को मारने के लिए बन्दूक चलाने की क्या जरूरत है। हजार पांच सौ तो इसी प्रकार से ले आयेंगे

श्री मथुरादास माथुर: नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: तो क्या आप इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री मथुरादास माथुर: मेरे विभाग में यह है। अगर आपके पास कोई इनफर्मेशन है कि हमारे विभाग के कर्मचारियों ने कोई चन्दा लिया है तो मुझे कहदें यहां कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां आने में विभाग विभाग के अधिकारियों का नाम आता है। आप बता दीजिए, मैं जांच करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपको तो अथोरिटी नहीं है जांच करने की। आप किसी अधिकारी को मुकर्रर करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर: मै अधिकारी को जांच करने के लिए आर्डर दूंगा। कमिश्नर को कहूंगा कि जांच करें।

Page No 115

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जयपुर शहर में 73 हजार रुपया वसूल हुआ सुखाड़ियाजी की वर्षगांठ पर और उसके संबंध में आरोप लगाया है उसमें सेल्स टैक्स के किन कर्मचारियों ने किया है उसकी आप जांच करने के लिए तैयार हैं।

श्री मथुरादास माथुर: जी।

श्री कृष्णकुमार गोयल: मैं नाम देता हूं हाउस के फ्लोर पर। आपके जो डिप्टी कमिश्नर श्री पुरोहित हैं उन्होंने वसूल किया है खेंचकर और व्यापारियों को तंग करके पैसा लिया है, और गवाह चाहिए मै दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल वह एक नाम है।

श्री मदनसिंह दांता: इससे एक सबूत होता कि मंत्रीजी की वर्षगांठ पर अगर कोई रुपये वसूल करता है वह बेईमान व्यापारियों से ही कर सकता है। वह ठाकुर मदनसिंह और कृष्णकुमारजी गोयल से नहीं करता यह सबूत है कि बेईमान लोग पैसा देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर: मैं नहीं जानता हूं कि बेईमान या ईमानदार देते हैं। 53 हजार हुआ है वह कहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर किसी आफिसर ने गवर्नमेंट की किसी इन्स्ट्रक्सन्स से काम किया है तो उसकी जांच की जायगी। आपने नाम बताया है उसको भी देख लेंगे।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक आर्डिनेन्स का संबंध है यह आर्डिनेन्स जिस परिस्थिति में रखा गया है उसके बाद उससे सम्बन्धित बिल के केन्सिक्वेन्शल में दो-तीन बातों की सफाई करनी थी। रेकार्ड में गलती है तो उस रेकार्ड को मान लिया जाय और गलती को ओन दी रेकार्ड ठीक कर दिया जाय मुझे उम्मीद है कि जो प्रस्ताव जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उस प्रस्ताव को मन्जूर नहीं करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यादेश को नामन्जूर कर लेंगे और बिल को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर: मैं भोला आदमी हूं, सतीशचन्द्रजी, कहीं मैं आपके कहने में न आजाऊं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: चक्कर की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका यह जो बिल है यह बिल रिट्रोस्पेक्टिव है।

श्री मथुरादास माथुर: मेरे बिल को पास करदें तो आर्डिनेन्स अपने आप खत्म हो जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: परम्परा यह हो जाय कि हाउस रिजेक्ट कर सकता है।

एक बात बतादें कि आपने इसमें यह लगाया है कि अगर इसको वेलिडेट नहीं करेंगे तो राजस्थान में कितने करोड़ या लाख रुपयों की हानि होगी। एक अन्दाजा, रफ एस्टीमेट बता दें।

श्री मथुरादास माथुर: बात यह है कि रोज सवाल होता है। मैं कमिश्नर से यही पूछता हूं और वे कहते हैं कि लाखों पर जायगा। 90 लाख हो जाय तो करोड़ ही

(श्री मथुरादास माथुर)

होगया तो ये कहते हैं कि बहुत बड़ा प्राब्लम है ग्रोर बहुत जायगा। कन्टेनर की कितनी बात कहते हैं। बोतल तो न जाने एक्साइज डिपार्टमेंट के मार्फत कितनी सेल होती हैं। 16 लाख खाली बोतलें कन्टेनर में आजाती हैं। कन्टेनर में इतनी चीजे हैं जिसके अन्दर वे रखी जाती हैं।

श्री सभापतिः (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल से) वापिस ले रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवालः वापस लेने का सवाल ही क्या है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन तथा विधि मान्यकरण) विधेयक, 1969 पर जो संकल्प श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(विरोधी पक्ष की ओर से हां की आवाजें जोर से और सरकारी पक्ष से ना की धीमी आवाजें)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक दो ···तीन।

श्री सभापति : ना पक्ष जीता ?

श्री लादूराम सुलानियां : अब सदन में नहीं आये कोई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप सरे आम देख रहे हैं सामने कि हां पक्ष वाले ज्यादा हैं। इसलिए इस संकल्प को पारित किया जाय और अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय। नहीं तो दुनिया क्या सोचेगी।

सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यक्षादेश पर ···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो हो गया। आप एनाउन्स करिये अपना डिसीजन।

श्री सभापति : ··· श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(विरोधी पक्ष से हां की आवाजें और सरकारी पक्ष से ना की आवाजें) मैं समझता हूं कि ना पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खेतसिंहजी आप तो डिप्टी मिनिस्टर हैं। आप से पूछता हूं कि किस पर आपने ना कियां ?

श्री खेतसिंह : आपने हां कहा तो हमने नो कह दिया।

श्री सभापति : "ना" पक्ष जीता। संकल्प गिर गया।

(अस्वीकृत)

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1969 पर विचार किया जाय।

श्री सभापति : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन :

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : (बाड़मेर) सभापति महोदय, राजस्थान सेल्स टेक्स (एमेंडमेंट एन्ड वैलिडेशन) बिल, 1969 जो वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसके बारे में मैं यह प्रस्ताव

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

रखता हूं कि इसे जनमत जानने हेतु प्रचारित किया जाय। मैं इसके बारे में वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने यह जनरली पाया है कि जो भी गवर्नमेंट की ओर से बिल्स पेश किये जाते हैं उनके पहले आर्डिनेन्स तो अवश्य ही ये प्रस्तुत करते हैं और आर्डिनेन्स की तो एक प्रथा ही हो गई है। इस प्रकार आर्डिनेन्स को जो एक एक्स्ट्राआर्डिनरी मेजर हैं उसको करना यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है, विधान की अवहेलना है और किसी भी तरीके से यह ठीक नहीं है, मैं यह कहूंगा कि यह सदन का भी अपमान है। तो इसलिए बार बार जो भी गवर्नमेंट की ओर से बिल्स आये उनके पहले आर्डिनेन्स वे प्रस्तुत कर देते हैं, और आर्डिनेन्स के जरिये वे अपना हरेक कार्य चलाना चाहते हैं। मैं इसके बारे में यह भी ध्यान में लाना चाहाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो एमेंडमेंट प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में जजमेंट हुआ है 19 मार्च, 1969 को। उसका जजमेंट हो गया और बजट सेशन था तो वह अप्रेल और मई के महीने में प्रस्तुत किया जा सकता था, वह बिल पेश किया जा सकता था तो पहले इसको आपने सदन में प्रस्तुत नहीं किया। वित्त मंत्रीजी फर्माते हैं कि मैं बहुत ही चुस्त हूं मैं समझता हूं कि वे चुस्त नहीं हैं। अगर चुस्त होते तो इससे पहले ही बजट सेशन में इस बिल को प्रस्तुत कर देते, और यह मामला हल हो सकता था। परन्तु उन्होंने यह मामला उस वक्त प्रस्तुत नहीं किया जब कि फर्स्ट जुलाई को जब असेम्बली के सेशन की डेट 11 जुलाई फिक्स की थी और असेम्बली का सैशन बुलाया गया था, 11 जुलाई को बुलाया गया था, तो क्या आवश्यकता थी 11 दिन पहले प्रस्तुत करने की ? इस प्रकार की गलत परम्परा पैदा करते हैं यह उचित नहीं है इससे अपोजिशन पार्टीज को अवसर मिलता है। और वे इस प्रकार का विरोध करते हैं जो हमें भी अच्छा नहीं लगता है बल्कि बहुत ही बुरा लगता है। इस प्रकार की त्रुटियां करते हैं जिससे समर्थन करने वाली शक्तियों को नुकसान पहुंचे, उनके हृदयों को ठेस पहुंचे, तो इस प्रकार के एक्स्ट्राआर्डिनरी मेजर्स, आर्डिनेन्स वगैरह प्रस्तुत नहीं करने चाहिए।

दूसरी मैं यह चीज सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स के जो इन्सपेक्टर और एक्साइज इन्सपेक्टर्स हैं वे बिल्कुल हर जगह पर जहां पर भी होते हैं, मेरा यह अनुभव है इतने वर्षों का, तो मैं देखता हूं कि वे करप्शन के प्रतीक हैं, और जितना काम इन्सपेक्टर्स का कन्ट्रोल करने का, इन्सपेक्शन का दिया जाता है तो सेल्स टैक्स का यदि इन्सपेक्टर है तो वह व्यापारियों पर फिक्स कर देता है कि इतना सम उनको देना है, जितनी उसकी सेल्स टैक्स की क्षमता होती है उसके अनुसार वह फिक्स कर देता है, और इस प्रकार की चीज बहुत ज्यादा चलती है। तो इस प्रकार से हमें चाहिए कि हम प्रजातन्त्र के युग में चल रहे हैं और इस प्रकार ऐसे ठेकेदार जो कि करप्शन के ठेकेदार इन्सपेक्टर के नाम पर हो रहे हैं इनको अपने को रोकना चाहिए, और इस रोग को रोकने का प्रयास करना है, और इस बारे में जब तक स्ट्रिक्ट मेजर्स गवर्नमेंट नहीं लेगी और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं करेगी...

श्री मदन सिंह : मेम्बर्स को गिन लिया जाय कोरम के लिए।

श्री सभापति : कोरम है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जो भी करप्शन सेल्स इन्सपेक्टर्स में चल रहा है उस करप्शन के कारण वे असेसमेंट भी सही नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स में मैंने देखा है कि असेसमेंट सही नहीं होता है। सेल्सटैक्स का असेसमेंट भी सही नहीं होता है क्योंकि एक फिक्स्ड एमाउन्ट जो व्यापारी हैं या जो भी कस्टमर्स हैं वे उनको देते हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस पर अगर पूरेतौर से कोशिश की जाय तो यह जो करप्शन चल रहा है, वह करप्शन भी मिट जाएगा। और हमारी आय भी बढेगी।

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति महोदय, वित्तमंत्रीजी इस विधेयक की तुलना कामधेनु से करते रहे हैं। मैं उनसे इतना ही कहने वाला हूं कि कामधेनु से तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जो कुछ दूध के रूप उनको मिलता है, वह यह टैक्स कामधेनु है। वह व्यापारी देता है। तो सेल्स टैक्स की वसूली को लेकर, कानून को वालाये ताक रखकर अदालत के आदेशों की उपेक्षा करके आये दिन व्यापारियों का दमन किया जा सके, यह रवैया अपनाकर आज व्यापारियों को तंग किया जा रहा है। मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह व्यापारी ही असली कामधेनु है। आप यह जोर जुल्म न ढायें कि व्यापार ही खत्म हो जाये। अगर व्यापार खत्म हो जाएगा तो जिस पर आप बार बार गर्व करते हैं, उसका क्या होगा ? वह समाप्त हो जाएगा। आप सेल्स टैक्स के बारे में बड़े गर्व से बताते हैं कि हमने अपनी काबलियत से, सेल्स टैक्स अधिकारियों ने अपनी काबलियत से रेवेन्यू के आंकड़ें लगभग 22 करोड़ तक पहुंचा दिये हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि इस रिकवरी के पीछे आपके अधिकारियों की काबलियत नहीं है। 1954 में आपने टैक्स लगाया था उस वक्त कौन कौनसी चीजें ऐग्जम्प्टेड थीं ? अब आपने किस किस पर टैक्स लगाया है ? सभापति महोदय, आरम्भ में जनरल रेट 3 रु० 12 पैसे नहीं थी। जो आज 7 प्रति सैंकड़ा कर दी है। 10 प्रतिशत जो पहले थी। वह 25 प्रतिशत कर दी हैं। जो एग्जम्प्शन थे उनके आधे वियड़ा कर लिये हैं। रा–मेटीरियल पर माफ था वह वापिस कर दिया हैं। अब रा-मेटीरियल एक्जम्प्टेड नहीं है। इसी प्रकार लास्ट ईयर में, जब साल खत्म होने वाला हो, अपने आंकड़े बढाने के लिए जिस ज्यादती से व्यापारियों से अगले साल का टैक्स वसूल किया जाता है, वह आपकी ज्यादती है। वह व्यापारी जो कामधेनु है उससे आपने 22 करोड़ की रिकवरी कर ली है। आपने जिस प्रकार से नये नये टैक्स राजस्थान की जनता पर इम्पोज किये हैं उसके कारण आपकी आमदनी बढ़ी है। सभापति महोदय, केवल अपने अधिकारियों द्वारा अन्याय पूर्वक व्यापारियों से यह टैक्स वसूल किया है। इतना ही नहीं सी० टी० ओज० या दूसरे आफिसर हैं वह इस प्रकार की ज्यादती करते जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उदाहरण दिये जायं तो अपने आप में एक कहानी बनेगी। सभापति महोदय, एक

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

व्यापारी का सी० टी० ओ० असेसमेंट करते हैं, वह कानून की शरण लेने के लिए हाई कोर्ट जाता है। असेसमेंट अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि रिकवरी रोक दी जाये। लेकिन वह सी० टी० ओ० कोई परवाह नहीं करता है। अगर कोई दूसरा कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाये। यह सरकारी अधिकारी करते हैं। ऐसे कई मामले चल रहे हैं। रेवेन्यू बोर्ड में चल रहे हैं। वह एक केस नहीं हैं। अनेक केस हैं। रेवेन्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत है। बल्कि सारे कानूनों को लेकर रेवेन्यू बोर्ड में एक आपत्ति प्रस्तुत की गई है। मैं इसका हवाला देना चाहता हूं। यह व्यापारियों को परेशान करते हैं। इसका उदाहरण मैं अन्त में दूंगा। कोई व्यापारी कानून की शरण लेकर अपने को डिफेंड करता है। आगे जाकर वहां से सफल होकर आता है तो अधिकारी लोग उस वकील का अपमान करते हैं। उनके मुवक्किलों को कहते हैं कि अगर तुमने अमुक वकील को किया तो हम तुम्हारा केस खराब कर देंगे। सभापति महोदय, एक बार नहीं दो बार नहीं अनेक बार रिप्रेजेंटेशन दिये हैं। यह जो अधिकारी हैं हमारा अपमान करते हैं। उन लोगों ने बार बार रिप्रेजेंटेशन दिये हैं कि हम लोगों की तारीखें बदल देते हैं। हम लोग आते हैं, उससे पहले तारीखें खतम कर देते हैं। यहां के बी० एन० पुरोहित की यह कार्यवाही चल रही है। राज्य सरकार के सामने कई बार कहा गया है। वह सी० टी० ओ० किसी का साला है। किसी का रिश्तेदार है।

श्री मथुरादास माथुर : आप तो जानते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं जानता हूं कि आपकी मजबूरी है। लेकिन जो वकील किसी के अधिकार को समझ कर रिप्रजेंट करता है और कल वह अधिकारी उस वकील को अपमानित करता है। वह कैसी स्थिति बनती है! मैं कल की घटना बताता हूं, इन्हीं स्वयं पुरोहित साहब ने एक वकील को धक्के देकर बाहर निकाला है। यही नहीं एक चपरासी से धक्के दिलवाये हैं। आप यह क्या मानकर चलना चाहते हैं। एक वकील जो कानून के कपड़े पहन कर अपने मुवक्किल को अधिकार दिलाने जाता है, उसको सी० टी० ओ० अपमानित करते हैं। मैं समझता हूं आप इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेंगे। आज वह विवश हो सकते हैं। आपके अधिकारियों के कारण और आपके कानूनों के कारण वह व्यापारी पीछे नहीं हटने वाले हैं। इतना ही नहीं (विराम) सभापतिजी इन्हीं पुरोहितजी ने·····

श्री मथुरादास माथुर : लम्बा क्यों करते हैं। मैं समझ गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इन्हीं सी. टी. ओ. ने एक क्लर्क जो कि शिड्यूल कास्ट था उसको किसी साधारण बात पर पहले सस्पेंड किया फिर डिसमिस किया। उसकी अपील हुई। वह जीत गया। श्री गुप्ता जी ने लिखा है ताज्जुब है। जो कुछ आरोप लगाये गये हैं वह असत्य हैं। अकारण ही इस छोटे से कर्मचारी को परेशान करने के लिए यह कार्य किया गया है।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इस निम्नस्तर पर चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह एडवोकेट हो, चाहे उनके दफ्तर का बाबू हो इन तीनों में उनको किसी प्रकार का अन्तर नजर नहीं आता, अपनी मनमानी करने पर लगे हुए हैं। इस प्रश्न को मैं समाप्त करूं, इसके पहले मैं वित्त मंत्री जी, आपसे पूछना चाहूंगा क्या यह सत्य नहीं है, इस असेसमेंट के सवाल को लेकर जब लोगों ने रेवेन्यू बोर्ड के सामने ऐप्रोच किया तो वहां से उन्होंने स्टे आर्डर प्राप्त किया, उसके बाद जो कन्सर्न्ड आपके सी. टी. ओज थे, उन्होंने उसकी पालना नहीं की सीक्योरिटी के नाम पर, बोण्ड का बहाना लेकर अनेक बहानों से स्टे ऑर्डर को नहीं माना, इसलिए अनेक सी. टी. ओज के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड में कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट के केसेज चल रहें है ? इस आधार पर उस अदालत को, जिनमें सुरक्षित हमारे अधिकार है, क्या हम सम्मानित कर पायेंगे, इज्जत दे पायेंगे ? राज्य सरकार स्वयं, उसके विभाग रेवेन्यू बोर्ड, एक हायर ऑथोरिटी के प्रति इस प्रकार के कन्टेम्प्चुअस एटीट्यूड को रखे तो लोकतंत्र की क्या स्थिति होने वाली है इसकी कल्पना करके आप चलें।

सभापति जी, अब जिस बिल को यहां इस सदन में लाया गया है और वित्तमंत्रीजी उस पर हमारी मोहर लगवाना चाहते हैं, उसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं इसके पहले कि अपने विचार इस पर रखूं, यह कहना चाहूंगा कि या तो वित्त मंत्री जी को इस बिल के सम्बन्ध में, इस बिल के आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स बने, उनके सम्बन्ध में जानबूझ कर अंधेरे में रखा गया है या वह जानबूझ कर आज विधान सभा के हम सदस्यों से आंख मींच कर अपनी कलाबाजी के द्वारा उस पर मोहर लगवाना चाहते हैं। मैंने अभी कहा था और जैसा आर्डिनेन्स के ऊपर विचार करते वक्त कहा था, मैं वह नोटिफिकेशन जो 1959 में जारी किया है, उसको मैं सदन की मेज पर रख दूं ताकि सदन के सदस्य उसको देख लें, यह नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, यह 1959 का नोटिफिकेशन है जिसको नल एण्ड वोइड करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जिसकी आड़ लेकर यह बिल लाया गया है, उसकी ओर, सभापति जी, मैं सदन के सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। सभापति जी, जैसा वित्तमंत्रीजी ने कहा, इस बिल के साथ इसके स्टेटमेंट आफ ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में लिखा हैं, इसमें यह लाइन लिखी है, दी ओल्ड गनी बैग्स, नोटिफिकेशन के अन्तर्गत लिया गया था और सेल्स टैक्स से उसको एक्जेम्प्ट रखा था, ओल्ड गनी बैग्स तक उसका दायरा था, उसके आगे नहीं देना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आगे जाकर बारदाने का इन्टरप्रिटेशन दिया है उसके कारण विवाद की स्थिति पैदा हुई है और इस आर्डिनेन्स और बिल का सहारा लेना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो नोटिफिकेशन है, उसको आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा कि वह क्या है। आपका कहना है कि केवल बारदाने में हमारी मन्शा केवल पुराने जो गनी बैग्स थे, बोरियां थीं, उन तक सीमित थी, जब कि आपका नोटिफिकेशन अपने आपमें बहुत स्पष्ट है। वह इस प्रकार है, सभापति जी :

In exerisce of the powers conferred by sub section 2 of sec-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

tion 4 of the Rajasthan Sales Tax Act 54 (Act, 54) and in supersession of this Department Notification No. 513/57, dated 19th December, 1958, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest to do so hereby exempt from tax the sale of 'bardana'

बारदाने में उस नोटिफिकेशन में अपने आपमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप कहते हैं कि बारदाने को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ढंग से लिया, अलग तरीके से लिया, इसलिए बिल लाना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिल लाये हैं, तो जैसा मैंने अभी बताया है, या तो आप जानबूझ कर कन्फ्यूज करना चाहते हैं या आपके अधिकारियों ने आपको कन्फ्यूज किया है। नोटिफिकेशन में 'बारदाने ? को एक्सप्लेन किया गया है, उसमें लिखा गया है:

Old new or being received as container except on the first hand in the series of sale in the State.

मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका नोटिफिकेशन अपने आपमें साफ है, आप बारदाने को नोटिफिकेशन 1959 के तहत एक्जेम्प्ट करना चाहते हैं सेल्स टैक्स से, उसमें आपकी मन्शा आप बता रहे थे पुरानी बोरियां तक सीमित था, लेकिन उसमें एक्सप्लेन किया है, बोरियां कौनसी हैं, चाहे ओल्ड हो, चाहे नई हो, चाहे being received as container जिस वक्त नोटिफिकेशन निकला था, राज्य सरकार की साफ मन्शा थी कि कोई भी बोरी चाहे वह पुरानी हों, चाहे नई हों या जो कन्टेनर के रूप में यूज की जाती रही हो उस सबको सेल्स टैक्स से एक्जेम्प्ट करना चाहते हैं तो आज आपको यह कहना चाहिए इस बिल को इन्ट्रोडयूस करते समय कि हम केवल पुराने बारदाने......

श्री मथुरादास माथुर : आप समझे नहीं, हमने यह कहा था, बारदाने के मायने लिये थे। गनी बैग्स, गनी बैग्स यूज्ड एज कन्टेनर यह मतलब लिया था, उस वक्त बारदाने का मतलब यह सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने कहा है, वह यह कहा है :

'It means all the containers whether it is glass, bottle or whether it is khokha or any-other thing.' वह जितने भी कन्टेनर हो सकते हैं, उसके अन्दर डिब्बा भी हो सकता है, बोतल भी हो सकती है, बोरियां भी हो सकती हैं—यह इन्टरप्रिटेशन उन्होंने दिया है, उसकी वजह से यह काम्प्लीकेशन पैदा हुआ है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वित्त मंत्री जी, अगर कहीं गलती हो गई, मुगालत्ता दे दिया गया, तो ईमानदारी से मंजूर कर लेना चाहिए। इस बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया है, वह मैं सदन के सामने पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। सभापति जी, आपकी इजाजत से मैं सुनाना चाहूंगा :

Page No 122

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

"Old gunny bags are repaired and sold again and again for putting them to use. Levy of tax on sales of old, repaired gunny bags everytime would have placed an unusually high tax burden on this cheap commodity. To avoid this, the Government decided to exempt sales of such old gunny bags from Tax and issued the Excise and Taxation Department, Notification No. F. 5 (139) E &T/57, dated 11th August, 1959. The word 'Bar dana' by which gunny bags are known in trade parlance was used in the Notification in place of gunny bags."

आपने कहीं पर नये का नाम नहीं लिया है। आप विधान सभा के सदस्य और हमें संतुष्ट करना चाहते हैं, उसके अन्दर यह नोटिफिकेशन......

श्री मथुरादास माथुर : इतना समझ लीजिये, राजस्थान के अन्दर तो गनी बैग्स मेन्युफेक्चर नहीं होते हैं। सवाल यह है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, फर्स्ट पाइन्ट आफ इम्पार्टेड पर टैक्स लगता है, राजस्थान में मेन्युफेक्चर पर क्यों नहीं लगता है। उस डिस्क्रिमिनेशन से बचाना चाहते हैं। गनी बैग्स बाहर से आते हैं, नये हों उनमें चावल भरे हुए हों, बाहर से आये हों, सैकंड हैंड हो और उनमें गुड़ या चावल भरा हुआ हो तो वह बाहर से आये हैं, राजस्थान में बनते नहीं हैं। नये और पुराने बाहर से आते हैं, गनी एण्ड एज सच गनी कन्टेनर के आते हैं और गनी बैग्स की तरह आते हैं-तो हमने यह कहा है। यह सही है कि न तो आफिसर्स ने गलतफहमी में रखा है, न मैं गलतफहमी में रख रहा हूं। आपकी जो गलतफहमी है उसको आप करेक्ट कर लें।

कृष्ण कुमार गोयल : वित्त मंत्री जी, आप इन्टरप्रिटेशन अपने ढंग से करना चाहते हैं। नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि 1959 में बारदाने को एक्जेम्प्ट किया है, नये पुराने कन्टेनर, कन्टेनर के लिए लैंग्वेज यूज की है, उससे मैं समझता हूं, लेमैन, थोड़ी अंग्रेजी जानने वाला आदमी भी कन्फयूज नहीं हो सकता 'Bardana' old new or being received as container'

श्री मथुरादास माथुर : हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कहां कन्फ्यूजन है।

श्री मथुरादास माथुर : Or being received as container. The gunny bags being received as a container. इसको ऐसे पढ़िये, शुरू में बारदाने में हमने यह गनी बैग्स से सम्बन्धित दिया है, चाहे नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे कन्टेनर की हैसियत से आया हो, फोर कन्टेनिंग पर्पज—वह सब इसमें है। बारदाने का मतलब दूसरी चीज से नहीं था, अब अल्ट्रावायरर्स कैसे हुआ, तो लकड़ी के खोके यहां बनते हैं, मैंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन हो

(श्री मथुरादास माथुर)

हो There is a difference between the original and old and therefore, this interpretation was given.

श्री कृष्ण कुमार गोयल : तो, सभापति जी, एक नोटिफिकेशन, इन्होंने बारदाने के एक्जेम्प्शन के सम्बन्ध में, जिसका आज क्लेरीफिकेशन दिया जा रहा है, यह 4-8-59 को निकाला था, उसके बाद इस नोटिफिकेशन को समाप्त करने के लिए इस विभाग ने 20 फरवरी 68 को एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके माध्यम से चाहे वह नया हो, चाहे वह पुराना हो, चाहे वह कन्टेनर के रूप में काम आता हो-इन तीनों प्रकार के बारदाने पर, जो अभी तक एक्जेम्प्शन था सेल्स टैक्स से, फरवरी 1968 की कार्यवाही से उस एक्जेम्पशन को विथड्रा करके आपने वापिस बारदाने के ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया तो आपकी जो भावना है जो बिल के अन्दर बताई है कि ओल्ड गनी बैग्स बारबार ठीक होते हैं, समय समय पर उस पर टैक्स लगा, आज फरवरी, 1968 के बाद जब आपने सारे एग्जेम्पशन्स एकदम विथड्रा कर लिया, 1968 के बाद उन्हीं बारदानों पर टैक्स लेंगे या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं सर्क्यूलर पढ़कर सुनाता हूं 28 मई, 1969 का :

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Rajasthan Act, 29 of 1954) the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest to do so, hereby exempts from tax the sale of old/second hand gunny bags, on the condition that the dealer claiming exemption gets these goods recorded in his registration certificate."

श्री कृष्णकुमार गोयल : 1969 में आपने गनी बैग्स को ... ..

श्री मथुरादास माथुर : बजट सेशन के समय गनी बैग्स के सवाल को लेकर कई डेप्यूटेशन्स आए थे, यहां पर चर्चा आई थी। मैंने कहा था कि मैं चिंतन कर रहा हूं और चिंतन करने के बाद सेकंड हैंड गनी बैग्स को एग्जेम्पट कर दिया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सभापतिजी, सारे प्रश्नों के बाद जो जो स्थिति उत्पन्न हुई है इस क्लाज को लाने से, आपका जो नोटिफिकेशन था 1959 का और उसके बाद 1968 के अंदर उसको विथड्रा किया"

श्री मथुरादास माथुर : By Notification of 1968. . . .

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वही मैं कह रहा हूं। याने पहले नोटीफिकेशन से दूसरे नोटीफिकेशन के जारी होने तक बीच में जो भी अभी तक एग्जेम्प्टेड थे सेल्स टैक्स से "एक्सेप्ट ओल्ड बारदाना" आप उस पर टैक्स लेना चाहते हैं और उस टैक्स की वसूली रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से करना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं नहीं। बारदाने का माइना जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 'बारदाना इन्क्लूड्स आल कन्टेनर्स' तो हमने उन लोगों से टैक्स वसूल किया था। हमने सिर्फ गनी बैग्स का इन्टरप्रिटेशन लेकर 1959 के नोटिस के अन्दर जो एक्सेप्शन्स थे, उनको छोड़कर बाकी चीजों पर वसूल किया था। अब जब बारदाना का मतलब इतना वाइड हो गया और उन एक्सेप्शन्स को हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपंज किया, तो जिनसे 1959 से 1968 तक टैक्स नहीं लिया जायगा तो सब पैसे वापस मांगेंगे, मुझको सब रिफंड करना पड़ेगा, यह कठिनाई पैदा हो गई, लाखों करोड़ों रुपये हो गए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आपके नोटीफिकेशन के अन्दर नए या पुराने कन्टेनर्स, जिस प्रकार कि आपकी परिभाषा थी, सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट किया हुआ था। उसके तहत किसी व्यापारी से बिक्री कर इस आधार पर वसूल नहीं किया गया तो वह व्यक्ति इस संशोधन द्वारा आपको दुबारा बिक्री कर देने का अधिकारी नहीं होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : हमें वसूल करने का अधिकार नहीं है, हमसे वसूल करने का खतरा है। हम किसी से वसूल नहीं करने जा रहे हैं 1959 से 1968 के बीच। हमने जो वसूल कर लिया है उसके लिए रिफंड के क्लेम्स आ सकते हैं इसलिए किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं भी स्पष्ट करता हूं कि जिस व्यापारी से अगर कोई वस्तु पर सेल्सटैक्स वसूल किया है तो राज्य सरकार सेल्स टैक्स ले, आपत्ति नहीं लेकिन यदि किसी व्यापारी से किसी अधिकार के तहत या कानून के इन्टरप्रिटेशन के आधार पर सेल्स टैक्स वसूल ही नहीं किया और राज्य सरकार संशोधन को लाकर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर उससे असेसमेंट द्वारा टैक्स वसूल करना चाहे, तो मैं इसका विरोधी हूं।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा नहीं है। मेरा नोटीफिकेशन 1959 में कहता है बारदाने का जो कुछ मतलब उस वक्त था, एक्ट कहता है:-

Except on the first point at the hands of an importer in the series of the sales in the State.

सिर्फ पहले पाइन्ट पर लूंगा। इसके रद्द होते ही, वह कहता है वापस पैसा लाओ वापस कहां से लाऊं, वह तो आपके विकास पर खर्च हो गया। मेरी पोजिशन यह है। इसलिए अध्यादेश निकालना पड़ा। लेकिन मैंने इस स्थिति को ठीक किया है, वापस नहीं दूंगा, मैं उनसे नहीं लूंगा वरना सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के आधार पर मेरे पास 80-90 लाख या करोड़ रुपए के क्लेम्स आ सकते हैं तो परेशानी हो जाती है। वरना अध्यादेश लेकर नहीं आता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका मतलब स्पष्ट हो गया। राज्य सरकार कोई कानून बनाती है, कानून के अन्दर नोटीफिकेशन जारी करती है उसके अनुसार कर वसूल करने की व्यवस्था करती है, कुछ का

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

एग्जेम्प्ट करती है और उसके आधार पर व्यापारी एग्जेम्प्शन को स्वीकार करके सेल्स टैक्स नहीं देता और राज्य सरकार के अधिकारी जबरन वसूल करना चाहते हैं और जब अपने अधिकार के संरक्षण के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कानून की व्याख्या के अधिकार से फैसला लेना चाहते हैं, तो वह राज्य सरकार, मैं नहीं कहना चाहता, इसे बेईमानी की परिभाषा दी जा सकती हैं। आज रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट के अधिकार को अपने हाथ में लेकर जिसका इन्टरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है अधिकारों के लिए, वहां कोई इन्टरप्रिटेशन देता है उससे झुंझलाकर इस व्यवस्था के द्वारा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर उस अधिकार को लेना सरकार चाहती है तो इस सदन को विरोध करना चाहिए। आप व्यवस्था कर दें उसके अनुसार कानून कोई बनाते हैं, टैक्स लेते हैं, टैक्स से एग्जेम्प्ट करते हैं, व्यापारी एग्जेम्पट मानकर इन्टरप्रेटेशन के अनुसार कानूनी सलाह के अनुसार पालन करता है और जब आपके अधिकारी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर इस बिल के द्वारा हम से अधिकार लेना चाहते हैं। इस प्रकार के अधिकार नहीं दिए जायेंगे।

कई बार इसी सदन में एक केस की चर्चा आई। आज जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, जिसने नोटीफिकेशन के आखिरी क्लाज को अल्ट्रावायर्स डिक्लेयर किया है वह केस है घासीराम मांगीलाल का यह झूंझनूं वाली पार्टी है, वही पार्टी है जिसके खिलाफ इसी सेल्स टैक्स विभाग ने असेसमेंट किया था, भारी असेसमेंट किया था, जिसके कारण उसको अपील में जाना पड़ा, रेवेन्यू बोर्ड में गया वहां जीतता है, हाईकोर्ट में अपील करते हैं, वहां से जीतता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाती हैं, वहां से वह पार्टी जीतती है। यह वही केस है साम्भर का। इसके अन्दर सेल्स टैक्स विभाग ने ज्यादतियां कीं। यह फर्म दूसरे भाई की थी सी० एल० गोयल एण्ड ब्रादर्स। सबको मिलाकर लगभग 3–4 लाख के बीच में सेल्स टैक्स की रिकवरी करने के लिए विभाग ने अपने हथियार उठाए और वह व्यक्ति रेवेन्यू बोर्ड से स्टे लेता है, उसकी चिंता सरकार नहीं करती, हाई कोर्ट से स्टे लाता है, उसकी चिंता नहीं करती और इस बीच में उसकी दूसरी फर्म का असेसमेंट करके तलवार लटका देते हैं, वह स्टे आर्डर ले आता है, जमानत पेश होती है, जमानत स्वीकार नहीं की जाती, अटेस्टेशन के आधार पर नाकाफी जमानत के आधार पर रिजेक्ट की जाती है, वह अंत में परेशान होते होते हाई कोर्ट का संरक्षण लेता है। उसके कारण यह व्यक्ति मांगीलाल इस विभाग के जुल्मों के कारण, अधिकारियों की ज्यादतियों के कारण हार्ट एटैक के कारण मर जाता है। यह वही मुकदमा हैं जिसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। वही फर्म है घासीलाल की जो आरम्भ के इन्टरप्रिटेशन के आधार पर मानकर चलती थी, जो माल इम्पोर्ट करता हो, राजस्थान में बाहर से और जिस पर एग्जेम्प्शन किया हुआ हो, यही सरकार किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती यहां के मामले में, बाहर के मामले में टैक्स लगाने के मामले में आप भेदभाव नहीं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

करते वह व्यक्ति इसको चैलेन्ज कर रहा था वह व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है। इस कारण मर चुका है । आज सुप्रीम कोर्ट में जीतता है । कोर्ट उसकी बात को मानती है यह सरकार वसूली में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती । वही सरकार इसके द्वारा मोहर लगाना चाहती है । रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून लाकर मोहर लगाना चाहती है । हम यह अधिकार इस सरकार को नहीं देना चाहते । यह प्रणाली बना ली तो यह अनिश्चितता कभी खत्म नहीं होगी । कोई पता नहीं यह सरकार कब जाकर टैक्स लगा दे और अटेचमेन्ट कर ले दूसरी व्यवस्था लेकर वित्त मंत्री आना चाहते हैं। अनिश्चित समय का अधिकार लेना चाहते हैं । सभापतिजी, 54 के मामले 69 में उठा ले या जब तक सरकार चलती रहे उसका असेसमेन्ट करती रहे उस आदमी की इज्जत उतार कर बेच देना चाहती है । यह अधिकार इस बिल के द्वारा हम उनको नहीं देना चाहते । इसलिए कहना चाहूंगा कि सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद आपके नियमों का इन्टरप्रिटेशन उच्च न्यायालय ने लिया उसके बाद अपनी मनमानी करने के लिये कि पैसा हम को रिफन्ड करना पड़ेगा, एक ईमानदार सरकार का फर्ज है कि जो न्यायालय फैसला देता है उसको माना जाना चाहिये चाहे कितना ही नुक्सान हो। लेकिन यह राज्य सरकार उसको मानने वाली नहीं है ।

(घंटी)

समाप्त ही कर रहा हूं ।

सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग के आदमियों के हाथ में नहीं खेलें । उसकी ज्यादतियों को किसी प्रकार प्रोटेक्शन न दें वरना कानून और व्यवस्था देश में खत्म हो जावेगी । वित्त मंत्रीजी आप से पूछना चाहता हूं कि यह श्री डालूरामजी कौन हैं ? गवर्नमेन्ट के कब से एडवोकेट बन गये ?

श्री मथुरादास माथुर : मुझे पता नहीं कौन डालूरामजी हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं बताता हूं कि यह जिस समय शास्त्री सरकार थी उस समय केवल कस्टम विभाग में कर्मचारी थे ।

श्री मथुरादास माथुर : क्या करूं डेमोक्रेसी है आपने मुझे मिनिस्टर बना दिया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वह तो आप मतदाताओं के समर्थन पर आये हैं। लेकिन यह मतदाता के समर्थन पर नहीं आये जो व्यक्ति शास्त्री सरकार के समय में भ्रष्टाचार के मामले में नौकरी से निकाल दिया गया हो वह सन् 57 में आपका पैरोकार बन जाता है । 350) रु० में उसको लगाते हैं । वह रिवीजन और अपीलेट आथोरिटी में काम करता है और 67 में आप उसे 800) रुपये पर गवर्नमेन्ट एडवोकेट लगवा सकते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि श्री डालूरामजी ने कभी भी राजस्थान हाईकोर्ट से एडवोकेसी का सनद ली है या राजस्थान हाईकोर्ट ने उनका रजिस्ट्रेशन किया है ? सभापति जी, वे राजस्थान हाईकोर्ट के अधीन नहीं । बिना राजस्थान हाईकोर्ट के अधीन हुए

Page No 127

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

गवर्नमेन्ट एडवोकेट बनाया गया और 800) वेतन पर उनको रखा गया। उन्होंने क्या किया ? मध्यप्रदेश में चले गये। मध्यप्रदेश में जाकर हलफनामा लिया, अदालत में प्रेक्टिस करने लगे जबकि वे एक दिन भी मध्य प्रदेश में नहीं रहे और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सनद प्राप्त कर ली। यह राजस्थान हाईकोर्ट के अधीन रजिस्टर्ड नहीं है। वह ट्रान्सफर कराके 67 में यहां आये। मैं पूछना चाहता हूं कि डालूरामजी को किस प्रकार गवर्नमेन्ट एडवोकेट बना कर रख लिया। कई कहानियां हैं। कहते कहते शरमाता हूं। यह श्री मिराली कौन हैं ? एक व्यक्ति मिरालीलाल नाम का पहले केवल चपरासी नियुक्त होता है। तुरन्त चपरासी से एल.डी. सी. बना दिया जाता है। जब एल. डी. सी. हो तो राजस्थान गुड्स पैसेन्जर एक्ट के तहत डबल एडजेस्टमेन्ट के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ इन्क्वायरी चलती हो उसको कमिश्नरी में हैड ऑफिस में ले आते हैं उस इन्क्वायरी का पता नहीं लगता और वह मुरारीलाल एक चपरासी नियुक्त हुआ, बाद में एल.डी.सी. बना दिया गया। करप्शन की इनक्वायरी हुई; प्रोटेक्शन देने के लिये हैड ऑफिस में रख लिया आज वह यू. डी सी. बना हुआ है और ऑडिट पार्टी के साथ उसे लगाया हुआ है। आखिर ये स्थितियां क्या हैं ? केवल इस आड़ में और लोभ में कि आज एक अधिकारी खूब आमदनी देता है, सेल्स टक्स के माध्यम से करोड़ों रुपया प्राप्त हो रहा है चाहे व्योपारी से कितनी ही आमदनी हो कोई परवाह नहीं, उसके विरुद्ध कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की कार्यवाही हो जाय और नियुक्तियों और पदोन्नतियों के मामले में भेदभाव और पक्षपात किया जाय इस ओर से वित्त मंत्रीजी को आंख नहीं मींचनी चाहिये और जागरूक होकर अगली कार्यवाही करनी चाहिये। ए.सी. ओ. से सी. डी. ओ. बनाने के मामले, इन्स्पेक्टर से सी. डी. ओ बनाने के कितने मामले बदले हैं। 64 में क्या थे और अब क्या हो गये ? समय समय पर प्रमोशन और नियमों में व्यवस्था बदली गयीं चन्द व्यक्तियों को अपने व्यक्तियों को तरक्की देने के लिये दूसरे अधिकारियों का हक मार कर उनको आगे लाने की कार्यवाही की है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल आया है जिस पर मोहर लगाना चाहते हैं उस पर आप गम्भीरता से विचार करें। आपका विभाग कोई कमिटमेन्ट देता है कानून के द्वारा कोई एक्जम्प्शन देता है उसको ईमानदारी से स्वीकार करें अगर सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि इसका असली इन्टरप्रिटेशन तो यह होता है तो उसे मानना चाहिये। आप अधिकार देते हैं उसी को न मानें। जब भी टैक्स लगा सकने की सदन से अनुमति लेना चाहते हैं तभी आपने ले ली है।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको जल्दबाजी में पास न करें। मेरी मान्यता है कि इस बिल को पास करने के पहले अनुमति लेनी चाहिये प्रेसिडेन्ट की वह नहीं ली है। यह न हो कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जायं सांभर वाले केस में हुआ है। आपके अधिकारी नहीं मानते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इन्टरप्रिटेशन ठीक है और जो इन्टरप्रिटेशन अधिकारी लगाते थे वह गलत है। फायदा उठाने के लिये यह नही हुआ बल्कि आपके अधिकारियों की ज्यादती के कारण यह हुआ।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

गम्भीरता से इस पर विचार करें और पुन: इसको सदन में लाने के लिये जनमत जानने के लिये प्रस्तुत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं राजकीय उपक्रम समिति से अपना नाम वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, मुझे ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रस्ताव के सिलसिले में आर्डिनेंस, अध्यादेश की चर्चा करते हुए मैंने राज्य सरकार की मंशा, राज्य सरकार के इरादे पर रोशनी डाल दी थी। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए जो बातें रखी हैं, उसके लिये मैं उनका अभारी हूं। जहां तक इस बिल के सम्बन्ध में उनकी जो शंकाएं थीं, मैंने वक्तन फवक्तन उठकर राज्य सरकार की मंशा को, हमारे सरक्युलर के इन्टरप्रिटेशन को सदन के सामने रख चुका हूं इसलिए उन सब को दोहराना नहीं चाहता हूं।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, उस बिल के अन्दर तीन क्लाजिज में तरमीम लाई गई है। एक तो क्लाज (2) है। जैसा कि मैंने सरक्युलर के हिसाब से, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो मतलब लगाया है, मैंने उस रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया है। फिर इसके बाद में दफा 17 का अमेंडमेंट रखा गया है और वह भी इस कानून के बनने की वजह से कि जो कुछ भी और सुधार करने की आवश्यकता रहेगी, उसको आफ दी रिकार्ड रखा है, और जानकारी उसमें लेनी है। फिर इसके बाद इसकी क्लाज 5 है। यह असेसमेंट के बारे में हैं। माननीय सदस्य ने यह कहा कि राज्य सरकार यह छूट देना चाहती थी ? असेसमेंट के बाद, कितने वर्ष के बाद भी रिओपन कर दें। कानून के हिसाब से यह 8 वर्ष है। हमने यह कहा कि कोर्ट का फैसला होने के 8 वर्ष के बाद भी उसके कोर्ट के फैसले में, परशुयेशन में कार्यवाही करानी पड़े तो वह 8 वर्ष में भी हो सके। यह मायने नहीं हैं कि इनडेफीनेट पीरियड तक मामला लटका रहे। इसलिए इसमें अमेंडमेंट किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसकी क्लाज 4 हैं। उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है……

An order which was valid when it was made, and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation, shall, for the purpose of this section, be construed as involving a mistake apparent from the record"

इसका क्या मतलब है।

श्री मथुरादास माथुर : इसको डिफाइन किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

"An order which was valid when it was made, and is, subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation, shall, for the purpose

(श्री मथुरादास माथुर)

of this section, be construed as involving a mistake apparent from the record."

बाकी जो है वह 5 में आता है। यह आपका अमेन्डमेंट सेक्सन 12 का है, वह 30 में आता हैं। इसलिये ये तीन मैन पाइन्ट हैं। इसके **अन्दर ये दोनों** पाइन्ट हैं उसके लोजिकल मीन्स को खत्म नहीं किया है। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त कोटा से आने वाले माननीय सदस्यों ने कुछ बातें यहां उठायी हैं। उनका इस समय जवाब देने में मैं असमर्थ हूं। जो अपाइन्टमेंट वगैरह की बात कही गयी हैं, उनकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर मुझे पहले बताया जाता तो मैं तैयार होकर आता। खैर मैं श्री गोयल से इस बारे में, आपस में गुफ्तगू कर लूंगा और जो उचित होगा, कार्यवाही करूंगा। यही मैं यहां कह सकता हूं। ये बातें मुझे बतायें। अब मैं समझता हूं कि यह जो बिल है उसे अब क्लाज बाय क्लाज लिया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किये जाने के लिये जो संशोधन प्रस्ताव श्री रामकिशन, श्री वृद्धिचन्द जैन, श्री शिवनाथ सिंह व श्री कृष्ण कुमार गोयल ने प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह जो मोशन है जनमत जानने के लिये सिलेक्ट कमेटी को दिया जाये।

श्री सभापति : सिलेक्ट कमेटी वाला कोई मोशन नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मोशन नहीं है। अब तो आगे की बात करिये। ड्राप हो गया।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन तथा विधि मान्यकरण) विधेयक, 1969 को पारित किया जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। तीसरे वाचन में अवसर मिल जायेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हमारे जो अधिकार हैं सभापति महोदय, इसको मैंने पहले ही, परसों ही दिया था। इसलिये इसको लिया जाय और वित्त मन्त्रीजी के इच्छानुसार न चलें।

श्री सभापति : मैंने देख लिया है। मैंने नाम पुकारा था।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यहीं पर था।

श्री सभापति : मिस्टर गाड़िया आप उस वक्त हाऊस में नहीं थे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यहां पर था। वित्त मन्त्री जी भाषण कर रहे थे तब यहीं पर था।

Page No 130

श्री सभापति : आपको थर्ड रीडिंग में अवसर मिल जायेगा।

श्री शिवनाथसिंह : मैं अपना नाम जनलेखा समिति से वापिस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंह ने अपना नाम जनलेखा समिति से वापिस लिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आपका नम्बर आया था परन्तु आप उस समय हाऊस में नहीं थे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं हाऊस में ही था।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : सभापति महोदय, मैं अपना नाम प्राक्कलन समिति से वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल जेलिया ने प्राक्कलन समिति से अपना नाम वापस लिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय,

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने प्रस्ताव कर दिया है। अब तो इस प्रस्ताव को पारित करना है। तीसरे वाचन में माननीय सदस्य जो बोलना चाहें तो बोलें।

श्री देवीदत्त गाड़िया: सभापति महोदय

श्री सभापति : आप उस वक्त नहीं थे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं था। आसन से इस प्रकार का निर्णय दिया जाये, यह मैं उपयुक्त नहीं समझता। यह तो एक आरोप है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने मूव कर दिया है। यह बिल पारित करना है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप बीच में ही खड़े हो गये थे।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे पता नहीं है। मैंने जवाब दे दिया है और पारित करने के लिये यह मूव कर दिया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं एक जानकारी और चाहूंगा वित्त-मन्त्री जी से। आपने जो बताया है कि 68 के अन्दर नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें आप एक्जम्पशन विदड्रा कर रहे हैं। इसके बाद 69 के अन्दर दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें एक्जम्पट किया है। इसको कुछ तो रखें। कब का है?

श्री मथुरादास माथुर : मे 28, 1969 आपको मालूम है अपील में बहस हुई है। उसके बाद करीब 28 मई, 1969 को यह नोटिफिकेशन निकला है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अब इस पीरियड में क्या हुआ?

श्री मथुरादास माथुर : बीच का लगेगा उसका मैं क्या करूं?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार अपनी मंशा में अपने आप स्पष्ट नहीं है। एक प्रकार से

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उलझन में आप उलझते गये। आपके दो रास्ते हैं। पहले तो सब को खत्म करके, फिर दूसरे में एक साथ रिट्रास्पेक्टिव डेट से रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से वसूली कर लें।

श्री मथुरादास माथुर : इसको रिट्रोस्पेक्टिव इसलिये कर रहे हैं कि 68 के बाद बराबर रिप्रजेन्टेशन चलते रहे सेकण्ड हैण्ड गनी बेग्ज पर माफ किया जाय। 68 में ही नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उसमें यह सब पर लागू हो गया उसके बाद माफ किया है।

श्री रामकिशन : हमें आप यह तो बताइये उसकी तादाद कितने लाख में है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने पहले ही बता दिया था एग्जेक्ट फिगर्स तो मेरे पास है नहीं। तीन चार पार्टियों के तीन चार लाख के तो क्लेम हमारे पास आगये। कुल पचास साठ लाख या 70.80 लाख भी हो सकता है।

श्री सभापति : श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो इस बिल को पारित करने के लिये प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करता हूं।

इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि यह बिल जो सदन में प्रस्तुत किया गया है इस पर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सभी ने विरोध में निर्णय दिया है। लोकतन्त्र की स्वस्थ परम्परा तो यह थी कि राज्य सरकार सुप्रीम-कोर्ट के निर्णय को मानती और जो व्यापारियों से अनुचित रूप से वसूल किया है उसको वापिस करती। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि वह इसको वापिस कर सके इससे यह सिद्ध होता है कि राज्य सरकार दिवालिया है। दिवालिया सरकार के नाते मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार का आर्डिनेन्स लाया जाना लोकतन्त्र की स्वस्थ परम्परा के अनुकूल नहीं है। अगर सरकार का खजाना खाली है, सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस प्रकार का बिल लाने से पहले आपकी मशीनरी द्वारा आप व्यापारियों से अपील करते कि सरकार की स्थिति ठीक नहीं है दिवालिया है, अनुचित ढंग से यह टैक्स वसूल किया है, वह वापिस न ले और वह व्यापारी वह रकम सरकार को अनुदान के रूप में दे। अगर आप यह स्थिति अपनी बतादें तो और अपनी दिवालियापन की स्थिति बता दें तो मैं यह मानकर चलता हूं कि व्यापारी उदारतापूर्वक सरकार को वह रकम अनुदान के रूप में दे देंगे। जैसे एक व्यक्ति चलता हुआ भिखारी को पैसा दे देता है उसी प्रकार व्यापारी भी अनुदान के रूप में सरकार को दे देंगे। इस बिल के लाने से अच्छा तो यह होता।

इतना ही नहीं सभापति महोदय, यह राजस्थान सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपने क्या कभी इस ओर ध्यान दिया है। आज राजस्थान के उद्योगपति चाहे वे कोटा के हों, चाहे जयपुर के हों

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

अजमेर के हों, बीकानेर के हों, जिन व्यापारियों को उद्योगपतियों को केन्द्रीय सरकार से एक्सपोर्ट लाइसैन्स मिलता है उसके द्वारा वे विदेशों से मशीनें मंगाते हैं अन्य सामान मंगाते हैं। उनको मंगाकर, जिनकी लागत लाखों रुपयों में है उनको कुछ उद्योगपतियों ने विक्रय कर दिया है और इस ढंग से विक्रय किया है उसमें केन्द्रीय सरकार की इजाजत ली है कि हमने जो मशीनें मंगाई हैं वे बेचना चाहते हैं ? केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को लिखा है वास्तव में ये मशीन बेचना चाहते हैं। इनको नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है। राज्य सरकार कहती है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से स्वीकृति लेकर जो आयातित मशीनें थीं उनको बेच दिया गया और वह ड्योढी कीमत में बेची गई। क्या वित्त मंत्रीजी बतायेंगे कि उन पर जो केन्द्रीय सेल्स टैक्स बनता है वह भी उनसे वसूल किया। इसके बारे में उद्योग विभाग से लिस्ट मांगी जाय, किन किन उद्योगपतियों ने मशीनें मंगवाई थी और वह कितने कितने में बेची क्या इस बारे में विभाग ने जांच की है। जिन उद्योगों में काम आने वाली मशीनें जिन उद्योगपतियों ने बेची हैं उनकी क्या कीमत थी, कितने में बेची गई, क्या जो बेची गई उसका दस परसेन्ट सेन्ट्रल सेल्स टैक्स जमा कराया है ? अगर इस मामले की जांच करायें तो आपको पता चलेगा दस परसेन्ट सेन्ट्रल सेल्स टैक्स नहीं दिया है। जिन्होंने दूसरे प्रान्तों को बेची हैं अगर वह रुपया जमा कराया जाय तो दस लाख से ऊपर उस पर सेन्ट्रल सेल्स टैक्स बनता है। आपने इसकी कोई जांच नहीं की दूसरे प्रान्तों को बेच दी गई।

कुछ व्यापारियों ने सेल्स टैक्स ए.सी.टी.ओ.और सी.टी.ओ.से मिल कर सारा बहीखातों में जमा खर्च किया है और सेन्ट्रल सेल्स टैक्स नहीं जमा कराया। इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस ओर विभाग के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया है। क्या वित्त मंत्री महोदय सदन को आश्वासन देंगे कि जितनी भी मशीनें आयातित हैं, रामेटिरियल आदि कितनी उसमें से दूसरे प्रान्तों को बेची गई इसकी जांच करवायेंगे और जिन व्यापारियों ने सेन्ट्रल सेल्स टैक्स नहीं दिया उनसे वसूल किया जायगा और जिनने नहीं जमा कराया उनके खिलाफ 420 का मुकदमा दायर किया जायगा ?

राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट की बड़ी तारीफ करते हैं वे कहते हैं हमारा यह विभाग बड़ा जागरूक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका यह विभाग जिस तरह से मध्यम श्रेणी के साधारण व्यापारियों से जिस तरह का व्यवहार करता है, जुर्माना और अत्याचार करते हैं वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट पेश किया था सभापति महोदय, उस समय कहा गया था हमने खुल कर टैक्स नहीं लगाया लेकिन जिन व्यापारियों ने बजट पारित होने से पहले वसूल कर लिया चाहे वह बीच का अन्तर केवल दस बारह दिन का ही क्यों न हो या एक महीना रहा हो, जिन व्यापारियों ने खरीददारों से उपभोक्ताओं से सेल्स टैक्स

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

वसूल कर लिया उसका क्या हुआ ? खल आदि अन्य वस्तुओं पर 1969 के बजट में टैक्स लेने की व्यवस्था थी बाद में तय किया गया कि खल पर टैक्स नहीं लिया जायगा। क्या जिस बेचारे से टैक्स लिया है, जिसने टैक्स जमा करवाया है, क्या उसको आप वापिस करेंगे ? सभापति महोदय, इस प्रकार से उपभोक्ताओं से, छोटे छोटे व्यापारियों से सेल्स टेक्स वसूल किया क्या उसको वापिस करने की घोषणा करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : किसका टैक्स ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : खल आदि चीजों का जो बाद में माफ हुआ। मैं निवेदन कर रहा था, वित्त मन्त्री कहते हैं जबरन वसूल नहीं करते। वे ईमानदार हैं। मैं कह सकता हूं कि विकास के लिये ऋण जब जब सरकार मांगती है, अपील करती है उस समय इस आड़ में सेल्सटैक्स विभाग के ए. एस. टी. ओ., एस. टी. ओ. तथा अन्य अधिकारीगण व कर्मचारी मध्यम श्रेणी के व्यापारियों से जबरन वसूली करते हैं। बांड के रूप में नहीं है। इन्टरेस्ट के रूप में 8 परसेन्ट व्यापारियों से जबर्दस्ती और अधिक वसूल किया गया और उसकी रसीद नहीं दी। पांच सौ रुपया विकास ऋण देना था तो उस पर चालीस रुपया जबरन और वसूल किया गया और उसकी रसीद भी नहीं दी। उनकी जेबों में चला गया वह।

इसके कारण वह सारी की सारी रकम सेल्सटैक्स विभाग में आई और राजस्थान की सरकार ने उस इन्टरेस्ट की रकम को लेकर बैंकों में जाकर विकास का ऋण खरीद किया है और इस प्रकार जो हालत पैदा की उसमें पदों का दुरुपयोग किया जाता है। सरकार विकास का ऋण और बाण्ड्स इस तरह से बेचें यह तरीका गलत है। एक हजार का विकास का बांड खरीदते हैं, पांच हजार का खरीदते हैं, इसमें आपत्ति नहीं और बड़े बड़े पूंजीपति व्यापारी ऐसा करते हैं पर मध्यम श्रेणी के व्यापारियों से, छोटे छोटे व्यापारियों से इस तरह बर्ताव करना, 8 परसेन्ट इन्टरेस्ट जबरन वसूल करना अनुचित है।

मैं पूछना चाहता हूं कि सन् 68 के अन्दर जो विकास के ऋणों के बाण्ड बेचे कोटा जिले में, किन किन व्यापारियों ने खरीदे ? आप बता नहीं सकते क्योंकि 99 परसेन्ट व्यापारियों से पैसा लिया उसका तो इन्टरेस्ट वसूल किया है। व्यापारियों के नाम बाण्ड नहीं बेचे गये। इस तरह की कार्यवाहियां लोकतन्त्र में चले यह लज्जा की बात है।

आज राजस्थान के वित्त मन्त्री यह कह रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली रहने के कारण सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय के बाद भी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि पैसा लौटा सकें। राजस्थान के जितने ऐसे ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, शराब के ठेकेदार हैं जिन पर राजस्थान सरकार का लाखों रुपयों का टैक्स बकाया है उनसे क्यों नहीं उस रकम को वसूल किया जाता। पर समाजवाद का नारा लगाने वाली कांग्रेस की सरकार अपने को प्रगतिशील कहने वाले वित्त मन्त्री राजस्थान के जो समाजवाद की बात करते हैं उन

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

उद्योगपतियों से बड़े बड़े उद्योगपतियों से बड़े बड़े शराब के ठेकेदारों से सांठ गांठ है। उन पर टैक्स की रकम बकाया चल रही है उसको बट्टे खाते में डालते हैं, माफ करते हैं। किस कारण से ऐसा किया जाता है। इससे स्पष्ट झलक निकलती है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है उनकी सांठ गांठ है उनसे। उनसे वे चन्दा लेते हैं चुनावों के लिये।

(समय-समाप्ति–सूचक घण्टी)

पांच मिनिट में समाप्त करता हूं, सभापति महोदय। इतना ही नहीं राजस्थान में इस समय कितने ही ए.एस.टी.ओ के पद खाली हैं और काफी अर्से से हैं। इन पर कब नियुक्ति की जावेगी, क्यों नहीं इसका स्पष्टीकरण किया जाता ? इसमें दाल में कहीं काला दिखाई देता है। वित्त मंत्रीजी अपने रिश्तेदारों को और अपने आदमियों को उन पदों पर बिठाना चाहते हैं। इसलिए इन पदों को वे अभी नहीं भर रहे हैं। अवसर देख रहे हैं।

और मैं कहना चाहता हूं, बारां की एक फर्म है कमल साइकिल स्टोर इसकी सैल्स-टैक्स की फाइल गायब है। दफ्तर से ही गायब कर दी गई। उस पर आज भी सैकड़ों रुपया सेल्स टैक्स का बाकी है। आपने फर्म का नाम बदल कर दूसरी दूकान चालू कर ली और इस तरह से राजस्थान सरकार टैक्स वसूल नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, सैल्स टैक्स विभाग नये व्यक्तियों को सी.एस.टी. के फार्म इस्यू करता है। मैं पूछना चाहता हूं आप जिस व्यक्ति को सी.एस.टी. फार्म देते हैं क्या आप कभी उसकी तीन महीने में जांच भी करते हैं कि आया वह रहता भी है वहां या नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करूंगा कि आप ये सारे पाइन्ट लिखकर मुझे दे दें। मैं जांच करवा लूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस कारण गोपालदास नाम के व्यक्ति ने फर्जी नामों से सी.एस.टी. फार्म की कापी ले ली और बम्बई और दिल्ली में जाकर दो लाख की साइकिलें खरीदीं और जब दिल्ली से जांच के लिए सैल्स टैक्स विभाग को लिखा गया कि इसकी जांच हो और जब यह मामला कोटा आया तो सैल्स टैक्स अधिकारियों ने कोटा में, बारां में जाकर जांच की। पर उसका आज तक पता नहीं और सी.एस.टी. की कापी दी फर्जी फर्म को। और इस तरह उस आदमी ने लाखों का सामान बम्बई कलकत्ता और दिल्ली में जाकर खरीदा और राजस्थान की सरकार को हजारों का टैक्स का नुकसान पहुंचाया।

इसलिए अधिक समय नहीं लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इस प्रकार से आर्डिनेन्स जारी करके सदन में होने वाली कार्यवाही अनुचित है। सदन का अपमान किया। इसलिए चाहता हूं कि यह बिल कुछ डिफेक्टिव है। इसको पारित नहीं किया जाकर प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे और आगामी सत्र में एक महीने में रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत करें यह निवेदन करता हूं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : इस विभाग की दोहरी नीति है, इसके प्रमाण पेश करूंगा। सैल्स टैक्स रूल्स के अनुसार जब फोरेस्ट वाले ठेका देते हैं तो ठेके की रकम के साथ सैल्स टैक्स की रकम भी एक मुश्त हिसाब लगाकर वे सात पर्सेन्ट के हिसाब से वसूल कर लेते हैं जैसे हजार का ठेका हुआ तो सात पर्सेन्ट के हिसाब से साठ सत्तर रुपया ले लेते हैं पहले ही। इसके बावजूद भी जब माल वह ठेकेदार बेचते हैं तो सैल्स टैक्स अधिकारी वापिस दुबारा वसूल करता है। यह सरकार की नीति दोगली है। बेईमानी की है। देवली में सैल्स टैक्स का नाका है वहां चपरासी बाबू रहते हैं वहां से यह माल जब निकलता है ट्रकों में तो टैक्स मांगते हैं। अगर किसी तरह रिश्वत देकर निकल जाते हैं तो बात दूसरी है, वरना एक एक दिन भी डिटेन कर लेते हैं। तो एक बार एक मुश्त जब सेल्स टैक्स के नाम से टैक्स ले लिया तो फिर दुबारा व्यापारियों को परेशान करना शोभा नहीं देता।

इसी प्रकार गोंद के ठेके की बात है। इसमें भी व्यापारियों को परेशान किया जाता है जब कि उनसे एक बार एक मुश्त ले लिया जाता है सेल्स टैक्स के नाम से टैक्स।

इसी तरह डोडा पोश्त का मामला है।

पिछले टाइम कुछ व्यापारी आये थे, डिफिकल्टी थी। मैंने वित्त मंत्री जी से अपील की थी, निवेदन किया था कि एक बार टैक्स ले लेते हैं किसी भी चीज का तो दुबारा टैक्स लेना शोभनीय नहीं होता। आप शीघ्र कदम लें। या दूसरा टैक्स ले लेते हैं यह अच्छा नहीं है। बार बार एक चीज पर टैक्स लेने की प्रक्रिया को समाप्त करें। टैक्स एक बार ही लिया जाना चाहिये। वित्त मंत्री जी पुरानी बारदाना जो बाहर से आता है उस पर जबरन टैक्स वसूल करते हैं और टैक्स नहीं देते हैं तो उनको तरह तरह से परेशान करते हैं। यह भ्रष्टाचार का अड्डा है, इसको खत्म किया जाय।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, बिल को पारित करते वक्त माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं वह इस बिल से कम सम्बन्धित हैं मगर हमारे विभाग से ज्यादा सम्बन्धित हैं। बिल के सम्बन्ध में पहले चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। सरकार दिवालिया है या नहीं है, सरकार की स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है। जिस स्थिति में राजस्थान सरकार गुजर रही है वह सब आपको मालूम है इसलिये अपने मुंह से दिवालिया कह कर अपने मुंह को अशोभनीय करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी यहां पर दिवालिया और कोई बात का मतलब नहीं है। मेरा केवल इतना सा बिल है कि 59 और 68 के बीच में जो स्थिति पैदा हुई है उसको साफ करने की कोशिश की है। इससे ज्यादा सदन का समय मैं नहीं लेना चाहता। टैक्स में कई प्रकार की लीगल कम्पलीकैसी है। केटिल के ऊपर टैक्स का सवाल नहीं है, खल के ऊपर टैक्स का सवाल नहीं है, अगर इनके ऊपर कोई टैक्स ले ले तो वह सरकार के विपरीत है। मेरे ख्याल से किसी ने लिया नहीं और अगर लिया है तो मुझे नाम बता दें और रिफन्डेबिल है तो

(श्री मथुरादास माथुर)

मैं रिफन्ड कर दूंगा और रियेलाइजेबिल नहीं है तो रियेलाइज कर लिया क्योंकि कई प्रकार के अधिकारी हैं उनका इन्टेंशन बोना-फाइड भी हो सकता है और मेलाफाइड भी हो सकता है यह मैं नहीं कहता हूं किस कारण से ऐसे वजूहात पैदा हुए। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मुझे लिख कर दें—आपने चार पाइन्ट कहे हैं, लिख कर दे दें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं लिख कर दे दूंगा। इस समय नहीं दे सकता।

श्री मथुरादास माथुर : आप बाद में लिख कर दे देना।

श्री देवीदत्त गाड़िया : खल के ऊपर जो टैक्स है वह······

श्री मथुरादास माथुर : पहले खल पर टैक्स लगता था। बजट स्पीच के टाइम लगता था, यह तो बीच के पीरिएड का सवाल है। बीच के पीरियड में लगा था उसको मैं देख लेता हूं। बेईमानी किन्हीं अफसरों में हो यह बात नहीं है इन्टरप्रिटेशन में कोई बात हुई है किसी ने ले लिया है और किसी ने नहीं लिया है। हो सकता है यह गलत फहमी थी मैंने साफ कर दी और कोई पोइन्ट हो तो मुझे बता दें। सदन के हर एक माननीय सदस्य को जो डेमोक्रेसी के वाच-डोग है, उनका कर्तव्य है कि अगर राज्य सरकार का टैक्स वसूल नहीं होता हैं, यह पब्लिक का घाटा है तो वे मुझे बतायें, राज्य सरकार के नोटिस में लाये। कोई नोटिस में आ जाय आप लिख कर दे दीजिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो अफीम अजमेर से कोटा जा रही थी उसको वापिस क्यों लाये? आखिर सरकार ने निर्णय लिया था कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बयाना·········

श्री मथुरा दास माथुर : मैं समझ गया आपका मतलब। इसका उन्होंने विरोध किया था इसलिए स्टेट्स को रखा है। माननीय सभापति महोदय, अफीम के सेल्स टैक्स का सवाल नहीं है।

श्री प्रेम सिंह सिंघवी : सेल्स टैक्स भी लेते हैं।

श्री मथुरा दास माथुर : फर्स्ट पोइंट पर लेते हैं। बाद में लेते हैं वह गलत है। किसी ने वसूल कर लिया है तो मुझे बताये, मैं जांच करूंगा। फर्स्ट पोइंट पर है बाकी पर नहीं हैं। आप बता दें, मैं जांच करूंगा। यह आपका लीगल पाइन्ट था सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं जो बिल को पारित करने का प्रस्ताव रखा है····

श्री प्रेम सिंह सिंघवी : बेरियर्स हैं वे व्यापारियों को बहुत तंग करते हैं। अगर वे बाबू को या इन्सपेक्टर को रुपये दे देते हैं तो छोड़ देते हैं और नहीं देते हैं तो परेशान करते हैं और टैक्स के दुबारा पैसे वसूल कर लेते हैं। इस तरह उनको हमेशा परेशान करते हैं।

श्री मथुरा दास माथुर : टैक्स पे कर दिया वह तो केवल मौके पर पूछता है। वह सबूत मांगता है अगर सबूत नहीं देता है तो रोक लेता है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : वह बिल देता है।

श्री मथुरा दास माथुर : तो नहीं कर सकता और करता है तो मुझे नाम बतायें। लिखकर आप मुझे दे दीजिये।

श्री सभापति : श्री सांवरमल वासोविया, सदस्य विधान सभा ने प्राक्कलन समिति से अपना नाम वापिस लिया है।

एक माननीय सदस्य : प्रस्ताव रखिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, 1969 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान मद्य निषेध विधेयक, 1969। सभापति महोदय इस प्रस्ताव पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूं उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि आज राष्ट्रपति के चुनावों की घोषणा हो रही है और सभी तरफ के माननीय सदस्यों को उसके सुनने की उत्कण्ठा है, सभी इच्छुक हैं। काफी सदस्यों ने लिखकर भी दिया है और जबानी भी अपील करना चाहते हैं और मैं समझता हूं वित्त मंत्री जी को भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं मद्य निषेध के विधेयक के सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत करने वाला था वह मद्य निषेध विधेयक आज न लेकर कल या परसों जब कभी सदन को सहूलियत हो, तब रख दें। आज राष्ट्रपति के चुनावों के सम्बन्ध में सभी को गहरी उत्कण्ठा है, सभी उनके परिणामों को जानना चाहते हैं इसलिये यह निवेदन है कि हाउस की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

श्री मथुरादास माथुर : हाउस की इच्छा हो वह करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, सभी लोग इच्छुक हैं कि हाउस को ऐडजोर्न कर दिया जाय। माननीय सतीशचन्द्र जी ने जो प्रस्ताव रखा है उससे मैं सहमत हूं।

श्री सभापति : मुझे सदन को एक सूचना और देनी है। विभिन्न समितियों से नाम वापिस लेने की तिथि कल 4 बजे तक के लिये बढ़ा दी है। सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 4-10 म० प० पर दिनांक 21-8-69 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर असुविधा

235. श्री मोहन लाल मोदी : (नीम का थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय बस मार्ग पर शाहपुरा के पास सड़क पर 15 जुलाई से पानी भरा हुआ है ? जिसके कारण यातायात में भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सतह को ऊंचा करने हेतु एक पुलिया बनाने का निर्णय किया है और इस निर्णय के अन्तर्गत सड़क को ऊंचा करने को मिट्टी डाल दी गई और पुलिया का निर्माण नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पानी को कम कर यातायात सुगम कर दिया है।

(2) जी हां, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।

तहसील मेड़ता में भूमिहीन कृषकों को भूमि का आवंटन

236. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) भूमिहीन किसानों को जमीनें किस वर्ष से अलाट होनी शुरू हुई ?

(2) तहसील मेड़ता में अब तक कितनी जमीनें किस वर्ष में अलाट हुई ? एकड़ों में प्रतिवर्ष का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त तहसील में आज तक पिछड़ी जाति व हरिजन जातियों की कितनी दर्ख्वास्तें भूमि एलाटमेन्ट के लिये आई, उनमें से कितनी दर्ख्वास्तें मंजूर कर भूमि एलाट की गई ? वार्षिक विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) कुल एलाट की गई जमीन में से हरिजन व पिछड़ी जाति को कितने प्रतिशत जमीनें एलाट हुई ?

उत्तर

1. भूमिहीन किसानों को सन् 1956-57 से भूमि अलाट होनी शुरू हुई है।

(2) वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(3) वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(4) ,, ,, ,,

सूची

क्रम संख्या	वर्ष	कुल भूमि जो आवंटित की गई		कुल पिछड़ी जाति एवं हरिजनों की दरख्वास्तों की संख्या	कुल हरिजनों एवं पिछड़ी जाति को भूमि एलोट की गई		प्रतिशत
		व्यक्तियों की संख्या	रकवा एकड़ में		व्यक्तियों की संख्या	रकबा एकड़ों में	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	56-57	63	679	74	24	140	21%
2	57-58	54	602	89	18	120	20%
3	58-59	455	2044	300	162	271	40%
4	59-60	56	252	90	11	77	30%
5	60-61	78	149	68	8	42	28%
6	61-62	108	437	140	49	192	44%
7	62-63	157	709	300	81	304	43%
8	63-64	14	34	90	6	21	62%
9	64-65	280	1659	120	95	574	35%
10	65-66	22	112	82	6	21	19%
11	66-67	56	308	112	27	149	49%
12	67-68	11	69	70	1	8	12%
13	68-69	27	134	42	15	69	52%

पचभद्रा के नमक के विक्रय के लिए आमंत्रित टेन्डर

237. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1963 में पचभद्रा के नमक के विक्रय के संबंध में जो टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे उनके अनुसार हरिराम रामस्वरूप ने, जिसका टेन्डर मंजूर हुआ था, नमक नहीं उठाया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जिस समय टेन्डर आमन्त्रित किये थे उस समय नमक का भाव 2.54 1/4 था जो बाद में गिर कर 1.80 हो गया जिसके कारण राज्य सरकार को 5 लाख का घाटा हुआ ?

(3) यदि हां, तो इसके लिये कौन कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। टेन्डर की मंजूरी से पूर्व ही फर्म ने अपना नाम वापस ले लिया था।

(2) जी हां। इस ठेके के टेन्डर आमंत्रित होने के पश्चात् उसके मंजूर करने में उद्योग विभाग व निदेशालय स्तर पर जांच करने में कुछ समय लगा। इसी बीच में नमक का भाव गिर गया। जब तक टेन्डर स्वीकृत होकर पार्टी द्वारा एग्रीमेन्ट एग्जीक्यूट नहीं किया जावे तब तक लाभ या हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(3) कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं पाया गया, इसलिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जोधपुर में सीवर लाइन

238. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राज्य की सारी नगरपालिकाओं को यह आदेश दिये हैं कि भविष्य में नये बनने वाले मकानों में फ्लश तहारत का प्रावधान होने पर ही नक्शे पास किये जावें ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर में सरदारपुरा, पावटा व रातानाडा नई बस्तियां हैं और इनमें फ्लश तहारत के लिये सीवर (गटर) लाइन उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सरकार के उक्त आदेश से जोधपुर की इन बस्तियों में नये बनने वाले मकानों के नक्शे पास होने में नई कठिनाई उपस्थित हो गई है ?

(3) उक्त समस्या के समाधान के लिये क्या सरकार इन बस्तियों के लिये आवश्यक कदम उठा रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। कुछ स्थानों में अभी सीवर लाइन उपलब्ध नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में जहां सोक पिट बनाये जा सकते हैं वहां फ्लश तहारत की स्वीकृति दी जाती है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

ग्राम सेमालिया में महिला के कत्ल का मामला

239. श्री शंकरलाल जाट (कपासन): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि गांव सेमालिया तहसील व पुलिस स्टेशन बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में गत वर्ष एक महिला की कत्ल हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उसका मुकदमा रजिस्टर नहीं हुआ था ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसका पूर्व में गत सत्र में प्रश्न विधान सभा में उठाया था और उसके बाद सी. आई. डी के द्वारा मुकदमे की जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो उसमें कौन कौन व्यक्ति गिरफ्तार हुए और क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि पुलिस स्टेशन बड़ी सादड़ी के थानेदार को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सत्य है कि उक्त थानेदार की कोई गलती नहीं थी ? यदि हां, तो उनकी क्या इन्क्वायरी की गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) घटना दिनांक 1–5–68 से 7-8 दिन पूर्व की मालूम हुई थी। पुलिस को 1–5–68 को सूचना मिलते ही दफा 174 सी० आर० पी० सी० के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। केस रजिस्टर नहीं किया गया था।

(3) जी हां। रेगूलर केस की तफतीश से इस अपराध के मुल० हेमगिर व बाबरगिर पाए गए – जो गिरफ्तार किए गये व उनके खिलाफ केस हु० द० 302 आई० पी० सी० चालान किया गया, जो Sub-judice है।

(4) जी हां। क्योंकि उनके खिलाफ केस फौरन रजिस्टर नहीं करने व बेपरवाही आदि आरोप थे।

(5) थानेदार की गलती प्रश्न (4) के ऊपर में बताई गई है। उसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है।

अकाल राहत कार्यों में अनियमित कार्यवाही करने के कारण निलम्बित कर्मचारी

240. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल राहत कार्यों में अनियमित कार्यवाहियां करने के कारण किस किस जिले में इस विभाग के किस किस कर्मचारी को कब कब निलम्बित किया गया और उसके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) किन किन-कर्मचारियों (निलम्बित कर्मचारियों के अतिरिक्त) को किन किन कारणों से कब कब आरोप-पत्र दिये गये हैं ?

(श्री भैरोंसिंह)

ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में अब तक कार्यवाही हुई है ? कृपया विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

प्रतापगढ़ सब डिवोजन के ग्रामों में बिजली

241. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़ सु.) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ के सब-डिवीजन प्रतापगढ़ में इस वर्ष कहां कहां बिजली देने की योजना है ?

(2) क्या पहले जहां जहां बिजली देने की स्वीकृति थी वहां बिजली दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सच है कि सब-डिविजन प्रतापगढ़ के पंचायत समिति अचनारा क्षेत्र में आज तक किसी भी जगह बिजली नहीं पहुंची है ? यदि हां, तो क्यों और राजस्थान में ऐसी कितनी पंचायत समितियां हैं जिनके क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंची है ?

(4) क्या यह सही है कि इस वर्ष पंचायत समिति अचनारा के अरनोद ग्राम में बिजली दी जा रही है,जो कि इस पंचायत समिति का सबसे बड़ा गांव पंचायत समिति कार्यालय का मुख्यावास, पुलिस थाना, हायर सैकन्ड्री स्कूल एवं काफी अच्छी मंडी है ?

उत्तर

(1) अभी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(2) जी हां। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां।

सब स्थानों पर बिजली एक साथ पहुंचाना सम्भव नहीं है। ऐसी 49 पंचायत समितियां है जिनके क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंची है।

(4) अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

सीमा सड़कों के लिये मशीनों की खरीद

242. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह भी सच है कि सीमा सड़कों के लिये मशीनें खरीदने के हेतु एक नकली फर्म को भुगतान किया गया है और जब मशीनें नहीं सप्लाई हुईं तो दूसरी भुगतान कर खरीदी गई है ?

(2) क्या यह भी सच है कि सरकार को इसकी शिकायतें भी हुई हैं कि 40,000 रुपया का घोटाला है ? अगर हां, तो इसमें कौन दोषी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपरोक्त शिकायत पर कार्यवाही की जा चुकी है ? अगर हां, तो विभाग ने किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

भैंसरोड़गढ़ तहसील

243. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में सन् 1961–62 तक भैंसरोडगढ़ तहसील का मुख्यालय रहा था ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 1961–62 में कितनी ही तहसीलें कम की हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि तहसीलों की कमी करने के बाद पुनः नई तहसीलें कायम की गई हैं ? यदि हां, तो कितनी, कहां कहां तथा इसके कारण क्या रहे ?

(4) क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती है कि भैंसरोड़गढ़ में पुनः तहसील कायम की जावे? यदि हां, तो फिर कब तक इसका निर्माण किया जावेगा ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सन् 1962 में सरकार ने कुछ तहसीलें कम की थीं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(3) जी हां। इस संबंध की तालिका सदन की मेज पर रख दी है।

(3) भैंसरोड़गढ़ में तहसील नई बनाने का अभी कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया है।

Page No 144

प्रश्न के खण्ड (2) से सम्बन्धित सूची

राजस्थान सरकार, राजस्व (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ 7(72) ग्रुप 2/62 दिनांक 13-9-62 के तहत दिनांक 15-9-62 से जिन तहसीलों को कम की गई उसकी सूची।

क्रम संख्या	नाम तहसील	नाम जिला
1.	मनोहर थाना	झालावाड़
2.	बकानी	,,
3.	डग	,,
4.	भैंसरोड़गढ़	चित्तौड़गढ़
5.	अचनेरा	,,
6.	कनेरा (सब तहसील)	,,
7.	फतहगढ़	जैसलमेर
8.	अन्ता	कोटा
9.	इटावा	,,
10.	भोपालसागर	उदयपुर
11.	बनेड़ा	भीलवाड़ा
12.	रायपुरा	,,
13.	रूपनगढ़	अजमेर
14.	अंराई	,,
15.	तालेड़ा	बूंदी
16.	चेचट	कोटा
17.	कनवास	,,
18.	बरोड़	,,

प्रश्न के खण्ड (3) से संबंधित सूची

नाम तहसील जो पुनः कायम की गई	नाम जिला	पुनः कायम करने के कारण
1. तिब्ती 2. सांगरिया 3. शार्दूल शहर	गंगानगर ,, ,,	हनुमानगढ़ तहसील का क्षेत्र एक सामान्य तहसील करणपुर से चौगुना था इस कारण इसे एक सामान्य तहसील के समान बनाने हेतु तीन अन्य तहसीलें बनाना उपयुक्त समझा गया ताकि प्रशासनिक दृष्टि से सुव्यवस्था कायम की जा सके । हनुमानगढ़ तहसील का क्षेत्र भाखरा व राजस्थान कैनाल क्षेत्र से सिंचित होने के कारण सन् 1954 में यहां केवल 25,000 एकड़ सिंचित भूमि का था वह सन् 1962-63 में 2,50,000 एकड़ भूमि का हो गया भविष्य में उसके और अधिक होने की आशंका के कारण और तहसील प्रशासनिक सुव्यवस्था रखने हेतु उचित समझा गया ।
4. बनेड़ा 5. रायपुर	भीलवाड़ा ,,	प्रशासनिक दृष्टि एवम् जनता की सुविधा के लिए किया गया ।

Page No 146

पिग आयरन प्लान्ट के लिये अवाप्त भूमि

244. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर के पास ग्राम खेमपुरा, मादड़ी, बेडवास और कानपुर ग्रामों की लगभग 1200 बीघा जमीन पिग आइरन प्लान्ट लगाने हेतु मैसर्स कमानी इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन के लिये एक्वायर करने की कार्यवाही की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि मैसर्स कमानी इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन ने उदयपुर में इस जमीन पर पिग आइरन प्लान्ट लगाने का इरादा कैन्सिल कर दिया है ?

(3) क्या यह सही है कि मैसर्स कमानी इन्जिनियरिंग कारपोरेशन ने इस जमीन के मुआवजे का कुछ रुपया चुका दिया है ? यदि हां, तो कुल मुआवजा कितना तय किया गया और उसमें से कितना मुआवजा मैसर्स कमानी इन्जिनियरिंग कारपोरेशन द्वारा चुकाया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ किसानों ने प्रारम्भ से ही अपना कब्जा नहीं छोड़ा है और उन्होंने मुआवजा लेने से इन्कार किया है?

(5) क्या यह सही है कि इस जमीन के काश्तकार जो बेदखल कर दिये हैं तथा जिनके खिलाफ अभी भी एक्वायर करने और बे दखल करने की कार्यवाही चल रही है, सब मिल कर अपनी जमीन वापिस लेने की मांग कर रहे हैं ?

(6) क्या सरकार पिग आइरन प्लान्ट न लगने की सूरत में यह जमीन किसानों को तुरन्त लौटाने की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर के पास ग्राम पुरोहितों की मादड़ी की 761 बीघा 2 बिस्वा तथा ग्राम बेडवास की 509 बीघा भूमि, योग 1270 बीघा 2 बिस्वा भूमि औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक्वायर करने की कार्यवाही की गई है ।

ग्राम खेमपुरा और कानपुर की भूमि इस योजना में एक्वायर नहीं की गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां, लगभग 6,50,000 रुपया मुआवजे की रकम का आंका गया है । अभी तक कुल 4,23,931=02 रु० भूमि अवाप्ति हेतु चुका दिये गये हैं ।

(4) जी हां ।

(5) जी नहीं ।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

245. **श्री लादूराम सुलानियां** (फागी): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या राजस्थान समाज कल्याण विभाग द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र अनुसूचित जाति व जनजाति तथा परिगणित अन्य जातियों के कल्याणार्थ चलाये जाते हैं ? यदि हां, तो कहां कहां व किस किस ट्रेड के ?

Page No 147

(श्री लादूराम सुलानियां)

(2) क्या उपरोक्त-प्रशिक्षण केन्द्रों के छात्रों को कोई छात्रवृत्ति दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी कितनी व किस किस समय के लिये ?

(3) क्या इन केन्द्रों के राज्य कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट बनी हुई है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। और नहीं, तो क्यों नहीं बनाई गई ?

(4) उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्रों से अब तक कितने छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, कितने छात्रों को विभाग द्वारा दी जाने वाली सहायता दी जा चुकी है और कितने छात्रों को नहीं दी गई है ?

उत्तर

(1) जी हां

सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां,

प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 15/– (पन्द्रह रुपया) मासिक छात्र वृत्ति दी जाती है। यह सत्र की अवधि अर्थात प्रत्येक वर्ष 11 माह की छात्रवृत्ति दी जाती है।

(3) जी नहीं,

इन केन्द्रों के कर्मचारियों का विभाग में पदोन्नति का कोई पद नहीं है ऐसी अवस्था में वरिष्ठता की सूची बनाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(4) सहायता प्राप्त छात्रों की संख्या 601 सहायता देना शेष है 260

परिशिष्ट 'क'

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में सिखाये जाने वाले ट्रेड एवं स्थान दर्शन सूची

क्र० सं०	नाम ट्रेड	नाम स्थान जहां केन्द्र चलता है।	जिला	स्कीम का नाम
1	2	3	4	5
(1)	सिलाई उद्योग केन्द्र	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	अनुसूचित जन जाति
(2)	,, ,,	सागवाड़ा	डूंगरपुर	,, ,,
(3)	,, ,,	आबूरोड, पिण्डवाडा	सिरोही	,, ,,
(4)	,, ,,	कोटा	कोटा	विमुक्त जाति
(5)	,, ,,	जयपुर	जयपुर	अनुसूचित जाति
(6)	,, ,,	सीकर	सीकर	,, ,,
(7)	,, ,,	टौंक	टौंक	,, ,,
(8)	,, ,,	नदबई	भरतपुर	,, ,,
(9)	,, ,	बाड़मेर	बाड़मेर	,, ,,
(10)	,, ,,	जालौर	जालौर	,, ,,
(11)	,, ,,	पाली	पाली	,, ,,
(12)	,, ,,	किशनगढ़	अजमेर	,, ,,
(13)	,, ,,	उदयपुर	उदयपुर	,, ,,
(14)	,, ,,	नागौर	नागौर	,, ,,
(15)	काष्ठकला उद्योग केन्द्र	सुजानगढ़	चूरू	,, ,,
(16)	चर्म उद्योग केन्द्र जूता बनाना	बीकानेर	बीकानेर	,, ,,

परिशिष्ट 'ख'

उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षणार्थियों को आर्थिक सहायता संबंधी सूचना दर्शन सूची

क्र०सं०	केन्द्र का नाम मय स्थान के	प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों की संख्या	सहायता प्राप्त छात्रों की संख्या	शेष जिन्हें सहायता दी जाती है	कारण
(1)	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र बांसवाड़ा	111	92	19	स्वीकृति हेतु फार्म प्राप्त नहीं हुआ
(2)	,, ,, सागवाड़ा	39	25	13	,,
(3)	,, ,, सिरोही	38	36	2	,,
(4)	,, ,, जयपुर	82	44	32	,,
(5)	,, ,, सीकर	70	58	12	,,
(6)	,, ,, टोंक	25	11	14	स्वीकृति जारी कर दी गई है।
(7)	,, ,, डीग (भरतपुर)	64	52	12	स्वीकृति हेतु फार्म प्राप्त नहीं हुआ
(8)	,, ,, बाड़मेर	59	48	11	स्वीकृति जारी कर दी गई है।
(9)	,, ,, जालौर	55	43	12	,,
(10)	,, ,, पाली	55	48	7	,,
(11)	,, ,, किशन गढ़	34	—	34	,,
(12)	,, ,, उदयपुर	64	21	43	33 छात्रों की स्वीकृति के प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी जा चुकी है।
(13)	,, ,, नागौर	30	26		43 छात्र लापता है।
(14)	काष्ठकला ,, सुजानगढ़	65	52	13	विचाराधीन है।
(15)	चर्म उद्योग ,, बीकानेर	71	45	26	फार्मों की कमी पूर्ति पर स्वीकृति सम्भव है।
(16)	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र कोटा	861	601	260	इस केन्द्र को अभी सिलाई केन्द्र में परिवर्तित कर चालू किया है।

हाड़ेचा जल प्रदाय योजना

246. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में हाडेचा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सरकार द्वारा मंजूर की जाकर कार्य शुरू कर दिया गया है ? अगर हां, तो कार्य कब शुरू कराया गया ? इस बजट वर्ष के अन्त तक क्या क्या कार्य करा दिए जावेंगे ?

(2) उपरोक्त क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कब सम्पूर्ण करा दी जावेगी एवं ग्रामवासियों को मीठा पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत कितने हौज किन किन गांवों में बनाए जावेंगे ? ये हौज कब तक बना दिए जावेंगे ?

(4) उपरोक्त योजना के लिये पानी स्टोर करके आगे गांवों में सप्लाई के लिये कहां पर पानी की टंकी बनाई जावेंगी ? इस टंकी में कितना पानी स्टोर किया जावेगा ?

(5) क्या यह सत्य है कि हाडेचा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना के लिये एक ही नलकूप से पानी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो सकेगा ? अगर हां, तो इसके लिये दूसरा नलकूप कहां पर तैयार कराया जावेगा ?

उत्तर

1. योजना की स्वीकृति हो चुकी है और इस वर्ष के अन्त तक 9 लाख रुपयों का कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

2. साधारणतया : एक योजना को पूर्ण करने में वित्त व सामग्री की उपलब्धि पर 3 वर्ष की अवधि लग जाती है वैसे इस योजना को 2 वर्ष में ही पूर्ण करने की कोशिश की जावेगी।

3. योजनानुसार इन तेरह गांवों में हौज बनाने का प्रस्ताव है : 1. सिदेश्वर 2. पालरी 3. आवली 4. हिन्दवाडी 5. हाडेचा 6. दादसन 7. बावरना 8. डाबल 9. कौचली 10. बगरारी 11. जांकी 12- गोलियां 13. बिच्छवाड़ी

4. एक बड़ी टंकी सांचौर ग्राम में बनाई जावेगी जिसकी क्षमता 1.5 लाख गैलन होगी व ऊंचाई 70 फीट होगी।

5. इस क्षेत्रीय योजना के लिये एक ही नलकूप पर्याप्त है।

बेरी आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही

247. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बेरी आयोग की रिपोर्ट गृह विभाग को 9-1-69 को मिल गई थी ? यदि नहीं, तो कब मिली और यदि हां, तो इसकी प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश सरकार को कब भेजी गई और वहां से क्या उत्तर प्राप्त हुआ ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(2) इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि विधि विभाग की राय जानने हेतु विधि विभाग को कब भेजी गई ? और इस पर क्या राय दी गई ? क्या यह सही है कि 25 फरवरी तक यह रिपोर्ट विधि विभाग के पास नहीं भेजी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इस रिपोर्ट पर सबसे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में किस रोज विचार हुआ और इसकी प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश सरकार को भेजने का निर्णय किस तारीख को लिया गया ?

(4) आर. ए. सी. पार्टी के खिलाफ मुकदमें दायर नहीं करने का क्या कारण है ? उनकी बाबत तो किसी अन्य राज्य सरकार से राय नहीं लेनी है ?

(5) इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही करने और करवाने की जिम्मेदारी किस विशेष अधिकारी को सौंपी गई ? क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि इस हेतु न्यायपालिका के किसी वरिष्ठ जज को नियुक्त किया जावे ?

उत्तर

1. बैरी आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 9–1–69 को मिली। उत्तर प्रदेश सरकार को यह रिपोर्ट दिनांक 3-3-69 को भेजी गई। उनका उत्तर सरकार के विचाराधीन है।

2. रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद ही उस पर विचार विमर्श शुरू हो गया और समय समय पर विधि विभाग से भी सम्बन्धित मुद्दों पर आवश्यकतानुसार सलाह ली गई।

3. मंत्रिमण्डल स्तर पर सबसे पहले विचार दिनांक 18–2 69 को हुआ। जब यह निश्चित हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की राय लेना जरूरी है तो उसके कुछ दिन बाद ही उन्हें लिखा गया।

4. सदन के गत सत्र में निवेदन किया जा चुका है कि रिपोर्ट और उससे सम्बन्धित रिकार्ड को एक वरिष्ठ अधिकारियों की समिति देख रही है। उनके सुझाव आने के बाद राज्य सरकार अपना निर्णय लेगी।

5. इन मुद्दों पर सदन के पिछले सत्र में काफी चर्चा हो चुकी है और अब इन मुद्दों पर अन्य कुछ जानकारी देना शेष नहीं है।

पावर हाउस फालना

248. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फालना पावर हाउस को किस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है ?

(2) क्या फालना तक ट्रांसमीशन लाइनें बिल्कुल तैयार हो गई हैं ? यदि हां, तो यहां विद्युत् की सप्लाई रेगुलर क्यों नहीं है ? और रेगूलर अच्छी मात्रा में सप्लाई कब तक आने लगेगी ?

उत्तर

1. फालना को चम्बल विद्युत् योजना के अन्तर्गत लिया गया है जिसमें पाली से फालना 66 के० वी० लाईन व सब स्टेशन का प्रावधान है।

2. जी हां।

(विद्युतमन्त्री)

पाली पर उचित क्षमता का सब स्टेशन न होने के कारण यह लाईन 11 के० वी० पर अन्तरिम व्यवस्था के रूप में चार्ज है जो सीमित लोड ही ले सकती है।

अनुमानतः 3 महीने में स्थिति में कुछ सुधार हो जावेगा जब कि पाली पर 2×2.5 एम०डब्ल्यू०ए० स्टेप अप 11/33के०वी० के ट्रांसफार्मर लग जाने पर फालना पाली लाईन 33के०वी० पर चार्ज कर दी जावेगी यह ट्रांसफार्मर राणा प्रताप सागर अधिकारियों द्वारा कोटा ग्रिड सब स्टेशन से दिये जाने हैं। पूर्णरूपेण रेगूलर तथा अच्छी सप्लाई तभी सम्भव हो सकगी जब कि पाली फालना पर 66 के०वी० के सब स्टेशन तैयार होकर 66 के०वी० पर चार्ज हो जावेगी। इसमें अनुमानतः 9-10 माह का समय लगेगा।

सीकर-रतनगढ़ नेशनल हाई वे का कार्य

249. श्री नथमल चौहला (लक्ष्मणगढ़ सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर-रतनगढ़ नेशनल हाई वे का कार्य कौन से सन् में चालू किया गया था और कब तक पूरा किया जायेगा ?

(2) क्या मंत्री महोदय ने इस सड़क को मार्च सन् 1968 के अन्त तक पूर्ण करने के लिये आश्वासन दिया था ?

(3) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर को जोड़ने वाली अप्रोच रोड भी अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) सरकार का इस नेशनल हाई वे को व इसी से संबंधित अप्रोच रोड को कब तक पूरी करवा देने का विचार है ?

(स्थगित किया गाया)

सरकारी बंगलों के प्लाटों में बोई फसल

250. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जंक्शन में मंडी एरिया में जितने सरकारी बंगलों के प्लाट कटे हुए हैं व कोठियां बनी हुई हैं उनकी खाली भूमि में सालाना फसल बोई जाती हैं ? यदि हां, तो सालाना कुल कितना रकबा काश्त होता है ?

(2) सन् 1960 से आज तक कितनी आमदनी उक्त प्लाटों की फसल से हुई है व किस किस फसल में आमदनी कितनी हुई है और अब मौके पर क्या क्या फसलें बो रखी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(स्थगित किया गया)

बिजली के मीटर बनाने का कारखाना

251. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में बिजली के मीटर बनाने का कारखाना है ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(2) क्या यह सही है कि उक्त कारखाने को राज्य सरकार द्वारा पानी तथा बिजली में रियायत दी जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स निगम तथा युनिट ट्रस्ट द्वारा मीटर उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता एवं सहयोग दिया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि यह सब कुछ होते हुए भी राजस्थान में आज मीटर मिलना बड़ा कठिन हो गया हैं ?

(5) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1968 में जिस मीटर की कीमत 32 रु० थी आज उसी मीटर की कीमत 64 रु० हो गई है, फिर भी मिलना कठिन हो रहा है ?

(6) यदि हां, तो सरकार मीटर को उपलब्ध कराने के लिए तथा वाजिब दाम रखने के लिए क्या कर रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां।

(4) जी, हां।

(5) जी, हां।

(6) बाजार में और दूसरे मेक्स (Makes) में उपलब्ध हैं। मीटर में कीमत पर मूल्य नियंत्रण नहीं है।

अनिवार्य शिक्षा शाला राजलदेसर के कर्मचारियों की बकाया का भुगतान

252. श्री रावतराम (छापर-सु०) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है की अनिवार्य शिक्षा शाला राजलदेसर जिला चूरू के स्टाफ का दिनांक 1-4-48 से 31-3-56 तक का ऐरियर बकाया है ?

(2) क्या यह सही है कि जनवरी 51 तथा अक्टूबर 53 का भी वेतन बकाया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस मामले की जांच सरकार ने संचालक शिक्षा विभाग द्वारा कराई थी और संचालक महोदय ने अपने पत्र संख्या ई/डी/बी/एड/ए 16654/80|65, दिनांक 24-4-67 के द्वारा सरकार को यह सूचित किया कि उक्त क्लेम सही है और इसका पेमेन्ट किया जाये ? यदि हां, तो संबंधित पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि संचालक शिक्षा विभाग ने पुनः कई बार इस सम्बंध में सरकार को लिखा ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उक्त पेमेन्ट क्यों नहीं किया और अब कब तक पेमेन्ट कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। उपरनिदेशक शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक। शिविर। अनुदान/बी 16554/65 दिनांक 24-4-67 द्वारा शिक्षा विभाग को बकाया राशि स्वीकृत करने के लिये कहा गया है। पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। मामला शिक्षा विभाग के विचाराधीन है।

राजस्थान सरकार–शिक्षा विभाग

क्रम शिविरा/अनुदान/बी/16554/80/65 दिनांक 22-4-67

वास्ते:–

शासन सचिव,
शिक्षा विभाग (प्रकोष्ठ-6),
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– तारांकित प्रश्न सं० 10–शिक्षा मंत्री द्वारा श्री रावत राम–अनिवार्य शिक्षा पाठशाला राजलदेसर जिला चूरू के कर्मचारियों का बकाया वेतन व ऐरियर हेतु 1633-60 रु० की स्वीकृति।

प्रसंगः– आपका पत्रांक एफ 11 (234) शिक्षा/5/66 दिनांक, 6-10-66 ई०

महोदयजी,

आपको उपरोक्त पत्र के अनुसार अनिवार्य पाठशाला, नगरपालिका, राजलदेसर के कर्मचारियों को माह जनवरी 51 व अक्टूबर, 53 के वेतन तथा 1948-49 से 1955-56 तक वेतन वृद्धि की बकाया राशि के भुगतान न होने के मामले की पूरी जांच की गई और यह पाया गया कि उक्त पाठशाला के कर्मचारियों को निम्न राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुवा है जो कि बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड के आधार पर उन्हें देय है:—

(1) कर्मचारियों का वेतन माह जनवरी, 1951	316
(2) कर्मचारियों का वेतन माह अक्टूबर, 1953	331
(3) कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की राशि 1948-49 से 55-56 तक	1327.81
(4) एक्जीक्यूटिव ऑफिसर अलाउन्स (कुछ काल का)	64.06
(5) स्वीपर अलाउन्स (कुछ काल का)	37
(6) भवन किराया	204
योग राशि	2279.87

उक्त बकाया राशि पर सरकारी अनुदान की राशि निम्न प्रकार से देय होती है:—

(अ) 31–3–55 तक खर्च का 2:3 तथा 1547.86

(ब) सन् 1955 के लिये 3:4

(स) सत्र 55-56 में दिये गए अनुदान की दर राजाज्ञा सं० डी 888/एफ/18 (24 इडियू /54, दिनांक 30-1-56) के अनुसार 2:3 से 3:4 (कर दी गई अतः मान्य खर्च 3091.19 पर अन्तर)। 85.84

कुल अनुदान की राशिः— 1633.78

अत: निवेदन है कि नगरपालिका राजलदेशर की उक्त बकाया राशि का चुकारा करने हेतु 1633.70 की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ताकि कर्मचारियों को चुकारा हो सके। यह राशि मद-28-शिक्षा-या-प्राथमिक —ग—स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के लिये अनुदान।

(2) अन्य अनुदान—आयोजन निम्न से विकलेय होगी तथा विद्यालय निरीक्षक, चूरू को अनुदान बिल पर प्रति हस्ताक्षर करने के अधिकार प्रदान किए जाएं।

भवदीय,
ह०
अपर निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यामिक शिक्षा।

क्रमांक/अनुदान/वी/16554/80/65 दिनांक 22-4-67
प्रतिलिपि सूचनार्थ: —

(1) शासन सचिव, माननीय निकाय, राजस्थान, जयपुर को इस संबंध में हिस्से की राशि रु० 646 17 की स्वीकृति प्रदान करने हेतु।

(2) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, राजलदेसर को उनके पत्रांक 349, दिनांक 2-1-67 के संदर्भ में भेज कर लेख है कि आप द्वारा पेश किए गए हिसाब में से श्री जगमाल सिंह के 90.00 रु० मान्य किए तथा उनके एरियर की राशि केवल 320 रु० (श्री श्रीचंद के अनुसार) ही मान्य की गई है। अन्य हिसाब ज्यों का त्यों मान लिया गया है।

(3) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, चूरू।

(4) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, बीकानेर।

(5) अनुभाग अधिकारी, स्थापन को उनके पत्रांक (ए) (सी) 24/5105/10-सी-एम/66, दिनांक 21-9-66 के संदर्भ में।

(6) लेखाकार (अनुदान)

शिवगंज–पालड़ी सड़क

253. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शिवगंज से ग्राम पालड़ी जिला पाली का तीन मील का मार्ग वर्षा ऋतु में पानी से भर जाता है और पालड़ी ग्राम का संबंध दुनियां से कट जाता है ? यदि हां, तो सरकार इन तीन मील की सड़क को बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कब तक बन जावेगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या ग्राम कीरवा (जिला पाली) से जालिया बेरा (वाया ग्राम चांगवा) तक की एप्रोच रोड का कार्य किसी पंचवर्षीय योजना में लिया गया है ? यदि हां, तो कौनसी योजना में है ? इसे सरकार कब बनाने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि यह सड़क (एप्रोच रोड) बड़े बड़े गांवों और रानी जैसे औद्योगिक क्षेत्र को मिलाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार का इस सड़क को शीघ्रातिशीघ्र बनाने का विचार है ?

उत्तर

(1) यह कच्चा मार्ग है । अधिक वर्षा में मार्ग में रुकावट स्वभाविक है । जी नहीं, यह मार्ग योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(2) जी नहीं । धन की कमी के कारण सरकार इस स्थिति में नहीं है कि सब सुझावों के कार्य हाथ में ले सकें । भविष्य में इस कार्य को हाथ में लिए जाने का विचार हो सकता है ।

(3) जी हां, अर्थाभाव के कारण संभव नहीं है ।

कुओं के मालिकाना हक

254. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि राजस्व भूमि सुधार द्वारा कोई सरक्यूलर (आदेश) सन् 67 में इस प्रकार का जारी हुआ था कि किसानों को 25) रु. जमा करने पर शीघ्र ही कुओं का मालिकाना हक दे दिया जावे और तारीख 31 दिसम्बर, 68 तक ऐसे कुओं को खातेदारी में दे दिये जायें ?

(2) तहसील झालरापाटन में ऐसे कितने किसानों को खातेदारी में कुवे दिये जा चुके हैं? वे कितने केस विचाराधीन है और क्यों?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे किसानों के मामले खारिज भी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस कारण और कितने ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) ऐसे आदेश सर्व प्रथम सन् 1965 में जारी किये गये थे । तत्पश्चात समय समय पर ऐसे मामले निपटाये जाने हेतु अवधि बढ़ाई गई है । यह सही है कि अन्तिम अवधि 31-12-68 निर्धारित थी ।

(2) तहसील झालरापाटन में 102 किसानों को कुए के स्वामित्व के अधिकार

(राजस्व मंत्री)

दिये जा चुके हैं व इस समय तहसील झालरापाटन में कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है।

(3) जीहां।

परिपत्र संख्या एफ 4(10) राजस्व(ख) ग्रुप–1/63, दिनांक 4 जून, 1965 में दिये आदेशों के अन्तर्गत न आने वाले 107 प्रार्थना पत्र खारिज किये गये हैं।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें खारिज करने के कारण भी अंकित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

गंगानगर जिले की अवकाश प्राप्त सैनिक सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि० पर बकाया

255. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गंगानगर जिले की अवकाश प्राप्त सैनिक सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि. चक 14 एस. पी. एम. में राज्य के लाखों रुपये की किश्तें बकाया हैं ? अगर हां, तो क्या समिति की यह कार्यवाही शर्तों को तोड़ने की श्रेणी में नहीं आती ? क्या समिति की इस कार्यवाही के लिए अविलम्ब आवश्यक कदम उठाये जावेंगे ? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, इस समिति की तरफ 1,16,795.78 पैसे बकाया हैं।

जी नहीं, समिति के उप-नियमों में किश्तें जमा कराने सम्बन्धित कोई प्रावधान नहीं है।

जी हां, कार्यवाही जारी है। तहसीलवार कार्यवाही कर रहा है।

पाली में सूरजपोल चौराहे पर सर्किल का निर्माण

256. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पाली शहर में सूरजपोल के चौराहे पर नगरपालिका पाली ने कोई सर्किल बना दिया ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सत्य है कि कलेक्टर पाली व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने नगरपालिका को हाई वे पर यह सर्किल इस स्थान पर बनाने के लिए मना किया ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि इस सर्किल को रोकने व हटाने के लिए भी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने समय समय पर आज्ञायें दीं ? यदि हां, तो उनकी सबकी प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सत्य है कि इस अन-अथोराइज्ड सर्किल पर रातोंरात जब जनता सो रही थी तो नेहरू की मूर्ति खड़ी कर दी ? यदि हां, तो कब ?

(श्री मूलचन्द डागा)

(5) क्या यह सत्य है कि कलेक्टर पाली के मना करते करते मूर्ति लगा दी और रोकने पर भी नहीं रुके और काम पूरा कर दिया ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के अन-ओथोराइज्ड कन्सट्रक्शन को हाई वे से हटाने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1968 में।

(2) जिलाधीश पाली ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र पर 16-1-68 को कार्य बन्द करने को लिखा है।

(3) जी नहीं, कलेक्टर को विभाग द्वारा काम रोकने हेतु कहा गया क्योंकि ऐसे आदेश वही दे सकते हैं।

(4) मूर्ति कब व किस समय लगी इस विभाग को जानकारी नहीं है। सर्किल निर्माण रात्रि में हुआ है।

(5) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ग्राम सोहन खेड़ा में काश्तकारों पर जुर्माने

257. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या ग्राम सोहन खेड़ा, पंचायत बुधखान, तहसील रामगंज मंडी के श्री नाथूलाल सुपुत्र नन्दा भील, श्री बजरंग लाल खाती, श्री प्रभुलाल सुपुत्र श्रीराम धाकड़ व दूसरे लोगों पर कुल मिला कर करीब 1600) रु० जुर्माना व पैनल्टी गलत नम्बर काश्त कर लेने के कारण हुई है ?

(2) क्या इसी प्रकार श्री बिरधा सुपुत्र भैरू चमार, नाथूराम सुपुत्र भैरू चमार, चम्पा सुपुत्र फूलचन्द धोबी, कजोड़ सुपुत्र गंगा चमार, मंगला सुपुत्र गंगा चमार व ग्राम कुदायला तहसील रामगंज के अनेकों दूसरे व्यक्तियों पर भी गलत नम्बरों पर काश्त करते रहने के कारण केस चलाये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों के नाम कायदे से भूमि एलॉट की गई थी और पटवारी द्वारा कब्जा दिया गया था और वे वर्षों से इसी जमीन पर काश्त करते व लगान देते आ रहे हैं ?

(4) सरकार मुलाजिमों द्वारा गलत कब्जा दिलवाने या गलत नम्बरों पर काबिज व्यक्ति को काश्त करते चले आने देने के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और अब तक कितने सरकारी मुलाजिमों के विरुद्ध किसानों को परेशानी में डालने के कारण कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(स्थगित किया गया)

किशनगढ़ करकेड़ी सड़क

258. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ से करकेड़ी जाने वाली सड़क की हालत काफी खराब है ?

(श्री सुमेरसिंह)

(2) क्या यह भी सही है इस सड़क के काफी खराब होने से वाहन व सवारियों को काफी परेशानी व नुकशान होता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सड़क को ठीक कराने के लिये काफी दरखास्तें नागरिकों ने प्रस्तुत कर दी हैं ?

(4) यदि हां, तो कब तक इस सड़क को पूर्णरूपेण तैयार करा दिया जावेगा ?

(1) सड़क की दशा अधिक अच्छी नहीं है।

(2) सड़क यातायात योग्य है।

(3) जी हां। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता। साधारण मरम्मत सदा की जाती है। पुलिया और डामर का धन उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा।

नायब तहसीलदारों के स्थानान्तरण

259. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई आदेश राजस्व मण्डल, अजमेर को भेजा था कि जिन नायब तहसीलदारों का प्रमोशन संबंधित जिलाधीशों द्वारा किया गया है और जिनको राजस्व मण्डल ने कनफर्म नहीं किया है उनका स्थानान्तरण राजस्व मण्डल द्वारा नहीं किया जावेगा ? यदि हां, तो कब ? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश के बाद भी उक्त नायब तहसीलदारों का स्थानान्तरण राजस्व मण्डल ने किया है ? यदि हां, तो किन किन का कब कब कहां से कहां और किन किन कारणों से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी नहीं, इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

स्थगित प्रश्न

(12-8-69)

अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत पाठशालायें

15 श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूतपूर्व बीकानेर राज्य क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा के नाम से नगरपालिका क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालायें चलती थीं ? क्या वे अब नगरपालिकाओं और राज्य सरकार की सहायता से चल रही हैं ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? उनकी व्यवस्था नियन्त्रण निरीक्षण, सेवा नियम, नियुक्ति, पदोन्नति, पेन्शन ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड आदि की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि वे एक कानून के अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत एक राजकीय सेवा के व विभाग के तौर पर भूतपूर्व राज्य में स्थापित हुई थी संचालित होती

(श्री दौलतराम सारण)

थी ? यदि हां, तो किस कानून और नियम के अन्तर्गत उनको मौजूदा दर्जा दे दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इन संस्थाओं की मौजूदा स्थिति में सेवारत कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है? क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों को न तो राज्य कर्मचारी माना जाता है और न ही नगरपालिका कर्मचारी माना जाता है ? इस कारण यह दोनों ही सेवा नियमों की सुविधाओं से वंचित हैं ?

(4) नगरपालिकायें आर्थिक कमजोरी के कारण इन संस्थाओं को चलाने में असमर्थ हैं और लगभग बीस नगरपालिकाओं ने समय समय पर प्रस्ताव पारित कर इन स्कूलों को शिक्षा विभाग के आधीन लेने के निवेदन किये हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

(5) क्या अब आगामी सत्र से इन संस्थाओं को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ले लिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या समय समय पर इनके अध्यापकों के प्रतिवेदन मिले हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(13-8-69)

मांडलगढ़ में कमान्ड एरिया की भूमि का अलॉटमेंट

45. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सही है कि मांडलगढ़ के श्री भंवर लाल खटोड, श्री सुगन चन्द जैन तथा श्री राधाकृष्ण खाती को राजस्व विभाग से बाला बाला पन्द्रह पन्द्रह बीघा जमीन कमान्ड एरिया की हर व्यक्ति को अलॉट की गई है ?

(2) यदि हां, तो क्यों ? क्या यह राजनैतिक पीड़ित हैं और कभी जेल में गये हैं ?

(3) यदि जेल गये हैं, तो कब ?

(4) एक एक बीघा जमीन का दो-दो हजार देने वाली जमीन को इस प्रकार अलॉट करने के क्या क्या कारण हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(13-8-69)

नगरपालिका देशनोक के अध्यक्ष का त्याग-पत्र

50. श्री रामकिशन (बैर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री नेमीचन्द गुलगुलिया नाम के कोई व्यक्ति देशनोक नगर पालिका के अध्यक्ष थे ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उपरोक्त श्री गुलगुलिया ने कभी अपने पद से त्यागपत्र किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया था ? वह मजिस्ट्रेट कौन थे ? क्या वह त्यागपत्र मंजूर हो गया था ?

Page No 161

(श्री रामकिशन)

(3) क्या बाद में उक्त श्री गुलगुलिया ने यह कथन किया था कि मैंने कभी त्याग पत्र नहीं दिया ? यदि हां, तो क्या श्री गुलगुलिया के इस कथन पर मजिस्ट्रेट का जवाब प्राप्त किया गया ? यदि हां, तो उस पर संबंधित मजिस्ट्रेट ने क्या जवाब दिया ?

उत्तर

(1) जी हां।

दिनांक 7-4-1962 से दिनांक 3-4-64 तक जब उन्होंने अपने पद का कार्य-भार सम्भला दिया था।

(2) (क) एस० डी० ओ० बीकानेर (नोर्थ) के पास श्री गुलगुलिया के नाम से एक त्याग-पत्र डाक द्वारा आया था।

(ख) उक्त त्याग-पत्र, एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बीकानेर द्वारा अटेस्ट (attest) किया हुआ था।

(ग) जी हां। एस० डी० ओ० बीकानेर (नोर्थ) द्वारा उक्त त्याग-पत्र दिनांक 31-3-64 को मंजूर किया गया।

(3) जी हां।

जी हां। एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि सम्भवतः किसी व्यक्ति ने अपने आपको देशनोक नगरपालिका का अध्यक्ष बताया और उन्होंने गुड फेथ (Good faith) में रुटीन कोर्स में त्याग-पत्र को अटेस्ट कर दिया।

साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि श्री नेमीचन्द गुलगुलिया ने, जिन्हें वे जानते थे, उनसे कोई त्यागपत्र अटेस्ट नहीं करवाया।

परिशिष्ट 2

(अ० ता० प्र० सं० 321 की सूची)

पिछले नगरपालिका बोर्ड पाली ने जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां की हैं उनकी सूची निम्न प्रकार है:

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पद	नियुक्ति तिथि	नियुक्ति की उम्र	योग्यता
1	श्री इस्माइल	चपरासी	12-9-66	—	लिखना पढ़ना जानता है ।
2	,, राम सिंह चौ०	नाकागार्ड	,,	—	,,
3	,, सुलेमान	भिश्ती	23-9-66	—	—
4	,, मोहम्मद	नाकागार्ड	6-5-67	—	—
5.	,, टीकम	,,	,,	—	—
6.	,, मोहम्मद शरीफ	सब-नाकेदार	,,	—	—
7	,, मोहम्मद अली	नाकागार्ड	12-12-67	—	—
8.	,, दाना प्रभू	,,	,,	—	—
9.	,, साबिर अहमद	कनिष्ठ ले०	1-12-67	20 वर्ष	हाईस्कूल
10.	,, बालकृष्ण	नाकेदार	1-4-68	22 वर्ष	,,
11.	,, गणपत लाल	सब नाकेदार	,,	21 वर्ष	सैकेन्ड्री
12.	,, सत्तार	भिश्ती	,,	—	—
13.	,, विजय दास	नाकागार्ड	26-4-68	22 वर्ष	हाईस्कूल
14.	,, मंजूर अहमद	ड्राइवर	3-5-68	—	—
15.	,, उस्मानगनी	विद्युत नि०	15-5-68	26 वर्ष	हाईस्कूल (इलेक्ट्रिशियन)
16.	,, यासीन मोहम्मद	नाकागार्ड	17-5-68	19 वर्ष	सैकेन्ड्री
17.	,, माणक चन्द	कनिष्ठ ले०	8-7-68	18 वर्ष	,,
18.	,, दलपत सिंह	फाटक च०	,,	—	—

परिशिष्ट 3

(अ० ता० प्र० सं० 322 की सूची)

निम्नलिखित कॉलोनियों में निम्नलिखित रुपयों में भूखन्ड नीलाम द्वारा विक्रय किये :

क्र० सं०	कॉलोनी का नाम	रकम नीलामी	वसूली
1.	वीर दुर्गादास नगर	6,705-00	6,705-00
2.	,,	6,005 00	6,005-00
3.	,,	5,014-00	5,0 4-00
4.	,,	3,804-00	3,804-00
5.	,,	2,155-00	2,155-00
6.	,,	4,805-00	4,805-00
7.	,,	3,905-00	3,905 00
8.	,,	5,105-00	5,105-00
9.	,,	5,104-00	5,104-00
10.	,,	3,003-00	3,003-00
11.	,,	2,155-00	2,155-00
12.	,,	2,105-00	2,105-00
13.	,,	2,205-00	2,205-00
14.	,,	2,605-00	2,605-00
15.	,,	5,405-00	5,405-00
16.	,,	6,405-00	6,405-00
17.	,,	5,155-00	5,155-00
18.	,,	3,029-00	3,029-00
19.	,,	7,355-00	7,355-00
20.	,,	2,825-00	2,825-00
21.	,,	2,825-00	2,825-00
22.	,,	2,101-00	2,101-00

1	2	3	4
23.	वीर दुर्गादास नगर	755-00	755-00
24.	,,	3,401-00	3,401-00
25.	,,	4,000-00	4,000-00
26.	,,	1,501-00	1,501-00
27.	,,	2,251-00	2,251-00
28.	,,	2,421-00	2,421-00
29.	,,	2,701-00	2,701-00
30.	,,	1,551-00	1,551-00
31.	,,	2,780-00	2,780-00
32.	,,	2,105-00	2,105-00
33.	,,	6,401-00	6,401-00
34.	,,	3,001-00	3,001-00
35.	,,	2,151-00	2,151-00
36.	,,	3,000-00	3,000-00
37.	,,	1,351-00	1,351-00
38.	,,	2,800-00	2,800-00
39.	,,	1,365-00	1,365-00
40.	,	1,311-00	1,311-00
41.	,,	1,830-00	1,830-00
42.	,,	2,341-00	2,341-00
43.	,,	1,301-00	1,301-00
44.	,,	1,011-00	1,011-00
45.	,,	1,011-00	1,011-00
46.	,,	2,575-00	2,575-00
47.	,,	2,101-00	2,101-00
48.	,,	1,501-00	1,501-00
49.	,,	2,451-00	615-00

Page No 165

1	2	3	4
50.	वीर दुर्गादास नगर	2,511-00	630-00
51.	,,	3,061-00	765-00
52.	,,	2,801-00	600-00
53.	,,	2,751-00	600-00
54.	,,	2,425-00	625-00
55.	,,	3,000-00	750-00
56.	,,	1,401-00	1,401-00
57.	,,	1,401-00	1,401-00
58.	,,	1,401-00	1,401-00
59.	,,	1,405-00	1,401-00
60.	आदर्श नगर	2,301-00	2,301-00
61.	,,	3,701-00	3,701-00
62.	,,	2,401-00	2,401-00
63.	,,	900-50	900-50
64.	,,	900-50	900-50
65.	,,	1,051-00	1,051-00
66.	,,	2,031-00	2,031-00
67.	,,	2,661-00	2,661-00
68.	घोसी कॉलोनी	1,551-00	1,551-00
	कुल रुपया	1,90,394-00	1,76,079-00

परिशिष्ठ 4

(अ० ता० प्र० सं० 334 की सूची)

कमाण्ड एरिया में वितरण की गई भूमि की फहरिस्त तहसील मांडलगढ़ (भीलवाड़ा)

क्रमांक	नाम आसामियान	नाम ग्राम	रकबा जो अलॉट हुआ
1.	श्री धुलीराम पिता भैरूलाल भाट, माण्डलगढ़	खाचरोल	5)
2.	,, हीरा पिता मोड़ा धाकड़, फलासिया	फलासिया	5)
3.	,, भूरा पिता भागीरथ तेली ,,	,,	7)
4.	,, अम्बालाल, पिता सोनारायण सुनार, माण्डलगढ़	खाचरोल	5)
5.	,, छोगालाल पिता नारायण ब्राह्मण	,,	5)
6.	,, काशीराम पिता गणेश दरोगा	,,	7)
7.	,, लालू पिता रघुनाथ कुमार	,,	4)
8.	,, नन्दा पिता हरला भील	,,	4)
9.	,, रत्ना पिता किसना हरिजन	,,	4)
10	,, देवीलाल पिता किसना भील	,,	4)
11.	,, कल्याणलाल पुत्र काशीराम महाजन	,,	4)
12.	,, देवी पिता गोपी मीणा	,,	4)
13.	,, मगना पिता हरलो चमार	,,	5)
14.	,, भवाना पिता सोला चमार	,,	31)
15.	,, छोगालाल पिता छगनलाल	,,	3)
16.	,, किसना पिता कजोड़ दरोगा	,,	5)
17.	,, विकास पंचायत खाचरोल	,,	15)

Page No 167

1	2	3	4
18.	श्री घासीराम पता गणेश दरोगा	खाचरोल	5)
19.	,, बंशीलाल मथुरालाल जोशी, मांडलगढ़	पिताजी का खेड़ा	14)
20.	,, हजारी पिता नारायण रेगर, फलासिया	फलासिया	5)
21.	,, देवा पिता लछमन रेगर,	,,	3)
22.	,, वेला पिता होकमा रेगर	,,	4)
23.	,, मोड़ा पिता गोवल रेगर	,,	4)
24.	,, काना पिता गोपी भील होड़ा	,,	4)
25.	,, नारायण पिता गोपी भील होड़ा	खाचरोल	4)
26.	,, विकास पंचायत बलदरखां	तिरोली	15)
27.	,, मनोहरसिंह पिता गोविन्दसिंह मेहता, माण्डलगढ़	देवीसिंहजी का खेड़ा	16॥)2 32।)3
			29)
28.	श्री सुगनचन्द जैन, माण्डलगढ़		15)
29.	,, राधाकिशन सुथार ,,		15)
30.	,, भंवरलाल खटोड़ ,,		15)
31.	,, गणपतलाल ,,	देवीसिंहजी का खेड़ा	15)

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 338 की सूची)

जिलेवार सूची

क्रम संख्या	नाम जिला	लगान वसूल हुआ
1.	जैसलमेर	55-37
2.	टोंक	1,54,020-00
3.	बाड़मेर	28,653-03
4.	नागौर	3,09,809-00
5.	झुंझुनूं	नहीं
6.	सिरोही	1,15,033-52
7.	बांसवाड़ा	1,96,004-70
8.	गंगानगर	66,352-00
9.	भरतपुर	15,83,969-69
10.	चूरू	56,487-00
11.	पाली	3,51,807-00
12.	उदयपुर	जवाब अपूर्ण
13.	चित्तौड़गढ़	3,73,764-67
14.	सवाई माधोपुर	8,15,475-00
15.	बूंदी	1,04,504-40
16.	भीलवाड़ा	5,03,073-66
17.	सीकर	3,20,503-04
18.	बीकानेर	नहीं
19.	अजमेर	अपूर्ण
20.	जयपुर	6,18,990-45

परिशिष्ट 6

(अ० ता० प्र० सं० 339 की सूची)

टोंक जिले में दिनांक 31-7-69 तक धारा 91 राज० लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेन्डिग केसेज की सूची

तहसील	संख्या
मालपुरा	1,579
टोडारायसिंह	3,303
निवाई	4,635
देवली	2,992
अलीगढ़	2,502
टोंक	10,002

टोंक जिले में अतिरिक्त तहसीलदारों द्वारा निपटाये गये केसेज की सूची

अतिरिक्त तहसील	संख्या
मालपुरा	3,524
टोडारायसिंह	5,794
निवाई	8,540
देवली	1,962
अलीगढ़	2,732

परिशिष्ट 7

(अ० ता० प्र० सं० 341 की सूची)

जिला	प्रोजेक्टेड इलाका	नॉन-प्रोजेक्टेड इलाका	योग	विचाराधीन प्रार्थना-पत्र
	1	2	3	4
अजमेर	—	1432½	1432½	83
जयपुर	—	2731	2731	387
सीकर	—	2318	2318	21
भरतपुर	—	1188	1188	221
सवाई माधोपुर	—	6457	6457	259
झुन्झुनूं	—	786	786	330
टोंक	—	869	869	80
अलवर	—	—	—	—
जोधपुर	—	1279	1279	129
बाडमेर	—	1398	1398	39
जैसलमेर	—	1299	1299	3
नागौर	—	1804	1804	57
जालौर	26	386	412	7
सिरोही	—	877	877	45
पाली	53	1709	1762	84
बीकानेर	455	1585	2040	11

Page No 171

	1	2	3	4
चूरू	—	2795	2795	277
गंगानगर	—	—	—	—
उदयपुर	—	622½	622½	244
बांसवाड़ा	6	250	256	4
चित्तौड़गढ़	148	523	671	30
भीलवाड़ा	410	2016	2426	190
डूंगरपुर	—	342	342	12
कोटा	130	756	886	1
बूंदी	47	286	333	73
झालावाड़	—	411	411	25
कॉलोनाईजेशन आयुक्त, बीकानेर	5915	—	5915	—
योग	7190	34,120	41,310	2612

परिशिष्ट 8

(अ० प्र० सं० 343 की सूची)

प्रतिलिपि पत्र संख्या एफ 9 (96) राज०/ख/67 दिनांक 15-12-67 द्वारा सहायक राजस्व सचिव, प्रति, जिलाधीश, पाली ।

विषयः-प्रार्थना-पत्र श्री हीरालाल पुत्र किशना साकिन सांपा,जिला पाली गोचर भूमि के विषय में ।

संदर्भः-आपका पत्र संख्या राज० 2456 दिनांक 1-9-67

उपरोक्त प्रसंग में निदेशानुसार निवेदन है कि गोचर भूमि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 92 के तहत कायम की जाती है। इस गांव की गोचर भूमि निर्धारित स्केल से अधिक है अतः जिन आदेशों के द्वारा चरागाह घोषित की गई उसको गांव के मवेशियों की तादाद को देखते हुए कृपया संशोधित करने की व्यवस्था करें। इसके पश्चात् जो भूमि शेष रह जायगी उसे सिवाय चक में दर्ज की जाकर नियमानुसार आवंटन करने की कार्यवाही की जाय। कृपया इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही कर उससे इस विभाग को अवगत करने की व्यवस्था करें।

ह० सहायक राजस्व सचिव

परिशिष्ट ७

(अ० प्र० सं० 347 की सूची)

1. तहसील बीकानेर — तादाद रकबा बीघा में

नाम ग्राम	
1. छत्रगढ़	142844॥)
2. दाऊदसर	2000)
3. किशनपुरा	1000)
4. कतरियासर	60)
5. मालासर	26)
6. बम्बूल	11।)
	1,45,942)

2. तहसील लूणकरणसर

नाम ग्राम	
1. रायमल वाली	59,000)
2. लखोरवड़ी	5000)
3. ददेर	8000)
4. जसवंतसर	3000)
5. अर्जुनसर	2000)
6. भोजरासर	7000)
7. मनोहरिया	5000)
8. खानिसर	5000)
9. बढेरन	8000)
10. साधसर	3000)
11. जागोर	4000)
12. नाकरासर	3000)
13. रामपुरा	3000)
14. लूणकरणसर	1,15,000)
	2,15,000)

नोट:यह भूमि जागीरदार द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर दिये जाने के कारण व खसरा नं० नहीं दिये जाने के कारण तथा रकबा न होने के कारण भूदान बोर्ड की भूमि घोषित नहीं हुई है।

3. तहसील नोखा

नाम ग्राम	
1. तालवा	37॥)
2. बिलनियासर	7)
3. बाधनू	14।)3
4. जसरासर	83)3
कुल मोजान	3,61,025)3

परिशिष्ट 10

(अ० प्र० सं० 363 की सूची)

LIST OF ELECTRIFIED LOCALITIES IN RAMGANJ MANDI TEHSIL IN KOTA DISTRICT

Name of locality	Date of electrification
1. Ramganjmandi	25. 11. 1960
2. Khairabad	Feb., 1962
3. Modek	7-2-1962
4. Suket	7-2-1962
5. Chechat	June, 1962
6. Devli	Feb., 1962
7. Modek Rly. Station	A part of Modek
8. Balwant Khera	31-3-1963
9. Dhandeh	31-3-1963
10. Salwant	1963
11. Sathal Kheri	June, 1962
12. Undawa	31-10-64
13. Niyamat Kheri	— do—
14. Zulmi	—do—
15. Kumbkot	22-12-1965
16. Hemal Kheri	27-1-1966
17. Kundayia	31-1-1966
18. Kikda Mines	31-1-1966
19. Lakhariya	13-2-1966
20. Fanda	28-2-1966
21. Peen Chhadia	31-3-1966

1	2
22. Dhoondan Kheri	31-3-1966
23. Bhimpura	—do—
24. Goyanda	—do—
25. Guntia (Gundi)	30-3-1966
26. Bordia Kalan	28-2-1966
27. Dharanwad	27-2-1967
28. Rampuria	8-2-1967
29. Kutkiya	—do—
30. Beedmandi	2-3-1967
31. Pipa Khera	2-3-1967
32. Khimach	16-1-1967
33. Sohan Kheda	30-3-1969
34. Dengsi	8-3-1969

परिशिष्ट 11

(अ० प्र० सं० 364 की सूची)

कोटा जिले के प्रत्येक तहसील क्षेत्रों के गांवों के लिये बिजली लेने वालों की संख्या

क्रमांक	तहसील एवं गांव का नाम		कृषकों की संख्या
1.	बारां तहसील		
	1. सीमसपुर		9
	2. बोरदा चौकी		5
		योग	14
2.	मांगरोल तहसील		
	1. मांगरोल		1
	2. सीसवाली		2
	3. अन्ता		2
	4. पाडलिया		4
		योग	9
3.	छीपाबड़ोद तहसील		
	1. छीपाबड़ोद		5
	2. बारथल		10
		योग	15
4.	रामगंज मण्डी तहसील		
	1. रामगंज मंडी		1
	2. खैराबाद		6

1	2	3
	3. मोडक गांव	1
	4. सुकेत	2
	5. बुधनखेडा	3
	6. गोयन्दा	7
	7. जुल्मी	2
	8. सलावत	1
	9. डीगसी	1
	10. हेमलखेडा	2
	11. कुदायली	1
	12. गोरधनपुरा	1
	योग	28
5.	सांगोद तहसील	
	1. सांगोद	1
	2. कमोलर	1
	3. नयापुरा	5
	4. बोरदां	3
	5. बघावर	7
	6. डूंगरपुर	8
	7. मोइकलां	3
	8. पानाहेडा	2
	9. गागरोन	3
	योग	33
	कुल योग	99

1	2	3
6.	छबड़ा तहसील छबड़ा	—
7.	लाडपुरा तहसील	—
	1. कोटा सिटी	21
	2. भीमपुरा	1
	3. कैथून	2
	4. अर्जुनपुरा	6
	5. चन्द्रसोल	5
	6. मन्डाना	3
	7. रायपुर	1
	8. दासलाना	11
	9. चाकरखेरी	3
	10. गोरधनपुरा	1
	योग	54
8.	तहसील पीपलादा	
	1. मोहनपुरा	1
	योग	1
	कुल योग	154

परिशिष्ट 12

(अ० अ० सं० 368 की सूची)

बून्दी के अन्तर्गत आने वाले सड़कों की सूची

क्र.सं.	नाम सड़क	लम्बाई	किस्म सड़क
1.	बून्दी-देवली रोड	29 मील	डामर
2.	बून्दी-चित्तौड़गढ़	18 मील	,,
3.	बून्दी-कोटा रोड	2 मील	,,
4.	,,	1$\frac{3}{4}$ मील	सीमेन्ट रोड
5.	छतरपुरा रोड	2 मील	मेटल्ड
6.	मीरां गेट-हिसार बुर्ज रोड	{3 मील {4 मील	डामर मेटल्ड
7.	सीलार रोड	5 मील	मेटल्ड
8.	फूलसागर-फोर्टबाई रोड	5 मील	डामर
9.	विकार बुर्ज-मैटएा रोड	5 मील	मेटल्ड
10.	लिंक रोड बिसौली पैलेस	1 मील	डामर
11.	लिंक रोड अमरम्बारी रोड	3 मील	मेटल्ड

Page No 180

परिशिष्ट 13

(अ० प्र० सं० 372 की सूची)

	नाम ठेकेदार	मील	शुरु करने की तारीख	कार्य समाप्त करने की तिथि
1.	रामेश्वर लाल गुप्ता	5 से 10	30-8-65	29-2-67
		10 से 15	23-9-65	22-3-67
2.	मेसर्स फकीर चन्द रामलाल	27 से 30/3	14-10-64	13-1-66

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 20 अगस्त, 1969)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
1		3	बठक	बैठक
2	अन्तिम से	2	श्री बद्धिचन्द्र जैन	श्री वृद्धिचन्द्र जैन
7	,,	10	श्री हु दिव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
9		4	पसन्द	पर्सेन्ट
17	अन्तिम से	3	पी. एन्. टीज	पी. एन्ड टीज
19		16	मार्क्स	मार्क्स
26		18	निश्चित तैर	निश्चित तौर
,,		19	स	सर्वे
47		4	नुक्सान	नुकसान
50		8	को	की
,,		10	ही	हो
,,	अन्तिम से	11	गृह मंत्री राज्य	राज्य मंत्री गृह
52	शीर्षक		तरांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
59 से 64 तक	शीर्षक		स्थगित प्रश्न	तारांकित प्रश्नोत्तर
64		17	आने	ऑन
81 से 144 तक	शीर्षक		तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
95	अन्तिम से	8	ग्रान्ट-इन-एन्ड	ग्रान्ट-इन एड
,,	,,	7	ण ऋकी	ऋण की
123		14	भा	भी
140	अन्तिम		(स्तगित किया गया)	(स्थगित किया गया)

1	2	3	4
147		5 भर्ताओं	कर्ताओं
158		14 बठा	बैठा
167	शीर्षक	20 अगस्स	अगस्त
180	1	वैर	वैर
185	शीर्षक	विशेषाधिकाप	विशेषाधिकार
,,	2	विशेषाधिकारी	विशेषाधिकार
204	15	रेडियां	रेडियों
218	10	Occassion	Occasion
232 से 271 तक	शीर्षक	विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार	राज-विक्रीकर (सं. एवं विधि, मान्यकरण) विधेयक, 1969
242	अन्तिम से 7	मुगालत्ता	मुगालता
244	9	कृष्ण कुमार गोयल	श्री कृष्ण कुमार गोयल
271	2	सम्बन्व	सम्बन्ध
276	15	भमि	भूमि
289 से 322 तक	शीर्षक	विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार	परिशिष्ट
297	12	टोंक	टौंक
312	17	कुवे	कुए
317	4	नुकशान	नुकसान
,,	6	दरखास्तें	दख्र्वास्तें
,,	14	डामर का घन	डामर का कार्य घन
318	अन्तिम	सचालित होती	व संचालित होती
326	2	8	18
333	12	जावगी	जायेगी